चतुर्थ माला, खंड 23, अंक 21 सोमवार, 9 दिसम्बर, 1968/18 अग्रहायण, 1890 (शक)
Fourth Series, Vol. XXIII No. 21 Monday, December 9, 1968/Agrahayan 18, 1890 (Saka)

लोक-सभा वाद-विवाद
का
संक्षिप्त अनूदित संस्करण

SUMMARISED TRANSLATED VERSION
OF
4th
LOK SABHA DEBATES

[छठा सत्र
Sixth Session]

Preservation Unit
Fumigated On
Parliament Library

[खंड 23 में अंक 21 से 31 तक हैं
Vol. XXIII contains Nos. 21 to 31]

लोक-सभा सचिवालय
नई दिल्ली
LOK SABHA SECRETARIAT
NEW DELHI

मूल्य : एक रुपया *Price* : One Rupee

[यह लोक-सभा वाद-विवाद का संक्षिप्त अनुदित संस्करण है और इसमें अंग्रेजी/
हिन्दी में दिये गये भाषणों आदि का हिन्दी / अंग्रेजी में अनुवाद है।

This is translated version in a summary form of the Lok Sabha Debates and contains Hindi / English translation of speeches etc. in English / Hindi]

विषय-सूची/CONTENTS

अंक 21, सोमवार 9 दिसम्बर, 1968/18 अग्रहायण, 1890 (शक)

No. 21, Monday, December, 9, 1968/Agrahayna 19, 1890 (Saka)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर तारांकित प्रश्न संख्या विषय	ORAL ANSWERS TO QUESTIONS Starred Question Nos. Subject	पृष्ठ/Pages
601 जामनगर (गुजरात) में उद्योगों में भट्टी के तेल की कमी	Shortage of Furnace Oil experienced by Industries in Jamnagar (Gujrat)	1-2
603 हिन्दुस्तान एंटीबायोटिक्स लिमिटेड	Hindustan Antibioties Ltd.	3-6
604 पाकिस्तान द्वारा ब्रह्मपुत्र के जल पर नियंत्रण	Taming of the Brahmaputra by Pakistan	6-9
607 सरकारी उपक्रमों द्वारा किए गए करार	Agreements entered into by Public Undertakings	9-11
608 दिल्ली प्रशासन द्वारा भेजी गई योजनायें	Schemes Forwarded by Delhi Administration	11-12
610 कच्चे तेल पर स्वामित्व	Royalties on Crude Oil	12-13
611 सिंचाई आयोग	Irrigation Commission	14-16
612 कालागढ़ बिजनौर नहर	Kalagarh Bijnor Canal	16-17
615 भुगतान शेष की स्थिति	Balance of Payments Position	18-19
अल्प सूचना प्रश्न	S. N. Q.	
10 गोहाटी डाकघर में अन्तर्देशीय पत्रों का न मिलना	Non Availability of Inland Letters in Gauhati Post Office	19-20
प्रश्नों के लिखित उत्तर तारांकित प्रश्न संख्या	WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS S. Q. Nos.	
602 औषधियों के मूल्यों के बारे में प्रशुल्क आयोग का प्रतिवेदन	Tariff Commission's Report on Prices of Drugs	21
605 हिन्दुस्तान मोटर्स के कर्मचारियों के लिये क्वार्टर	Quarters for Workers of Hindustan Motors	21
606 महलनवीस समिति का प्रतिवेदन	Mahalanobis Committee's Report	21-22

किसी नाम पर अंकित यह + चिन्ह इस बात का द्योतक है कि प्रश्न को सभा में उस सदस्य ने वास्तव में पूछा था।

*The sign + marked above the name of a Member indicates that the question was actually asked on the floor of the House by him.

ता० प्र० सं० S. Q. Nos.	विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
601	उच्चाधिकारियों के विरुद्ध शिकायतें	Complaints against High Officials	22
613	कोलार स्वर्ण खनन उपक्रम	Kolar Gold Mining Undertakings	22-23
614	आय-कर अधिकारियों की वरिष्ठता सूची तैयार करने के बारे में उच्चतम न्यायालय का निर्णय	Supreme Court Judgement on Preparation of I.T.O's Seniority List	23-24
616	आधुनिक रासायनिक उर्वरक कारखाने	Modern Chemical Fertilizer Factories	24
617	मैसर्स डोडसाल (प्राइवेट) लिमिटेड	M/s Dodsal (P) Limited	24-25
618	जम्मू तथा काश्मीर राज्य में परिवार नियोजन कार्यक्रम	Family Planning Programme in Jammu and Kashmir State	25-26
619	नई दिल्ली नगरपालिका के वित्तीय सलाहकार के बंगले का सजाया जाना	Furnishing of the Bungalow of Financial Adviser to N.D.M.C.	26
620	विदेशी मुद्रा तथा यात्रा चेकों का दुरुपयोग	Misappropriation of Foreign Exchange and Travel Cheques	26-27
621	नेफथा की उपलब्धता	Availability of Naphtha	27
622	विश्व बैंक से सहायता मिलने की सम्भावनायें	Aid Prospects from World Bank	27-29
623	बैंक की दरें तथा ब्याज	Bank Rates and Interest	29
624	पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा 6 बांधों का निर्माण	Construction of six dams by West Bengal Government	29-30
625	पूर्वी भारत में मौसम के बारे में चेतावनी देने की प्रणाली	Weather Warning System in East India	30
626	निर्यात ऋण के ब्याज में राज सहायता	Interest Subsidy on Export Credit	30-31
627	बोदरा और केनिंग में तेल की खोज	Oil Prospecting at Bodra and Canning	31-32
628	सरकारी उपक्रमों में निर्धारित पद	Jobs in Public Sector Undertakings	32
629	आवश्यकता के अनुसार न्यूनतम मजूरी	Need based Minimum Wage	32
630	नई दिल्ली स्थित वाणिज्य, निर्माण तथा विविध के एक एकाउन्टेंट जनरल के कार्यालय के कर्मचारी	Staff in the Office of Accountant General, Commerce, Works and Miscellaneous, New Delhi	32-33
अतारांकित प्रश्न संख्या		**U. S. Q. Nos.**	
3693	पश्चिम बंगाल में पीने के पानी के लिये नलकूप	Tubewells for Drinking Water in West Bengal	33-34
3694	पश्चिम बंगाल में ब्लाक और थाना स्वास्थ्य केन्द्र	Block and Thana Health Centres in West Bengal	34

प्र० प्र० सं० U. Q. Nos.	विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
3695	हिमाचल प्रदेश में तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग का भवन	Oil and Natural Gas Commission's Building in H. P.	34
3696	ग्रीन तथा ब्लैक चाय का स्तर	Standards of Green and Black Teas	34-35
3697	नानकपुर स्थित केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना औषधालय	Nanakpur C.G.H.S. Dispensary	35
3698	नानकपुर केन्द्रीय सरकारी स्वास्थ्य योजना के औषधालय में औषधियों की कमी	Shortage of Medicines in Nanakpur C.G.H.S. Dispensary	35-36
3699	पतरातु ताप बिजली घर	Patratu Thermal Power Station	36-37
3701	श्री तथा श्रीमती ए० आर० कारदार द्वारा आयकर तथा सम्पति कर की अदायगी	Income-tax and Wealth Tax Payment by Shri and Shrimati A. R. Kardar	37-38
3702	बीजकों में कम निर्यात दिखाया जाना	Under-invoicing of Exports	38
3703	इंडियन एयरलाइन्स कारपोरेशन द्वारा प्रयुक्त उड्डयन ईंधन पर उत्पादन शुल्क	Excise duty on Aviation Fuel used by I.A.C.	39
3704	सरकारी क्वार्टरों का आउट आफ टर्न एलाटमेंट	Out of Turn allotment of Government accommodation	39-40
3705	सरकारी उपक्रमों में उत्पादन का कोटा	Production quota in Public Undertakings	40
3706	सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के प्रमुखों की बैठक	Meeting of Heads of Public Undertakings	41
3707	मध्य प्रदेश का नगरीय विकास	Urban Development of Madhya Pradesh	41
3708	मध्य प्रदेश को बिजली की सप्लाई के लिये वित्तीय सहायता	Financial Assistance for Power Supply to Madhya Pradesh	41
3709	स्वास्थ्य सेवाओं के महानिदेशालय में आर्कीटेक्ट और सहायक आर्कीटेक्ट	Architects and Assistant Architects in Directorate General of Health Services	42
3710	स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय में आर्कीटेक्टों की पदोन्नति	Promotion of Architects in DGHS	42
3711	स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय के असिस्टेंट आर्कीटेक्टों तथा आर्कीटेक्टों के भरती नियम	Recruitment Rules for Architects and Assistant Architects in DGHS	42-43

अ० प्र० सं० U. Q. Nos.	विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
3712	पेय जल की सप्लाई के लिये महाराष्ट्र में किया गया सर्वेक्षण	Survey conducted in Maharashtra for Supply of Drinking Water	43
3713	महाराष्ट्र के गावों का विद्युतीकरण	Rural Electrification in Maharashtra	43-44
3714	उत्तरी बंगाल में बाढ़ों का व्यापार पर प्रभाव	Effect of floods in North Bengal on Business	44
3715	उत्तरी बंगाल में बाढ़ के कारण दस्तावेजों को क्षति	Losses of documents etc. due to floods in North Bengal	44-45
3716	राम कृष्णपुरम, नई दिल्ली में टाईप दो के डबल स्टोरी क्वार्टर	Type II double storey quarters at R.K. Puram, New Delhi	45
3717	सरकारी समितियों/आयोगों के सम्बन्ध में संसद् सदस्यों को टी० ए० तथा डी० ए०	T.A. and D.A. to M.Ps. on Governmental Committees/commissions	45-46
3718	दिल्ली में सरकारी क्वार्टरों की किचनों में सिल्लियां	Slabs in kitchens of Government quarters in Delhi	46
3719	हिन्दू अविभक्त परिवार के कर्त्ता के रूप में वित्त मन्त्री	Finance Minister as Karta of Hindu Undivided Family	46-47
3720	बच्चों में पोषक तत्वों के बारे में सर्वेक्षण	Survey for Nutrition among children	47-48
3721	हिन्दी और अंग्रेजी में कार्य करने वाले समान पदों के वेतनमानों में विभिन्नता	Disparity in Pay Scales of Posts involving work in Hindi and English	48
3722	उत्तर प्रदेश सरकार को उत्तर प्रदेश के महापौरों का ज्ञापन	U.P. Mayors' Memorandum to U.P. Government	48
3723	यूनेस्को के नई दिल्ली कार्यालय द्वारा वातानुकूलन के सामान का आयात	Import of Air Conditioners by UNESCO, New Delhi	48-49
3724	गैर-सरकारी अस्पतालों के कर्मचारियों पर औद्योगिक विवाद अधिनियम का लागू होना	Industrial Disputes Act's applicability to private Hospital Employees	49
3725	बकाया आय कर	Income Tax Arrears	49-50
3726	सरकारी क्वार्टरों का निर्माण	Construction of Government Quarters	50-51
3727	चौथी योजनावधि में मेडिकल कालेज खोलना	Opening of Medical Colleges in Fourth Plan period	51
3728	मद्रास फर्टिलाईजरर्स लिमिटेड	Madras Fertilizers Ltd.	51-52

अ० प्र० संख्या U.Q. Nos.	विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
3729	मद्रास फर्टिलाईजर्स लिमिटेड	Madras Fertilizers Ltd.	52
3730	मद्रास फर्टिलाईजर्स लिमिटेड	Madras Fertilizers Ltd.	52-53
3731	मद्रास फर्टिलाईजर्स लिमिटेड	Madras Fertilizers Ltd.	53
3732	परिवार नियोजन कार्यक्रम	Family Planning Programme	53
3733	गौहाटी तथा बरौनी तेल शोधक कारखानों का चालू करना	Gauhati and Barauni Refineries	53-54
3734	आयल इंडिया लिमिटेड	Oil India Limited	54-55
3735	डुममुमा और तिनगुरू में तेल की खोज	Exploration of Oil in Dum Muma and Ningru	55
3736	तेल अथवा गैस के कुएं की ड्रिलिंग	Drilling of Oil or Gas Wells	55-56
3737	ईरान में तट दूर तेल की खोज	Iranian Off-shore oil explorations	56
3738	तेल तथा प्राकृतिक गैस की खोज का कार्यक्रम	Programme for oil and Natural Gas Exploration	56-57
3739	भूतत्वीय तथा भूभौतिकी सर्वेक्षण	Geological and Geophysical Surveys	57-58
3740	दरभंगा मेडिकल कालेज का दर्जा बढ़ाना	Upgrading of Surgical Department of Darbhanga Medical College	58
3741	उड़ीसा के लिये चौथी योजना में सिंचाई योजनाएं	Irrigation Schemes of Orissa for Fourth Plan	58-59
3742	अनुसन्धान तथा विकास प्रभाग सिंदरी	Research and Development Division Sindri	59
3743	रसायन कारखानों के कार्यक्रम में स्वतंत्र अनुसन्धान	Independent Research in working of Chemical Factories	59
3744	सिन्दरी उर्वरक कारखाना	Sindri Fertilizer Plant	60
3745	सरकारी क्षेत्र के उर्वरक कारखानों द्वारा उर्वरकों की बिक्री	Sale of fertilizers by public Sector fertilizer factories	60
3746	विदेशी ऋणों पर ब्याज का भुगतान	Payment of interest for foreign debts	61
3747	केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों की हड़ताल	Strike by Central Government Employees	61
3748	मैसर्स डोडसाल प्राइवेट लिमिटेड	M/s Dodsal (P) Ltd.	61-62
3749	बम्बई सेन्ट्रल से सोना पकड़ा जाना	Gold seizure from Bombay Central	62
3750	उत्तर प्रदेश में कालागढ़ नहर के जल स्तर को ऊंचा करने की योजना	Scheme to raise level of water of Kalagarh Canal, U.P.	62-63

अ० प्र० सं० U. Q. Nos.	विषय	Subject	पृष्ठ/ Pages
3751	मैसर्स ओरियन्टल टिम्बर ट्रेडिंग कारपोरेशन के अंशधारी	Shareholders of M/s Oriental Timber Trading Corporation	63
3752	मैसर्स ओरियन्टल टिम्बर ट्रेडिंग कारपोरेशन के अंशधारी	Shareholders of M/s Oriental Timber Trading Corporation	63-64
3753	मैसर्स ओरियन्टल टिम्बर ट्रेडिंग कारपोरेशन के अंशधारी	Shareholders of M/s Oriental Timber Trading Corporation	64
3754	मैसर्स ओरियन्टल टिम्बर ट्रेडिंग कारपोरेशन के अंशधारी	Shareholders of M/s Oriental Timber Trading Corporation	64
3755	मैसर्स ओरियन्टल टिम्बर ट्रेडिंग कारपोरेशन का अंशधारी	Shareholders of M/s Oriental Timber Trading Corporation	65
3756	मैसर्स ओरियन्टल टिम्बर ट्रेडिंग कारपोरेशन का अंशधारी	Shareholders of M/s Oriental Timber Trading Corporation	65
3757	फर्टिलाइजर्ज एण्ड केमिकल्स ट्रावनकोर लिमिटेड में नियुक्तियों के नियम	Appointment Rules in Fertilizers and Chemicals Travancore Limited	65-66
3758	औद्योगिक वित्त निगम	Industrial Finance Corporation	66-67
3759	पश्चिम बंगाल में कोगसालाटी परियोजना के लिये केन्द्रीय सहायता	Central Assistance for Kangsabati Project (West Bengal)	67
3760	विदेशी मुद्रा की स्थिति	Foreign Exchange Position	68
3761	भारत में आयुर्वेदिक तथा एलोपेथिक अस्पताल	Allopathic and Ayurvedic Hospitals in India	68
3762	इंजीनियरिंग उद्योग के बारे में सलाहकार समिति के निर्णय	Decisions of Advisory Panel on Engineering Industry	68-69
3763	कलकत्ता के लिये विकास कार्यक्रम	Development Programme for Calcutta	69
3764	आगरा में चावली वाली नहर का बढ़ाया जाना	Extension of Chawliwali Canal in Agra	69-70
3765	विदेशों में भेजी गई धनराशियां	Remittances sent abroad	70
3766	पेट्रोलियम उत्पादकों की माँग	Demand of Petroleum Products	70-71
3767	गाँवों में बिजली लगाने का कार्यक्रम	Rural Electrification Programme	71
3768	बिहार और उत्तर बंगाल के बाढ़ पीड़ित परिवारों को सहायता	Assistance for Families affected by Floods in Bihar and North Bengal	71-72
3769	नागपुर के निकट कोदारी सुपर थर्मल स्टेशन	Kodari Super Thermal Station Near Nagpur	72

अ० प्र० सं० U. Q. Nos.	विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
3770	सरकारी क्षेत्र में निर्मित भेषजों, दवाइयों तथा शल्य चिकित्सा उपकरणों की अधिक कीमतें	High prices of drugs, Medicines instruments manufactured in public Sector	72-73
3771	तुंगभद्रा परियोजना की ऊंची सतह वाली नहर	High level Channel of Tungabhadara Project	73
3772	चैकोस्लोवाकिया से मिले दूसरे ऋण का उपयोग	Utilisation of second Czech Credit	74
3773	बिहार और उत्तर प्रदेश में सिंचाई योजनायें	Irrigation schemes in Bihar and U.P.	74
3775	देश की आर्थिक स्थिति	National Economy	74-75
3776	एक समान कर वर्ष	Uniform Tax year	75
3777	जीवन बीमा निगम में ग्राम विकास के लिये एक शाखा (विंग) की स्थापना करना	Creating of Wing of Rural Development in Life Insurance Corporation	75-76
3778	आस्ट्रेलियन गेहूं की बिक्री से प्राप्त राशि	Sale Proceeds of Australian Wheat	76
3779	खम्भात की खाड़ी में तट से दूर तेल की खोज के बारे में जापानी परियोजना प्रतिवेदन	Japanese Project Report on off shore drilling at Cambay	76-77
3780	भारत में मेडिकल कालेज	Medical Colleges in India	77
3781	भारत में पुरुष तथा महिला चिकित्सक	Male and Female Doctors in India	77
3782	मिदनापुर (पश्चिम बंगाल) में बाढ़ का विमान द्वारा सर्वेक्षण	Aerial Survey of Floods in Midnapur (West Bengal)	77-78
3783	कोसी नदी बांध	Kosi River Barrage	78
3784	कोसी नदी में बाढ़	Floods in Kosi River .	78-79
3785	मंत्रियों के विदेशों के दौरे	Ministers' Tour Abroad	79
3786	उत्तर प्रदेश राज्य बिजली बोर्ड	U.P. State Electricity Board	79-80
3787	तीस्ता नदी परियोजना	Teesta River Project	80-81
3788	दिल्ली न्यायालयों के वकीलों के लिये आवास स्थान	Accommodation for Lawyers of Delhi Courts	81
3789	बीकानेर में बिजली घर	Power Plant at Bikaner	81
3790	बाढ़ की पूर्व सूचना देने वाले छः केन्द्रीय एककों की स्थापना	Setting up of Six Central Flood Forecasting Units	81-82

अ० प्र० सं० U. Q. Nos.	विषय :	Subject	पृष्ठ/Pages
3791	जयन्ती जलयान में तस्करी का माल मिलना	Smuggled Goods in Jayanti Ship	82
3792	बाढ़ के बारे में चेतावनी देने के सम्बन्ध में की गयी लापरवाही के बारे में जांच	Enquiry about lapses in Flood Warning	82-83
3793	ऋण के लिये विश्व संगठनों के साथ राज्य सरकारों द्वारा सीधी बातचीत	Direct Negotiations by State Governments with World Organisations for Loans	83
3794	भाखड़ा बांध से सदस्य राज्यों को बिजली	Electricity from Bhakra Dam to Member States	83-84
3795	इंडियन आयल कारपोरेशन के उत्पादन लाभ की दर	I.O.Cs. Production and Profit Rates	84-85
3796	इन्डियन ग्रायल कारपोरेशन को दी गई विदेशी मुद्रा	Foreign Exchange Granted to I.O.C.	85
3797	केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा के औषधालयों के लिये रिहायशी क्वार्टर	Residential Quarters to C. G. H. S. dispensaries	85
3798	सीमा शुल्क के मामलों को निपटाने के लिये विशेष न्यायालयों की स्थापना	Setting up of special courts to Deal with customs cases	85-86
3799	कृषि पुनर्वित निगम	Agriculture Refinancing Corporation	86
3800	भाखडा नंगल कम्पलैक्स से राजस्थान को विद्युत की सप्लाई	Power supply from Bhakra Nangal Complex to Rajasthan	86
3801	राष्ट्रीय विद्युत ग्रिड	National Power Grid	86-88
3802	विदेशी पूंजी	Foreign Investment	88-90
3803	कानपुर के भूतपूर्व ग्राय कर ग्रधिकारी के कार्य की जांच	Enquiry into Affairs of Former Income Tax Officer of Kanpur	90
3804	केन्द्रीय जल तथा विद्युत आयोग के कर्मचारियों का सीमा सड़क विकास बोर्ड में तबादला	Transfer of Officers from C. W. & P. C. to Border Roads Development Board	90-91
3805	जी० ई० सी० आफ इंडिया (प्राईवेट) लिमिटेड	G. E. C. of India (P) Ltd.	91-92
3806	जी० ई० सी० ग्राफ इंडिया (प्राइवेट) लिमिटेड	G. E. C. of India (P) Ltd.	92-93
3807	पश्चिम कोसी नहर	Western Kosi Canal	93-94
3808	दिल्ली की वृहद योजना में संशोधन	Amendment of Master Plan, Delhi	94

अ० प्र० सं० U. Q. Nos.	विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
3809	सीमा शुल्क अधिकारियों द्वारा रेडियो के सामान का पकड़ा जाना	Recovery of Radio Goods by Customs Officers	94
3810	बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों के लिये राजस्थान को केन्द्रीय सहायता	Central Assistance to Rajasthan for Flood stricken Area	94-95
3811	दिल्ली के फल व्यापारियों द्वारा कर की चोरी	Tax Evasion on Fruit Merchants of Delhi	95
3812	सब्जीमण्डी का आजादपुर ले जाया जाना	Shifting of Subzi Mandi to Azadpur Site	95
3813	सब्जीमण्डी के नये स्थान आजादपुर में दुकानों के लिये आवेदन पत्र	Applicants for shops in Azadpur site of Subzimandi	95-96
3814	उत्तर बंगाल में बाढ़ नियंत्रण के बारे में मानसिंह समिति की सिफारिशें	Man Singh Committee's recommendations on Flood Control in North Bengal	96
3815	लोक निर्माण विभाग की सड़कों के क्षेत्र में आने वाली भूमि पर गैर कानूनी तौर से मकानों का बनाया जाना	Unauthorised construction of Houses on Land which falls with in Area of P. W. D. Roads	96
3816	साउथ एक्सटेंशन, नई दिल्ली में एक मकान पर छापा	Raid on a House in South Extension, New Delhi	96-98
3817	इंडियन आयरन एण्ड स्टील कम्पनी लिमिटेड को विश्व बैंक से ऋण	World Bank loan to Indian Iron and Steel Co. Ltd.	98
3818	इंडियन ड्रग्स एण्ड फार्मास्यूटिकल्स में घाटा	Loss in the Indian Drugs and Pharmaceuticals Ltd.	98-99
3819	सुवर्णरेखा नदी पर बांध	Dam on Subarnarekha River	99
3820	पौड़ी गढ़वाल का सरकारी अस्पताल	Government Hospital, Pauri Garhwal	99-100
3821	उर्वरकों की खरीद	Purchase of Fertilizers	100
3822	कोलार सोना खानों के उपक्रमों में कर्मचारियों की स्थिति	Conditions of workers in Kolar Gold Mining Undertakings	100-101
3823	भारत में बाढ़ से क्षति	Flood damage in India	101
3824	परिवार नियोजन कार्यक्रम के प्रचार के लिये राज्यों को ट्रांजिस्टर	Supply of Transistors to States for propagation of family planning programme	101-102
3825	अखिल भारतीय कर अधिकारी सम्मेलन	All India Tax executives Conference	102-103

अ० प्र० सं०

U. Q. Nos.	विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
3826	इण्डियन आयल कारपोरेशन की गतिविधियों का विविधिकरण	Diversification of Activities of I. O. C.	103
3827	निगमित कर का भार	Incidence of corporate Taxation	03-104
3828	चित्रगुप्त रोड, नई दिल्ली में क्वार्टर	Quarters on Chitra Gupta Road, New Delhi	104
3830	केन्द्रीय गृह-निर्माण योजना के अन्तर्गत मध्य प्रदेश में बनाये गये मकान	Houses Built in Madhya Pradesh under Central Housing Schemes	104
3831	मध्य प्रदेश में नसबन्दी के आपरेशन	Vasectomy Operations in Madhya Pradesh	105
3832	रासायनिक उद्योगों के लिये लक्ष्य	Targets for Chemicals Industries	105-106
3833	आयातित सोडियम नाइट्रेट का मूल्य	Price of Imported Sodium Nitrate	106
3834	रसायनों का उत्पादन	Production of Chemicals	106
3835	तेल के कुओं तथा तेल शोधक कारखानों में गैस का उत्पादन	Production of Gas in Oil Wells and Refineries	106-107
3836	पौड़ी गढ़वाल में गैंथी छोरा बांध का निर्माण	Construction of Gainthichhora Dam in Pauri Garhwal	107
3837	गाजियाबाद विकास कार्यक्रम के अधीन लोनी और हींडन के आस पास का क्षेत्र	Loni and Trans-Hindon Area Under Ghaziabad Development Scheme	107-108
3838	चांदी को चोरी छिपे भारत के बाहर ले जाना	Smuggling of Silver out of India	108-109
3839	सीमाशुल्क प्रक्रिया के कारण हानि	Loss Due to Customs Procedures	109
3840	माधोपुर राजस्थान में ग्राम्य पेय जल योजना	Rural Drinking water Scheme for Sawai Madhopur (Rajasthan)	109-110
3841	राजस्थान में पेय जल के लिये योजनाएं	Scheme for Drinking Water in Rajasthan	110
3842	आर्थिक प्रगति दर में कमी	Shortfall in Economic Growth Rate	110-111
3843	विश्व बैंक के अध्यक्ष का भारतीय उद्योगपतियों के साथ परामर्श	World Bank President's Consultations with Indian Industries	111-112
3844	आन्ध्र प्रदेश में बैंकों द्वारा किसानों को दिये गये ऋण	Loans Advanced by Banks to Agriculturists in Andhra Pradesh	112
3847	बागमारी साइफन कार्य	Bagmari Syphon Works	112-113
3848	भागीरथी नदी के उस पार आर० सी० रेगुलेटर के लिये ठेका दिया जाना	Award of contract for R. C. Regulator across Bhagirthi River	113

अ० प्र० सं० U. Q. Nos.	विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
3849	हल्दिया बरौनी पाइप लाइन बिछाने के लिये बेटचेल को भुगतान	Payment to Batchel for laying down Haldia-Barauni Pipe Line	113-114
3850	केन्द्रीय सरकार की स्वास्थ्य सेवा के औषधालय	C. G. H. S. Dispensaries	114
3851	चाँदी की तस्करी के लिये नौसेना के अधिकारी की गिरफ्तारी	Arrest of Naval Officer for smuggling silver	114
3852	मद्रास और कोचीन में फारेन पोस्ट आफिस	Foreign Post Offices in Madras and Cochin	114-115
3853	कोचीन सीमा शुल्क कार्यालय द्वारा कोचीन तेलशोधक कारखाने की मशीनों का जब्त किया जाना	Machinery of Cochin Oil Refineries confiscated by Cochin Customs	115-116
3854	बड़े पत्तनों के कस्टमस् कार्यालयों में नियुक्त कर्मचारी	Staff in Customs Houses of Major Ports	116
3855	केरल में डी० डी० टी० कारखाना, एलूर के अधिकारियों के विरुद्ध जाँच	Enquiry against officials of DDT Factory, Eloor (Kerala)	116-117
3856	कस्टम्स् कार्यालय, कोचीन	Customs House, Cochin	117
3857	फिल्म उद्योग में कर अपवचन	Tax evasion in Film Industry	117-118
3858	पांचवे वित्त आयोग का प्रतिवेदन	Fifth Finance Commission's Report	118
3859	गवर्नमेंट कालेज मनीपुर में प्री-मैडीकल पाठ्यक्रम आरम्भ करना	Introduction of Pre-Medical Course in Government College Manipur	118-119
3860	आजादपुर दिल्ली में नई सब्जी मंडी	New Subzi Mandi at Azadpur, Delhi	119
3861	दिल्ली वृहत योजना में सब्जीमंडी के लिये व्यवस्था	Provision of Subzimandi in Delhi Master Plan	119-120
3862	नदियों में मिट्टी तथा रेत जमा हो जाने से 24 परगना का जल मग्न होना	Inundation of 24 Parganas due to silt-age in rivers	120
3863	पालना (राजस्थान) में ताप बिजली घर	Thermal Power Plant at Palana (Rajasthan)	120
3864	नायलान कपड़े की सप्लाई के लिये ठेके	Contracts for supply of Nylon Fabrics	120-121
3865	पश्चिम बंगाल में बाढ़ नियंत्रण परियोजनाएं	Flood control projects in West Bengal	121
3866	वेतनों की उच्चतम सीमा निश्चित करना	Fixing of ceilings on Salaries	122
3867	दिल्ली में आजादपुर में सब्जीमंडी	Subzimandi at Azadpur, Delhi	122-123
3868	उड़ीसा को केन्द्रीय सहायता	Central Assistance to Orissa	123

अ० प्र० सं० U. Q. Nos.	विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
3869	आसाम तेल कम्पनी द्वारा पैट्रोलियम कोक का उत्पादन	Production of petroleum coke by Assam Oil Company	123-124
3870	लाजपत नगर के निकट गढ़ी जरिया मरिया ग्राम में पीने के पानी की कमी	Shortage of drinking water in village Garhi Jaria Maria near Lajpat Nagar, New Delhi	124
3871	गंगा नदी द्वारा बलियाबन्ध का कटाव	Erosion of Ballia Bund by Ganga	124-125
3873	महाराष्ट्र में उर्वरक कारखाने के लिये कुवैत कम्पनी द्वारा अमोनिया की सप्लाई	Supply of Ammonia by Kuwait company for Fertilizer Plant in Maharashtra	125
3874	प्रोटीन उत्पन्न करने के लिये एक अग्रिम कारखाने की स्थापना	Setting up of a Pilot Plant to produce protein	125-126
3875	फ़िल्मी कलाकारों से लेखा बाह्य धन का पता लगाने के लिए छापे	Raids to Unearth unaccounted money from film artists	126
3876	विश्व बैंक मिशन द्वारा औद्योगिक स्थिति का मूल्यांकन	Assessment of Industrial situation by World Bank Mission	126
3877	मस्तिष्क हीन बच्चों का जन्म	Birth of Brainless children	127
3878	नर्मदा बेसिन की जलविद्या	Hydrology of Narmada Basin	127
3879	कर्मचारियों द्वारा आयकर का भुगतान	Payment of income tax by employees	127
3880	दिनेशपुर नैनीताल में नलकूपों के लिये बिजली की सप्लाई	Electric supply for Tubewells Dineshpur, Nainital	128
3881	तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग में भर्ती आदि के बारे में नियम तथा विनियम	Rules and Regulations, Re. Recruiment etc. in ONGC	128
3882	तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग का चेयरमैन	Chairman of ONGC	128-129
3883	तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग के निदेशालयों तथा परियोजनाओं में सेवा निवृत सेना अधिकारी	Retired Army Officers in Directorates and Projects of ONGC	129
3884	तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग के पास रिग	Rigs Possessed by Oil and Natural Gas Commission	129-130
3885	तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग द्वारा कुओं की खुदाई	Wells drilled by Oil and natural gas commission	130-131
3886	फरक्का बांध	Farakka Barrage	131-132
3889	दिल्ली में चोरी छिपे लाये गये सोने का पकड़ा जाना	Seizure of smuggled gold in Delhi	132

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना	Calling Attention to Matter of Urgent Public importance	132-134
केरल में आतंकवादी गतिविधियों में पीकिंग के प्राधिकारियों का हाथ	Involvement of Peking authorities in terrorist activities in Kerala	134
सभा पटल पर रखे गये पत्र	Papers Laid on the Table	134
नागालैंड विधानसभा (प्रतिनिधित्व में परिवर्तन) विधेयक	Legislative Assembly of Nagaland (Change in Representation) Bill-	134-135
पुरः स्थापित	Introduced	
बीमा (संशोधन) विधेयक	Insurance (Amendment) Bill	135-148
खंड 6 से 41 तथा 1	6 to 41 and 1	
पारित करने का प्रस्ताव संशोधित रूप में	Motion to Pass, as amended	
श्री कृष्ण चन्द्र पन्त	Shri K. C. Pant	
श्री शिवचन्द्र झा	Shri Shiva Chandra Jha	
श्री लोबो प्रभु	Shri Lobo Prabhu	
श्री मृत्युंजय प्रसाद	Shri Mrithyunjay Prasad	
श्री नरेन्द्र कुमार सोमानी	Shri N. K. Somani	
श्री वेनी शंकर शर्मा	Shri Beni Shanker Sharma	
श्री स० मो० बनर्जी	Shri S. M. Banerjee	
श्री नम्बियार	Shri Nambiar	
श्री शिंकरे	Shri Shinkre	
श्री जार्ज फरनैंडीज	Shri George Fernandes	
हरियाणा में विकास के बारे में	Re. Development in Haryana	
खाद्य निगम (संशोधन) विधेयक	Food Corporation (Amendment) Bill	149-157
विचार करने का प्रस्ताव	Motion to consider	
श्री अन्नासाहिब शिन्दे	Shri Annasahib Shinde	
श्री लोबो प्रभु	Shri Lobo Prabhu	
श्री विश्वनाथ पाण्डेय	Shri Vishwa Nath Pandey	
श्री एस० कंडप्पन	Shri S. Kandappan	
श्री भोलानाथ मास्टर	Shri Bhola Nath Master	
श्री देवेन सेन	Shri Deven Sen	
श्री हिम्मतसिंहका	Shri Himatsingka	
श्री हरदयाल देवगुण	Shri Hardayal Devgun	

विषय	Subject	पृष्ठ/Page
श्री नी० श्रीकान्तन नायर	Shri Sreekantan Nair	
श्री मृत्युंजय प्रसाद	Shri Mrityunjay Prasad	
श्री स० मो० बनर्जी	Shri S. M. Banerjee	
श्री शिवाजीराव शं० देशमुख	Shri Shivajirao S. Deshmukh	
श्री के० एम० अब्राहम	Shri K.M. Abraham	
श्री के नारायण राव	Shri K. Narayana Rao	
राज्यों को केन्द्रीय सहायता के बारे में आधे घंटे की चर्चा	Half-an-hour discussion regarding Central Assistance to States	157-159
श्री सुरेन्द्र नाथ द्विवेदी	Shri Surendranath Dwivedy	
श्री प्रकाशवीर शास्त्री	Shri Praksh Vir Shastri	
श्री स० कुण्डू	Shri S. Kundu	
श्री ब० रा० भगत	Shri B.R. Bhagat	
चीनी की नीति के बारे में चर्चा	Discussion re. sugar policy	159-166
श्री द्वारका नाथ तिवारी	Shri D.N. Tiwary	
श्री एस० एम० जोशी	Shri S.M. Joshi	
श्री विश्वनाथ राय	Shri Bishwanath Roy	
श्री एस० एम० कृष्ण	Shri S.M. Krishna	
श्री क० ना० तिवारी	Shri K.N. Tiwari	
श्री क० मि० मधुकर	Shri K.M. Madhukar	
श्रीमती सुचेता कृपालानी	Shrimati Sucheta Kripalani	
श्री के० रमानी	Shri K. Ramani	
श्री विभूति मिश्र	Shri Bibhuti Mishra	
श्री प्रकाशवीर शास्त्री	Shri Prakash Vir Shastri	
श्री काँबले	Shri Kamble	
श्री महन्त दिग्विजय नाथ	Shri Mahant Digvijai Nath	
श्री के० नारायण राव	Shri K. Narayana Rao	
श्री हिम्मतसिंहका	Shri Himatsingka	
श्री जगजीवन राम	Shri Jagjivan Ram	

लोक-सभा

LOK SABHA

सोमवार, 9 दिसम्बर, 1968 / 18 अग्रहायण, 1890 (शक)

Monday, December 9, 1968 / Agrahayana 18, 1890 (Saka)

लोक-सभा ग्यारह बजे समवेत हुई

The Lok Sabha met at Eleven of the Clock

[अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए
Mr. SPEAKER *in the Chair*]

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

जामनगर (गुजरात) में उद्योगों में भट्टी के तेल की कमी

*601. **श्री रा० की० अमीन** : क्या **पेट्रोलियम तथा रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि गुजरात राज्य में जामनगर में उद्योगों के लिये भट्टी के तेल की कमी है; और

(ख) यदि हाँ, तो भट्टी के तेल की कमी को पूरा करने के लिये सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ?

पेट्रोलियम तथा रसायन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० रघुरामैया) :

(क) सितम्बर, 1968 के सिवाये, जब ओखा को भट्टी के तेल ले जाने वाले टैंकर्स बन्दरगाह में गोदी सुविधाएँ (Berthing facilities) यथा समय प्राप्त नहीं कर सके; जामनगर के उद्योग आदि ओखा केन्द्र से अपनी भट्टी के तेल की अपनी सामान्य आवश्यकताएँ प्राप्त करते रहे हैं।

(ख) राज्य सरकार से कहा गया है कि वे ओखा को ले जाने वाले भट्टी के तेल के टैंकर्स को घाट पर लगने में प्राथमिकता दें।

श्री रा० की० अमीन : यह तथ्य सर्वविदित है कि दे के विभिन्न स्थानों में समय-समय

पर भट्टी के तेल की कमी आती रहती है, कभी आसाम में, कभी उड़ीसा में, कभी गुजरात में और कभी कहीं अन्य स्थान में। मैं समझता हूँ कि इसका कारण यह है कि सरकार की नीति इण्डियन आयल को क्षमता-लाइसेंस देने की है गैर-सरकारी क्षेत्र को नहीं। भट्टी के तेल का उत्पादन-कोटा निश्चित करने के लिए प्रत्येक मास जब बैठक होती है तो अधिकाधिक इंडियन आयल को ही दिया जाता है और गैर-सरकारी क्षेत्र की कम्पनियों का कोटा कम कर दिया जाता है। क्या सरकार यह आश्वासन देगी कि भविष्य में गैर-सरकारी क्षेत्र के पास उपलब्ध समूची क्षमता का पूर्ण रूप में उपयोग किया जायगा ताकि इस तरह भट्टी के तेल की कमी न आये ?

श्री कोत्ता रघुरामैया : मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि माननीय सदस्य द्वारा दी गई जानकारी पूर्णतः गलत है। वास्तव में, स्थिति इसके विपरीत है। स्वेज संकट के कारण, भट्टी के तेल की मांग बढ़ गई है। वास्तव में, बर्मा-शेल और एस्सो कम्पनियाँ भट्टी के तेल का उत्पादन घटा रही हैं और एच० एस० डी० तेल का उत्पादन बढ़ा रही हैं जिससे उन्हें अधिक लाभ होता है और हम उन्हें इसके लिए तैयार कर रहे हैं कि उनका भट्टी के तेल का कोटा बढ़ा दिया जाय। वास्तविक स्थिति यह है।

श्री एन० के० सोमानी : सरकारी तथा गैर-सरकारी क्षेत्र के प्रत्येक तेल शोधक कारखाने तेल शोधन की क्षमता है। प्रत्येक तेल शोधक कारखाने का विपणन और उत्पादन कार्यक्रम प्रत्येक मास बम्बई में तैयार किया जाता है। इस दृष्टि से क्या सरकार पांच से दस प्रतिशत क्षमता बढ़ाने के लिए उन्हें अनुमति और प्रोत्साहन देगी ताकि इस प्रकार तेल की कमी न हो, औद्योगिक उत्पादन कम न हो और श्रमिकों की जबरी छुट्टी न की जाय ?

श्री कोत्ता रघुरामैया : कच्चे तेल की सामान्य वृद्धि से भट्टी के तेल के अतिरिक्त अन्य पदार्थों की भी वृद्धि होगी जो फालतू हो सकती हैं। हमें समूची स्थिति को ध्यान में रखना है। परन्तु इस मामले में हमने कालटेक्स को अतिरिक्त कच्चा तेल दिया है ताकि वह और अधिक भट्टी का तेल दे। हम बर्मा शेल तथा अन्य कम्पनियों को भी यह देने के लिये तैयार हैं परन्तु वे इसके लिये तैयार नहीं हैं।

श्री एन० के० सोमानी : इसका अन्तिम हल क्या है ? क्या सरकार इस पर विचार करेगी क्योंकि ये कमियाँ समय-समय पर हो रही हैं ?

श्री कोत्ता रघुरामैया : जब तक हम आत्म निर्भर नहीं हो जाते, कमी की स्थिति में हमें आयात करना पड़ेगा।

श्री एम० बी० राणा : गुजरात के लिए कितना कोटा नियत किया गया था और कमी कितनी थी ?

श्री कोत्ता रघुरामैया : किसी एक राज्य विशेष के आकंड़े मेरे पास नहीं हैं।

डा० रानेन सेन : क्या यह सही है कि बर्मा शेल और एस्सो के तेल शोधक कारखानों का उत्पादन भारत सरकार से तयशुदा क्षमता से अधिक है और यदि हाँ, तो क्या सरकार ने इस उद्देश्य से कोई उपाय सोचा है कि उनका उत्पादन तयशुदा क्षमता से अधिक न हो ?

श्री कोत्ता रघुरामैया : मुझे इसकी जानकरी नहीं है।

हिन्दुस्तान एंटीबायोटिक लिमिटेड

*603. **श्री प्रेम चन्द्र वर्मा** : क्या पेट्रोलियम तथा रसायन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हिन्दुस्तान एंटीबायोटिक्स लिमिटेड की स्थापना कब हुई थी और इस के ध्येय तथा उद्देश्य क्या हैं;

(ख) क्या परियोजना प्रतिवेदनों तथा उनके उत्पादन तथा विकास के लक्ष्यों के अनुसार कारखाने स्थापित करने के लक्ष्य पूरे हो गये थे और यदि हां, तो कब और कैसे और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या इस कम्पनी को स्थापित करने में कोई विदेशी सहयोग प्राप्त किया गया था और यदि हां, तो किन-किन देशों ने सहयोग दिया था, उनके सहयोग की शर्तें क्या थीं और सहायता के रूप में कितनी विदेशी मुद्रा प्राप्त हुई थी;

(घ) इस समय कम्पनी कौन-सी चीजें तैयार कर रही है और उनका कितना उत्पादन होता है और क्या इसके उत्पाद अन्तर्राष्ट्रीय स्तर के हैं;

(ङ) पिछले तीन वर्षों में उत्पादन तथा बिक्री के आंकड़े क्या हैं और इनमें से उत्पादों की कितनी मात्रा का निर्यात किया गया; और

(च) क्या इस समय यह कम्पनी किन्हीं कठिनाइयों का सामना कर रही है और सरकार का विचार इन कठिनाइयों को कैसे दूर करने का है ?

पेट्रोलियम तथा रसायन मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री कोत्ता रघुरामैया) : एक विवरण सभा पटल पर रखा गया है ।

विवरण

(क) कीटाणु नाशक औषधियों जैसे पेनसलीन, एट्रैपटोमाइसीन आदि के सरकारी क्षेत्र में उत्पादन और अन्य कार्यकलापों जैसा कि कम्पनी के मैमोरेंडम आफ एसोशियेशन में उल्लखित है, के उद्देश्य से हिन्दुस्तान एंटीबायोटिक्स लिमिटेड की 31 मार्च, 1954 को स्थापना की गई ।

(ख) भारत सरकार, विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) और संयुक्त राष्ट्र अन्तराष्ट्रीय वाल आपात फंड (UNICEF) की संयुक्त कार्यकारी योजना में यह अनुमान लगाया गया था कि संयुक्त राष्ट्र अन्तर्राष्ट्रीय वाल आपात फंड द्वारा दिये जाने वाले उपकरणों और विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा दिये जाने वाली तकनीकी सहायता से उस स्तर पर पेन्सलीन उत्पन्न की जायेगी जिसका लक्ष्य, उत्तरोत्तर चरणों में, 750,000 मीगा यूनिट प्रति माह होगा । अस्थाई तौर पर इस बात पर सहमति हुई थी कि संयन्त्र दिसम्बर, 1953 में उत्पादन आरम्भ करेगा और 1954 के अन्त तक उत्पादन पूरी क्षमता तक पहुँच जायेगा । संयुक्त राष्ट्र अर्न्तराष्ट्रीय वाल आपात फंड द्वारा दिये जाने वाले उपकरणों के देर से आने के कारण, संयन्त्र के चालू होने में कुछ विलम्ब हुआ । परीक्षण उत्पादन मार्च, 1955 में आरम्भ हुआ और पूरी क्षमता से उत्पादन स्तर 1956 की प्रथम छमाई में प्राप्त कर लिया गया ।

(ग) हिन्दुस्तान एंटीबायोटिक्स लिमिटेड के दो प्रमुख उत्पादन है एक पैन्सलीन और दूसरा स्ट्रैपटोमाइसीन । पैन्सलीन संयन्त्र संयुक्त राष्ट्र अर्न्तराष्ट्रीय बाल आपात फंड और विश्व स्वास्थ्य संगठन के वित्तीय और तकनीकी सहायता से स्थापित किया गया । इस सहयोग में कोई विशिष्ट देश शामिल नहीं था । संयुक्त राष्ट्र अन्तर्राष्ट्रीय बाल आपात फंड ने अमरीकी डालर 850,000 के बराबर विदेशी मुद्रा सुलभ की और विश्व स्वास्थ्य संगठन ने 300,000 अमरीकी डालर के कीमत के बराबर टैकनीशियन और भारतीय वैज्ञानिकों का प्रशिक्षण सुलभ किया । संयुक्त कार्यकारी योजना में यह निहित था कि संयुक्त राष्ट्र अर्न्तराष्ट्रीय बाल आपात फंड ने जो विदेशी मुद्रा सुलभ की है उसका भुगतान भारत और दक्षिण पूर्वीय ऐशिया के देशों की आशातीत माताओं और बच्चों को वितरित करने के लिये संयुक्त राष्ट्र अर्न्तराष्ट्रीय बाल आपात फंड को वस्तु में होगा । यह दायित्व पूरी तरह से निभा दिया गया है । स्ट्रैपटोमाइशीन संयन्त्र अमरीका की मैसर्स मर्क एण्ड कम्पनी के सहयोग से स्थापित किया गया था । भारत में स्ट्रेपटोमाइसिन की शुद्ध प्रचुर बिक्री पर 1½% से 2½% के मध्य ह्रासित दर से रायल्टी के भुगतान के बदले सहयोग की शर्तों में विदेशी फर्म के पेन्टिटिड तरीकों को लाइसेंस देना और तकनीकी जानकारी शामिल थी ।

(घ) और (ङ) : पिछले तीन वर्षों के वास्तविक उत्पादन और बिक्री के आंकड़े नीचे दिये जाते हैं :—

मद	1965-66 उत्पादन	1966-67 उत्पादन	1967-68 उत्पादन
1. पैन्सलीन	61.04 मिलयन मीगा यूनिट	69.79 मिलयन मीगा यूनिट	53.17 मिलयन मीगा यूनिट
2. स्ट्रैपटोमाइसीन	66870 किलोग्राम	64721 किलोग्राम	66393 किलोग्राम
3. क्लोरोटैटरासाइक्लीन	228 ,,	31 ,,	24 ,,
4. हैमेसीन	8 ,,	7 ,,	4 ,,
5. ऐराफुनगिन	— ,,	733 ,,	37 ,,
6. स्ट्रैपटोसाइक्लीन	,,	6440 ,,	3707 ,,
7. शीशी भरना	502 लाख	513 लाख	663 लाख

वार्षिक बिक्री मूल्य

1965-66	538.87 लाख रु०
1966-67	716.60 ,,
1967-68	646.62 ,,

कम्पनी के सारे उत्पादन पूर्णतया औषधमानों के अनुरूप है । 1966-67 में, 72398.80 रु० के कीमत की 3619.94 ग्राम हैमेसीन अमरीका को निर्यात की गई ।

(च) समय-समय पर कम्पनी गर्मी के दिनों में समुचित पानी की सप्लाई और पर्याप्त मात्रा में लगातार बिजली की सप्लाई से सम्बन्धित कठनाइयों का सामना करती रही है । इन दोनों प्रश्नों पर महाराष्ट्र सरकार से बातचीत की गई है ।

Shri Prem Chand Verma : What is the difference between production figures given in reply to parts (d) and (e) of the question and the targets fixed therefor?

Secondly, what are the reasons for shortfall of more than 80 percent in the production of item 3 and of more than 40 per cent in that of item No. 6 ?

Thirdly, when was the matter of shortfall in the supply of water and electricity brought to the notice of the Government ? When were talks held with the Government of Maharashtra and whether the Government of Maharashtra have made arrangements for providing electricity and water to that Company in accordance with needs and if not, the action being taken by the Government of India in regard thereto ?

श्री कोत्ता रघुरामैया : पर्याप्त बिजली और पानी की बराबर सप्लाई के लिए हम उन्हें लिखते रहे हैं।

जहाँ तक पेनिसीलीन का सम्बन्ध है, जैसा कि विवरण के पैरा (ख) में बताया गया है उत्पादन-लक्ष्य लगभग एक वर्ष के विलम्ब से प्राप्त हो गया था। स्ट्रेप्टोमाइसीन के बारे में आंकड़े भी इसमें दिये गये हैं। वास्तव में, स्ट्रेप्टोमाइसीन उत्पादन के मूल कार्यक्रम में शामिल नहीं थी। यह बाद में शामिल की गई और हमारे समक्ष कुछ कठिनाई आ गई है। यही कारण है कि हमने महाराष्ट्र सरकार को लिखा है।

Shri Prem Chand Verma : Has this Company purchased bottles, etc., worth lakhs of rupees, from T.T. Krishnamchari and Company Ltd., if so, what is their number and what are other details in respect thereof ?

श्री कोत्ता रघुरामैया : मुझे इसकी जानकारी नहीं है। परन्तु यदि माननीय सदस्य मुझे लिखें तो मैं मालूम करूँगा।

श्री उमानाथ : मालूम हुआ है कि हिन्दुस्तान एन्टीबायोटिक्स मैसर्स साराभाई केमिकल्स लिमिटेड को 30 पैसे प्रति वायल की दर से बड़े पैमाने पर पेनिसीलीन बेच रहे हैं जबकि मैसर्स साराभाई केमिकल्स लिमिटेड उसे बोतलों में भरकर और लेबल लगा कर लगभग 94 पैसे प्रति वायल की दर से बेचती है जो उस लागत से तीन या चार गुना होती है जिस पर यह उन्हें सप्लाई की जाती है। इसका अर्थ यह हुआ कि वास्तव में यह लोगों को कम कीमत पर मिल सकती है। क्या यह बात अनेक बार सरकार के ध्यान में लाई गई है ? और क्या सरकार ने इस उद्देश्य से कार्यवाही की है कि पेनिसीलीन लोगों को सस्ती मिल सके ? सरकार ने कोई कार्रवाई क्यों नहीं की जिससे मैसर्स साराभाई केमिकल्स इसे सस्ते मूल्य पर बेचें। क्या इसका एक कारण यह है कि मैसर्स साराभाई केमिकल्स गुजरात कांग्रेस के वित्त-पोषकों में से एक है ? यदि नहीं, तो इसके अन्य क्या कारण हैं ?

श्री कोत्ता रघुरामैया : यह बात मेरे ध्यान में नहीं लाई गई है। अब चूंकि माननीय सदस्य ने इसकी चर्चा की है मैं इसकी जांच करूँगा।

श्री उमानाथ : मुख्य प्रश्न यह है कि क्या इसका एक कारण यह है कि वे गुजरात कांग्रेस को रुपया देती है।

अध्यक्ष महोदय : मुख्य प्रश्न यह है कि क्या इस की कीमत घटाई जा सकती है।

श्री कोत्ता रघुरामैया : इस समय मेरे पास तुलनात्मक मूल्य के आंकड़े नहीं हैं।

श्रीमती सुशीला रोहतगी : क्या हम पेनिसीलीन और स्ट्रेप्टोमाइसीन की कुछ मात्रा आयात करते हैं और यदि हां, तो हिन्दुस्तान एन्टीबायोटिक्स द्वारा उत्पादित वस्तुओं के मूल्य आयातित वस्तुओं के मुकाबले में क्या हैं ?

श्री कोत्ता रघुरामैया : स्ट्रेप्टोमाइसीन बहुत थोड़ी मात्रा में आयात की जाती है। पेनिसीलीन आयात नहीं की जाती।

Shri Rabi Ray : What is the cost of production of streptomycin and at what price it is made available to consumers ?

श्री कोत्ता रघुरामैया : प्रत्येक मद की कीमत की जानकारी के लिए अलग प्रश्न की सूचना आवश्यक होगी ।

श्री अद्धाकर सूपकार : जिन विभिन्न मदों के तुलनात्मक मूल्य दिये गये हैं उनसे पता चलता है कि 1967-68 में उत्पादन घट गया है । यह कमी प्रतिस्पर्धा के कारण हुई हैं या उत्पादन क्षमता में कमी के कारण ।

श्री कोत्ता रघुरामैया : पेनिसीलीन की मांग निश्चय ही घट गई है । यह एक मुख्य कारण है ।

श्री लोबो प्रभु : हिन्दुस्तान एन्टीबायोटिक्स कारखाना इस लिए स्थापित किया गया था कि ये दवाइयां आम जनता को समुचित मूल्यों पर उपलब्ध हो सकें । ये जीवन की रक्षा करने वाली दवाईयां हैं, परन्तु स्थिति यह है कि पेनिसीलीन पर हमारी लागत विश्व के अन्य देशों की लागत की तुलना में लगभग दस गुना है । मैं जानना चाहता हूँ कि, मैसर्स साराभाई केमिकल्स के लाभ के अतिरिक्त, हमारी लागत इतनी अधिक होने के क्या कारण हैं ?

श्री कोत्ता रघुरामैया : सामान्य रूप से मैं यह कह सकता हूँ कि यदि हमारी लागत बढ़ जाती है तो इसका कारण यह हो सकता है कि हम कच्चा माल आयात करते हैं और कच्चे माल की कीमत बढ़ती है तो हमारी उत्पादन लागत भी बढ जाती है । इसके अतिरिक्त अवमूल्यन का असर भी पड़ा है ।

श्रीमती तारा सप्रे : क्या स्ट्रेप्टोमाइसीन की मांग भी कम हुई है और क्या यही कारण है कि हम इसका आयात नहीं कर रहे हैं ?

श्री कोत्ता रघुरामैया : 1965-66 के स्ट्रेप्टोमाइसीन के आंकड़े 66,870 के० जी० थे और 1967-68 के 66,393 के० जी० थे । इनमें अधिक अन्तर नहीं है ।

Shri Atal Bihari Vajpayee : Is it not a fact that the prices of Penicillin and Streptomycin are high because Government are making undue profits, if not, will the hon. Minister lay on the Table of the House a Statement giving comparative figures in respect to cost of production and sale prices ?

श्री कोत्ता रघुरामैया : मैं एक विवरण सभा-पटल पर रखूँगा ।

पाकिस्तान द्वारा ब्रह्मपुत्र के जल पर नियंत्रण

*604-**श्री नीतिराज सिंह चौधरी** : क्या सिंचाई और विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पाकिस्तान सरकार ने ब्रह्मपुत्र के जाल पर नियंत्रण करने के लिये भारत की सहायता अथवा अनुमति मांगी है; और

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

सिंचाई तथा विद्युत मन्त्री (डा० क० ल० राव) : (क) जी, नहीं ।

(ख) : प्रश्न नहीं उठता ।

श्री नीतिराज सिंह चौधरी : हमारा यह अनुभव रहा है कि पहले पाकिस्तान कोई दावा करता है, उसके पश्चात् छोटी-मोटी मांगें की जाती हैं और फिर वे बढ़ जाती हैं । गंगा के जल के

मामले में पाकिस्तान ने आरम्भ में पूर्वी पाकिस्तान के लिए लगभग 3500 क्यूसेक्स जल के लिए कहा था परन्तु अब वह 49,000 क्यूसेक्स जल मांग रहा है। इस प्रसंग में मैं जानना चाहता हूँ कि यदि अनुरोध किया जाता है तो क्या हमारी सरकार ब्रह्मपुत्र के जल के उपयोग के लिए पाकिस्तान की सहायता करेगी ?

डा० क० ल० राव : इस प्रश्न का मुख्य प्रश्न के साथ कोई सम्बन्ध नहीं है क्योंकि यह अनुपूरक प्रश्न गंगा के बारे में है। फिर भी, मैं यह कह दूँ कि भारत सरकार भारत के लिए गंगा नदी के महत्व को पूरी तरह समझती है और हम पाकिस्तान को उपयुक्त आवश्यकता से अधिक जल नहीं देंगे। आज पाकिस्तान के अधिकारियों की भारतीय अधिकारियों से सचिव-स्तर पर बातचीत हो रही है। यह विचार-विमर्श आगामी दो या तीन दिन में समाप्त हो जायगा।

श्री नीतिराज सिंह चौधरी : अब यदि अनुरोध किया जाता है तो क्या सरकार पाकिस्तान की सहायता करेगी ?

डा० क० ल० राव : जी, नहीं।

श्री नीतिराज सिंह चौधरी : ब्रह्मपुत्र में कुल कितना जल बहता है और भारतीय नदियों में बहने वाले कुछ जल से इसका क्या अनुपात है और क्या यह हमारी जमीनों की सिंचाई के लिए प्रयोग में लाया जा सकता है।

डा० क० ल० राव : ब्रह्मपुत्र का जल 4000 लाख-एकड़ फुट है और यह भारतीय नदियों के कुल जल का लगभग एक तिहाई है। दुर्भाग्यवश, यह उस क्षेत्र में है जहां वर्षा बहुत ज्यादा होती है। यह ढलान में भी है। इसीलिये, इसके जल को प्रयोग में लाना काफी कठिन है।

Shri O. P. Tyagi : Brahmaputra River is flooded every year and lakhs of people are rendered homeless. Has the Government considered such a scheme under which a dam could be constructed on the Brahmaputra River in the hills to control its waters and to consequently control floods ?

डा० क० ल० राव : यह सही है कि ब्रह्मपुत्र के कारण हर साल भारी क्षति होती है। ब्रह्मपुत्र पर बांध बनाना सम्भव नहीं है क्योंकि जहां से यह नदी निकलती है वहां से एक हजार मील तक का क्षेत्र तिब्बत में है। ब्रह्मपुत्र में गिरने वाली सहायक नदियों पर बांध बनाने का प्रश्न विचाराधीन है।

श्री रा० बरुआ : पाकिस्तान क्या करता है या क्या नहीं करता है इस बात को छोड़कर, क्या कोई ऐसी योजना सरकार के विचाराधीन है जिससे ब्रह्मपुत्र के जल को नियंत्रित किया जा सके और क्या वह इस मामले को निबटाने के लिए इस वर्ष से अपना संगठन स्थापित कर रही है ?

डा० क० ल० राव : सरकार इस विषय में सक्रिय रूप से कार्रवाई कर रही है ताकि ब्रह्मपुत्र में बाढ़ से भारी क्षति होती है उसे यथा सम्भव कम किया जाय। वास्तव में, इस समय हम प्राधिकार के पुनर्गठन के प्रश्न पर विचार कर रहे हैं ताकि बाढ़ निवारण और बाढ़ से रक्षा के कार्य की गति बढ़ाई जाये। बाढ़ से रक्षा का कार्य हम कर रहे हैं। इस वर्ष हम 3 करोड़ रुपया खर्च कर रहे हैं, आसाम सरकार ने अतिरिक्त धन के लिये कहा है और हम भी कोशिश कर रहे हैं कि अतिरिक्त धन प्राप्त किया जाय और धन के उपलब्ध होते ही अग्रेतर कार्य किया जायेगा।

श्री हेम बरुआ : इस बात को देखते हुये कि ब्रह्म पुत्र में हर मानसून में बाढ़ आती है और आसाम में बहुत क्षति होती है मैं जानना चाहता हूँ कि क्या माननीय मंत्री ने अपनी हाल ही की अमरीका की यात्रा के दौरान ब्रह्मपुत्र पर काबू पाने के लिए कोई नई जानकारी प्राप्त की है ? क्या इसके लिए पर्याप्त योजनायें उपलब्ध नहीं हैं ? क्या हमारे विशेषज्ञों ने ब्रह्मपुत्र पर काबू पाने के लिए योजनाएं सरकार को प्रस्तुत नहीं की हैं ।

डा० क० ल० राव : ब्रह्मपुत्र की बाढ़ पर काबू पाने की समस्या संसार की सबसे बड़ी समस्या है इसके बहुत से कारण हैं । इस नदी की तुलना अमरीका की मिसीसिपी नदी है जिस पर बहुत सा काम हुआ है । इस विषय में विस्तृत अध्ययन किया गया है और हम प्रयत्न कर रहे है कि मालूम करें कि उनके अनुभवों से किस प्रकार हम लाभान्वित हो सकते है । मैंने इसी सिलसिले में कहा था कि हम लोअर मिसिसिपी कमीशन की तरह ब्रह्मपुत्र नदी आयोग संगटित करने के लिये सोच रहे हैं ।

श्री हेम बरुआ : सरकार की बहुत सी योजनाएं हैं, अनेक विशेषज्ञ योजनाएं हैं, अनेक विशेषज्ञ उस क्षेत्र में जा चुके हैं और उन्होंने ब्रह्मपुत्र पर काबू पाने के लिए सिफारिशें की हैं, क्योंकि बाढ़ से आसाम में बहुत क्षति होती है । क्या वे सब योजनाएं पर्याप्त नहीं हैं और क्या ब्रह्मपुत्र पर काबू पाने के लिये मिसिसिपी नदी का अनुभव प्राप्त करना आवश्यक है ?

डा० क० ल० राव : खेद की बात यही है कि ब्रह्मपुत्र के लिए कोई योजनाएं नहीं हैं । यह सब कल्पना की बातें हैं । उन्होंने अभी यही कहा है कि मानास और सुबान्सारी पर बाँध बनने चाहिये और इसके लिए स्थल का चयन भी नहीं हुआ है । हमारी सबसे बड़ी कठिनाई यही है कि इस नदी के लिए कोई योजना नहीं है ।

श्री बेदव्रत बरुआ : माननीय मन्त्री सदा यही कहते रहे हैं कि ब्रह्मपुत्र पर काबू पाना कठिन है । साथ ही उन्होंने यह भी स्वीकार किया है कि कुछ करना सम्भव है और इस दृष्टि से मैं जानना चाहता हूँ कि ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियों के अपरि भागों में बाँध बांधने के सरकार के इरादे को कार्यान्वित करने में उसके मार्ग में क्या कठिनाईयां हैं ? बांधों के निर्माण के लिए इंजीनियरिंग आदि की सुविधाएं आसाम सरकार के पास उपलब्ध होना सम्भव नहीं है । ये सुविधाएं केन्द्र के पास ही उपलब्ध हैं । इसलिए जिम्मेदारी एक दूसरे पर डालने का प्रश्न ही नहीं है । माननीय मन्त्री निश्चित रूप से उत्तर दें कि क्या वह इसे केन्द्रीय उत्तर दायित्व मान कर इस काम को अपने हाथ में लेगी और क्या ब्रह्मपुत्र पर 20 बाँध बनाये जायेंगे ताकि उन में जल रोका जा सके ?

डा० क० ल० राव : मैं बता चुका हूँ कि ब्रह्मपुत्र पर बाँध बनाने की कोई सम्भावना नहीं है । बांध केवल इसकी सहायक नदियों पर ही बनाये जा सकते हैं, परन्तु इस विषय में छानबीन अभी तक नहीं की गई है । अभी स्थल का चयन भी नहीं हुआ है । अभी हम इस बारे में विचार कर रहे हैं । अब हम एक नदी घाटी आयोग स्थापित करने की बात सोच रहे हैं ताकि वह इस बारे में छानबीन करे और स्थलों का चयन करे और फिर यदि वहाँ बांध बनाना उपयोगी अथवा सम्भव हुआ तो वे बनाये जायेंगे !

Shri Deven Sen : Which are the Indian rivers for the taming of which Pakistan has put forth a demand and which are the Pakistan rivers for the taming of which India has put forth a demand and whether India has put forth any demand at all ?

डा० क० ल० राव : पाकिस्तान गंगा और तीस्ता दो नदियों पर दावा कर रहा है।

Shri Maharaj Singh Bharati : Not only Assam, East Pakistan is also affected by Brahmaputra floods. We bave a scheme to link Bengal with that River which has not been implemented due to lack of funds. Has the Grvernment given a suggestion or propose to give a suggestion to the Government of Pakistan to complete that scheme by getting funds from the World Bank as a result of which water would increase in Farakka Barrage as well and thereby Pakisthan would also get benefit.

डा० क० ल० राव : गंगा पर फरक्का और ब्रह्मपुत्र के बीच एक नौवहन नहर बनाने से ब्रह्मपुत्र के पानी को दूसरा रुख देना सम्भव नहीं है। उससे ब्रह्मपुत्र का जल कम नहीं होगा। वास्तव में, जल 350 फुट की ऊंचाई तक पम्प करना होता है।

Shri Maharaj Singh Bharati: Why do you leave this matter of lifting of water?

डा० क० ल० राव : इस प्रकार थोड़ा सा ही जल ऊपर ले जाया जा सकता है। ब्रह्मपुत्र का ज्यादा पानी इस तरह नहीं ले जाया जा सकता।

सरकारी उपक्रमों द्वारा किये गए करार

*607. **श्री स्वतंत्र सिंह कोठारी** : क्या **पेट्रोलियम तथा रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उनके मंत्रालय से सम्बन्धित सरकारी उपक्रमों ने कुछ मामलों में विधि मंत्रालय अथवा सालिसिटर की अनुमति लिये बिना एक करोड़ रुपये से अधिक राशि के करार कर लिए हैं तथा उन उपक्रमों को करारों में गम्भीर त्रुटियां होने के कारण भारी हानि हुई है;

(ख) यदि हां, तो इसके लिये सरकार ने क्या कार्यवाही की है कि भविष्य में सभी करार विधि मंत्रालय अथवा प्राधिकृत सालिसिटरों की अनुमति से किये जायें; और

(ग) इन करारों को के करने लिए उत्तरदायी अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है ?

पेट्रोलियम तथा रसायन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कोत्ता रघुरामैया) : (क) सरकारी उपक्रम अपने खुद के कानूनी सलाहकार रखते हैं और वह जो करार करते हैं, उनके लिये विधि मंत्रालय अथवा सरकारी सालिसिटर की अनुमति की आवश्यकता नहीं होती। तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग द्वारा किये गये एक करार की प्रत्यक्ष त्रुटि से होने वाली कथित हानि के एक मामले का जिसकी रिपोर्ट आडिट ने की है, सरकार को पता है।

(ख) कृपया उपरोक्त (क) का उत्तर देखिये। विधि मंत्रालय तथा सरकारी सालिसिटर, सरकारी उपक्रमों को कानूनी सलाह देने के लिये उपलब्ध नहीं है।

(ग) क्योंकि तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग ने इस मामले में आडिट के विचारों को स्वीकार नहीं किया है इसलिये किसी भी अधिकारी के विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं की गई है।

श्री स्वतंत्र सिंह कोठारी : यह विषय गम्भीर प्रतीत होता है। मैं सुझाव दूंगा कि सरकार ऐसी व्यवस्था करे कि सरकारी उपक्रमों द्वारा किये गये सभी करारों की विधि मंत्रालय छानबीन करे। यदि इस प्रयोजनार्थ विधि मंत्रालय के लिए अतिरिक्त कर्मचारियों की आवश्यकता हो तो उसकी व्यवस्था की जा सकती है। क्या सरकार ऐसी व्यवस्था करेगी कि सरकारी उपक्रमों

द्वारा किये जाने वाले एक करोड़ रुपये से अधिक राशि के सभी करारों की सरकारी उपक्रम ब्यूरो अथवा विधि मंत्रालय छानबीन करे ?

श्री कोत्ता रघुरामैया : मैं समझता हूँ कि इस मामले में तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग के पास एक कानूनी सलाहकार है। इस विशेष मामले में उससे सलाह ली गई थी या नहीं इसकी सूचना के लिए मैंने कहा है।

श्री स्वतन्त्र सिंह कोठारी : क्या कुछ ऐसे मामले सरकार के ध्यान में आये हैं जिनमें उच्च वेतन-प्राप्त अधिकारियों ने गैर सरकारी कम्पनियों के साथ पक्षपात किया था और बाद में सेवानिवृत्त होने पर तुरन्त अथवा उसके कुछ समय पश्चात् उन्हीं कम्पनियों ने उन अधिकारियों को अपनी सेवा में रख लिया ?

श्री कोत्ता रघुरामैया : सेवानिवृत्ति के पश्चात् नियोजन की मंजूरी देने के लिये एक शर्त यह है कि इस प्रकार के सम्बन्ध पहले न रहे हों। यदि कोई ऐसा मामला है जिसमें इस प्रकार के सम्बन्ध का अनुचित लाभ उठाया गया है और यदि वह हमारे ध्यान में लाया जाता है तो निश्चय ही हम उस की जांच करेंगे।

श्रीमती शारदा मुकर्जी : माननीय मंत्री ने बताया कि उनके मंत्रालय में एक कानूनी सलाहकार है। क्या इसका यह मतलब लिया जाय कि इन सब बातों की व्यवस्था मंत्रालय में ही की जाती है, जो कि नहीं होना चाहिए ? कानूनी सलाहकार मंत्रालय में है, ठेका करने वाले मंत्रालय में हैं। संसद के प्रति कौन जिम्मेदार है ? यदि ऐसी बातें होती हैं तो इनकी रोक-थाम के लिए कुछ उपाय किये जाने चाहिए। यह स्पष्ट है कि रोक-थाम स्वयं मंत्रालय में से ही नहीं की जा सकती।

दूसरे, कई बार अधिकारियों का उल्लेख किया जाता है। अधिकारी संसद के प्रति उत्तरदायी नहीं हैं। मैं मंत्री महोदय को सुझाव दूँगी कि भविष्य में संसद में उत्तर देने की जिम्मेदारी वह अपने ऊपर लें और अधिकारियों के विरुद्ध प्रश्न स्वीकार न करें। इस बात का पता नहीं चल सकता कि अधिकारियों ने जो कार्रवाई की वह किन परिस्थितियों में की।

श्री कोत्ता रघुरामैया : मैंने यह नहीं कहा कि मेरी जिम्मेदारी नहीं है अथवा अधिकारियों की जिम्मेदारी है। मैंने तो केवल यह कहा था कि विधि मंत्रालय सरकार के विभिन्न मंत्रालयों को सलाह देता है। परन्तु तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोजन जैसे सरकार उपक्रमों में उनकी कानूनी सलाह की अपनी व्यवस्था है। उनके मामले में विधि मंत्रालय से सलाह नहीं ली जाती सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों में निश्चय ही अधिकारी, उत्तरदायी होते हैं और जहां तक हम संसद के प्रति उत्तरदायी हैं वहां तक हमारा उत्तरदायित्व भी होता है।

श्री जे० मुहम्मद इमाम : सामान्य प्रथा यही है कि विधि मंत्रालय द्वारा छानबीन कर लिये जाने के पश्चात् ही सरकार उपक्रम द्वारा किसी करार को अन्तिम रूप दिया जाता है, परन्तु इस मामले में मालूम होता है कि उनकी राय नहीं ली गई जिसके परिणाम स्वरूप काफी पेचीदगी पैदा हुई है। विभाग की इमानदारी में भी सन्देह है जिसने विधि मंत्रालय की राय नहीं ली। क्या मंत्री महोदय, ऐसे मामलों की जांच करेंगे जिनमें विधि मंत्रालय की राय नहीं ली गई और इस प्रकार के कितने मामले हैं और विधि मंत्रालय की राय न लेने के कारण कितने राशि की हानि हुई ?

श्री कोत्ता रघुरामैया : एक गलत फहमी हुई है। मैं फिर से कह दूं कि विधि मंत्रालय सरकारी उपक्रमों को सलाह नहीं देता । विधि मंत्रालय विभिन्न मंत्रालयों को ही सलाह देता है। इस प्रकार के प्रत्येक सरकारी उपक्रम का अपना कानूनी सलाहकार होता है। इस मामले में कानूनी सलाहकार है। इस मामले में उसकी सलाह ली गई या नहीं इसका मैं पता लगाऊंगा।

श्री सुन्दरनाथ द्विवेदी : भाग (ग) में उन्होंने कहा है कि चूंकि तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग ने लेख परीक्षकों की आपत्ति को स्वीकार नहीं किया अतः अधिकारी के विरुद्ध कोई कार्रवाई नहीं की गई। यदि कानूनी सलाहकार ने लेखापरीक्षकों की आपत्ति स्वीकार नहीं की तो क्या वे उसे छानबीन के लिए विधि मंत्रालय को नहीं भेजेंगे और इसके लिए उत्तरदायित्व निर्धारित नहीं किया जायगा ?

श्री कोत्ता रघुरामैया : मैंने रिपोर्ट मांगी है।

दिल्ली प्रशासन द्वारा भेजी गई योजनायें

*608 **श्री भारत सिंह चौहान** : **श्री राम सिंह अयरवाल** :

श्री टी० पी० शाह : **श्री राम स्वरूप विद्यार्थी** :

क्या **निर्माण, आवास तथा सम्भरण मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली प्रशासन द्वारा भेजी गई ऐसी कौन सी योजनायें हैं जो इस समय उनके मन्त्रालय में विचाराधीन हैं ;

(ख) ये योजनायें अब भेजी गई थीं और कब वे किस अवस्था पर हैं ;

(ग) क्या यह सच है कि इन योजनाओं को निपटाने में बहुत अधिक समय लगाया जा रहा है ; और

(घ) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं और उनके बारे में अन्तिम निर्णय कब तक लिये जाने की सम्भावना है ?

निर्माण, आवास तथा सम्भरण मन्त्रालय में उपमन्त्री (सरदार इकबाल सिंह) : (क) निर्माण, आवास तथा पूर्ति मन्त्रालय के पास दिल्ली प्रशासन की कोई योजना पड़ी हुई नहीं है।

(ख) से (घ) : प्रश्न ही नहीं उठता।

Shri Bharat Singh Chauhan : Has the Delhi Administration asked for any assistance from the centre for the Development schemes being formulated by it at present ?

Shri Iqbal Singh : No assistance has been asked for any scheme, We have no scheme. If the hon. Members refers to a particular scheme I will find out and tell.

Shri Atal Bihari Vajpayee : Is it not a fact that Delhi Administration had submitted a scheme for constructing a new building for New Delhi Courts in place of the present dilapidated accommodation in connection with which lawyers had started a campaign ? Why that scheme has been shelved and by what time that building would be constructed ?

Shri Iqbal Singh : Delhi Administration did not submit any scheme for the construction of court buildings nor did they say anything. If they ask for it we would give them assistance. They had only said that the Chief Architect of C.P.W.D. should tell the place where that building can be constructed. It is a question of assistance of an officer and not of any other assistance.

Shri Atal Bihari Vajpayee : Did that officer help ? What recommendation

was made by the Architect ?

Shri Iqbal Singh : They have sought the help of the Officer for the selection of site for the building. The Officer is helping them.

कच्चे तेल पर स्वामिस्व

*610. **श्री जार्ज फरनेन्डीज :**

क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आयल इंडिया लिमिटेड द्वारा उत्पादित कच्चे तेल और गैस पर स्वामिस्व लेने वाली कम्पनियों के नाम क्या हैं ;

(ख) किस आधार पर स्वामिस्व का भुगतान किया गया है ; और

(ग) कम्पनी के स्थापित होने से अब तक कितनी धनराशि का स्वामिस्व के रूप में भुगतान किया गया ?

पेट्रोलियम तथा रसायन मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री कोत्ता रघुरामैया) :

(क) आसाम सरकार

(ख) 1.11. 1968 से पहले स्वामिस्व, पेट्रोलियम रियासत नियमावली, 1949 में निर्दिष्ट आधार पर थी अर्थात् कूप-मुख मूल्य (Well head Value) का 10 प्रतिशत तथा उक्त तारीख के बाद तेल का 7.50 रुपये प्रति मीटरी टन दर से यह प्रधान मन्त्री के 1962 के पंचाट पर आधारित था ।

(ग)

वर्ष	**स्वामिस्व की धनराशि (रुपये)**
1959 (18.2. 1959 से 31.12. 59 तक)	23,92, 473. 60
1960	29,42, 641. 48
1961	33,24, 376. 08
1962	60,10, 386. 71
1963	56,85, 700. 86
1964	106,73, 151. 43
1965	132,30, 749. 74
1966	162,31, 762. 27
1967	208,71, 415. 15

Shri George Fernandes : What is the basis on which royalty is given to States for extracting oil ?

श्री कोत्ता रघुरामैया : आरम्भ में स्वामिस्व कूप-मुख मूल्य के 10 प्रतिशत के आधार पर दिया जाता था । अब प्रधान मन्त्री के पंचाट के पश्चात् 7.50 रुपये प्रति मीटरी टन के आधार पर दिया जाता है ।

Shri George Fernandes : My question is what is the criterion for giving royalty ?

श्री कोत्ता रघुरामैया : मुझे सिद्धान्त का तो पता नहीं है । मुझे यही मालूम है कि जिस

किसी राज्य में तेल पाया जाता है उसे स्वामिस्व दिया जाता है। स्वामिस्व कितना और किस आधार पर दिया जाता है और पहले किस आधार पर दिया जाता था यह मैं बता चुका हूँ।

Shri George Feruandes : My second question is how does the value fixed by the Government compare to the international prices of oil and how there is parity between the price of indigenous oil and the oil that we import ? Why indigenous oil is not sold at less price ?

श्री कोत्ता रघुरामैया : जहां तक तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग के तेल का सम्बन्ध है भारत में उत्पादित तेल की कीमत भी अब आयातित तेल के समान आधार पर निर्धारित की जाती है अर्थात् जिस कीमत पर यह किसी बन्दरगाह पर आयात किया जाता है। फिर सी०आई० एफ० मूल्य का हिसाब लगाया जाता है और विभिन्न प्रकार के खर्चे जोड़े जाते हैं और वही कीमत देश में उत्पादित तेल की निश्चित की जाती है ताकि दोनों की कीमत बराबर रहे।

Shri George Fernandes : First part of my question has not been replied to. Is royalty paid to Assam Government on the basis of international price or on the basis of cost of production incurred while extracting oil ?

श्री कोत्ता रघुरामैया : अन्तराष्ट्रीय दरें भिन्न-भिन्न देशों की भिन्न-भिन्न हैं। इस मामले में, दोनों पक्षों ने प्रधान मन्त्री को पंचाट देने के लिये प्राधिकृत किया था और पंचाट दे दिया गया है।

श्री रा० बरुआ : क्या सरकार को ज्ञात है कि आसाम सरकार बराबर मांग कर रही है कि स्वामिस्व बढ़ाया जाय और यह मामला एक वर्ष से भी पहले प्रधान मन्त्री को सौंपा गया था और अभी तक यह हल नहीं हुआ है ? इस समय यह विवाद किस अवस्था में है ?

श्री कोत्ता रघुरामैया : हमें आशा है कि प्रधान मन्त्री शीघ्र ही अन्तिम पंचाट देंगी।

श्री रा० की० अमीन : मूल्य के स्थान पर मीटरी टन आधार क्यों माना गया क्योंकि इससे गुजरात सरकार के साथ अन्याय हो रहा है ?

श्री कोत्ता रघुरामैया : दोनों पक्ष पंचाट के लिये सहमत हो गये थे और पंचाट दे दिया गया है।

श्री बसुमतारी : मूल्य-समता व्यवस्था ब्रिटेन के काल में प्रचलित थी। स्वतन्त्रता के पश्चात् इस व्यवस्था में परिवर्तन करने में क्या कठिनाई है ?

श्री कोत्ता रघुरामैया : परिवर्तन का सबसे बड़ा कारण यही है कि विवाद था और प्रधान मन्त्री को पंचाट देने के लिये कहा गया। इस पंचाट पर पुनर्विचार हो सकता है। इसी लिये इसे फिर से प्रधान मन्त्री को निर्दिष्ट किया गया है।

श्री हेम बरुआ : आसाम सरकार अधिक स्वामिस्व की मांग कर रही है और वह वित्तीय संकट का सामना भी कर रही है। तो क्या सरकार का विचार छः वर्ष पहले दिये गये पंचाट का पुनरीक्षण कर आसाम को अधिक स्वामिस्व देने का है ?

श्री कोत्ता रघुरामैया : दोनों पक्ष सहमत हो गये हैं और यह मामला नये पंचाट के लिये प्रधान मन्त्री के विचाराधीन है।

सिंचाई आयोग

*611. **श्री स० चं० सामन्त :** **श्री ईश्वर रेड्डी :**

क्या **सिंचाई और विद्युत** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि प्रस्तावित सिंचाई आयोग अपना काम कब तक शुरू कर देगा और इस को कौन से काम सौंपे जा रहे हैं ?

सिंचाई तथा विद्युत मन्त्री (डा० क० ल० राव) : आयोग शीघ्र ही कार्य आरम्भ करने वाला है। विचारार्थ विषयों की एक प्रति सभा-पटल पर रखी जाती है।

सिंचाई आयोग के विचारार्थ विषय

(1) भारत में 1903 में सिंचाई के विकास का पुनरवलोकन करना और भूमि की उत्पादन क्षमता को बढ़ाने के लिये और वृष्टि की अनियमितताओं के प्रति सुरक्षा प्रदान करने के लिये सिंचाई के अंशदान पर रिपोर्ट देना।

(2) उन क्षत्रों में उपलब्ध सिंचाई सुविधाओं की विस्तारपूर्वक जांच करना, जो हमेशा सूखाग्रस्त रहते हैं और जहां अनाज की कमी रहती है, और यह सुझाना कि वहां पर कौन से अत्यावश्यक तथा न्यूनतम सिंचाई कार्यों को तुरन्त ही हाथ में लिया जाये।

(3) अनाज में आत्मनिर्भरता लाने के लिये और अन्य फसलों की उपज को अधिकतम करने के लिये सभी किस्मों की सिंचाई के विकास की मोटी रूप-रेखा तैयार करना तथा इस उद्देश्य के लिये अपेक्षित धन का मोटा अनुमान लगाना।

(4) वृहत् सिंचाई परियोजनाओं में पानी की सप्लाई की पर्याप्तता की जांच करना।

(5) परियोजनाओं को शीघ्र पूरा करने और उनकी तैयारी की अवधि को कम करने के विशेष उद्देश्य से, सिंचाई कार्यों के आयोजन, कार्यान्वयन और प्रचालन के लिये प्रशासनिक तथा संगठनात्मक प्रणाली की जांच करना।

(6) सिंचाई परियोजनाओं को स्वीकार करने के लिये मानदन्ड सुझाना।

(7) देश में सिंचाई के विकास से सम्बन्धित अथवा किसी अन्य प्रासंगिक विषय पर विचार करना और उपयुक्त सुझाव देना।

श्री स० चं० सामन्त : आयोग के सदस्य कौन-कौन हैं और क्या उसके सभापति और अन्य सदस्य पूर्णकालिक हैं क्योंकि आयोग को बहुत ज्यादा काम सौंपा गया है ?

डा० क० ल० राव : हम कोशिश कर रहे हैं कि कुछ सदस्य और सभापति पूर्णकालिक मिल जांय। यदि ऐसा न हो सका तो सभापति अंशकालिक रखा जायगा और बहुत से सदस्य पूर्णकालिक होंगे।

श्री स० चं० सामन्त : क्या स्वतंत्रता से पूर्व भी इस प्रकार का कोई आयोग स्थापित किया गया था और यदि हां तो क्या उसकी सिफारिशें कार्यान्वित की गई हैं अथवा धन के अभाव में उन पर कार्रवाई नहीं की गई ?

डा० क० ल० राव : 1903 में एक आयोग स्थापित किया गया था। उस आयोग ने बहुत अच्छा कार्य किया और उसका प्रतिवेदन इस विषय पर सर्वोत्तम प्रकार के प्रतिवेदनों में से है। उसकी बहुत सी सिफारिशें कार्यान्वित हो चुकी हैं। बहुत सी अभी कार्यान्वित की जानी हैं।

श्री विश्वनाथ राय : देश में अनेक नदियां हैं, बहुत वर्षा होती हैं और भूमिगत जल भी बहुत स्थानों पर है, इस दृष्टि से क्या आयोग देश में जल संसाधनों के समूचे विषय पर विचार करेगा और इसके पूर्ण उपयोग के लिए सुझाव देगा ?

डा० क० ल० राव : आयोग का यही उद्देश्य है ।

श्री समरेन्द्र कुन्दू : मैंने आयोग के निर्देश-पद देखे हैं परन्तु मैंने उनमें बाढ़ नियंत्रण जैसे विषयों का उल्लेख नहीं पाया । बार-बार बाढ़ें आती हैं इसलिए यह आवश्यक हो गया है कि बाढ़ नियंत्रण का बड़ा बोझ सरकार स्वयं सम्भाले । बाढ़ नियंत्रण और सिंचाई को अलग नहीं किया जा सकता । इस बारे में निर्देश-पदों में कोई उल्लेख नहीं है कि बाढ़ नियंत्रण के उपायों को कौन कार्य रूप देगा । मंत्रालय सदा कहता है कि यह राज्यों का विषय है और कि केन्द्र को केवल सलाह देनी होती है । इसलिए कुछ सांवैधानिक परिवर्तन आवश्यक हैं । क्या आयोग को आधिकार दिया जा रहा है कि वह सुझाव दे कि क्या कोई सांवैधानिक संशोधन आवश्यक हैं ? इसका भी कोई उल्लेख नहीं है कि सिंचाई के प्रयोजनार्थ कितनी बिजली प्रयुक्त होगी । विभिन्न भागों में यह विचारधारा पाई जाती है कि उद्योग के लिए ज्यादा बिजली प्रयुक्त हो रही है जिसमें कम लोग काम करते हैं और जिसके उत्पादन कम होता है और कृषि के लिए बहुत कम व्यवस्था की गई है । मैं जानना चाहता हूं कि आयोग इस प्रयोजनार्थ क्या विशेष कार्य करने जा रहा है ?

डा० क० ल० राव : यह सही है कि बाढ़ नियंत्रण एक बहुत महत्वपूर्ण पहलू है और इसका कुछ सिंचित क्षेत्रों पर असर पड़ा है । हमने कुछ वर्ष पूर्ण देश में विभिन्न बाढ़ नियंत्रण योजनाओं पर एक आयोग नियुक्त किया था और उसने बहुत महत्वपूर्ण प्रतिवेदन दिया था । इस सिंचाई आयोग का क्षेत्र केवल सिंचाई होगा । इस आयोग के लिए बाढ़ सम्बन्धी पहलू की जांच करना सम्भव नहीं है । बिजली का प्रश्न इसके निर्देश पदों में है और आशा है कि आयोग पूर्ण रूप में इस विशेष प्रश्न की जांच करेगा क्योंकि भूमिगत जल संसाधनों के उपयोग के लिए, जो सिंचाई का बहुत महत्वपूर्ण साधन है, जल उठाने के लिए बिजली आवश्यक है । अत: आयोग निश्चय ही विस्तृत रूप से इस मामले पर विचार करेगा और सुझाव देगा कि कृषि प्रयोजनों के लिए कितनी मात्रा दी जाय ।

Shri K. N. Tiwari : How much expenditure would be incurred on this Commission and when would it start functioning ?

डा० क० ल० राव : आवश्यक धन की बजट में व्यवस्था की गई है । इस वर्ष 3 लाख रुपये से अधिक राशि की व्यवस्था की गई है ।

Shri Rabi Ray : What is the acreage of land being irrigated at present ? Is there any scheme by which it would be possible to irrigate the land which is proposed to be irrigated throughout the country within seven or eight years with the recommendations of this Commission ?

डा० क० ल० राव : देश में कुल 3900 लाख एकड़ क्षेत्र में खेती होती है जिसमें से 900 लाख एकड़ क्षेत्र में लघु तथा बड़ी सिंचाई द्वारा खेती होती है और यथासम्भव ज्यादा से ज्यादा जल जमीन के लिए देने से देश को बहुत लाभ होगा । अन्यथा हमें सूखी फार्म खेती करनी पड़ेगी

और यह बात संसार भर में मानी हुई है कि सूखी फार्म खेती के मुकबले सिंचित खेती से उत्पादन ज्यादा होता है। इसलिए हमारी कोशिश यही होगी कि धन उपलब्ध होने पर यथासम्भव ज्यादा से ज्यादा सिंचाई की सुविधाएँ दी जांय।

श्री पी० जी० सेन : हमारा कोसी बेल्ट में अनुभव यह है कि सिंचाई नहरों से अतिरिक्त जल विद्यमान नदियों के जरिये वह जाता है जिससे ढलान वाले क्षेत्रों में पानी बहुत बढ़ जाता है जो वहाँ की फसलों पर असर करता है। क्या सिंचाई आयोग इस बारे में विचार करेगा कि इस प्रकार के जल की निकासी की जाये और इसका अन्य प्रकार से प्रयोग किया जाय ?

डा० क० ल० राव : पूर्वी कोसी नहर में सिंचाई एक ऐसा विषय है जिसकी ओर राज्य सरकार ध्यान दे सकती है। साथ ही, निकासी एक महत्वपूर्ण प्रश्न है इसलिये आयोग भी इस पर विचार करेगा।

श्री बलराज मधोक : क्या इस आयोग में अधिकांशतः सिंचाई विशेषज्ञ होंगे जो हमारे देश में काफी संख्या में हैं ताकि इस आयोग की भी वही दशा न हो जो उनकी हुई जिनमें राजनीतिज्ञों का जोर था ? दूसरे, हमारे देश में बराबर बहने वाला जल बहुत है जो बर्फ से निकलता है, इसलिए कुछ क्षेत्रों को अपेक्षतया अधिक जल की जरूरत होती है। क्या आयोग को ऐसे क्षेत्र निश्चित करने का काम सौंपा जायगा जिन्हें इस मामले में प्राथमिकता दी जानी चाहिए ताकि उनकी ओर शीघ्र ध्यान दिया जाय ? तीसरे, क्या यह सुनिश्चित किया जायगा कि आयोग के प्रतिवेदन में विलम्ब न हो और यदि किसी कारण प्रतिवेदन देने में विलम्ब हो जाय तो अन्तरिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया जाय ?

डा० क० ल० राव : यह बिलकुल सही है कि देश में सिंचाई विशेषज्ञ बड़ी संख्या में हैं। अतः उत्तर और दक्षिण के सिंचाई विशेषज्ञ इस आयोग में होंगे। जहां तक जल का प्रश्न है, कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जिनमें बर्फ का पिघला हुआ पानी मिलता है जो रबी की सिंचाई के लिये प्रयुक्त होता है। इसकी आयोग जांच करेगा। हमने आयोग से सूखा-ग्रस्त क्षेत्रों, पर ध्यान देने के लिये कहा है जहां पानी कम होता है। अतः यह बतायेगा कि रबी की अवधि में आने वाले जल का उपयोग लाभप्रद ढंग से कैसे किया जाय। आयोग से अन्तरिम प्रतिवेदन देने के लिए भी कहा जायगा।

Kalagarh Bijnor Canal

*612. **Shri Prakash Vir Shastri** : **Shri Shiv Kumar Shastri** :

Will the Minister of **Irrigation and Power** be pleased to refer to the reply given to Unstarred Question No. 3647 on the 12th August, 1968 and state :

(a) whether Project Engineer had been asked to re-examine the route of the canal proposed to be constructed from Kalagarh to Bijnor and certain parts of Moradabad ;

(b) if so, whether the said Engineer has submitted his report after re-examining the route ; and

(c) whether there is possibility of making certain changes in proposed route as a result thereof ?

The Deputy Minister in the Ministry of Irrigation and Power (Shri Sidheshwar Prasad) : (a) Yes, Sir.

(b) Yes, Sir.

(c) The matter is under consideration of the State Government.

Shri Prakash Vir Shastri : Is it a fact that representatives of farmers met the Union Minister several times in connection with the alignment of the canal, the hon. Minister gave them sympathetic hearing and then asked the engineers to give a report thereon, and also that the Parliamentary Committee for V. P. had also made a request that the alignment of the canal should be straight and arrangements should be made in such a manner that at least cultivable land is covered by the Canal. It is also a fact that V. P. Engineers have made it a prestige issue and the alignment is not being made straight inspite of the advice given by the Union Minister, if so, what steps Government propose to take in future ?

सिंचाई तथा विद्युत मन्त्री (डा० क० ल० राव): यह सही है कि इस फीडर नहर के 68 किलोमीटर और 78 किलोमीटर के बीच नहर के मार्ग के बारे में विवाद है। दोनों पक्षों ने अभ्यावेदन दिए हैं। एक पक्ष चाहता है कि मार्ग टेढ़ा हो और दूसरा पक्ष चाहता है कि मार्ग सीधा हो। मैंने स्वयं इस प्रश्न की जांच कर के कहा है कि नहर का मार्ग सीधा हो। मैंने इस हितकर मार्ग की आवश्यकता की ओर उत्तर प्रदेश के प्राधिकारियों और राज्यपाल का ध्यान दिलाया है।

Shri Prakash Vir Shastri : I understand that the hon. Minister has made a request to them to this effect several times but they are creating difficulties constantly. Secondly, have the Government received a suggestion that since the proposed canal would cut through the lands of some of the farmers dividing their lands half on one side and half on the other, holdings in that area may be consolidated once again, so that the land of a farmer may remain on one side only and thereby the whole village may be affected by canal and not individual farmers ? Have the Government received another suggestion to provide some irrigation facilities by lift irrigation system in the areas through which canal would pass so that they may be compensated for the lands which would come under the canal, if so, the decision being taken by Government thereon ?

डा० क० ल० राव : अनुमोदित परियोजना में फीडर नहर के अन्तर्गत सिंचाई की व्यवस्था नहीं की गई है। राम गंगा का जल सीधे गंगा में जाता है। इससे सिंचाई नहीं होती। यह नहर 50 मील की है। में स्वयं यही महसूस करता हूँ कि यह सही और न्यायोचित नहीं है ; अतः मैंने इस ओर उत्तर प्रदेश सरकार का ध्यान दिलाया था कि वह इस फीडर नहर के अन्तर्गत किसी न किसी प्रकार की सिंचाई की अवश्य व्यवस्था करे, चाहे वह लिफ्ट द्वारा हो या सीधे जल देने से। जहां तक किसी किसान की आधी भूमि नहर के एक ओर रह जाने और आधी दूसरी ओर रह जाने का प्रश्न है प्रत्येक मामले में इसका निवारण करना सम्भव नहीं है क्योंकि नहर का मार्ग सीधा है। नहर के मोड़ सूक्ष्म होते हैं और भूमि प्रायः इससे कट जाती है। परन्तु हर मामले में इस कठिनाई को दूर नहीं किया जा सकता। यदि किसी एक विशेष मामले में इस कठिनाई को दूर किया जा सकता है तो माननीय सदस्य मेरे ध्यान में लायें और मैं उसकी जांच करूंगा।

श्री स० मो० बनर्जी : यह नहर बनना निश्चित है तो क्या उत्तर प्रदेश की सरकार से कहा गया है कि वह इस बात का ध्यान रखे कि किसानों को वित्तीय रूप से अथवा चकबंन्दी में हानि न हो और कि चकबन्दी इस तरह की जाय कि उनकी भूमि का बड़ा भाग उनसे खो न जाय, यदि हां, तो उत्तर प्रदेश की सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

डा० क० ल० राव : मैं ने इस ओर उत्तर प्रदेश की सरकार का ध्यान दिलाया है कि क्योंकि उस क्षेत्र की सिंचाई नहर द्वारा नहीं होती अतः वह इसके लिए कम से कम भूमि अर्जित करे।

भुगतान शेष की स्थिति

*615 **श्री हरदयाल देवगुण** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत की भुगतान-शेष की स्थिति इस समय क्या है ; और

(ख) जब वह वित्त मन्त्री बने थे उसकी तुलना में अब स्थिति कैसी है ?

उप-प्रधान मन्त्री तथा वित्त मन्त्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) और (ख) : भुगतान शेष की स्थिति में थोड़ा सुधार हुआ है जो व्यापार शेष से और प्रारक्षित निधियों पर पड़ने वाले दबाव से प्रगट होता है। 1966-67 में व्यापारिक घाटा 921 करोड़ रुपये का था, लेकिन 1967-68 में यह घाटा 774 करोड़ रुपये का था। चालू वित्तीय वर्ष की पहली छमाही में यह घाटा और कम होकर 286 करोड़ रुपया रह गया है जबकि पिछले वर्ष की इसी अवधि में यह घाटा 445 करोड़ रुपया था। यह सुधार आयात में कमी होने और निर्यात में वृद्धि होने के कारण हुआ है।

विदेशी मुद्रा की जो प्रारक्षित रकम (सोने समेत) 31 मार्च, 1967 को 473 करोड़ रुपया थी, 30 नवम्बर, 1968 को बढ़कर 554 करोड़ रुपया हो गयी। इस वृद्धि में इस अवधि में अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा निधि से 24 करोड़ रुपये की वास्तविक निकासी की रकम भी शामिल है।

लेकिन इस अवधि के दौरान ऋण शोधन सम्बन्धी दायित्व बढ़ा है अर्थात् 1967–68 में यह दायित्व उससे पहले के वर्ष के मुकाबले 59 करोड़ रुपया और चालू वर्ष में पिछले वर्ष के मुकाबले 55 करोड़ रुपया अधिक है।

इसके अलावा इस अवधि में कम सहायता प्राप्त हुई है। 1966-67 में गैर-प्रयोजना सहायता के रूप में 674 करोड़ रुपया (8980 लाख डालर) प्राप्त हुआ था जबकि इस के मुकाबले 1967-68 में केवल 427 करोड़ रुपये (5690 लाख डालर) की सहायता प्राप्त हुई थी और चालू वर्ष में अब तक केवल 245 करोड़ रुपये (3260 लाख डालर) की सहायता का वचन दिया गया है।

Shri Hardayal Devgun : I would like to know the special steps being taken by Government to remove the dificit totally and to restore the balance of payment position which existed before 1947 so that our internal economy and foreign trade and debt payment position may improve and instead of deficit we may be having surplus.

Shri Morarji Desai : The position before 1947 was due to the fact that we had not to import goods to any considerable extent as our industry was not developed then and due to war we exported considerable number of items and we formed considerable sterling balances. Thereafter, we are developing industries to a great extent. In order to enrich agriculture we have to set up industries for which we have to import machines because of which the difference is there. Remedy for that is that we should increase exports which we are doing. We have also to reduce imports and for that purpose we should produce more in the country. We are trying for that also. Thereby we can change the balance of payments position. But not less than eight or ten years would be required for that.

Shri Hardayal Devgun : Are the Government taking special steps to improve the quality of our goods in order to increase our exports, because our exports would increase only if the quality of our goods is improved ? And will our Government give special assistance to farmers as well to increase food production as they have done in the case of industry ?

Shri Morarji Desai : To increase food production we are giving all kinds of help to farmers. They need loans and for that more arrangements are being made. So for as

fertilizers are concerned, we have to import them in considerable quantity and to produce fertilizers in the country we are setting up factories. Some factories have been set up and more are being set up. We hope that in a period of three or four years we would be producing sufficient fertilizers for our needs. Production of power is also being increased and we are giving more power to farmers. Power is being made available for wells. As compared to the past more power is made available now . . . (**Interruptions**) in case you are not able to see that what can I do about it.

श्री त्रिदिब चौधरी : सरकारी क्षेत्र की परियोजनाओं के लिये साज-सामान आयात करने और जानकारी प्राप्त करने पर हमें अपनी विदेशी मुद्रा की अधिकांश राशि खर्च करनी पड़ती है जिनमें बहुत फेरबदल किये जाते हैं। क्या कोई व्यवस्था है जिससे इन सब बातों की उच्चतर स्तर पर छानबीन की जा सके ताकि इन मदों पर विदेशी मुद्रा ठीक ढंग से खर्च हो ?

श्री मोरारजी देसाई : अब हम अव्यवस्थित ढंग से कोई सामान आयात नहीं कर रहे हैं। हम केवल वही यंत्र आयात कर रहे हैं जो यहां नहीं बनते हैं। जो कुछ यहाँ बन रहा है उस का पूर्ण उपयोग हो रहा है। जो कुछ यहां नहीं बनता वही आयात किया जाता है।

गोहाटी डाकघर में अन्तर्देशीय पत्रों का न मिलना

अ० सू० प्र० 10. श्री रा० बरुआ :

क्या संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि पिछले कुछ दिनों से गोहाटी डाकघर में अन्तर्देशीय पत्र उपलब्ध नहीं हैं ;

(ख) यदि हां, तो इन पत्रों को उपलब्ध कराने के लिये कोई कार्य न किये जाने के क्या कारण थे ; और

(ग) क्या इस स्थिति के उत्पन्न करने के लिये दोषी व्यक्ति अथवा व्यक्तियों का पता लगाने के लिये कोई जांच की जायेगी ?

संसद कार्य तथा संचार मन्त्री (डा० राम सुभग सिंह : (क) जी, हां। गोहाटी डाकघर में 24 नवम्बर, 1968 से 29 नवम्बर, 1968 तक तथा 2 दिसम्बर, 1968 से 5 दिसम्बर, 1968 तक अन्तर्देशीय पत्र उपलब्ध नहीं थे।

(ख) स्टाक की पूर्ति के लिए आवश्यक कार्रवाई की गई है और इस समय कोई कमी नहीं है।

(ग) जी हां।

श्री रा० बरुआ : यह एक महत्वपूर्ण स्टेशन है। यह डाक सेवाओं की अनेक अकुशलताओं में से एक है। मनी आर्डर ठीक ढंग से नहीं पहुँचाये जाते। चिट्ठियां भी समय पर नहीं पहुँचाई जाती। मैं समझता हूँ कि इस का कारण यह है कि गोहाटी में पी० एम० जी० का कार्यालय नहीं है और वह जोर दे रहे हैं कि कार्यालय शिलांग में हो यद्यपि सरकार का इरादा यह था कि कार्यालय गोहाटी में हो और समुचित देख-रेख हो। क्या सरकार आश्वासन देगी कि पी० एम० जी० का कार्यालय शिलांग से गोहाटी ले जाया जायगा ?

डा० राम सुभग सिंह : वास्तव में पी०एम० जी० का कार्यालय गोहाटी में स्थित होने से इसका कोई सम्बन्ध नहीं है। कार्यालय यहां या वहां होने से कुशलता ज्यादा या कम नहीं हो सकती। जैसा मैंने बताया स्टाक की पूर्ति के लिए उपयुक्त कार्रवाई की गई है।

श्री रा० बरुआ : क्या सरकार की इच्छा थी कि यह कार्यालय गोहाटी में हो ? अब इसका एक भाग शिलांग में है और दूसरा भाग गोहाटी में है। इससे सेवाओं की कुशलता किस तरह बढ़ती है ?

डा० राम सुभग सिंह : कार्यालय चाहे गोहाटी में हो चाहे शिलांग में, कुशलता तो रहेगी ही।

श्री एस० कण्डप्पन : मैं जानना चाहता हूँ कि मन्त्री महोदय इस मामले में क्या कार्रवाई करेंगे। विभाग के किसी विंग द्वारा अन्तर्देशीय पत्र या डाक की अन्य वस्तुएँ सप्लाई न किये जाने के कारण इन स्थानों के लोगों को कठिनाई क्यों हो ? विभाग ने पर्याप्त स्टाक नहीं रखा इसके लिए लोगों को क्यों मुसीबत हो ? विभाग की कार्य-प्रणाली क्या है ? विभाग वाले क्या काम करते हैं ? सरकार स्टाक की पूर्ति के लिए क्या कार्रवाई कर रही है ? सरकार सम्बद्ध अधिकारी के विरुद्ध क्या कार्रवाई कर रही है ?

डा० राम सुभग सिंह : मेरे माननीय मित्र को यह भी पता नहीं है कि गोहाटी और इस भाग के बीच भयानक बाढ़ आई थी। ये वस्तुएं नासिक से गाड़ी द्वारा या हवाई जहाज द्वारा भेजी जाती हैं। उनके लिए यह शर्म की बात है कि उन्हें इन बातों का पता नहीं है। हाल ही की बाढ़ के कारण रेलवे व्यवस्था पूर्णत: छिन्न-भिन्न हो गई है और देश के इस भाग से या नासिक से गोहाटी के लिए वस्तुएँ बुक नहीं की जाती थीं। इसीलिए विलम्ब हुआ। अब स्थिति सुधर गई है।

श्री रा० बरुआ : यदि अन्तर्देशीय पत्र या डाक की अन्य वस्तुएँ गोहाटी जैसे स्थानों में उपलब्ध नहीं होती जो कि राज्य की अराजकीय रूप से राजधानी है तो इससे यही पता चलता है कि किस तरह इस स्थान की उपेक्षा की जाती है। अन्तर्देशीय पत्र, लिफाफे आदि केवल गोहाटी नगर में ही नहीं सिलचर, अगरताला और त्रिपुरा में भी उपलब्ध नहीं हैं। क्या सरकार पूर्वी सर्कल के पी० एम० जी० को बतायेगी कि वह इस बात का ध्यान रखें कि पूर्वी भारत के किसी डाकघर में इन वस्तुओं की कमी न हो ?

डा० राम सुभग सिंह : यह गलत है कि सिलचर आदि स्थानों में इन वस्तुओं की कमी है। मैं सिलचर, अगरताला और इम्फाल गया हूँ और, मैं गोहाटी से गुजरा हूँ। किसी ने इसकी ओर मेरा ध्यान आकर्षित नहीं किया, क्योंकि मैं स्वयं वहाँ उपस्थित था और मैंने कार्रवाई की है।

श्री बसुमतारी : क्या यह सही है कि सरकार का प्रस्ताव पी० एम० जी० का कार्यालय गोहाटी में स्थापित करने का था परन्तु तत्कालीन पी० एम० जी० ने स्वास्थ्य के आधार पर आपत्ति की और वह शिलाँग में कार्यालय चाहते थे। यदि यह सही है तो क्या मन्त्री महोदय विभाग की कुशलता पर ध्यान देंगे या सम्बद्ध अधिकारी के स्वास्थ्य पर ?

डा. राम सुभग सिंह : बहुत कम पी० एम० जी० इतने स्वस्थ नहीं हैं जितने की माननीय सदस्य हैं.....

प्रश्नों के लिखित उत्तर

WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS

औषधियों के मूल्यों के बारे में प्रशुल्क आयोग का प्रतिवेदन

*602. श्री कंवर लाल गुप्त : श्री जि० म० सिंह :

क्या पैट्रोलियम और रसायन मंत्री 12 अगस्त, 1968 के अतारांकित प्रश्न संख्या 3592 के उत्तर में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या महत्वपूर्ण औषधियों के मूल्यों के प्रश्न की जांच करने के बारे में सरकार को प्रशुल्क आयोग का प्रतिवेदन इस बीच मिल गया है ; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है और उस पर सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ?

पैट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० रघुरामैया) : (क) जी हां ।

(ख) सरकार अभी तक रिपोर्ट पर विचार कर रही है और ब्यौरे इस समय बताये नहीं जा सकते ।

Quarters for Workers of Hindustan Motors

*605. **Shri Madhu Limaye** : Will the Minister of **Works, Housing and Supply** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that M/s. Birla Brothers borrowed Rs. 4 crores from the Central Government in 1963 for the purpose of constructing quarters for the workers of the Hindustan Motors ; and

(b) if so, whether it is also a fact that the quarters for the workers have not been constructed so far with that money and only some quarters at a cost of Rs. 20 lakhs or Rs. 25 lakhs have been constructed for the officers ?

The Deputy Minister in the Ministry of works, Housing and Supply (Sardar Iqbal Singh) : (a) No.

(b) Does not arise.

Mahalanobis Committee's Report

*606. **Shri Narain Swarup Sharma** : Will the Minister of **Finance** be pleased to refer to the reply given to Unstarred Question No. 288 on the 22nd July, 1968 and state :

(a) whether the final report of the Mahalanobis Committee in regard to the distribution of national income has since been received ;

(b) if so, main recommendations thereof ;

(c) the decision taken by Government thereon ; and

(d) if not, the reasons for the delay ?

The Deputy Prime Minister and Minister of Finance (Shri Morarji Desai) : (a) No, Sir.

(b) & (c) : Do not arise.

(d) The present position is that the Committee has informed Government that the

last two meetings of the Committee were held on the 9th and 12th November, 1968. The final report was adopted with the assent of seven members. It was decided by the Committee at the meeting held on 12th November that the report would be sent to the three members who were not present at the meeting for their signatures, with or without comments, to be communicated within a month of receipt of the report. Government, therefore, expect to receive the report shortly.

Complaints against High Officials

*609. **Shri Onkar Singh** : Will the Minister of **Works, Housing and Supply** be pleased to state :

(a) the names of the Deputy Secretaries and Officers of higher ranks along with their designations in his Ministry and Attached and Subordinate officers against whom complaints of bribery and favouritism have been received by Government during the last four years ;

(b) the names of those against whom an enquiry was made by Government and the result thereof ; and

(c) the reasons for not holding enquiry against the rest ?

The Deputy Minister in the Ministry of Works, Housing and Supply (Sardar Iqbal Singh) : (a) to (c) : A statement is laid on the Table of the House.

Statement

A complaint was received against the Chief Controller of Printing and Stationery alleging that he was demanding a bribe for coming to a favourable decision in a disciplinary case against an employee of the Department of Printing and Stationery. An inquiry was made and the allegation was found to be baseless.

2. A complaint was received against an Additional Chief Engineer (now designated as Chief Engineer) alleging that he had shown undue favour to a particular firm in the award of a contract for the work of furnishing a transit lounge at an airport. The allegations were examined in consultation with the Central Vigilance Commission and it was considered that no irregularity had been committed by any official of the Department and that whatever action was taken was taken by them in the interest of the work and with no **mala fide** intentions.

3. An anonymous complaint was received against a Chief Engineer and some other officers alleging that by sanctioning a higher quantity of cement in some works in an airport the said Chief Engineer had accepted illegal gratification. The complaint was investigated and examined in consultation with the Central Vigilance Commission and the considered view taken was that the Chief Engineer had authorised use of a higher quantity of cement in the interest of work and without any **male fide** intentions.

4. A complaint was received against another Chief Engineer alleging that the work awarded to a contractor was illegally cancelled on wrong grounds and with **mala fide** intentions. It was also stated that the work had been awarded to another contractor at a higher rate. The case has been examined and it has been found that whatever the said Chief Engineer had done was in the interests of the Government and his action was not **mala fide.**

कोलार स्वर्ण खनन उपक्रम

*613. **श्री एस० आर० दामानी :**

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कारण है कि केन्द्रीय सरकार ने संविधान के अनुच्छेद 287 का उल्लंघन कर के कोलार स्वर्ण खनन उपक्रमों द्वारा खर्च की गई बिजली के लिए मैसूर सरकार को कर देना स्वीकार कर लिया है ;

(ख) अब तक कुल कितनी धनराशि दी गई है ;

(ग) क्या यह सच है कि मैसूर सरकार ने यह धनराशि भारत सरकार को वापिस कर दी है ;

(घ) क्या यह भी सच है कि भारत सरकार ने यह धनराशि सहायतार्थ अनुदान के रूप में पुनः मैसूर सरकार को दे दी है ; और

(ङ) यदि भाग (घ) का उत्तर स्वीकारात्मक है तो इन के क्या कारण हैं ?

वित्त मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त) : (क) से (ङ) : एक विवरण सभा की मेज पर रख दिया गया है।

विवरण

जब केन्द्रीय सरकार ने, एक दिसम्बर, 1962 से कोलार स्वर्ण खनन उपक्रमों को अपने अधिकार में ले लिया तब मैसूर सरकार ने बिजली पर लिये जाने वाले कर की क्षति पूर्ति का प्रश्न उठाया था और इन खानों का हस्तान्तरण किये जाने के लिए इनका जो मूल्य निर्धारित किया गया था उसे देखते हुए यह स्वीकार किया गया था कि राज्य सरकार की क्षतिपूर्ति वार्षिक अदायगी करके की जायेगी। मैसूर राज्य बिजली बोर्ड द्वारा भेजे गये बिलों के संबंध में, जिनमें बिजली पर लिये जाने वाले कर की कुछ रकम भी शामिल थी, कोलार स्वर्ण खनन उपक्रमों के प्रबन्ध-निदेशक ने अपना विरोध प्रकट करते हुए, अक्टूबर, 1964 तक कुछ अदायगियाँ की थीं। राज्य सरकार क्षतिपूर्ति करने की प्रणाली अक्टूबर/नवम्बर 1964 में उसके साथ विचार विमर्श करके अपनायी गयी थी और बिजली पर लगने वाले कर की जो रकम विरोध के साथ अदा की गयी थी उसे समायोजित कर दिया गया था। 1 दिसम्बर, 1962 को कर की जो दर लागू थी उसके आधार पर कर की जितनी रकम बनती थी उतनी रकम सहायक अनुदान के रूप में दी गयी थी। यह समझा गया था कि ऐसी परिस्थिति में, इस मामले में सहायक अनुदान देने से संविधान के उपबन्धों का उल्लंघन नहीं होता। इस प्रकार 31 मार्च, 1966 तक कुल 47.52 लाख रुपये का अनुदान दिया गया था जिसमें 28.9 लाख रुपये की समायोजित रकम भी शामिल है जिसका उल्लेख ऊपर किया गया है। चूंकि वित्त आयोग ने कुल अनुदान की राशि निश्चित करते समय उक्त बात का विचार किया था, इसलिये 1 अप्रैल 1964 से यह अनुदान बन्द कर दिया गया।

आय-कर अधिकारियों की वरिष्ठता सूची तैयार करने के बारे में उच्चतम न्यायालय का निर्णय

*614. **श्री शारदानन्द :** **श्री वंश नारायण सिंह :**

क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आय-कर अधिकारियों को पदोन्नति के बारे में एक लेख याचिका पर उच्चतम न्यायालय के निर्णय में निर्धारित सिद्धान्तों के अनुसार आय-कर अधिकारियों की नई वरिष्ठता सूची सरकार ने तैयार कर ली है ;

(ख) यदि हाँ, तो इससे कितने व्यक्ति प्रभावित हुए हैं; और

(ग) इसके क्या परिणाम होंगे ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त) : (क) सर्वोच्च न्यायालय के परमादेश का पालन करते हुए आयकर-अधिकारी, श्रेणी । की नई वरिष्ठता-सूची तैयार कर ली गई है और वह जारी भी कर दी गई है ।

(ख) 1184 व्यक्तियों की वरिष्ठता पर किसी-न-किसी रूप में प्रभाव पड़ा है ।

(ग) प्रभावित व्यक्तियों में 154 कनिष्ठतम स्थानापन्न पदोन्नति-प्राप्त व्यक्ति हैं जिन्हें वरिष्ठता में कोई महत्व नहीं दिया गया है । आगामी वर्षों में पदोन्नति के कोटे के रिक्त-स्थानों में उन्हें ले लिया जायगा तथा उसके बाद उन्हें यथाक्रम वरिष्ठता दे दी जायगी ।

Modern Chemicals Fertilizer Factories

*616. **Shri Maharaj Singh Bharati** : Will the Minister of **Petroleum and Chemicals** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the work of designing, engineering and installation of modern chemical fertilizer factories is being done in India but fabrication is not done in India as a result of which all the three processes are going waste and India is dependent on other countries ; and

(b) if so, the steps being taken to see that factories are set up in India to meet all the requirements of the country ?

The Minister of State in the Ministry of Petroleum and Chemicals (Shri K. Raghuramaiah) : (a) It is not correct to say that the design, engineering and erection expertise developed in the country is going waste. A number of fertilizer projects in the public sector are at present being implemented with indigenous design, engineering and erection. Most of the low and medium pressure equipment, electricals etc. required by fertilizer projects is now available from indigenous sources although high pressure equipment, heavy duty compressors etc. are still not made in the country. Roughly speaking about 60% of the erected cost of a modern fertilizer plant these days is in Indian rupees and only about 40% in foreign currency.

(b) To meet the deficiency in the high pressure equipment etc. steps have been taken to establish a heavy plates and vessels fabrication unit at Vizag to supplement the capacity that has already been developed by the Heavy Engineering Corporation at Ranchi and other Fabrication units in the country.

M/s Dodsal (P) Limited

*617. **Shri Hukam Chand Kachwai** : **Shri Yashwant Singh Kushwah** : Will the Minister of **Finance** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that M/s. Dodsal (P) Limited got the contract of Koyna Hydro-Electric Scheme in 1966 from its foreign shareholders ;

(b) the quantity of material and machine parts imported by the said Company for the implementation of the said scheme ;

(c) the amount of foreign exchange sanctioned by Government therefor ; and

(d) the amount of Income-tax paid by the said company since 1961 till-date, the amount of Income-tax assessed on it during the above period and the arrears of Income-tax to be recovered from it ?

The Minister of State in the Ministry of Finanee (Shri K. C. Pant) : (a) No, Sir. The company got the contract of Koyna Hydro-Electric Scheme (stage No. 2) from the Maharashtra State Electricity Board, Bombay.

(b) Four generators were imported by the company for the implementation of the Scheme.

(c) It has been reported by the Commissioner of Income-tax, Bombay that foreign exchange of about Rs. 75 lakhs was involved.

(d) The required particulars are as below :--

(i) Amount of income-tax paid by the company from 1.4.61 to-date is as under :

Financial year	**Tax paid** (Rs.)
1961-62	1,15,091
1962-63	4,28,584
1963-64	51,470
1964-65	9,28,584
1965-66	3,68,079
1966-67	4,96,021
1967-68	1,55,859
1.4.60 to 30.11.68	Nil

(ii) Amount of income-tax assessed on the company during the above period i.e, 1.4.61 to-date is :

Assessment year to which the demand relates	**Tax assessed** Rs.
1959-60	4,10,628
1960-61	Assessment set aside-Fresh assessment is to be made.
1961-62	2,85,145
1962-63	4,81,244
1963-64	2,64,635

(iii) Arrears of income-tax to be recovered from the company :

A demand of Rs. 50,081 relating to the assessment year 1959-60 has been kept in abeyance till the decision in appeal is received.

जम्मू तथा काश्मीर राज्य में परिवार नियोजन कार्यक्रम

*618 **श्री बे० कृ० दासचौधरी** : क्या स्वास्थ्य, परिवार नियोजन तथा नगरीय विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि जम्मू तथा काश्मीर राज्य में वहां के अल्पसंख्यक समाज की

भावनाओं को ठेस पहुँचाने से राज्य सरकार द्वारा इंकार कर दिये जाने पर उस राज्य में परिवार नियोजन कार्यक्रम को बिल्कुल ही क्रियान्वित नहीं किया गया है; और

(ख) यदि हां, तो इसे वहां किस प्रकार क्रियान्वित करने का विचार है ?

स्वास्थ्य, परिवार नियोजन तथा नगरीय विकास मंत्रालय में राज्य मन्त्री (डा० श्री चन्द्रशेखर) : (क) जी नहीं। राज्य सरकार ने राज्य में परिवार नियोजन कार्यक्रम को कारगर ढंग से लागू करने के लिये विभिन्न उपाय किये हैं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

Furnishing of the Bungalow of Financial Adviser to N.D.M.C.

*619. **Shri Ram Gopal Shalwale : Shri Yashpal Singh : Shri Onkar Lal Berwa :**

Will the Minister of **Health, Family Planning and Urban Development** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the funds of the New Delhi Municipal Committee have been spent in an improper manner on the bungalow of the Financial Adviser to the Municipal Committee as reported to in the Navbharat Times of the 25th September, 1968.

(b) whether it is also a fact that an inquiry into this matter was conducted by the C.I.D. but its report has been suppressed so far ;

(c) if so, the reasons therefor ; and

(d) the action taken by Government with reference to the aforesaid report ?

The Minister for Health, Family Planning and Urban Development (Shri Satya Narayan Sinha) : (a) The Delhi Administration have reported that it is not a fact.

(b) to (d) In March 1967, a report was received from the C.B.I. in which it was indicated that they had received some complaints about the misuse of materials and other resources of the N.D.M.C. in carrying out additions and alterations to the Government quarter occupied by the Financial Adviser of the N.D.M.C. Their report was considered by the Delhi Administration and they were satisfied that the additions and alterations in the house had been carried out privately by the tenant after obtaining necessary permission from the C.P.W.D. Thus no further action was taken on the preliminary report of the C.B.I.

Misappropriation of Foreign Exchange and Travel Cheques

*620. **Shri Om Prakash Tyagi** : Will the Minister of **Finance** be pleased to state :

(a) whether an organized gang is active in India which wrests foreign exchange from foreign tourists on an enhanced rate and misappropriates their travel cheques also ;

(b) whether the Reserve Bank of India has also lodged any complaint with Government in this regard ;

(c) if so, the steps taken by Government for arresting the people working in the said gang ; and

(d) the number of such persons arrested in 1967 ?

The Minister of State in the Ministry of Finance (Shri K. C. Pant) : (a) From the seizures made by the enforcement agencies of the Government, it appears that some racketeers are indulging in contraventions of the Foreign Exchange Regulation Act,

1947 in transactions involving acquisition of foreign exchange from foreign tourists, at rates higher than the official exchange rates. It is not known whether in these transactions, any misappropriation of travel cheques is also involved.

(b) No complaint in this regard has been received by the Government from Reserve Bank of India.

(c) After the seizures, thorough investigations are conducted in the cases referred to in (a) above by the enforcement agencies of the Government with a view to breaking the racket and proceeding against the persons/agencies involved.

(d) The number of persons arrested in 1967 by the Enforcement Directorate and the Economic Offences Wing of the Central Bureau of Investigation for unauthorised possession of foreign exchange is 26.

Availability of Naphtha

*6/1. **Shri Raghuvir Singh Shastri : Shri K. P. Singh Deo :**

Will the Minister of **Petroleum and Chemicals** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that when fertilizer factories would start the production of fertilizers based on naphtha, it is likely to cause scarcity of naphtha ;

(b) if so, the changes proposed to be made in the present fertilizer policy by Government in this background ; and

(c) if not, the consumption of naphtha in the existing fertilizer factories and its present production and consumption and the probable production of naphtha by 1970 when the new fertilizer factories would start production ?

The Minister of State in the Ministry of Petroleum and Chemicals (Shri K. Raghuramaiah) : (a) Naphtha is surplus at present. The surplus will decline progressively as the fertilizer and petro-chemical factories under construction and approved begin to lift their requirements. A shortage is likely to occur after 1971.

(b) No change in the fertilizer policy is envisaged. Alternative feedstocks, such as LSHS, coal, natural gas and imported ammonia will be used and the question of maximising the indigenous production of naphtha is being examined.

(c) The consumption of naphtha in the existing fertilizer factories during 1968 will about 220,000 tonnes. Separate figures for naphtha production cannot be given, as naphtha forms part of the light distillates fraction. Estimates of production and consumption of light distillates and consumption of naphtha only, during the years 1968 to 1970 are as follows :

(million tonnes)

	Production of light distillates	Consumption of light distillates	Consumption of naphtha
1968*	2.640	1.900	0.456
1969	3.100	2.354	0.878
1970	3.589	3.083	1.514

विश्व बैंक से सहायता मिलने की सम्भावनायें

*622. **श्री रवि राय** : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

*Estimates on 9 months figures.

(क) क्या सरकार का ध्यान विश्व बैंक के अध्यक्ष द्वारा बैंक के "बोर्ड आफ गवर्नर्स" के सम्मुख दिये गये इस भाषण की ओर दिलाया गया है, कि यह संस्था आगामी पांच वर्षों में अपने ऋण की राशि को दुगुना कर देगी और दक्षिण एशिया, भारत और पाकिस्तान की ओर से ध्यान हटाकर अफ़्रीका, लातीनी अमरीका तथा अन्य देशों पर अधिक ध्यान देगी; और

(ख) यदि हाँ, तो उस सम्बन्ध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है और तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

उप-प्रधान मन्त्री तथा वित मन्त्री (श्री मोरार जी देसाई) : (क) सरकार को, भौगोलिक क्षेत्रों के अनुसार विश्व बैंक के साधनों के बंटवारे के सम्बन्ध में प्रस्तावित परिवर्तन की जानकारी है। इस बात का संकेत विश्व बैंक के अध्यक्ष के भाषण में किया गया था जैसा कि सभा की मेज पर रखे गये उद्धरण से पता चलता है।

(ख) सरकार, विश्व बैंक की संस्थाओं द्वारा अगले पांच वर्षों में विकास के लिये दिये जाने वाले ऋणों की रकम को दुगुना करने के लक्ष्य की सराहना करती है। ऋण की रकम को दुगुना करने से, यदि अफ्रीका और लातीनी अमेरिका को पहले के मुकाबले ऋण का कुछ अधिक हिस्सा मिले, तो हमें, इस बात से चिन्तित होने की कोई आवश्यकता नहीं कि इससे हमारे लिए पर्याप्त मात्रा में धन नहीं मिल सकेगा।

विवरण

"30 सितम्बर, 1968 को विश्व बैंक के अध्यक्ष श्री राबर्ट मैकनमारा द्वारा गवर्नरों के बोर्ड के सम्मुख दिये गये भाषण से उद्धृत।"

"अगले पाँच वर्षों के लिए हमने जो अनुमान लगाया है उसमें भौगोलिक क्षेत्रों और अर्थ-व्यवस्था के विभिन्न अंगों के लिये निर्धारित किये जाने वाले साधनों के संबन्ध में ऐसे काफी परिवर्तन करने पड़ेंगे जो वर्तमान और भविष्य की बदली हुई परिस्थितियों के काफी अनुरूप हों।"

"पहले क्षेत्र के सबन्ध में; पिछले वर्षों में बैंक की संस्थाओं की प्रवृत्ति अपने प्रयत्नों को दक्षिण एशियाई उप-महाद्वीप पर ही केन्द्रित करने की रही है। इस सम्बन्ध में हमें काफी सफलता मिली है—उदाहरण के लिये, बिजली और सिंचाई के लिये सिंध नदी जल-व्यवस्था के अन्तर्गत जल का उपयोग और अभी काफी काम करना बाकी है। मुझे विश्वास है कि अगले पाँच वर्षों में विश्व बैंक द्वारा एशिया को दिये जाने वाले ऋण की रकम काफी बढ़ जायगी। लेकिन हमारे नये प्रयत्न केवल एशिया के सम्बन्ध में ही नहीं होंगे। ये प्रयत्न लातीनी अमेरिका और अफ़्रीका के संबन्ध में भी होंगे, जहाँ हमारा ध्यान अब तक बहुत कम रहा है, और इंडोनेशिया तथा संयुक्त अरब गणराज्य जैसे देशों के सम्बन्ध में होंगे, जहाँ हमारी गतिविधियां अब तक न के बराबर रही हैं और जिन्हें हमारी सहायता की अत्यधिक आवश्यकता है।"

"मेरा अनुमान है कि लातीनी अमेरिका में हमारे निवेश का अनुपात अगले पांच वर्षों में बढ़कर दुगुने से भी अधिक हो जायगा। लेकिन अफ्रीका, जहाँ विकास के लिये बड़ी मात्रा में पूंजी लगाने का काम शुरू किया जाने वाला है ऐसा क्षेत्र है जिसमें हमारी गतिविधियों का सबसे

अधिक विस्तार होना चाहिये । अगले पाँच वर्षों में, वहाँ, अफ्रीकी देशों के सक्रिय सहयोग से, हमारे पूंजी निवेश का अनुपात बढ़ कर तिगुना हो जाना चाहिये ।"

बैंक की दरें तथा ब्याज

*623. **श्री लोबो प्रभु :**

क्या **वित्त** मन्त्री 5 अगस्त, 1968 के अतारांकित प्रश्न संख्या 2621 के उत्तर के संबन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) ब्याज की दर की अधिकतम सीमा 9½ प्रतिशत केवल बड़े भारतीय बैंकों के लिये ही क्यों निर्धारित की गयी हैं;

(ख) ब्रिटेन, अमरीका तथा पाकिस्तान में अनुसूचित बैंकों में तुलनात्मक ब्याज की दर क्या-क्या है;

(ग) बड़े बैंकों को छोड़कर अन्य बैंकों द्वारा ऋण देने और ऋण लेने की दर के बीच अब औसत अन्तर कितना है ;

(घ) ऋण देने और ऋण लेने की दरों के बीच के अन्तर को न्यायोचित ठहराने के लिये क्या रिजर्व बैंक ने ऐसे बैंकों के खर्च की जांच की है; और

(ङ) यदि नहीं, तो क्या सरकार का विचार इस विषय को राष्ट्रीय परिषद् को सौंपने का है ?

वित्त मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त) . (क) छोटे बैंकों पर इस तरह का प्रतिबन्ध लगाने से उनकी आर्थिक-क्षमता पर, खास तौर से इस कारण बुरा प्रभाव पड़ सकता है कि इनके द्वारा लिये जाने वाले ऋणों की लागत बड़े बैंकों की अपेक्षा अधिक होती है ।

(ख) ब्रिटेन और संयुक्त राज्य अमेरिका की तुलनात्मक दरें क्रमशः 9 प्रतिशत और $6\frac{1}{4}$ प्रतिशत है । पाकिस्तान के बारे में सूचना उपलब्ध नहीं है ।

(ग) उन भारतीय अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों के सम्बन्ध में, जिनके पास 50 करोड़ रुपये से कम रकमें जमा हैं, जमा और अग्रिम की औसत दरों में अप्रैल, 1967 के अन्त में 5.11 प्रतिशत का अन्तर था जबकि अन्य प्रमुख बैंकों के सम्बन्ध में यह अन्तर 5.21 प्रतिशत था ।

(घ) जी, हाँ ।

(ङ) यह सवाल पैदा ही नहीं होता ।

पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा 6 बांधों का निर्माण

*624. **श्री धीरेश्वर कलिता :** क्या सिंचाई और विद्युत् मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पश्चिम बंगाल सरकार का विचार बाढ़ नियंत्रण के लिए 6 बांध बनाने का है ;

(ख) क्या यह भी सच है कि इन बांधों का निर्माण करने के लिये पश्चिम बंगाल सरकार ने केन्द्रीय सरकार से 13½ करोड़ रुपये देने का अनुरोध किया है; और

(ग) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है और उस पर क्या कार्यवाही की गयी है ?

सिंचाई और विद्युत मंत्री (डा० के० एल० राव) : (क) : पश्चिम बंगाल सरकार ने सूचित किया है कि अभी बाढ़ नियंत्रण के लिए बांधों के निर्माणार्थ कोई प्रस्ताव नहीं है ।

(ख) और (ग) : प्रश्न नहीं उठता ।

पूर्वी भारत में मौसम के बारे में चेतावनी देने की प्रणाली

*625. **श्री सीता राम केसरी** : क्या **सिंचाई और विद्युत** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि यदि मौसम के बारे में चेतावनी देने की व्यवस्था आधुनिक बना दी गई होती, तो पूर्वी भारत में हाल की बाढ़ तथा भूस्खलन से हुई जान-माल की हानि को बहुत कुछ रोका जा सकता था; और

(ख) क्या व्यवस्था को आधुनिक बनाने तथा भविष्य में इस प्रकार के दैवी प्रकोप न हों इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की जा रही है ?

सिंचाई और विद्युत मंत्री (डा० के० एल० राव) : (क) भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने भारी वृष्टि की चेतावनियां उपयुक्त समयों पर जारी कर दी थीं । ऐसा विचार है कि विविध नदी प्रणालियों पर बाढ़ पूर्वसूचना का वैज्ञानिक तरीका अपनाने से, कुछ लोगों को मौत से और चल सम्पत्ति को नष्ट होने से बचाया जा सकता था, यद्यपि इससे फसलों और घरों को नष्ट होने से और मवेशियों की मरने से रक्षा नहीं की जा सकती थी ।

(ख) मौसम चेतावनी प्रणाली में सुधार लाने और उसे आधुनिक ढंग पर बनाने के लिये, भारतीय मौसम विज्ञान विभाग आवश्यक पग उठा रहा है । देश की नदियों पर वैज्ञानिक बाढ़ पूर्वानुमान प्रणाली को स्थापित करने के लिये एक स्कीम बनाई गई है; इसके केन्द्र उपकेन्द्र गौहाटी और सिलचर (असम), आसनसोल और सिलिगुड़ी / जलपाइगुड़ी (पश्चिम बंगाल), पटना (बिहार), लखनऊ (उत्तर प्रदेश), अहमदाबाद अथवा सूरत (गुजरात) और पूर्वी तट जैसे उन स्थानों पर बनाये जाएगें जहां बाढ़ से आम क्षति हुआ करती है । इनके साथ आवश्यक वायरलेस स्टेशन, नियन्त्रण कक्ष और कुछ प्रेक्षण केन्द्र भी होंगे । इस प्रस्ताव पर विचार किया जा रहा है ।

निर्यात ऋण के ब्याज में राज सहायता

*626. **श्री हिम्मतसिंहका** :

क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने हाल ही में ऐसी योजना की घोषणा की है जिसके अधीन निर्यात ऋण के ब्याज में राज सहायता दी जायेगी ;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है और किन-किन वस्तुओं पर यह राज सहायता मिलेगी और प्रत्येक वस्तु पर कितनी-कितनी;

(ग) क्या उपरोक्त राज सहायता के लिये वस्तुओं का चयन विभिन्न निर्यात मदों में से प्राथमिकता के आधार पर किया जायेगा; और

(घ) यदि हां, तो उन प्राथमिकताओं का ब्यौरा क्या है ?

वित्त मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त) : क) जी हाँ ।

(ख) निर्यात चाहे जिस वस्तु का हो, उसके सम्बन्ध में अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक, जहाज पर माल लादे जाने से पहले और उसके बाद जो वित्त-व्यवस्था करें उस पर वे, इस योजना के अनुसार, 1½ प्रतिशत की वार्षिक दर से राज सहायता पाने के हकदार हैं ।

(ग) और (घ) : ये सवाल पैदा ही नहीं होते ।

बोदरा और केनिंग में तेल की खोज

*627. **श्री ज्योतिर्मय बसु :** **श्री इन्द्रजीत गुप्त :**

क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पश्चिमी बंगाल के 24 परगना जिले के बोदरा और केनिंग स्थानों पर तेल की खोज पर अब तक कुल कितना परिव्यय और विनियोजन किया गया है ;

(ख) क्या कुछ समय पूर्व तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग की बोदरा परियोजना पर नियुक्त अनेक अधिकारियों ने उनके मन्त्रालय को यह सूचना दी थी कि बोदरा पर कच्चा तेल मिल गया है ;

(ग) क्या इस सूचना के आधार पर सरकार ने बोदरा में मिले कच्च तेल के बारे में व्यापक रूप से प्रचार किया था ;

(घ) क्या बोदरा में छिद्रित कुएं से लिया गया तेल का नमूना देहरादून स्थित तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग की केन्द्रीय प्रयोगशाला को जांच के लिए भेजा गया था ;

(ङ) यदि हाँ, तो उसके परिणाम क्या निकले ;

(च) क्या पोर्ट परियोजना केनिंग के छिद्रण स्थल संख्या 3 को हाल ही में त्याग हुआ घोषित कर दिया गया है ; और

(छ) यदि हां, तो ऐसी घोषणा किसके निर्देश पर की गई है ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० रघुरामैया) : (क) पोर्ट केनिंग परियोजना, जिसमें बोदरा शामिल है, पर 31 मार्च, 1968 तक 221.82 लाख रुपयों का कुल परिव्यय हुआ था ।

(ख) तेल और प्राकृतिक गैस आयोग को गैस के चिन्हों, कटिंगज तथा व्यधन कीचड़ में प्रतिदीप्ति और बाद में तेल सम्बन्धित सूचना परियोजना ने दी थी ।

(ग) तेल और प्राकृतिक गैस आयोग ने उपयुक्त सूचना के बारे में एक प्रेस विज्ञप्ति जारी की थी ।

(घ) जी हां ।

(ङ) लिये गये नमूने में डीजल आयल था, कच्चा तेल या संघनित नहीं ।

(च) बोदरा ड्रिलिंग स्थल संख्या 3 को मुल्तवी रखा गया है ।

(छ) बोदरा ड्रिलिंग स्थल संख्या 3 को मुल्तवी रखने की सिफारिश तेल और प्राकृतिक गैस आयोग की तकनीकी समिति ने की थी।

सरकारी उपक्रमों में निर्धारित पद

*628. **श्री गाडिलिंगन गौड़** क्या **वित्त** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकारी उपक्रमों में कुछ प्रतिशत पद उस राज्य के लोगों के लिए बनाये जाते हैं जिसमें वे स्थापित हैं ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ;

(ग) किन-किन उपक्रमों में यह व्यवस्था पूर्णतः लागू की जा चुकी है और उनमें भर्ती के बारे में कितना-कितना प्रतिशत निर्धारित किया गया है ; और

(घ) किन-किन उपक्रमों में यह व्यवस्था व्यवहृत नहीं है और उसके क्या कारण हैं ?

वित्त मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त) : (क) से (घ) : सरकारी उपक्रमों के लिए यह आवश्यक नहीं है कि वे कुछ प्रतिशत पद उस राज्य के लोगों के लिए प्रारक्षित रखें जिसमें वे स्थापित हैं किन्तु इस संबंध में जो हिदायतें जारी की गयी हैं उनके अनुसार सरकारी उपक्रमों के लिये यह आवश्यक है कि वे 500 रुपये से कम मूल मासिक वेतन वाले पदों पर केवल राष्ट्रीय नियोजन सेवा द्वारा भेजे गये उम्मीदवारों को ही नियुक्त करें और अन्य स्रोतों से आने वाले उम्मीदवारों को उक्त पदों पर तभी भरती करें जब उन्हें इस संबंध में नियोजन सेवा से 'अप्राप्यता का प्रमाण पत्र' मिल जाय। उच्च पद के सम्बन्ध में सरकारी उपक्रमों को अखिल भारतीय स्तर पर भरती करनी पड़ती है, ताकि वे उन पदों के लिए आवश्यक रूप से निपुण व्यक्ति प्राप्त कर सके।

आवश्यकता के अनुसार न्यूनतम मजूरी

*629. **श्री स० मो० बनर्जी** :

क्या **वित्त मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आवश्यकता के अनुसार न्यूनतम मजूरी का पता लगाने के लिए संगणकों का प्रयोग किया गया है ;

(ख) यदि हां, तो क्या आँकड़े आये हैं ; और

(ग) क्या सरकार का विचार इस विश्लेषण की एक प्रति सभा-पटल पर रखने का है ?

वित्त मन्त्रालय में उप वित्त मन्त्री (श्री जगन्नाथ पहाड़िया) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) : ये सवाल पैदा नहीं होते।

नई दिल्ली स्थित वाणिज्य, निर्माण तथा विविध के एकाउन्टेंट जनरल के कार्यालय के कर्मचारी

630. **डा० सुशीला नैयर** :

क्या **वित्त** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि नई दिल्ली स्थित वाणिज्य, निर्माण तथा विविध के एकाउन्टेंट जनरल के कार्यालय में दूसरी और तीसरी श्रेणी के ऐसे कर्मचारियों की संख्या बहुत अधिक है जिन्होंने तीन वर्ष से अधिक सेवा की है, लेकिन गृह-कार्य मन्त्रालय द्वारा इस बारे में जारी किये गये आदेशों के विरुद्ध उन्हें अभी तक अर्द्ध स्थायी घोषित नहीं किया गया है ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ;

(ग) ऐसे कर्मचारियों की संख्या क्या है जिन्होंने पांच से सात वर्ष की सेवावधि पूरी कर ली है लेकिन उन्हें अभी तक अर्द्ध-स्थायी घोषित नहीं किया गया है ; और

(घ) उनके कब तक अर्द्ध-स्थायी किये जाने की सम्भावना है ?

वित्त मन्त्रालय में उप वित्त मन्त्री (श्री जगन्नाथ पहाड़िया) : (क) महा लेखाकार, वाणिज्य, निर्माण तथा विविध के कार्यालय में श्रेणी II का ऐसा कोई कर्मचारी नहीं है जिसे अर्द्ध-स्थायी घोषित किया जाना शेष हो।

23 अक्तूबर, 1968 को श्रेणी III के उन कर्मचारियों की संख्या 99 थी जिनकी सेवा तीन वर्ष से अधिक हो जाने पर भी जिन्हें अब तक अर्द्ध-स्थायी घोषित नहीं किया गया है।

(ख) किसी सरकारी कर्मचारी को अर्द्ध-स्थायी घोषित करने से पहले नियुक्ति करने वाले प्राधिकारी का सम्बन्धित कर्मचारी के कार्य के स्तर, आचरण और चरित्र तथा भारत सरकार के अधीन एक अर्द्ध-स्थायी कर्मचारी के रूप में नियुक्ति के लिए उसकी उपयुक्तता के सम्बन्ध में समाधान हो जाना चाहिए। जिन मामलों में अर्द्ध-स्थायी किये जाने विषयक घोषणाएँ जारी नहीं की गई हैं उनमें अधिकांश ऐसे हैं जिनमें महालेखाकार सम्बन्धित कर्मचारियों की उपयुक्तता का निर्धारण अब तक नहीं कर सका है।

(ग) 23

(घ) जो कर्मचारी अब तक अर्द्ध-स्थायी घोषित नहीं किये गये हैं, उनमें बहुत बड़ी संख्या उन कर्मचारियों की है जिन्होंने 19 सितम्बर, 1968 को हड़ताल में भाग लिया था और इसलिए उनके मामलों पर अब केवल तभी विचार किया जा सकता है जबकि उनके कार्य और उन्हें सरकारी नौकरी में बनाये रखने विषयक उनकी उपयुक्तता का फिर से निर्धारण हो जायेगा।

पश्चिम बंगाल में पीने के पानी के लिए नलकूप

3693. **श्री ज्योतिमय बसु** :

क्या **स्वास्थ्य परिवार नियोजन तथा नगरीय विकास** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अगस्त 1947 तक पश्चिम बंगाल के प्रत्येक जिले में पीने के पानी के कुल कितने नलकूप थे ;

(ख) सितम्बर 1947 से लेकर अब तक पश्चिम बंगाल के प्रत्येक जिले में सरकार द्वारा तथा अन्य साधनों से अलग-अलग कुल कितने नलकूप खोदे गये ;

(ग) प्रत्येक जिले के देहाती क्षेत्रों की औसत कितनी जन संख्या को प्रत्येक नलकूप से पानी मिलता है ; और

(घ) इस समय प्रत्येक जिले में कितने नलकूप ठीक काम कर रहे हैं ?

स्वास्थ्य, परिवार नियोजन तथा नगरीय विकास मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री ब० सू० मूर्ति) :(क) से (घ) पश्चिमी बंगाल से वांछित जानकारी की प्रतीक्षा की जा रही है और प्राप्त होते ही उसे सभा पटल पर रख दिया जायेगा ।

पश्चिम बंगाल में ब्लाक और थाना, स्वास्थ्य केन्द्र

3694. **श्री ज्योतिमय बसु : क्या स्वास्थ्य, परिवार नियोजन तथा नगरीय विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पश्चिम बंगाल के प्रत्येक जिले में वर्ष 1950 से लेकर अब तक कुल कितने ब्लाक और थाना, स्वास्थ्य केन्द्र स्थापित किये गये हैं ; और

(ख) वर्तमान ब्लाक और थाना स्वास्थ्य केन्द्रों में से कितनों में प्रसूति शैय्याओं की व्यव. स्था है और प्रत्येक जिले के ब्लाक और थाना स्वास्थ्य केन्द्रों में प्रसूति शैय्याओं की औसत संख्या कितनी है ।

स्वास्थ्य परिवार नियोजन तथा नगरीय विकास मंत्रालय में उप मन्त्री (श्री० ब० सू० मूर्ति) : (क) और (ख) अपेक्षित सूचना का एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है ।

(पुस्तकालय में रखा गया । देखिए संख्या एल० टी० 2589/68)

ब्लाक । थाना हेडक्वार्टरों में स्थित स्वास्थ्य केन्द्रों को प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र कहा जाता है ।

हिमाचल प्रदेश में तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग का भवन

3695. श्री हेमराज :

क्या **पैट्रोलियम और रसायन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि हिमाचल प्रदेश में ज्वाला-मुखी और सप्री में तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग के भवन खाली पड़े हैं; और

(ख) यदि हां, तो क्या केन्द्रीय सरकार का विचार हिमाचल प्रदेश में पर्यटन को प्रोत्साहन देने के लिए उन्हें भारत सरकार के पर्यटन विभाग को अथवा हिमाचल सरकार को सौंप देने का है ?

पेट्रोलियम और रसायन मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री के० रघुरामैया) : (क) भवनों का कुछ भाग खाली पड़ा है ।

(ख) भवनों को भारत सरकार के किसी सुरक्षा विभाग को सौंप देने का निर्णय किया गया है ।

ग्रीन तथा ब्लैक चाय का स्तर

3696. **श्री हेमराज :** क्या **स्वास्थ्य, परिवार नियोजन तथा नगरीय विकास मन्त्री**

30 नवम्बर, 1967 के अतारांकित प्रश्न संख्या 2506 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कांगड़ा और देहरादून की हरी और काली चाय के स्तर निर्धारित करने के अन्तिम परिणाम क्या निकले हैं;

(ख) क्या सरकार ने इस बारे में कोई निर्णय किया है; और

(ग) यदि नहीं, तो यह निर्णय कब तक किये जाने की सम्भावना है ?

स्वास्थ्य, परिवार नियोजन तथा नगरीय विकास मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री ब० सू० मूर्ति): (क) से (ग) खाद्य मानकों की केन्द्रीय समिति के अनुरोध पर इस मामले पर भारतीय मानक संस्थान और आगे छानबीन कर रहा है। वे कांगड़ा घाटी तथा देहरादून की चाय के नमूनों से सम्बन्धित और अधिक आंकड़े एकत्र कर रहे हैं। भारतीय मानक संस्थान के सुझाव प्राप्त हो जाने पर खाद्य मानकों की केन्द्रीय समिति उन पर विचार करेगी। अन्तिम निर्णय इस समिति की सिफारिशों को ध्यान में रख कर किया जायेगा।

नानकपुर स्थित केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना औषधालय

3697. **श्री इसहाक साम्भली : क्या स्वास्थ्य, परिवार नियोजन तथा नगरीय विकास** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना के औषधालयों के प्रभारी चिकित्सा अधिकारियों को सरकारी कर्मचारियों के केवल 6 वर्ष तक की आयु के बच्चों को देखना पड़ता है विशेषकर नानकपुर औषधालय में;

(ख) यदि हां तो उसके क्या कारण हैं;

(ग) यदि नहीं तो केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना चिकित्सालय के मेडिकल आफिसर इनचार्ज चिकित्सालय के कार्य करने के सामान्य घण्टों में विशेषकर जब कि चिकित्सालय का एक डाक्टर रात की ड्यूटी पर होता है और दिन में चिकित्सालय में मरीजों की भीड़ होती है तो 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों को देखने से क्यों इन्कार करता है ?

स्वास्थ्य, परिवार नियोजन तथा नगरीय विकास मंत्रालय में उपमन्त्री (श्री ब० सू० मूर्ति) : (क) से (ग) : चूंकि केन्द्रीय स्वास्थ्य योजना औषधालयों के रोगियों में से बच्चों की संख्या लगभग 40 प्रतिशत होती है इसलिये कतिपय चुने हुये औषधालयों में छह-साल की आयु तक के बच्चों का इलाज करने के लिये एक बाल चिकित्सक की सेवाओं की व्यवस्था की गई है। इस व्यवस्था से एक बाल चिकित्सक विशेषज्ञ के लिये कार्य का भार भी काफी हो जाता है। नानकपुर औषधालय में इस प्रकार की स्यवस्था नहीं की गई है। इस औषधालय से प्राप्त आंकड़ो से पता चला है कि वहां का चिकित्सा अधिकारी आयु के भेद-भाव किये बिना ही रोगियों का इलाज करता है।

नानकपुर केन्द्रीय सरकारी स्वास्थ्य योजना के औषधालय में औषधियों की कमी

3698. **श्री इसहाक साम्भली : क्या स्वास्थ्य, परिवार नियोजन तथा नगरीय विकास** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि केन्द्रीय स्वास्थ्य योजना के विशेषज्ञों द्वारा बताई गई औषधियां केन्द्रीय स्वास्थ्य योजना के औषधालयों में विशेष कर नानकपुर औषधालय में तुरन्त उपलब्ध नहीं होते और इसके फलस्वरूप रोगियों को कई दिनों तक कभी-कभी एक सप्ताह तक औषधियों के बिना रहना पड़ता है जिससे रोगी की स्थिति अधिक बिगड़ जाती है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) इस बात को सुनिश्चित करने के लिए कि केन्द्रीय स्वास्थ्य योजना के औषधालय में औषधियां सदा उपलब्ध हो सरकार का विचार क्या कार्यवाही करने का है; और

(घ) यदि नहीं, तो रोगियों को समय पर औषधियां न दिये जाने के क्या कारण हैं ?

स्वास्थ्य, परिवार नियोजन तथा नगरीय विकास मन्त्रालय में उप-मन्त्री (श्री ब० सू० मूर्ति) : (क) से (घ) कभी-कभी विशेषज्ञों द्वारा नुस्खों में लिखी गई दवाइयां डिस्पेंसरियों में तुरन्त उपलब्ध नहीं होती हैं इनकी मांग स्थानीय खरीद करके एक या 2 दिन में पूरी कर दी जाती है। जिन मामलों में दवाई तुरन्त देने का आदेश होता है, उनमें रोगी को बाजार से दवा खरीदने की अनुमति दे दी जाती है और उसे दवा की कीमत की प्रतिपूर्ति कर दी जाती है। यदि विलम्ब के कोई विशेष मामले ध्यान में लाये जायेंगे तो उनकी छानबीन की जायेगी।

पतरातू ताप बिजली घर

3699. **श्री ईश्वर रेड्डी** : क्या सिंचाई और विद्युत मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि बिहार राज्य बिजली बोर्ड का पतरातू ताप बिजली घर संतोषजनक रूप से कार्य नहीं कर रहा है जिसके परिणामस्वरूप बिजली प्राप्त करने वाले क्षेत्रों को बिजली संकट का सामना करना पड़ रहा है ; और

(ख) यदि हां, तो इसके उचित रूप से कार्य करवाने के लिए सरकार क्या कार्यवाही करने जा रही है।

सिंचाई और विद्युत मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) पथरातू ताप बिजली केन्द्र में 50-50 मैगावाट के दो उत्पादन यूनिट कार्य कर रहे थे। अप्रैल, 1968 के दौरान दुर्भाग्यवश दूसरे यूनिट के टर्बाइन स्टोर में खराबी आ गई थी। और उत्पादन यूनिट को बन्द कर दिया गया। अक्तूबर 1968 में प्रथम यूनिट को जो कि बड़ी देर से लगातार चलाया जा रहा था, इसके सम्भरकों की सलाह पर रख-रखाव के लिए बन्द करना पड़ा। तदनुसार अक्तूबर-नवम्बर, 1968 के दौरान कुछ देर के लिए पथरातू ताप बिजली केन्द्र में बिजली उत्पन्न नहीं की जा रही थी। इस अवधि में दक्षिण बिहार की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए बिहार राज्य बिजली बोर्ड दामोदर घाटी निगम से काफी अतिरिक्त बिजली ले रहा था।

(ख) नवम्बर, 1968 के मध्य तक पथरातू ताप केन्द्र में 50 मैगावाट का तीसरा उत्पादन यूनिट चालू कर दिया गया था। नवम्बर, 1968 के अन्त तक, पहले उत्पादन यूनिट को पुनः चालू कर दिया गया था। रूस से एक नये टर्बाइन रोटर को खरीदने का प्रबन्ध कर लिया गया है और क्षतिग्रस्त टर्बाइन रोटर की मरम्मत के प्रबन्ध पर विचार किया जा रहा है। पथरातू ताप

केन्द्र में 100-100 मैगावाट के पाँचवें और छठे यूनिट को और 50 मैगावाट के चौथे यूनिट को चालू करने के लिए प्रयत्न किए जा रहे हैं ।

श्री तथा श्रीमती ए० आर० कारदार द्वारा आयकर तथा सम्पत्ति कर की अदायगी

3701. **श्री बाबू राव पटेल :**

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 31 मार्च, 1968 को श्री ए० आर० कारदार तथा उसकी पत्नी श्रीमती सुल्ताना कारदार द्वारा पृथक पृथक अपने व्यक्तिगत मामलों के लिये तथा अपने निर्माता कम्पनियों की ओर से सरकार को आयकर तथा धन-कर की कितनी राशि दी जानी शेष थी ;

(ख) इन दोनों से कर की इस बकाया राशि को वसूल करने के लिये क्या विशेष कार्यवाही की गई है ;

(ग) क्या यह सच है कि श्री कारदार को अभिनेता दिलीप कुमार के विरुद्ध मुखबिर बना लिया गया है, तथा उसे कर की बकाया राशि में छूट देने का बचन दिया गया है ;

(घ) यदि हां, तो कितनी ; और

(ङ) कर वसूली के मामले में श्री कारदार के प्रति अब तक ढील दिखाये जाने के क्या कारण हैं ?

उप प्रधान मन्त्री तथा वित्त मन्त्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) तथा (ख) श्री ए० आर० कारदार तथा उसकी पत्नी श्रीमती सुल्ताना कारदार के सम्बन्ध में मांगी गयी सूचना अनुबंध में दी गयी है । उनकी अपनी निर्माण कम्पनियों के सम्बन्ध में सूचना इकट्ठी की जा रही है तथा यथासंभव शीघ्र सदन की मेज पर रख दी जायगी ।

(ग) तथा (घ) : जांच-पड़ताल की गोपनीयता तथा मुखबिरों की सुरक्षा के हित में इस प्रकार की सूचना नहीं दी जा सकती है ।

(ङ) श्री कारदार के साथ किसी प्रकार की नरमी नहीं बरती गयी है । उससे बकाया रकम की वसूली के लिये कानून-सम्मत आवश्यक उपाय किये जा रहे हैं ।

विवरण

	आय-कर	धन-कर	बकाया को वसूल करने के लिये की गयी कार्यवाही
श्री ए० आर कारदार	15,57,784 आयकर 2,30,440 अतिरिक्त 17.88,224 लाभ कर	धन-कर नहीं लगाया गया	समाहर्ता को वसूली प्रमाण पत्र जारी कर दिये गये है और आगे कार्यवाही की जा रही है ।

श्रीमती सुलताना कारदार	71,916.95	यथोपरि समाहर्ता को वसूली प्रमाण-पत्र जारी कर दिये गये है और आगे कार्यवाही की जा रही है ।

बीजकों में कम निर्यात दिखाया जाना

3702. **श्री बाबू राव पटेल :**

क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत पांच वर्षों में (1) बोर्ड एण्ड कम्पनी तथा अन्य सम्बद्ध फर्मों (2) टर्नर मौरिसन एण्ड एंगेलो ब्रदर्स (3) बंग एण्ड कम्पनी लिमिटेड (4) लुइउ ड्रेफ्स एण्ड कम्पनी में प्रत्येक द्वारा निर्यात बीजकों में कम मूल्य दिखाये जाने के कारण देश की निर्यात शुल्क अथवा विदेशी मुद्रा की कितनी हानि हुई ;

(ख) प्रत्येक मामले में क्या विशेष कार्यवाही की गई है तथा प्रत्येक मामले में कितनी हानि पूरी की गयी है ; और

(ग) इन में से प्रत्येक कम्पनी ने किस प्रकार धोखा दिया ?

उप-प्रधान मन्त्री तथा वित्त मन्त्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) और (ख) : 1963 से 1967 तक के वर्षों में इन फर्मों द्वारा निर्यात किये गये माल के मूल्य को बीजकों में कम दिखा कर निर्यात शुल्क अथवा विदेशी मुद्रा के नुकसान के कोई प्रमाणित मामले सामने नहीं आए है । केवल मैसर्स लुइ ड्रेफस एण्ड कम्पनी के मामले को छोड़ कर जिनसे 15,400 रुपये की सीमा तक विदेशी मुद्रा के नुकसान के कारण 2,300 रुपये की रकम दंड के रूप में वसूल कर ली गयी है, इस मामले में निर्यात शुल्क की कोई हानि नहीं हुई है ।

लेकिन, पिछले पाँच वर्षों में इन फर्मों द्वारा किये गये कुछ निर्यातों के बीजकों में कम दिखाने के बारे में कलकत्ता सीमा शुल्क गृह द्वारा 'कारण बताओ' नोटिस जारी कर दिये गये है और निर्यात शुल्क अथवा विदेशी मुद्रा की संदिग्ध हानि के ब्यौरे सभा पटल पर रखे गये विवरण-पत्र में दिये गये है । [पुस्तकालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी० 2590/68] मैसर्स राय बहादुर सेठ श्रीराम दुर्गा प्रसाद तथा अन्य बनाम भारत संघ के मामले में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिये गये हाल ही के फैसले के कारण सीमाशुल्क गृह को न्याय निर्णय की कार्यवाही करना सम्भव नहीं होगा और जो कार्यवाही पहले की जा चुकी है उसे छोड़ देना होगा । अब विदेशी मुद्रा विनिमय विनियमन अधिनियम के अन्तर्गत प्रवर्तन निदेशक द्वारा आवश्यक न्याय निर्णय किया जायगा ।

(ग) मैसर्स टर्नर मारिसन और एंजिलो ब्रदर्स मैसर्स बंज एण्ड कम्पनी लिमिटेड के द्वारा किये गये संदिग्ध उल्लंघन का मामला यह है कि उन्होंने निर्यात के पूरे मूल्य को घोषित नहीं किया था । मैसर्स लुइ ड्रेफ्स एण्ड कम्पनी का मामला भी संदिग्ध उल्लंघन का है जिनके बारे में यह भी सन्देह किया जाता है कि उन्होंने ग्रस्त निर्यातों के बारे में ऐसे अलग-अलग बीजकों का उपयोग किया था जिनमें उनके भिन्न-भिन्न मूल्य दिखाये गये थे ।

इंडियन एयर लाइन्स कारपोरेशन द्वारा प्रयुक्त उड्डयन ईंधन पर उत्पादन शुल्क

3703. **श्री बाबू राव पटेल :**

क्या **वित्त** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि इंडियन एयर लाईन्स कारपोरेशन ने वर्ष 1966–67 में अपने द्वारा प्रयुक्त उड्डयन ईंधन पर 244.87 लाख रुपये का उत्पादन शुल्क दिया ;

(ख) उक्त अवधि में एयर इंडिया ने उड्डयन ईंधन के लिए कितना उत्पादन शुल्क दिया था; और

(ग) यदि नहीं, तो एयर इंडिया से उत्पादन शुल्क न लिये जाने के क्या कारण हैं ?

उप-प्रधान मन्त्री तथा वित मंत्री(श्री मोरारजी देसाई): (क) 1966-67 में इंडियन एयरलाइन्स कारपोरेशन ने, अपने यहां इस्तेमाल किये गये विमान-ईंधन पर उत्पादन–शुल्क तथा सीमाशुल्क के रूप में 244.87 लाख रुपये की रकम अदा की है। इस प्रकार अदा किये गये उत्पादन शुल्क तथा सीमा शुल्क के अलग अलग आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं।

(ख) इसी अवधि के दौरान एयर इंडिया ने, विमान-ईंधन पर सीमा-शुल्क तथा उत्पादन-शुल्क के रूप में 13.40 लाख रुपये अदा किये। उनके मामले में भी इस प्रकार अदा किये गये सीमाशुल्क तथा उत्पादन शुल्क के अलग अलग आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं।

(ग) उत्पादन शुल्क अथवा सीमा शुल्क यथास्थिति विमान ईंधन की उस मात्रा पर लगाया जाता है जिसका इस्तेमाल एयर इंडिया द्वारा देश के भीतर की गई उड़ानों में किया जाता है। एयर इंडिया अथवा किन्हीं भी अन्य एयर-लाइनों को अपनी अन्तर्राष्ट्रीय उड़ानों में इस्तेमाल किये गये विमान-ईंधन पर किसी भी प्रकार का सीमाशुल्क अथवा उत्पादन शुल्क नहीं देना होता है।

सरकारी क्वार्टरों का आउट आफ टर्न एलाटमेंट

3704. **श्री धीरेन्द्र नाथ देव :**

क्या **निर्माण, आवास तथा पूर्ति** मन्त्री 5 अगस्त, 1968 के अतारांकित प्रश्न संख्या 2675 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एस० आर० 317-बी–9 के उपबन्धों के अन्तर्गत सरकारी कर्मचारियों को प्रत्येक मामले में वास्तविक स्थिति के अनुसार बिना पारी के क्वार्टर दिये जाते हैं अथवा कुछ मामलों में मन्त्रालय के स्वविवेक से ;

(ख) क्या ऐसे मामलों पर विचार करते समय कुछ रियायत दी जाती है जहां किसी परिवार में एक व्यक्ति बीमार हो अथवा दो या दो से अधिक व्यक्ति बीमार हों ;

(ग) क्या यह सच है कि लम्बी अवधि में ठीक होने वाली बीमारियों के मामलों को बीमारी के उन्हीं मामलों के समान समझा जाता है जिन में बीमारी गंभीर प्रकार की तथा असाध्य होती है तथा जिनमें रोगी के मरने का सदैव खतरा बना रहता है ;

(घ) यदि हां, तो उन मामलों में प्राथमिकता न दिये जाने के क्या कारण हैं जिन में रोगी के जीवन को तुरन्त खतरा रहता है ;

(ङ) क्या उन मामलों की कोई जांच की गई है जहां क्वार्टर अलाट किये जा चुके हैं ; अथवा मंजूर किये गये हैं ताकि इस बात का पता चल सके कि सभी मामलों में क्वार्टर वास्तविक स्थिति के आधार पर अलाट किये गये हैं ; और

(च) यदि नहीं, तो उस के क्या कारण हैं ?

निर्माण, आवास तथा पूर्ति मन्त्रालय में उप-मन्त्री (श्री इकबाल सिंह) : (क) से (घ) : सामान्यतया प्रार्थी को अपने या उसके परिवार पर आश्रित व्यक्तियों से टी० बी०, कैंसर, पक्षाघात, हृदय-रोगों, पुराने दमा तथा शारीरिक दुर्बलता आदि जैसे गम्भीर चिकित्सा मामलों में चिकित्सा प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने पर बिना पारी के आवंटन किया जाता है । ऐसा करते हुए प्रत्येक मामले की सभी परिस्थितियों पर ध्यान रखा जाता है । उन मामलों में जहां चिकित्सा प्रमाण-पत्रों से बीमारी की गम्भीरता प्रकट नहीं होती, बिना पारी के आधार पर आवंटन अस्वीकृत कर दिए गए हैं ।

(ङ) तथा (च) : क्योंकि बिना पारी के आवंटन अधिप्रमाणित रिकार्ड के आधार पर किए जाते हैं, अतएव जहाँ कहीं आवंटन कर दिए गए हैं या स्वीकृत हुए हैं उन मामलों की जांच करने का प्रश्न ही नहीं उठता ।

सरकारी उपक्रमों में उत्पादन का कोटा

3705. **श्री रा० रा० सिंह देव :**

क्या **वित्त** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों में उत्पादन में लगे विभिन्न वर्गों के सरकारी लोगों के लिये इस समय उत्पादन का कोई उचित कोटा निर्धारित नहीं किया गया है;

(ख) क्या यह भी सच है कि सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के प्रबन्धकों की हाल की बैठक में उन्होंने वर्कमैन से लेकर प्रबन्धकों तक के लिये इस प्रकार के कोटे निश्चित करने का सुझाव दिया था; और

(ग) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई है ?

उप-प्रधान मन्त्री तथा वित मन्त्री (श्री मोरारजी देसाई): (क) सरकारी उपक्रम, प्रत्येक वर्ष के लिए तथा अपनी सुविधा के अनुसार इससे थोड़ी अवधि के लिये अपने उत्पादन को लक्ष्य निर्धारित करते हैं । उत्पादन करने वाले कई उपक्रमों ने जहां संभव हुआ है वहां, विभिन्न श्रेणियों के कर्मचारियों या कर्मचारियों के विभिन्न समूहों के लिये उत्पादन के मानदण्ड निर्धारित किये हैं ।

(ख) शायद माननीय सदस्य, सभी सरकारी उपक्रमों के अध्यक्षों की बैठक का जिक्र कर रहे हैं । हाल में इस प्रकार की कोई बैठक नहीं बुलायी गई है ।

(ग) यह सवाल पैदा ही नहीं होता ।

सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के प्रमुखों की बैठक

3706. **श्री रा० रा० सिंह देव :**

क्या **वित्त मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के प्रमुखों की हाल में एक बैठक हुई थी;

(ख) यदि हां तो क्या उक्त बैठक में सरकारी क्षेत्र के सभी उपक्रमों के प्रतिनिधि मौजूद थे; और

(ग) बैठक में किन-किन बातों पर विचार-विमर्श किया गया तथा उसमें क्या निर्णय लिये गये हैं ?

उप-प्रधान मन्त्री तथा वित्त मन्त्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) और (ख) : हाल में सरकारी क्षेत्र के सब उपक्रमों के प्रमुखों की कोई बैठक नहीं बुलाई गयी।

(ग) यह सवाल पैदा ही नहीं होता।

Urban Development of Madhya Pradesh

3707 **Shri G. C. Dixit** : Will the Minister of **Health, Family Planning and Urban Development** be pleased to state :

(a) the Third Plan allocation for Madhya Pradesh for Urban Development ; and

(b) the names of cities and towns developed ?

Deputy Minister for Health, Family Planning and Urban Development (Shri B. S. Murthy) : (a) Rs. 16.50 lakhs for preparation of development plans.

(b) The Government of Madhya Pradesh have undertaken the preparation of Development Plans of (i) Bhopal, (ii) Jabalpur, (iii) Bhillai Urban Complex including Durg and Bhillai Steel Towns, and (iv) Bhillai Regional Project, under the Central financial assistance scheme.

Financial Assistance for Power Supply to Madhya Pradesh

3708. **Shri G. C. Dixit** : Will the Minister of **Irrigation and Power** be pleased to state :

(a) whether Government propose to grant financial assistance to Madhya Pradesh in 1968-69 in order to increase power supply so as to make available cheaper power for Agricultural works in the State ;

(b) if so, the details thereof ; and

(c) if not, the reasons therefor ?

The Dy. Minister in the Ministry of Irrigation and Power (Shri Siddheshwar Prasad) : (a) to (c) : Earmarked Central assistance for rural electrification schemes with a bias towards energisation of agricultural pumping sets/tubewells has been sanctioned to the extent of Rs. 400 lakhs for Madhya Pradesh during the year 1968-69. This Central assistance is given to the State Governments on concessional terms viz. at an interest rate of 5.3/4% and repayment of principal and interest in 20 equated annual instalments, only interest being payable during the first five years. The Madhya Pradesh authorities propose to energise about 10,000 irrigation pumping sets/tubewells during 1968-69.

स्वास्थ्य सेवाओं के महानिदेशालय में आर्कीटेक्ट और सहायक आर्कीटेक्ट

3709. **श्री अब्दुल गनीदार : क्या स्वास्थ्य परिवार नियोजन तथा नगरीय विकास** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) स्वास्थ्य सेवाओं के महानिदेशालय में आर्कीटेक्टों और सहायक आर्कीटेक्टों की कुल संख्या कितनी है ?

(ख) वर्ष 1960 से कितने व्यक्ति इस विभाग से चले गए हैं ; और

(ग) इसके क्या कारण हैं ?

स्वास्थ्य, परिवार नियोजन तथा नगरीय विकास मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री० ब० सू० मूर्ति) :

(क) स्वास्थ्य सेवाओं के महानिदेशालयों में पांच पद आर्कीटेक्टों के तथा छह पद सहायक आर्किटेक्टों के हैं। जिनमें से आर्किटेक्टों के दो पद रिक्त हैं।

(ख) 6

(ग) इस्तीफा, मृत्यु और सेवा निवृति के कारणवश।

स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय में आर्कीटेक्टों की पदोन्नति :

3710. **श्री अब्दुल गनीदार** :

क्या **स्वास्थ्य, परिवार नियोजन तथा नगरीय विकास** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कुछ आर्किटेक्टों को, जिनके पास निर्धारित बुनियादी योग्यताएं भी नहीं हैं, वर्ष 1960 से 1968 तक की अवधि में स्वास्थ्य सेवाओं के महानिदेशालय में पदोन्नत किया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

स्वास्थ्य परिवार नियोजन तथा नगरीय विकास मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री ब० सू० मूर्ति) : (क) जी, नहीं। भर्ती के नियमों के अनुसार जो अर्हताएं सीधे भर्ती होने वाले के लिए आवश्यक होती है, वे पदोन्नति प्राप्त करने वाले विभागीय कर्मचारियों के लिए आवश्यक नहीं होती। इसलिए ऐसे विभागीय कर्मचारियों को जिनके पास वास्तुकला की डिगरी या डिप्लोमा नहीं होती, जो कि सीधे भर्ती होने वाले आवेदकों के लिए अनिवार्य है, असिस्टैन्ट आर्किटेक्ट के पदों पर पदोन्नत कर दिया जाता है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय के असिस्टेंट आर्कीटेक्टों तथा आर्कीटेक्टों के भरती नियम

3711. **श्री अब्दुल गनीदार : क्या स्वास्थ्य, परिवार नियोजन तथा नगरीय विकास** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय में आर्किटेक्टों और सहायक आर्किटेक्टों के पदों के सम्बन्ध में भर्ती के नियम बना लिए गए हैं ;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ; और

(ग) यदि नहीं तो ये नियम बनाने में कितना समय लगने की सम्भावना है ?

स्वास्थ्य, परिवार नियोजन तथा नगरीय विकास मन्त्रालय में उप-मन्त्री (श्री ब०सू० मूर्ति) (क) और (ख) : जी हाँ । आर्किटेक्टों और सहायक आर्किटेक्टों के पदों के भर्ती के नियम स्वास्थ्य मन्त्रालय की क्रमश: अधिसूचना सं० 38-63/60-स्थापना (नीति) दिनाँक 17-10-63 और 38-62/60 स्थापना (नीति) दिनाँक 22-8-64 के द्वारा पहले ही अधिसूचित किये जा चुके हैं। प्रतिलिपियां सभा-पटल पर रखी गई हैं । [पुस्तकालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी० 2591/68]

(ग) यह प्रश्न नहीं उठता ।

Survey Conducted in Maharashtra for Supply of Drinking Water

3712. **Shri Deorao Patil** : Will the Minister of **Health, Family Planning and Urban Development** be pleased to state :

(a) whether any survey has been made in some of the rural areas of Maharashtra with a view to finding out the areas where arrangements for the supply of drinking water do not exist ;

(b) the amount given by Government to Maharashtra State during the periods of three Five Year Plans for this purpose ; and

(c) the progress made in Maharashtra during the aforesaid period and target fixed during the Fourth Five Year Plan period in this regard ?

Deputy Minister for Health, Family Planning and Urban Development (Shri B. S. Murthy) : (a) Yes.

(b) The investigation Divisions in various States were set up in the middle of the Third Plan. The Special Investigation Division in Maharashtra was set up in September, 1963. Central assistance for this was being given to the extent of 100% by way of grant. It is for the State Government to claim Central assistance at the end of each financial year on the basis of actual expenditure. So far the State Government has drawn Rs. 3.30 lakhs during 1965-66.

(c) The Division has since completed the preliminary investigation work. The investigation unit has been reorganised to have eight sub-divisions only as against the previous one division and six sub-divisions. These sub-divisions are now engaged in the preparation of detailed plans and estimates for the rural water supply schemes to be taken up for execution. During the Fourth Plan period also, the sub-divisions will prepare a large number of detailed projects so that they may be available well in advance of the construction programme.

Rural Electrification in Maharashtra

3713. **Shri Deorao Patil** : Will the Minister of **Irrigation and Power** be pleased to state :

(a) the number of villages and towns in Maharashtra which are proposed to be electrified under the rural Electrification Scheme during 1968-69 ; and

(b) the number of villages and towns electrified during 1967-68 as also the details in respect thereof ?

The Dy. Minister in the ministry of Irrigation and Power (Shri Siddheswar Prasad) : (a) The emphasis in rural electrification schemes is towards energisation of pumping

sets.In the implementation of this programme, localities are also electrified. During 1968-69, the Maharashtra State Electricity Board propose to energise 23,000 irrigation pumping sets and to electrify 5 towns and 2,300 villages.

(b) : 25754 pumps were energised during 1967-68. The number of towns electrified during this period was 3 and the number of villages electrified was 885. Details are given in the statement laid on the Table. (**Placed in Library. See No. LT-2592-68**).

उत्तरी बंगाल में बाढ़ों का व्यापार पर प्रभाव

3714. **श्री समर गुह :**

क्या **वित्त** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तरी बंगाल के बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों विशेषकर जलपाईगुड़ी तथा दोमोहानी जैसे बाजार क्षेत्रों में व्यापार तथा कारोबार की बहाली के लिए क्या कार्यवाही की गई है ;

(ख) सरकारी आश्वासन के आधार पर क्या बैंकों से इन बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों में व्यापारियों को ऋण देने के लिये कहा गया है ;

(ग) क्या इस क्षेत्र में चाय के उत्पादन तथा मण्डी पर भी प्रभाव पड़ा है ; और

(घ) यदि हां, तो सरकार ने इन कठिनाइयों से निपटने के लिए क्या कार्यवाही की है ?

उप-प्रधान मंत्री तथा वित्त मन्त्री (श्री मोरार जी देसाई) : (क) और (ख) : राज्य सरकार ने सूचित किया है कि वह उत्तर बंगाल के जलपाई गुड़ी और दोमोहानी सहित बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों में व्यापार और सरकार को पुनः स्थापित करने के लिए अनुदानों और ऋणों के रूप में सहायता दे रही है। इसके अतिरिक्त एक योजना चालू की गई है जिसके अनुसार अनुसचित बैंक राज्य सरकार की गारण्टी पर उपयुक्त मामलों में ऋण देंगे।

(ग) और (घ) : चाय बगान को मुख्यतः दार्जिलिंग जिले में, क्षति पहुँचने की सूचनाएं मिली हैं। राज्य सरकार और चाय बोर्ड इस बात की जांच कर रहे हैं कि क्षति कितनी पहुँची है ताकि उससे बचने की व्यवस्था की जा सके। राज्य सरकार ने यह भी सूचित किया है कि उत्तर बंगाल में परिवहन-व्यवस्था भंग हो जाने से कलकत्ते के बाजार में चाय का आना अस्थायी रूप से रुक गया था। अब स्थिति में सुधार हो गया है।

उत्तर बंगाल में बाढ़ के कारण दस्तावेजों को क्षति

3715. **श्री समर गुह :**

क्या **वित्त** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उत्तर बंगाल में भयंकर तथा विनाशकारी बाढ़ के कारण बैंकों, जीवन बीमा निगम तथा अन्य बीमा कम्पनियों, सरकारी खजानों तथा प्रशासन को मूल्यवान कागज, दस्तावेज तथा करेंसी नोट आदि की हानि हुई है ;

(ख) यदि हां, तो इस हानि का विवरण क्या है ; और

(ग) सरकार ने प्रभावित व्यक्तियों को उनके बैंक-खाता किताबें, बीमा पालिसियों, राजस्व तथा कृषि सम्बन्धी दस्तावेजों और ऐसे अन्य कागजों तथा दस्तावेजों को प्राप्त करवाने के लिए क्या कार्यवाही की है ?

उप-प्रधान मन्त्री तथा वित्त मन्त्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क से (ग) : सूचना इकट्ठी की जा रही है और यथा-समय सभा की मेज पर रख दी जायगी ।

रामकृष्णपुरम, नई दिल्ली में टाईप दो के डबल स्टोरी क्वाटर

3716. **श्री राम चरण** : क्या **निर्माण, आवास तथा पूर्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि रामकृष्णपुरम, नई दिल्ली में टाइप दो के डबल स्टोरी क्वाटरों में पहली मंजिल की छत तथा बरामदे को मिलाने वाली नालियां निचली मंजिल के पिछले यार्ड में सहसा समाप्त हो जाती हैं और पानी के निकलने का मार्ग न होने के कारण जमा पानी एक छोटे तालाब की शकल ले लेता है जिसके परिणाम स्वरूप पहली मंजिल तथा निचली मंजिल में रहने वालों के बीच निरन्तर कठिनाइयां बनी रहती हैं; और

(ख) यदि हां, तो सरकारी क्वाटरों के त्रुटिपूर्ण निर्माण के कारण सरकारी कर्मचारियों को होने वाली कठिनाइयों को दूर करने के लिए सरकार का विचार क्या कार्यवाही करने का है ?

निर्माण, आवास तथा पूर्ति मंत्रालय में उपमंत्री (श्री इकबाल सिंह) : (क) यह ठीक है कि छत तथा पहली मंजिल के पीछे वाले बरामदे को मिलाने वाले नीचे की ओर जाने वाले पाईप पिछले यार्ड की भूमि में पानी छोड़ते हैं तथा कुछ मामलों में पानी खुलकर नहीं बहता ।

(ख) ऐसे मामलों में पानी के इकट्ठे होने का कारण निर्माण की खराबी नहीं है बल्कि इसका कारण है कि किरायेदार द्वारा पिछले यार्ड में फूलों की क्यारियां आदि खोदकर भूमि के तल (लेवल) को बिगाड़ देना । उन मामलों में जिनमें भूमि के आकार के कारण पानी के बहाव में वास्तविक कठिनाई है, नालियों की व्यवस्था की जांच की जा रही है ।

सरकारी समितियों/आयोगों के सम्बन्ध में संसद सदस्यों को टी० ए० तथा डी० ए०

3717. **श्री देव राव पाटिल :**

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार द्वारा स्थापित की गई जांच समितियों/आयोगों में नियुक्त संसद सदस्यों को दिये जाने वाले यात्रा तथा दैनिक भत्तों के बारे में सरकार ने कोई आदेश जारी किये हैं; और

(ख) क्या उनके मंत्रालय द्वारा 5 सितम्बर, 1960 के ओ० एम० संख्या एफ० 6 (26)-ई०, IV/68 में जारी किये अनुदेश अब भी लागू हैं ?

उप-प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरार जी देसाई) : (क) जी, हां । ये आदेश वित्त मंत्रालय (व्यय विभाग) के 27 मई, 1968 के कार्यालय ज्ञापन सं० एफ 9 (4)--ई IV (बी) /68 (अनुबन्ध) में दिये गये हैं, जिसे सभा पटल पर रखा गया है तथा जो 1 जून, 1968 से लागू है । (पुस्तकालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी० 2593/68)

(ख) वित्त मंत्रालय (व्यय विभाग) के 5-9-1960 के कार्यालय ज्ञापन सं० एफ 6(26)ई –IV/59 में दिये गये अनुदेश, जहां तक उनका सम्बन्ध संसद सदस्यों से है अब लागू नहीं है ।

दिल्ली में सरकारी क्वाटरों की किचनों' में सिल्लियां

3718. **श्री बालगोविन्द वर्मा :**

क्या **निर्माण, आवास तथा पूर्ति** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकारी क्वाटरों की 'किचनों' में ऊंचे चूल्हे बनाने के लिए सिल्लियां लगाने के हेतु केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग दिल्ली के पूछताछ कार्यालयों में कितने आवेदन पत्र प्राप्त हुए हैं ;

(ख) सिल्लियां लगाने के लिए क्या कार्यवाही की जा रही है;

(ग) क्या यह सच है कि जिन सरकारी कर्मचारियों के पास क्वाटर हैं उनसे सिल्ली लगाने के लिए प्रति सिल्ली दस रुपये लिए जा रहे हैं ;

(घ) क्या यह भी सच है कि क्वाटरों में अतिरिक्त घन लिए बिना ही दूसरे पंखे की व्यवस्था कर दी गई है; और

(ङ) यदि हां, तो उन्हीं सरकारी कर्मचारियों से सिल्लियां लगाने के लिए धन लेने के क्या कारण हैं ?

निर्माण, आवास तथा पूर्ति मंत्रालय में उपमंत्री (श्री इकबाल सिंह) : (क) केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के विभिन्न पूछताछ कार्यालयों में इस प्रकार के लगभग 1300 आवेदन पत्र प्राप्त हुए हैं ।

(ख) मामला परीक्षाधीन है ।

(ग) जी, नहीं ।

(घ) जी, हां ।

(ङ) प्रश्न ही नहीं उठता ।

हिन्दू अविभक्त परिवार के कर्ता के रूप में वित्त मन्त्री

3719. **श्री मधु लिमये :**

क्या **वित्त** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मन्त्री महोदय स्वयं हिन्दू अविभक्त परिवार के कर्ता हैं;

(ख) यदि हां, तो उनके परिवार के सदस्य कौन-कौन हैं;

(ग) क्या वह औपचारिक और वैधानिक रूप से अपने बेटे से पृथक हो गये हैं; और

(घ) क्या हिन्दू अविभक्त परिवार के कर्त्ता के रूप में उन्हें अपने बेटे पुत्र-वधू/पौत्रों के व्यापार का लाभ मिलता है ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त) : (क) से (घ) लगभग 25 वर्ष पहले तक उप प्रधान मन्त्री अपने तीन भाइयों के साथ संयुक्त हैसियत में रहते थे । फिर वे अलग हो

गये । यह पृथक्करण किसी दस्तावेज के द्वारा नहीं, बल्कि मौखिक रूप से हुआ था, जो कानून सम्मत है ।

2. इस समय उप प्रधान मन्त्री के परिवार में उप प्रधान मन्त्री, उनकी पत्नी, पुत्र और पुत्र-वधू तथा बच्चे हैं। लगभग 20 वर्ष पहले उप प्रधान मन्त्री द्वारा अपने पैत्रिक मकान के धमार्थ दान कर दिए जाने के बाद उनके परिवार के पास अपनी कोई सम्पत्ति नहीं है । उक्त दान के बाद उप-प्रधान मन्त्री ने अपने परिवार के सदस्यों को मौखिक रूप से सूचित कर दिया था कि वे उनसे किसी सम्पत्ति की आशा न रखें तथा उनकी और उनकी पत्नी की मृत्यु के बाद वे जो कुछ सम्पत्ति छोड़ेंगे वह सब थमार्थ दान कर दी जायगी ।

3. उप प्रधान मन्त्री और उनके परिवार के सदस्यों के बीच कोई विभाजन विलेख नहीं लिखा गया, क्योंकि विभाजन के लिये कोई संयुक्त पारिवारिक सम्पत्ति थी ही नहीं । बिना किसी चल अथवा अचल सम्पत्ति के कानून के अनुसार जिस सीमा तक हिन्दू अविभाजित परिवार का अस्तित्व संभव है उस सीमा तक उनके परिवार को संयुक्त कहा जा सकता है । तथापि, इस परिवार के पास ऐसी कोई सम्पत्ति अथवा परिसम्पत्ति नहीं है जिसका उप प्रधान मन्त्री कर्ता की हैसियत से प्रशासन कर सकें और न ही उन्होंने कभी परिवार के कर्त्ता की हैसियत से कोई काम किया है और न अपने को परिवार का कर्त्ता समझा है ।

4. उप प्रधान मन्त्री के पुत्र की परिसम्पत्तियां किसी पैत्रिक सम्पत्ति से अथवा उसकी सहायता से अर्जित नहीं की गई हैं; अपितु वे उसके निजी प्रयत्नों से अर्जित हैं । इस लिये उनके पुत्र और पुत्र के परिवार के सदस्यों को व्यवसाय, नौकरी या अन्य किसी स्त्रोत से होने वाली किसी आय अथवा सम्पत्ति में उप प्रधान मन्त्री का कोई कानूनी अथवा लाभकारी हित नहीं है ।

बच्चों में पोषक तत्वों के बारे में सर्वेक्षण

3720. **श्री ईश्वर रेड्डी** : क्या स्वास्थ्य, परिवार नियोजन तथा नगरीय विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगें कि :

(क) क्या हैदराबाद के निकटस्थ 17 ग्रामों में बच्चों में पोषक तत्वों के बारे में पोषाहार अनुसन्धान वेधशालाओं द्वारा हाल में सर्वेक्षण किया गया था;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या परिणाम निकले हैं;

(ग) बच्चों में पोषक तत्वों की कमी की समस्या को दूर करने के लिए सर्वेक्षण दल द्वारा क्या सुझाव दिये गये थे; और

(घ) उस पर सरकार ने क्या निर्णय किया है ?

स्वास्थ्य, परिवार नियोजन तथा नगरीय विकास मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री० ब० सू० मूर्ति) : (क) जी हां

(ख) स्कूल-पूर्व आयु के 3116 बच्चों की स्वास्थ्य परीक्षा से यह पता चला कि उनमें प्रोटीन कैलोरी कुपोषण, विटामिन-ए की कमी, बी-कम्पलेक्स की कमी और प्रायः रक्त की कमी के लक्षण विद्यमान थे । यह भी ज्ञात हुआ कि इनमें अधिकांश बच्चों का कद और वजन भी मानक से कम थे ।

(ग) सर्वेक्षण दल न कोई सुझाव नहीं दिये, यद्यपि इसने कुपोषण की समस्या के समाधान के महत्व पर बल दिया ।

(घ) सरकार देश में विशेषतया रोगानुकूल आबादी में कुपोषण की समस्या के बारे में पहले से ही जागरूक है । विभिन्न मंत्रालयों और विभागों द्वारा समन्वित रूप से प्रयास किये जा रहे हैं । बड़े पैमाने पर पूरक खाद्य कार्यक्रम, डिब्बे बन्द पौष्टिक खाद्य पदार्थों का उत्पादन, पोषण सम्बन्धी, शिक्षण तथा उसका विस्तार, व्यावहारिक पोषण कार्यक्रम तथा कुपोषण के प्रारम्भिक रोगियों का पता लगाना तथा उनका उपचार करना जैसे कतिपय उपाय सरकार बरत रही है ।

Disparity in Pay Scales of Posts involving Work in Hindi and English

3721. **Shri Kanwar Lal Gupta** : Will the Minister of **Finance** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that there is a disparity in the pay scales of the same posts involving work in Hindi and English respectively ;

(b) if so, the nature thereof and the reasons therefor ; and

(c) when such a disparity is proposed to be removed by Government ?

The Deputy Prime Minister and Minister of Finance (Shri Morarji Desai) : (a) **to** (c) : The information asked for is being collected and will be laid on the Table of the House in due course.

उत्तर प्रदेश सरकार को उत्तर प्रदेश के महापौरों का ज्ञापन

3722. **श्री रणजीत सिंह** : **श्री अटल बिहारी बाजपेयी** :

श्री नारायण स्वरूप शर्मा : **श्री जगन्नाथ राव जोशी** :

क्या **स्वास्थ्य, परिवार नियोजन** तथा **नगरीय विकास** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर प्रदेश के महापौरों ने हाल ही में उत्तर प्रदेश के राज्यपाल को कोई ज्ञापन दिया है; और

(ख) यदि हां, तो ज्ञापन में निहित किन मांगों को सरकार द्वारा स्वीकार कर लिया गया है ?

स्वास्थ्य, परिवार नियोजन तथा नगरीय विकास मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री ब० सू० मूर्ति) : (क) जी हां ।

(ख) इस ज्ञापन में निहित माँगों पर उत्तर प्रदेश सरकार विचार कर रही है ।

यूनेस्कों के नई दिल्ली कार्यालय द्वारा वातानुकूलन के सामान का आयात

3723. **श्री मधु लिमये** :

क्या वित्त मन्त्री यूनेस्को के बारे में 22 जुलाई, 1968 के अतारांकित प्रश्न संख्या 79 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस बीच जानकारी प्राप्त कर ली गई है;

(ख) यदि हां, तो क्या यह सच है कि वर्ष 1966 के आरम्भ में यूनेस्को के नई दिल्ली

कार्यालय ने मेसर्स जी० ई० न्यूयार्क से छः वातानुकूलकों (एयर कन्डीशनरज़) का आयात किया था, जिनके बारे में यह प्रमाण पत्र दिया गया था कि वे सरकारी प्रयोग के लिये हैं;

(ग) क्या यह सच है कि छः वातानुकूलकों में से दो वातानुकूलकों के मूल्य का भुगतान यूनेस्को के प्रशासनिक अधिकारी श्री दीवान द्वारा भारत में यूनेस्को के भूतपूर्व डिप्टी चीफ श्री डनिघम के निजी खाते में से मेसर्स जी० ई० न्यूयार्क और मेसर्स जीना एण्ड कम्पनी, क्लीयरिंग एजेन्ट, बम्बई को किया गया था;

(घ) क्या नवम्बर, 1966 में श्री डनिघम द्वारा ये दो वातानुकूलक बेच दिये गये थे और श्री दीवान ने उस धन-राशि के कुछ हिस्से को श्री डनिघम की बचत की राशि प्रमाणित करते हुए, उसे श्री डनिघम के खाते में जमा करवा दिया था, फिर उसे विदेशी मुद्रा में बदला गया था और वर्ष 1967 के प्रारम्भ में न्यूजीलैन्ड में श्री डनिघम के पास भेज दिया गया था; और

(ङ) यदि हाँ, तो श्री दीवान के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है ?

उप-प्रधान मन्त्री तथा वित मन्त्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) जी, नहीं। कुछ पूछ-ताछ होनी अभी भी शेष है।

(ख) जी, हां।

(ग) तथा (घ) इस बात का ठीक से पता लगा लिया गया है कि 6 में से 2 वातानुकूलकों के सम्बन्ध में अदायगी श्री डनिघम के निजी खाते में से की गयी थी और इन दोनों वातानुकूलकों का निपटारा 1966 के अन्त में कर दिया गया था। तथापि, इस विवाद के समर्थन में अभी तक ऐसा कोई साक्ष्य नहीं मिला है जिससे पता चले कि श्री दीवान का इस लेनदेन से किसी भी प्रकार से कोई वास्ता था। इस विवाद के समर्थन में भी कोई सबूत नहीं मिला कि दोनों वातानुकूलकों की बिक्री से प्राप्त हुई रकम को देशी मुद्रा में बदल दिया गया था और न्यूजीलैन्ड में श्री डनिघम को भेज दिया गया था।

(ङ) यह प्रश्न नहीं उठता।

Industrial Disputes Act's Applicability to Private Hospital Employees

3724. **Shri Narain Swarup Sharma : Shri Atal Bihari Vajpayee : Shri Jagannath Rao Joshi :**

Will the Minister of **Health, Family Planning and Urban Development** be pleased to refer to the reply given to Unstarred Question No. 4286 on the 19th August, 1968, and state :

(a) whether any decision has since been taken on the representation of the private hospital management to keep the private hospital employees outside the purview of the Industrial Disputes Act ; and

(b) if so, the nature thereof ?

The Deputy Minister for Health, Family Planning and Urban Development (Shri B. S. Murthy) : (a) No.

(b) Does not arise.

Income Tax Arrears

3725. **Shri Bharat Singh Chauhan : Shri Ram Swarup Vidyarthi : Shri Ram Singh Ayarwal : Shri Om Prakash Tyagi :**

Will the Minister of **Finance** be pleased to state :

(a) the amount of income-tax recovered by the Central Government for the year 1967-68 and the amount of Income tax which remained outstanding for the said year ; and

(b) the steps taken by Government for the recovery of the amount still outstanding ?

The Deputy Prime Minister and Minister of Finance (Shri Morarji Desai):

(a) Amount of Income-tax recovered during 1967-68. — Rs. 629.74 crores (Departmental figures)

Arrear demand out of the demand created during 1967.68 carried forward on 1-4-1968. — Rs. 79.61 crores

(b) Steps as are available in law are being taken to recover the arrears depending upon the circumstances of each case.

In addition certain administrative steps have been taken as under :

(i) Taking over of recovery work hitherto done by officials of the State Government.

Taken over fully in Commissioners' charges of Delhi, Andhra Pradesh, Gujarat and Rajasthan.

Taken over partly in Commissioners' charges of West Bengal, Madras, Mysore and Uttar Pradesh.

(ii) Introduction of scheme of functional distribution of work in 79 ranges of Inspecting Assistant Commissioners. Here the collection of taxes is made the specific function of one or more Income Tax Officers.

(iii) Responsibility for appropriate action in cases where arrears are outstanding has been fixed on particular officers as under :

Income-tax Officer	..	Cases of arrears below Rs. 1 lakh.
Inspecting Assistant Commissioners	..	Cases of arrears over Rs. 1 lakh and below 5 lakhs.
Commissioner of Income-tax	..	Cases of arrears over Rs. 5 lakhs.

(iv) Review of cases of arrear demand exceeding Rs. 5 lakhs by the Director of Inspection (Research, Statistics and Publication).

(v) Creation of Special Recovery Units in the Commissioners' charges to look after the expeditious recovery of outstanding demand.

Construction of Government Quarters

3726. **Shri Bharat Singh Chauhan : Shri Ram Swarup Vidyarthi :**

Will the Minister of **Works, Housing and Supply** be pleased to state :

(a) the total number of Government quarters under construction and the names of places where these quarters are being constructed in Delhi for the Central Government employees during the year 1968-69 ;

(b) the time by which the construction of these quarters would be completed and the estimated cost thereof ; and

(c) the particulars of the contractors to whom the works have been entrusted and the terms of contracts ?

The Deputy Minister in the Ministry of Works, Housing and Supply (Shri Iqbal Singh) : (a) to (c) Construction of 944 quarters sanctioned at an estimated cost of **Rs.** 170.84 **lakhs (excluding departmental charges)** is in progress or expected to be taken up during the year 1968-69 as indicated in the statement, laid on the Table.

(Placed in Library, See No. LT-2594/68)

चौथी योजनावधि में मेडिकल कालेज खोलना

3727. **श्री राम कृष्ण गुप्त :**

क्या **स्वास्थ्य, परिवार नियोजन तथा नगरीय विकास** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या चौथी पंचवर्षीय योजना में मैडिकल कालेज खोलने के कार्यक्रम को अन्तिम रूप दे दिया गया है; और

(ख) यदि हां तो उसका ब्यौरा क्या है ?

स्वास्थय, परिवार नियोजन तथा नगरीय विकास मन्त्रालय में उप-मन्त्री (श्री ब० सू० मूर्ति) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

मद्रास फर्टिलाईजर्स लिमिटेड

3728. **श्री प्रेम चन्द वर्मा :**

क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मद्रास फर्टिलाइजर्स लिमिटेड किस वर्ष स्थापित की गयी थी, इसके निदेशक मंडल के सदस्य कौन-कौन थे, और वही निदेशक मंडल कितने समय तक चलता रहा; और

(ख) इस समय निदेशक मंडल के सदस्यों के नाम क्या हैं और कम्पनी के अध्यक्ष अथवा प्रबन्ध निदेशक का नाम क्या है, उनकी नियुक्ति कब हुई थी, उनकी पदावधि और सेवा की शर्तें क्या हैं ?

पेट्रोलियम और रसायन मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री के० रघुरामैया) : (क) मद्रास उर्वरक लि० 1966 में स्थापित की गई थी। संगठन के समय निदेशक मण्डल के निम्न सदस्य थे :—

1. श्री पी० आर० नायक
2. श्री पी० गोविन्दन नायर
3. श्री बी० सिवारामन
4. श्री वी० एन० कस्तूरीरंगन
5. मिस्टर एल० एल० स्मिथ
6. मिस्टर जी० आर० हेल्फ्रिच
7. मिस्टर डबल्यू० एस० ब्राडले
8. श्री एच० ए० शाह

ये निदेशक दिसम्बर 1966 में नियुक्त किये गये थे। कम्पनी के आर्टीकल्स आफ एस्सोसीयेशन (Articles of Association) के अनुसार बोर्ड की अवधि तीन साल है। जब तक किसी निदेशक के पद त्याग पत्र आदि के कारण कोई परिवर्तन आवश्यक न हो जाये।

(ख) कम्पनी के मौजूदा निदेशकों तथा उनकी नियुक्तियों की तारीखें निम्न प्रकार हैं :—

निदेशक का नाम	नियुक्ति की तारीख
श्री पी० आर० नायक (चेयरमैन)	14-12-1966
श्री बी० सिवारामन	14-12-1966
श्री वी० एन० कस्तूरीरंगन	14-12-1966
श्री रामास्वामी आर० आयर	18-11-1968
मिस्टर बी० टी० एल्लीसन	29-8-1968
मिस्टर आर० इ० नौबल । मिस्टर डब्ल्यू० ओ० फ्रेजीयर (एवजी)	29-8-1968
डा० एसो जाहन	18-11-1968
मिस्टर जे० सी० वीवर ज्यूनिअर (प्रबन्ध निदेशक)	3-3-1967

कम्पनी के आर्ट्रीकल्स आफ एस्सोसीयेशन के अनुसार निर्देशकों की नियुक्ति की अवधि मन्डल की स्थापना की तारीख से तीन साल है ।

मिस्टर जे० सी० वीवर ज्यूनिअर के जो 3 मार्च, 1968 से दो साल की अवधि के लिये प्रति वर्ष 2,57,395 रुपये के वेतन पर पुनः नियुक्त किये गये हैं,सिवाये २ अन्य निदेशक अंश-कालीन अवैतनिक निदेशक हैं ।

मद्रास फर्टिलाईजर्स लिमिटेड

3729. **श्री प्रेम चन्द वर्मा :**

क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मद्रास फर्टिलाइजर्स लिमिटेड को स्थापना से अब तक (एक) अनियमितताओं (दो) चोरी (तीन) स्टाक में कमी (चार) आग लगने अथवा ऐसे ही कुछ अन्य कारणों से कितनी हानि हुई है;

(ख) क्या इन मामलों की जांच की गई थी; और

(ग) यदि हां, तो उसके क्या परिणाम निकले हैं और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

पेट्रोलियम और रसायन मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री के० रघुरामैया) : (क) (1), (3) और (4) के कारण कम्पनी को कोई हानि नहीं हुई है । कम्पनी के साइकल की चोरी के कारण 295 रुपये की हानि हुई ।

(ख) और (ग) : पुलिस को चोरी की रिपोर्ट की गई थी लेकिन साइकल का कुछ पता नहीं लगा और निदेशक-मन्डल के आदेशों के अन्तर्गत इसे बट्टे खाते में डाला गया ।

मद्रास फर्टिलाइजर्स लिमिटेड

3730. **श्री प्रेम चन्द वर्मा :**

क्या **पेट्रोलियम और रसायन मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मद्रास फर्टिलाइजर्स लिमिटेड ने खरीद ठेकों और बिक्री तथा कर्मचारियों (500

रुपये मासिक से अधिक वेतन वाले पदों) पर भर्ती के लिये उचित नियम बनाये हुये हैं; और

(ख) यदि हां, तो वे नियम क्या हैं ?

पेट्रोलियम और रसायन मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री के० रघुरामैया) : (क) और (ख): अभी नहीं, लेकिन इन को तैयार किया जा रहा है ।

मद्रास फर्टिलाइजर्स लिमिटेड

3731. **श्री प्रेम चन्द वर्मा :**

क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मन्त्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या किसी समय मद्रास फर्टिलाइजर्स लिमिटेड के कार्य संचालन के बारे में सामान्य मूल्यांकन किया गया है ;

(ख) यदि हां, तो उसका क्या परिणाम निकला है; और

(ग) यदि नहीं, तो क्या सरकार का विचार त्रुटियों का पता लगाने तथा इसके कार्य संचालन को सुधारने के लिये किसी विशेषज्ञ की सेवायें प्राप्त करने का है ?

पेट्रोलियम और रसायन मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री के० रघुरामैया) : (क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

(ग) जी नहीं । इस विश्वास के लिये सरकार के पास कोई हेतु नहीं है कि इस प्रकार की जांच आवश्यक है ।

Family Planning Programme

3732. **Shri Prakash Vir Shastri** : Will the Minister of **Health, Family Planning and Urban Development** be pleased to state :

(a) the progress made in the family planning programme during the last three months ;

(b) whether any action has been taken against some organisations which are opposing this programme in a planned manner ; and

(c) if so, the details thereof ?

The Minister of State for Health, Family Planning and Urban Development (Dr. S. Chandrasekhar) : (a) The performance in the family planning programme during the months of July to September, 1968 is as follows :--

(i) Sterlilization operations .. 5,03,638.

(ii) IUCD insertions .. 1,15,538.

(b) There is no organised opposition to the family planning programme in the country.

(c) Does not arise.

गौहाटी तथा बरौनी तेल शोधक कारखानों का चालू करना

3733. **श्री एस० आर० दामानी :**

क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गौहाटी तथा बरौनी तेल शोधक कारखानों को कब चालू किया गया था तथा इन दो कारखानों में कुल कितने अशोधित तेल के साफ किये जाने की संभावना है;

(ख) वर्ष 1967-68 तक इन कारखानों में प्रति वर्ष वास्तव में कितना तेल साफ किया गया;

(ग) कम मात्रा में तेल साफ किये जाने के क्या कारण है तथा इसका आयल इण्डिया लिमिटेड की कार्यकुशलता के बारे में क्या आभास मिलता है; और

(घ) तेल शोधक कारखाने अपनी पूरी क्षमता से काम करें यह सुनिश्चित करने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

पेट्रोलियम और रसायन मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री के० रघुरामैया) : (क) गौहाटी तेल शोधक कारखाना 1. 1. 62 को चालू किया गया था। बरौनी तेल शोधक कारखाने में 22.7.64 को पहला 10 लाख टन तेल शोधित किया गया और दस लाख की दूसरी इकाई 4.2.66 को चालू की गई थी। गौहाटी और बरौनी तेल शोधक कारखानों की सुनिश्चित क्षमता क्रमशः 7 लाख 50 हजार टन तथा 20 लाख टन प्रतिवर्ष है। बरौनी शोधनशाला की क्षमता का विस्तार प्रतिवर्ष 30 लाख मीटरी टन तक हो रहा है।

(ख) आरम्भ से गौहाटी और बरौनी तेल शोधक कारखानों द्वारा साफ किये गये कच्चे तेल की मात्रा निम्न प्रकार से है :—

(मात्रा टनों में)

वर्ष	गोहाटी	बरौनी
1961-62	64,700	—
1962-63	282,695	—
1963-64	543,524	—
1964-65	749,164	249,918
1965-66	799,434	744,540
1966-67	742,946	1,113,885
1967-68	811,718	1,629,625

(ग) गोहाटी तेल शोधक कारखाना, पिछले 4 सालों से अपनी सुनिश्चित क्षमता तक या उससे अधिक तेल साफ कर रहा है। आरम्भ में, कोकिंग यूनिट के देर से चालू होने तथा मिट्टी के तेल शोधक यूनिट के कम्प्रेशर्स के साथ प्रारम्भिक कठिनाइयों के कारण साफ किये गये तेल की मात्रा कम रही। बरौनी तेल शोधन शाला में कच्चे तेल की कम खप्त के मुख्य कारण, कोकिंग यूनिट तथा मिट्टी के तेल शोधक यूनिट का देरी से चालू होना और ल्यूब आयल और बिट्टमन कम्पलैक्स के देर से आरम्भ होना था। इन देरियों के कारण आयल इंडिया लि० के कच्चे तेल की कम खप्त हुई जो वैसे उत्पादित किया जा सकता था।

(घ) बरौनी तेल शोधशाला इस समय 20 लाख टन क्षमता से चल रही है, गोहाटी शोधन शाला कुछ वर्षों से पूरी क्षमता पर काम कर रही है।

आयल इंडिया लिमिटेड

3734. **श्री एस० आर० दामानी :**

क्या पेट्रोलियम और रसायन मन्त्री यह बताने की कृपा करगे कि :

(क) क्या यह सच है कि आयल इंडिया लिमिटेड को साम्य पूंजी पर 9 प्रतिशत से लेकर 13 प्रतिशत तक प्रत्याभूत शुद्ध लाभ का वचन दिया गया था;

(ख) क्या यह भी सच है कि यह न्यूनतम प्रत्याभूत लाभांश सुनिश्चित करने के लिये सरकार को 1966–67 तक 18 करोड़ रुपये से अधिक राशि की आर्थिक सहायता देनी पड़ी थी; और

(ग) ऐसा वचन देने के क्या कारण थे ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० रघुरामैया) : (क) जी हां।

(ख) और (ग): 1966–67 तक आयल इण्डिया लि० को की गई अदायगी कम्पनी को सहायता के रूप में नहीं थी किन्तु वह, सरकार और बर्मा आयल कम्पनी के बीच द्वितीय पूरक करार (Second Supplemental Agreement) निर्दिष्ट मूल्यांकन सिद्धान्त के अनुसार आयल इण्डिया लि० से, जो भारतीय तेल निगम ने कच्चा तेल खरीदा, उसकी लागत को पूरा करने के लिये थी।

डुम-डुमा और निनगुरु में तेल की खोज

3735. **श्री एस० आर० दामानी** :

क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि डुम–डुमा और निनगुरु के नये क्षेत्रों में गम्भीर रूप से तेल की खोज के प्रयास न किये जाने के बारे में आयल इंडिया लिमिटेड के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है ?

पेट्रोलियम और रसायन मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री के० रघुरामैया): कम्पनी के वित्तीय संसाधनों का ख्याल करते हुये सरकार का विचार है कि आयल इंडिया लिमिटेड ने अपने खोज कार्य सम्बन्धी प्रोग्राम में सन्तोषजनक प्रयास किये हैं। इसलिये कम्पनी के विरुद्ध कोई कार्यवाही करने का प्रश्न नहीं उठता।

तेल अथवा गैस के कुएं की ड्रिलिंग

3736. **श्री नीति राज सिंह चौधरी** :

क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 31 मार्च, 1967 के बाद देश में तेल अथवा गैस के कितने कुएं खोदे गये तथा कितने मीटर छिद्रण किया गया ;

(ख) उक्त छिद्रण कार्य का क्या परिणाम निकला है तथा किन-किन क्षेत्रों में यह छिद्रण कार्य किया गया ;

(ग) जिन क्षेत्रों में अब तक खुदाई नहीं की गई है ; क्या उनमें तेल है अथवा गैस; और

(घ) उन क्षेत्रों में खुदाई कार्य आरम्भ न किये जाने के क्या कारण है ?

पेट्रोलियम और रसायन मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री के० रघुरामैया): (क) 1-4-1967 से 31. 10. 1968 तक कुल 411991 मीटर व्यधित किये गये और 169 कुएं पूरे किये गये।

(ख) व्यधन कार्य अन्वेषण और पहले से मालूम किये गये क्षेत्रों के विकास के लिये किया गया था। गुजरात, मद्रास, पाण्डीचिरी, असम, पश्चिमी बंगाल और राजस्थान के विभिन्न क्षेत्रों में व्यधन किया गया। व्यधन के परिणाम स्वरूप गुजरात के काडी और सोभासन क्षेत्रों में तेल

तथा असम में गेलेकी में तेल के चिन्ह पाये गये हैं । अकलेश्वर कोसम्बा, कथाना, घोल्का, नवागाव कलोल, सानन्द, अहमदाबाद, वकरोल, रूद्रसागर और लक्वा क्षेत्रों के, जहाँ पर पहले तेल मिला था, तेल क्षेत्रों में और अन्वेषण/विकास भी किया गया है । असम में नाहरकटिया, मोरान, डम डुमा और निन्गरू में भी व्यधन किया गया । व्यधित किये गये 21 कुओं में से 16 तेल युक्त 2 गैस युक्त और तीन शुष्क थे ।

(ग) कुओं के व्यधन एवं परीक्षण बिना यह बताना सम्भव नहीं है कि क्या कोई विशेष क्षेत्र तेल/गैस युक्त है ।

(घ) अवसादीय क्षेत्रों के उन भागों में प्राथमिकता के आधार पर व्यधन किया गया है; जहाँ पर, भूगर्भीय एवं भूभौतिकी सर्वेक्षणों के आधार पर, तल/गैस मिलने की बहुत ज्यादा सम्भावनाएं समझी जाती हैं और परिचालन स्थितियां बहुत कठिन नहीं है । इन क्षेत्रों में पूर्वेक्षणों के परीक्षण एवं समापन के बाद शेष, अवसादीय क्षेत्रों को हाथ में लिया जायेगा ।

ईरान में तट दूर-तेल की खोज

3737. **श्री नीति राज सिंह चौधरी** :

क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 31 मार्च, 1967 के बाद भारत द्वारा स्वयं तथा किसी अन्य के सहयोग में ईरान में तट से दूर की गई तेल की खोज का ब्यौरा क्या है;

(ख) इस पर कितना धन खर्च किया गया है तथा इसके क्या परिणाम निकले हैं; और

(ग) उक्त क्षेत्रों से तेल का उत्पादन कब तक आरम्भ हो जाने की संभावना है ?

पेट्रोलियम और रसायन मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री के० रघुरामैया) : (क) 31-3-67 के बाद, कुल सात अन्वेषी कुओं का व्यधन किया गया है ।

(ख) 1.4.1967 से 30.9.68 की अवधि में तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग ने ईरान के तट दूर क्षेत्र में परिचालनों पर 655.38 लाख रुपये खर्च किये हैं । एक संरचना, जिसमें तेल पाया गया है, को व्यापारिक दृष्टि से उपयोगी घोषित कर दिया है ।

(ग) 1969 के तृतीय चतुर्थांश में तेल के उत्पादन के शुरू हो जाने की आशा है ।

तेल तथा प्राकृतिक गैस की खोज का कार्यक्रम

3738. **श्री नीति राज सिंह चौधरी** :

क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्ष 1967-68 के तेल और प्राकृतिक गैस की खोज के कार्यक्रम में निर्धारित किया गया लक्ष्य प्राप्त कर लिया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा लक्ष्य किस सीमा तक प्राप्त किया गया है;

(ग) प्रत्येक योजना कार्यक्रम पर कितना धन खर्च किया गया है; और

(घ) उपरोक्त कार्यक्रम के परिणाम स्वरूप 31 मार्च, 1967 के बाद तेल के उत्पादन में वास्तव में वृद्धि हुई है तथा उत्पादन में यह वृद्धि किन-किन क्षेत्रों में हुई है ?

पैट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० रघुरामैया) : (क) जी, हां ।

(ख) तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग ने योजना के अनुसार 16 भूगर्भीय, 10 गुरुत्व-चुम्बकीय, 26 भूकम्पीय क्षेत्र अन्वेसी पार्टियों के लगाने के अतिरिक्त, अन्वेशी एवं विकासीय ड्रिलिंग के लक्ष्य, कुओं की संख्या के रूप में 106 प्रतिशत और व्यधित मीटरों के रूप में 99.2 प्रतिशत, प्राप्त किये ।

आयल इन्डिया लि० ने एक अन्वेषी कुएं के मुक्कमल करने के लक्ष्य को परा किया और दूसरे कुएं का अंशत: व्यधन किया; जो कि मीटरेज के रूप में लक्ष्य का 91 प्रतिशत है ।

(ग) वर्ष 1967-68 के दौरान तेल और प्राकृतिक गैस आयोग ने अन्वेषी सर्वेक्षणों पर 295. 44 लाख रुपये और व्यधन कार्यों पर 2203.03 लाख रुपये खर्च किये ।

इस अवधि में आयल इन्डिया लिमिटेड ने अन्वेषी सर्वेक्षणों पर 58 लाख रुपये और अन्वेषी ड्रिलिंग पर 94 लाख रुपये खर्च किये ।

(घ) तेल और प्राकृतिक गैस आयोग द्वारा कार्य पूरा किये जाने के फलस्वरूप, वर्ष 1967-68 के दौरान आयोग के क्षेत्रों से वार्षिक उत्पादन में 0.26 मिलियन मीटरी टन कच्चे तेल की वृद्धि हुई और प्राकृतिक गैस की बिक्री में 110.66 मिलियन घन मीटरों की वृद्धि हुई। यह वृद्धि मुख्यत: गुजरात क्षेत्र से उत्पादन को बढ़ा देने के कारण हुई । इसके अतिरिक्त, अन्वेषी ड्रिलिंग के परिणाम स्वरूप गुजरात में एक तेल क्षेत्र और राजस्थान में एक संभावित गैस क्षेत्र का पता लगा ।

आयल इंडिया के अन्वेषी ड्रिलिंग से नये तेल या गैस भण्डारों का पता नहीं लगा ।

भूतत्वीय तथा भूभौतिकी सर्वेक्षण

3739. **श्री नीति राज सिंह चौधरी :**

क्या **पैट्रोलियम और रसायन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 31 मार्च, 1967 के बाद देश में किन-किन क्षेत्रों का भूतत्वीय अथवा भूभौतिकी सर्वेक्षण किया गया है;

(ख) इन सर्वेक्षणों के क्या निष्कर्ष निकले हैं; और

(ग) देश के किन-किन क्षेत्रों के भूतत्वीय तथा भूभौतिकी सर्वेक्षण अभी तक नहीं किये गये हैं तथा इसके क्या कारण हैं ?

पैट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० रघुरामैया) (क) तेल और प्राकृतिक गैस आयोग ने गुजरात, राजस्थान, जम्मू और काश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पश्चिमी बंगाल, असम नागालैन्ड, उड़ीसा, आन्ध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश और मद्रास के अवसादी क्षेत्रों में भूतत्वीय तथा भूभौतिकी सर्वेक्षण किये हैं ।

(ख) इन सर्वेक्षण ने अलग-अलग क्षेत्रों में विद्यमान स्तरण तथा संरचनात्मक परिस्थितयों का अध्ययन करने में सहायता दी। इन सर्वेक्षणों ने कई संरचनाओं की, जिसकी विद्यमानता के चिन्ह पहले ही प्राप्त हो गये होते, पुष्टि और कई नई संरचनाओं की मालूमात में भी सहायता की।

(ग) जिन क्षेत्रों में स्फटकीय आधार चट्टानों या मैटोमारफोस्ड (Metomorphased) अवसादीय चट्टानों या ज्वालामुखी चट्टानें पाई गई है; वहां पर सर्वेक्षण नहीं किया गया है क्योंकि ऐसे क्षेत्रों में कोई तेल/गैस की सम्भावना नहीं है। ऐसे क्षेत्र मुख्यत: मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मैसूर और उत्तर प्रदेश के भागों, बिहार, असम, पश्चिमी बंगाल, उड़ीसा, आन्ध्र प्रदेश, मद्रास, केरल, राजस्थान और गुजरात में हैं।

असम और नागालैण्ड के अवसादीय क्षेत्रों के भागों में, जहां परिस्थितियां अनुकूल नहीं हैं, और अण्डेमान निकोबार के भागों में पहुंचने में कठिनाई के कारण, सर्वेक्षण नहीं किये गये हैं।

दरभंगा मेडिकल कालेज का दर्जा बढ़ाना

3740. **श्री भोगेन्द्र झा :**

क्या **स्वास्थ्य, परिवार नियोजन तथा नगरीय विकास** मन्त्री 29 जुलाई, 1968 के अतारांकित प्रश्न संख्या 1451 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दरभंगा मेडिकल कालेज अस्पताल के शल्य-चिकित्सा विभाग का दर्जा बढ़ाने के लिए इस बीच बिहार सरकार से अब कोई प्रस्ताव मिला है;

(ख) यदि हां, तो उस पर क्या निर्णय किया गया है; और

(ग) यदि नहीं, तो क्या राज्य सरकार के स्वास्थ्य विभाग से इस बारे में पूछताछ की गई है कि यह प्रस्ताव इस समय किस अवस्था में है ?

स्वास्थ्य, परिवार नियोजन तथा नगरीय विकास मंत्रालय में उप-मन्त्री (श्री ब० सू० मूर्ति) : (क) जी हां, अभी हाल ही में मिला है।

(ख) और (ग): यह प्रस्ताव विचाराधीन है।

उड़ीसा के लिये चौथी योजना में सिंचाई योजनाएं

3741. **श्री चिन्तामणि पाणिग्रही** : क्या **सिंचाई और विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करगे कि :

(क) क्या उड़ीसा सरकार ने अपनी चौथी योजना में कितनी सिंचाई योजनाएं जिनके लिये धन की मांग की है, सम्मिलित की है;

(ख) क्या मनिभद्रा बांध योजना को जिस पर लाखों रुपये पहले खर्च किये जा चुके हैं, इसमें सम्मिलित किया गया है; और

(ग) बानपुर, रनपुर, दासपल्ला तथा खण्डपाडे क्षेत्रों की ऐसी कौन-कौन सी योजनाएं हैं जिनके लिये उड़ीसा सरकार ने सिफारिस की है ?

सिंचाई और विद्युत मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) उड़ीसा सरकार

ने अपनी चौथी योजना में पांच वृहत् और 17 मध्यम सिंचाई स्कीमों को सम्मिलित करने का प्रस्ताव रखा है और 3724.95 लाख रुपये की कुल लागत का प्रस्ताव किया है। उड़ीसा सरकार की चौथी पंचवर्षीय योजना को अभी अन्तिम रूप नहीं दिया गया है।

(ख) जी, नहीं। मणिभद्र बराज स्कीम को चौथी योजना में सम्मिलित करने का प्रस्ताव नहीं है।

(ग) बानपुर क्षेत्र में सालिया सिंचाई परियोजना और खण्डपाडे क्षेत्र में डहुका सिंचाई परियोजना को चौथी योजना में सम्मिलित करने का प्रस्ताव किया गया है।

Research and Development Division, Sindri

3742. **Shri Maharaj Singh Bharati :** Will the Minister of **Petroleum and Chemicals** be pleased to state :

(a) whether any know-how has been purchased from abroad to help the Research and Development Division, Sindri during the last 6 years ;

(b) if not, whether the achievements made by the aforesaid centre are 100 per cent contribution of Indian experts ;

(c) whether it is a fact that private chemical factories do not want to avail of the services of the Research Centre of the public sector and ask for foreign collaboration in every matter ; and

(d) if so, the action being taken by Government in this regard ?

The Minister of State in the Ministry of Petroleum and Chemicals (Shri K. Raghuramaiah) : (a) Yes, Sir. The Planning and Development Division of Fertilizer Corporation of India have purchased the know-how for the following :

(1) Urea Synthesis.

(2) Ammonia Synthesis.

(3) Roasting of pyrites for sulphuric acid manufacture.

(b) Does not arise.

(c) A number of public and private sector companies have drawn on the expertise developed by the P and D Division of Fertiliser Corporation of India.

(d) Does not arise.

Independent Research in Working of Chemical Factories

3743. **Shri Maharaj Singh Bharati** : Will the Minister of **Petroleum and Chemicals** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that in view of the developing market in India, some foreign private firms are putting hurdles in our independent research and in working of Chemical factories in public sector ; and

(b) if so, the steps being taken by Government in this regard ?

The Minister of State in the Ministry of Petroleum and Chemicals (Shri K. Raghuramaiah) : (a) No, Sir ; no intimation or complaint has come to notice.

(b) Does not arise.

Sindri Fertilizer Plant

3744. **Shri Mahraj Singh Bharati :** Will the Minister of **Petroleum and Chemicals** be pleased to state :

(a) the increase in the number of workers, technicians and non-technicians separately in the Sindri Fertilizer Plant during the last 10 years ; and

(b) the extent of increase in production capacity and actual production at the said plant during the above period ?

The Minister of State in the Ministry of Petroleum and Chemicals (Shri K. Raghuramaiah) : (a) A statement showing the increase/decrease in the number of workers & non-workers as also the total strength of employees in the Sindri Fertilizer Plant during the last 10 years is laid on the Table.

(Placed in Library. See No. LT-2595-68)

(b) The original installed capacity of Sindri in terms of Nitrogen was 74,550 tonnes. With the completion of the expansion project in 1959, the Nitrogen Capacity was raised to 1,17,000 tonnes.

The actual production in terms of Nitrogen during the last 10 years was as under :--

	Tonnes
1958-59	71,884
1959-60	70,672
1960-61	80,142
1961-62	83,186
1962-63	97,198
1963-64	89,243
1964-65	90,786
1965-66	97,912
1966-67	95,450
1967-68	79,435

Sale of Fertilizers by Public Sector Fertilizer Factories

3745. **Shri Maharaj Singh Bharati** : Will the Minister of **Petroleum and Chemicals** be pleased to state :

(a) the arrangements made in public sector fertilizer factories to dispose of their produce when private sector chemical fertilizer factories have been permitted to sell 50 per cent of their produce in open market after the 1st October, 1967 ;

(b) whether it is a fact that the factories in public sector are not getting as much price as those in the private sector ; and

(c) if so, the action being taken by Government in this regard ?

The Minister of State in the Ministry of Petroleum and Chemicals (Shri K. Raghuramaiah) : (a) Public Sector Fertilizer Factories were also free, with effect from Ist October, 1967, to sell 50% of their fertilizers in the open market. This limit was raised to 100% with effect from Ist October, 1968, with an option to the Government to buy 30% of the total production at a negotiated price.

(b) No, Sir.

(c) Does not arise.

Payment of Interest for Foreign Debts

3746. **Shri Hukam Chand Kachwai** : Will the Minister of **Finance** be pleased to state the amount of interest paid and the amount of goods in lieu of interest supplied to foreign countries by Government during the years 1965-66 and 1966-67 as repayment of foreign debts ?

The Deputy Prime Minister and Minister of Finance (Shri Morarji Desai) : Interest paid by the Government of India during 1965-66 and 1966-67 on the loans received by them from abroad is as follows :

	(Rs. Crores)	
	1965-66	1966-67
(i) Loans repayable in Foreign Currency	52.77	79.24
(ii) Loans repayable through export of goods	6.22	9.83
(iii) Loans repayable in Rupees (including PL 480 rupee loans)	25.85	35.30
Total :	84.84	124.37

Note : The figures given above represent the payments actually made at the rates of exchange prevalent from time to time.

While the payments in respect of (i) are made directly in foreign currency and in uespect of (iii) in rupees, the payments in respect of (ii) are effected in rupees which are rtilised by the countries concerned to finance their purchase of goods from India in accordance with the provisions of the relevant trade plans. The amounts under category (ii) above, therefore, represent the value upto which goods can be purchased from India with the interest paid by India.

Strike by Central Government Employees

3747. **Shri Hukam Chand Kachwai** : Will the Minister of **Petroleum and Chemicals** be pleased to state :

(a) the number of employees of his Ministry who were on strike on 19.9.68 in response to a call given by the Confederation of Central Government employees for observing one-day token strike on the aforesaid date ; and

(b) the number of employees who have been suspended and of those in whose case break in service has been affected for their participation in the strike ?

The Minister of State in the Ministry of Petroleum and Chemicals (Shri K. Raghuramaiah) : (a) Seven, excluding one arrested on the eve of the strike.

(b) One supended (due to arrest on the eve of the strike) and seven given a break in service for participation in the strike.

M/s Dodsal (P) Ltd.

3748. **Shri Hukam Chand Kachwai** : Will the Minister of **Finance** be pleased to state :

(a) the amount of foreign exchange sanctioned to M/s Dodsal (P) Ltd. Bombay by Government during the period from 1961 to July, 1968 ;

(b) whether Government propose to enquire into the purposes for which this foreign exchange was utilised ; and

(c) the conditions and the circumstances under which the said foreign exchange was sanctioned ?

The Deputy Prime Minister and Minister of Finance (Shri Morarji Desai): (a) and (c) : During this period, M/s. Dodsal (P) Ltd. were released foreign exchange equivalent of Rs. 1,17,588/- for the purposes mentioned below :

i. Rs. 28,600	For visits for promotion of export business.
ii. Rs. 30,462	For visits for consultation with foreign collaborators in respect of projects undertaken in India.
iii. Rs. 56,276	For visits for consultation in respect of specific tenders and contracts abroad offered/undertaken by the firm.
iv. Rs 2,250	For visits for purchase of spare parts and equipments.

Apart from the above, M/s Dodsal (P) Ltd. may have received import licence for effecting physical imports into India. A list of such licences is not available and the work and time involved in compilation thereof would not be commensurated with the result to be achieved. However details of all such licences issued are published in the Weekly Bulletin of Industrial Licences-Import Licences and Export Licences-that are issued from time to time. Copies of this Bulletin would be available in the Parliament Library.

(d) Since these releases were made for specific purposes, no fresh enquiry is contemplated.

Gold Seizure from Bombay Central

3749. **Shri Hukam Chand Kachwai** : Will the Minister of **Finance** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that 4,000 tolas of gold bearing foreign markings had been seized from a car by the Officers of the Central Customs Department in Bombay Central in the first fortnight of September, 1968 ;

(b) if so, the value of the said gold and the number of persons arrested in this regard ; and

(c) the action taken against them ?

The Deputy Prime Minister and Minister of Finance (Shri Morarji Desai) : (a) to (c) : Central Excise Officers in Bombay were on the look out for a suspected car on 13th September, 1968 and located it near a cinema house in Bombay Central. As the car was left unattended and found locked, it was got opened in the presence of witnesses. On examination the car was found to contain 400 slabs of gold weighting 10 tolas each and bearing foreign markings. The 4,000 tolas gold valued at about Rs. 3.94 lakhs at the international rate and car valued at about Rs. 16,000/- were seized. No arrest has so far been made. The case is still under investigation.

Scheme to Raise Level of Water of Kalagarh Canal, U.P.

3750. **Shri Prakash Vir Shastri** : **Shri Shiv Kumar Shastri** :

Will the Miniter of **Irrigation and Power** be pleased to state :

(a) whether Government propose to raise the level of water of the canal being

constructed from Kalagarh channelling through Bijnaur and Moradabad with a view to provide irrigation facilities to those areas ;

(b) if so, whether any outlines thereof have been chalked out ; and

(c) when the scheme would be finalised ?

The Deputy Minister in the Ministry of Irrigation and Power (Shri Sidheshwar Prasad): (a) No, Sir.

(b) and (c) : Do not arise.

Shareholders of M/s Oriental Timber Trading Corporation

3751. **Shri Onkar Singh : Shri Sharda Nand :**

Will the Minister of **Finance** be pleased to refer to the reply given to Unstarred Question No. 3699 on the 12th August, 1968 and state :

(a) whether the information regarding the names of other companies and firms in which Shrimati Kusum Devi holds shares besides of Messrs Oriental Timber Trading Corporation has since been collected ;

(b) if so, the details thereof ; and

(c) if not, the reasons therefor ?

The Deputy Prime Minister and Minister of Finance (Shri Morarji Desai): (a) Yes, Sir.

(b) Smt. Kusum Devi is not a partner in any firm. She holds shares in the following three companies :

1. Ashok Leyland Co. Ltd., Madras.
2. Oudh Sugar Mills Ltd., Bombay.
3. Good Year India Ltd., Calcutta.

All the three companies are well-known public limited companies and neither Smt. Kusum Devi nor all the members of her family taken together, have any significant shareholdings therein. The information about the income-tax assessed and paid by them has not therefore, been furnished.

(c) Does not arise.

Shareholders of M/s Oriental Timber Trading Corporation

3752. **Shri Sharda Nand : Shri Onkar Singh :**

Will the Minister of **Finance** be pleased to refer to the reply given to Unstarred Question No. 3700 on the 12th August, 1968 and state :

(a) whether the information in regard to the names of the other firms and companies in which Shri Babulal Jhunjhunwala and other shareholders of M/s Oriental Timber Trading Corporation are holding shares has since been collected ;

(b) if so, the details thereof ; and

(c) if not, the reasons therefor ?

The Deputy Prime Minister and Minister of Finance (Shri Morarji Desai): (a) Yes, Sir.

(b) A statement in respect of Shri Babu Lal Jhunjhunwala is annexed. Information in respect of all shareholders of M/s Oriental Timber Trading Corporation has been given

in reply to Question No. 2858 answered in Lok Sabha on 2-12-1968. Its copy is laid on the Table. **(Placed in Library. See No. LT-2596/68).**

(c) Does not arise.

Shareholder of M/s Oriental Timber Trading Corporation

3753. **Shri Sharda Nand : Shri Onkar Singh :**

Will the Minister of **Finance** be pleased to refer to the reply given to Unstarred Question No. 3703 on the 12th August, 1968 regarding shareholder of M/s Oriental Timber Trading Corporation and state :

(a) whether the information asked for therein has since been completed ;

(b) if so, the details thereof; and

(c) if not, the reasons therefor ?

The Deputy Prime Minister and Minister of Finance (Shri Morarji Desai): (a) Yes, Sir.

(b) A statement is laid on the Table.

[Placed in Library. See No. LT-2597/68]

(c) Does not arise.

Shareholder of M/s Oriental Timber Trading Corporation

3754. **Shri Onkar Singh : Shri Sharda Nand :**

Will the Minister of **Finance** be pleased to refer to the reply given to Unstarred Question No. 4190 on the 19th August, 1968 regarding M/s Oriental Timber Trading Corporation and state :

(a) whether the information asked for therein has since been collected ;

(b) if so, the details thereof ; and

(c) if not, the reasons therefor ?

The Deputy Prime Minister and Minister of Finance (Shri Morarji Desai): (a) Yes, Sir.

(b) Shri Banwarilal (H.U.F.) is not a partner in any firm.

The H.U.F. holds shares in the following companies :

1. Bharat Commerce and Industry Ltd., Calcutta.
2. The Tata Oil Mills Co., Ltd., Bombay.
3. The Bombay Burmah Trading Corporation Ltd., Bombay.
4. Oudh Sugar Mills Ltd., Bombay.
5. Morarjee Gokuldas Spg. and Wvg. Co. Ltd., Bombay.
6. The Kohinoor Mills Co. Ltd., Bombay.
7. Phoenix Mills Ltd., Bombay.

Shri Banwarilal (H.U.F.) and the members of his family taken together do not hold controlling interest in any of the above mentioned companies.

(c) Does not arise.

Shareholder of M/s Oriental Timber Trading Corporation

3755. **Shri Onkar Singh : Shri Shardha Nand :**

Will the Minister of **Finance** be pleased to refer to the reply given to Unstarred Question No. 4191 on the 19th August, 1968, regarding Share-holder of M/s Oriental Timber Trading Coporation and state :

(a) whether the information asked for therein has since been collected :

(b) if so, the details thereof ; and

(c) if not, the reasons therefor ?

The Deputy Prime Minister and Minister of Finance (Shi Morarji Desai) : (a) Yes, Sir.

(b) A statement is laid on the Table.

(Placed in Library. See LT. No. 2598/68)

(c) Does not arise.

Shareholder of M/s Oriental Timber Trading Corporation

3756. **Shri Onkar Singh : Shri Sharda Nand :**

Will the Minister of **Finance** be pleased to refer to the reply given to Unstarred Question No. 4192 on the 19th August, 1968 and state :

(a) whether the information regarding the shareholder of M/s Oriental Timber Trading Corporation has since been collected ;

(b) if so, the details thereof ;

(c) if not, the reasons therefor ; and

(d) when it would be laid on the Table ?

The Deputy Prime Minister and Minister of Finance (Shri Morarji Desai) : (a) Yes, Sir.

(b) Shri Bhagwati Prasad Jhunjhunwala does not hold shares in any other company. He is however, a partner in the following two firms :

1. M/s Sriram Ramniranjan.
2. M/s Jhunjhunwala Bros.

No assessments of these two firms were made during the financial year 1967-68. Only advance tax of Rs. 3,'60 was paid by these two firms during the financial year 1967-68.

(c) and (d, : Do not arise.

फर्टिलाइजर्ज एण्ड कैमिकल्स ट्रावनकोर लिमिटेड में नियुक्तियों के नियम

3757. **श्री पी० विश्वम्भरन :**

क्या पैट्रोलियम और रसायन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) फर्टिलाइजर्ज एण्ड कैमिकल्स (ट्रावनकोर) लिमिटेड में नियुक्ति के नियम क्या हैं;

(ख) फर्टिलाइजर्ज एण्ड कैमिकल्स ट्रावनकोर लिमिटेड में वर्ष 1963 से अब तक नियुक्त किये गये उन अधिकारियों के नामों की सूची क्या है, जिन्हें वेतन तथा भत्तों के रूप में प्रति मास 1000 रुपये से अधिक मिलते हैं;

(ग) गत पांच वर्षों में फर्टिलाइजर्ज एण्ड कैमिकल्स ट्रावनकोर लिमिटेड में नियुक्त हुये उन अधिकारियों की सूची क्या है जिन्हें केन्द्रीय सरकार, केरल सरकार, मद्रास सरकार तथा जल तथा विद्युत् आयोग और रेलवे जैसे सरकारी संगठनों से सेवा निवृत होने के बाद नियुक्त किया गया है; और

(घ) फर्टिलाइजर्ज एण्ड कैमिकल्स ट्रावनकोर में नियुक्त किये गये ऐसे अधिकारियों की सूची क्या है, जिन्हें उस समय नियुक्त किया गया था, जब उन्हें एक वर्ष के अन्दर ही सरकारी सेवा से निवृत हो जाना था ?

पैट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० रघुरामैया) : (क) सारे अप्रबन्धकीय पदों के लिये फर्टिलाइजर्ज एण्ड कैमिकल्स ट्रावनकोर के प्रबन्धकों तथा फर्टिलाइजर्ज एण्ड कैमिकल्स ट्रावनकोर के कर्मचारियों की संख्या के बीच एक करार है। करार में भर्ती के नियम, न्यूनतम योग्यताएं आदि निहित हैं।

प्रबन्ध निदेशक द्वारा नियुक्त समितियां प्रबन्धकीय पदों के लिए जिनका वेतन मान प्रति मास, 1,250 रुपये से अधिक न हो, चयन करती है। निदेशकों के बोर्ड की एक समिति उच्चतर पदों का चयन करती है। 2,550 रुपये प्रतिमास वेतन वाले पद और इससे अधिक वेतन वाले पदों के लिये नियुक्तियों के मामले सरकार को भेजे जाते हैं।

उपर्युक्त के अतिरिक्त, वार्षिक प्रतियोगिता परीक्षा के आधार पर, कार्यकारी सवर्ग पदों की भर्ती के लिए, कम्पनी की एक योजना है।

इसी प्रकार कम्पनी अपनी इन्जीनियरिंग स्नातक प्रशिक्षु योजना के अन्तर्गत प्रत्येक वर्ष कुछ इन्जीनियरिंग स्नातकों की भर्ती करती है।

(ख) से (घ): अपेक्षित जानकारी सभा पटल पर रखी गई सूचियों में दी गई है। [पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 2599/68]

Industrial Finance Corporation

3758. **Shri Raghuvir Singh Shastri** : Will the Minister of **Finance** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the Industrial Finance Corporation is not functioning properly and the amount to be repaid by the firms which have taken loans is increasing every year ;

(b) the amount of arrears and the date since this amount is in arrears ;

(c) whether it is a fact that the Corporation has given loans only to industries of developed States while the backward States have been neglected ;

(d) if so, the reasons therefor ; and

(e) the measures proposed to be taken by Government to improve the working of the Corporation ?

The Deputy Prime Minister and Minister of Finance (Shri Morarji Desai) : (a) and (b) : The Industrial Finance Corporation is functioning properly. The working of the Corporation for the year ended 30-6-1968 resulted in a gross profit (i.e., profit before taxation) of Rs. 3.56 crores against Rs. 3.45 crores for the year ended 30-6-67. The reserves of the Corporation as on 30-6-68 stood at Rs. 9.45 crores against the corresponding figure of

Rs. 7.98 crores as on 30-6-67. This is the first year in which the reserves of the Corporation has exceeded the paid-up capital of Rs. 8.35 crores of the Corporation.

However, on account of several factors of a general nature such as the recession in certain industries (particularly engineering industries) unfavourable trading conditsons in the textile industry and drought conditions in the sugar industry, affecting the industries outside the control of the Corporation, the number of industrial concerns in default has increased from 36 at the end of 30-6-67 to 48 as at the end of 30.6.68.

The arrears are overdue from different dates in various cases. However, in most of the cases the defaults have arisen during the last lwo to three years.

The figures of overdue instalment of principal of the year ended 30-6-68 of Rs. 1.49 crores are out of the amount of outstanding loans and advances of Rs. 139.68 crores, working out to a percentage of 1.07%, against the amount of overdue instalment of principal of Rs. 0.8 crores out of the total outstanding loans and advances of Rs. 124.55 crores, for the year ended 30-6-67, working out to a percentage of 0.64%.

Similarly, the figures of interest overdue as on 30-6-68 is Rs. 2.03 crores against the total interest due on that date of Rs. 10.57 crores working out to about 19% against the corresponding figures of Rs. 1.17 crores out of the total interest due of Rs. 8.63 crores as on 30-6-67 working out to a percentage of about 13%.

(c) and (d) The projects financed by the Corporation are distributed all over the country and the Corporation has been able to secure a good amount of diversification of its activities on a regional basis. Consistent with its Charter that the Corporation should discharge its functions on business principles, due regard being had by it to the interests of industry, commerce and the general public, the Corporation has constantly been keeping in view the fact that industrialisation of less developed States or areas is to receive special consideration. Financial institutions can assist industries in backward States only to the extent that they receive proposals from entreprenours for investment in those States. Such proposals are relatively smaller in number as compared to proposals for investments in the more developed States. Nevertheless, of the total net financial assistance of Rs. 305.05 crores sanctioned by the Corporation upto 30-6-68 for 443 industrial projects, the aggregate amount of assistance sanctioned in respect of projects in the relatively less developed States of Andhra Pradesh, Assam, Bihar, Kerala, Orissa, Uttar Pradesh, Madhya Pradesh and Rajasthan amounted to Rs. 112.05 crores to 143 projects, working out to 36.7% of the total assistance sanctioned by the Corporation.

(e) In view of the reply given to Parts (a), (b), (c) and (d), Government are of the view that on the whole the working of the Corporation is satisfactory. However, such measures as are necessary from time to time to improve the working of the Corporation further, will always be taken.

पश्चिमी बंगाल में कांगसालाटी परियोजना के लिए केन्द्रीय सहायता

3759. **श्री विश्वनाथ पाण्डेय** : क्या सिंचाई और विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि हाल में कांगसालाटी परियोजना पर खर्च करने के लिये सरकार ने पश्चिम बंगाल सरकार को वित्तीय सहायता देना मन्जूर किया है; और

(ख) यदि हां; तो कुल कितनी.....राशि मन्जूर की गई है ?

सिंचाई और विद्युत मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद): (क) कंसवती परियोजना के लिये 1967-68 से निर्धारित केन्द्रीय सहायता दी जा रही है ।

(ख) 341.00 लाख रुपये ।

Foreign Exchange Position

3760. **Shri Prakash Vir Shastri :** **Shri Shiv Kumar Shastri :**
Shri Ram Avtar Sharma :

Will the Minister of **Finance** be pleased to state :

(a) whether the foreign exchange position of the country has further improved ;

(b) whether some scheme for future has also been formulated in this regard ; and

(c) if so, the broad details thereof ?

The Deputy Prime Minister and Minister of Finance (Shri Morarji Desai): (a) Compared with the decline in foreign exchange reserves of 60 million dollors in April-November, 1967, there has been an improvement of about 24 million dollors in the same period this year. On the basis of the available trade data, our exports in April-September, 1968 have been 17.12% higher than in the corresponding period of 1967-68. Imports on the other hand were lower by about 6% during the same period.

(b) and (c) The Government is keeping a close watch on the foreign exchange situation. Measures have been taken from time to time to promote exports and to encourage import substitution with a view to improving the foreign exchange position.

Allopathic and Ayurvedic Hospitals in India

3761. **Shri Om Prakash Tyagi :** Will the Minister of **Health, Family Planning and Urban Development** be pleased to state :

(a) the present number of Allopathic and Ayurvedic Hospitals in the country separately ;

(b) whether it is a fact that Government are attaching more importance to and giving more assistance for Allopathic treatment as compared to Ayurvedic treatment ; and

(c) if so, the reasons therefor ?

The Deputy Minister for Health, Family Planning and Urban Development (Shri B. S. Murthy) : (a) At the end of the Third Plan period there were 14,600 hospitals and dispensaries. Separate figures for Allopathic and Ayurvedic hospitals are not readily available.

(b) and (c): Health is State subject. It is a fact that more persons seek Allopathic treatment, especially in urban areas, and there is a preponderance of allopathic hospitals and dispensaries. However, some State Governments are also providing increasing facilities for ayurvedic treatment.

इंजीनियरिंग उद्योग के बारे में सलाहकार समिति के निर्णय

3762. **श्री हिम्मतसिंहका :** **श्री सु० कु० तापड़िया :**

क्या निर्माण, आवास तथा पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इंजीनियरिंग उद्योग के बारे में पुनर्गठित सलाहकार समिति ने सितम्बर, 1968 के तीसरे सप्ताह में हुई अपनी प्रथम बैठक में विकास और ऐसी परिवर्तित वस्तुओं, जिनके आयात पर भारत को निर्भर करना होता है, के उत्पादन को ध्यान में रखते हुए, उत्पादन में परिवर्तन करने के प्रश्न पर चर्चा की थी;

(ख) यदि हां, तो इस बारे में उस बैठक में क्या निर्णय लिये गये; और

(ग) वे प्रमुख वस्तुएं कौन-कौन सी हैं जिनके लिये भारत को पूर्णतया आयात पर निर्भर रहना पड़ता है ?

निर्माण, आवास तथा पूर्ति मंत्रालय में उपमंत्री (श्री इकबाल सिंह) : (क) और (ख): आयात-प्रतिस्थापना द्वारा स्वदेशी क्षमता का यथासम्भव अधिकतम उपयोग करने के प्रश्न पर सामान्य रूप से विचार किया गया था और इंजीनियरिंग उद्योग के प्रतिनिधियों से यह अनुरोध किया गया था कि वे उत्पादन के कार्य को उन क्षेत्रों में परिवर्तित करें, जहां स्वदेशी क्षमता अपर्याप्त है।

(ग) एक विवरण सभा-पटल पर रखा गया है जिसमें तकनीकी विकास महानिदेशालय द्वारा सूचित ऐसी प्रमुख प्रतिनिधि मदें दिखाई गई हैं जिनके लिए भारत को मुख्य रूप से आयात पर निर्भर करना पड़ता है। [पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल. टी. 2600/68]

कलकत्ता के लिये विकास कार्यक्रम

3763. **श्री सु० कु० तापड़िया** : क्या **स्वास्थ्य, परिवार नियोजन तथा नगरीय विकास** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सितम्बर, 1968 में अपनी कलकत्ता यात्रा के दौरान प्रधान मन्त्री ने कलकत्ता के विकास कार्यक्रमों के बारे में राज्यपाल तथा अधिकारियों के साथ विचार विमर्श किया था ; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है तथा उस पर क्या कार्यवाही की गई है ?

स्वास्थ्य, परिवार नियोजन तथा नगरीय विकास मंत्रालय में उप-मन्त्री (श्री ब० सू० मूर्ति) : (क) और (ख) : पश्चिम बंगाल के राज्यपाल प्रधान मन्त्री से 2 सितम्बर, 1968 को दिल्ली में मिले थे। इस मीटिंग में यह निर्णय किया गया कि भारत सरकार कलकत्ता महानगर क्षेत्र की विशिष्ट विकास योजनाओं जिन्हें राज्य सरकार के परामर्श से तय किया जायेगा, के लिए 2.3 करोड़ रुपये की एक अतिरिक्त धन राशी देगी। प्रधान मन्त्री को सितम्बर में अपने कलकत्ता के दौरे के समय राज्यपाल तथा पश्चिम बंगाल की सरकार के अधिकारियों के साथ कलकत्ता के विकास कार्यक्रमों के बारे में विचार-विमर्श करने का फिर अवसर नहीं मिला।

Extension of Chawliwali Canal in Agra

3764. **Shri Shiv Charan Lal** : Will the Minister of **Irrigation and Power** be pleased to state :

(a) whether the extensions of Chawliwali minor canal for three miles further from Senpan tributary upto Budiaka-Tal in District Arga of Uttar Pradesh was recommended sometime back ;

(b) if so, the action taken by Government in this regard ;

(c) whether it is a fact that the former Irrigation Minister of Uttar Pradesh had assured in 1964-65 to get the aforesaid work completed ; and

(d) if so, whether necessary arrangements for the further extention of the aforesaid minor canal have been made keeping in view the public interest and if not, the reasons therefor ?

The Dy. Minister in the Ministry of Irrigation and Power (Shri Siddheshwar Prasad) : **(a) to (d)** : The extension of Chawliwali minor by about 1 mile and 6

furlongs provided in the Ramganga Project will be taken in hand by the Government of Uttar Pradesh as soon as land for its construction is available. The State Government is taking action for the acquistion of land.

विदेशों में भेजी गई धनराशियां

3765. **श्री ज्योर्तिमय बसु :**

क्या **वित्त** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1948–49 से 1967–68 तक की अवधि में प्रति वर्ष भारत से (एक) मुनाफा (दो) स्वामित्व (तीन) फीस (चार) कमीशन और (पाँच) ब्याज के रूप में कितनी-कितनी धनराशि विदेशों को भेजी गई ; **और**

(ख) वर्ष 1948–49 से 1967–68 तक प्रतिवर्ष भेजी गई कुल राशि में गैर–सरकारी क्षेत्र के समवायों का अंश कितना था ?

उप-प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) और (ख) : विभिन्न शीर्षकों के अन्तर्गत 1956–57 से विदेशों को भेजे गये धन का एक विवरण सभा-पटल पर रख दिया गया है । 1956–57 से पहले की ऐसी सूचना उपलब्ध नहीं है । [पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल. टी. 2601/68]

रायल्टी, तकनीशनों की फीस और अन्य व्यावसायिक फीस, तकनीकी जानकारी और प्रबन्ध सम्बन्धी फीस तथा कार्यालय के व्यय आदि की जो रकमें भेजी गयी हैं, वे सरकारी और गैर–सरकारी दोनों क्षेत्रों के सम्बन्ध में हैं। जब विदेशी सहयोग सम्बन्धी रिपोर्ट अन्तिम रूप से तैयार हो जायेगी, तभी गैर–सरकारी क्षेत्र की कम्पनियों द्वारा भेजी गयी रकमों के आंकड़ों और उनकी मदों का पता चल सकेगा । इन में 1960–61 से 1963–64 तक के वास्तविक आंकड़े और 1964–65 से 1966–67 तक के अनुमान दिये जायेंगे ।

पैट्रोलियम उत्पादकों की मांग

3766. **श्री ज्योर्तिमय बसु :**

क्या **पैट्रोलियम और रसायन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत में प्रत्येक पैट्रोलियम उत्पाद की अनुमानित मांग इस समय कितनी-कितनी है ;

(ख) सरकारी और गैर–सरकारी क्षेत्र को तेल शोधनशालाओं की वतमान अधिकाधिक क्षमता अलग-अलग कितनी है ;

(ग) वर्ष 1967–68 में विदेशों से कुल कितने मूल्य के पैट्रोलियम उत्पादों का आयात किया गया ;

(घ) चौथी पंचवर्षीय योजना की अवधि की समाप्ति पर पैट्रोलियम उत्पादों की अनुमानित मांग कितनी होगी ; और

(ङ) चौथी पंचवर्षीय योजना अवधि की समाप्ति पर सरकारी और गैर–सरकारी क्षेत्र की तेल शोधनशालाओं की अलग-अलग अधिष्ठापित क्षमता कितनी होगी ?

पैट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० रघुरामैया : (क) 1968 के दौरान पैट्रोलियम उत्पादों की कुल मांग 15.4 मिलियन मीटरी टन होने की आशा है ।

(ख) सरकारी और गैर-सरकारी क्षेत्र के शोधक कारखानों की क्षमताएं क्रमशः 9.10 और 8.30 मीटरी टन हैं।

(ग) 1967-68 के दौरान पैट्रोलियम उत्पादों के आयात का कुल मूल्य लगभग 38.55 करोड़ रुपये था।

(घ) 1974 के दौरान पैट्रोलियम उत्पादों की कुल मांग का अनुमान 29.6 मिलियन मीटरी टन है।

(ङ) इसका निर्धारण क्षेत्रीय आवश्यकताओं, बिना भारी लागत के यदि किन्हीं क्षमताओं में वृद्धि हो सके और स्थानीय संसाधनों से कच्चे तेल की उपलब्धता को ध्यान में रख कर किया जाना है।

गावों में बिजली लगाने का कार्यक्रम

3767. **श्री हिम्मतसिंहका :** **श्री सु० कु० तापड़िया :**

क्या **सिंचाई और विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चौथी पंचवर्षीय योजना में गांवों में बिजली लगाने के कार्यक्रम के लिये कुल कितना धन नियत करने का प्रस्ताव है ;

(ख) इस राशि का राज्यवार तथा संघ राज्य क्षेत्र वार प्रस्तावित ब्यौरा क्या है ; और

(ग) क्या प्रत्येक राज्य तथा संघ राज्य क्षेत्र में बिना बिजली वाले गांवों की प्रतिशतता के अनुपात के अनुसार राज्यवार नियतन करने का विचार है ?

सिंचाई और विद्युत मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) से (ग): ग्राम विद्युतीकरण सम्बन्धी संसद सदस्यों की समिति ने चौथी योजना में होने वाले सारे व्यय के सम्बन्ध में दिये गये अपने अंतरिम सुझावों में यह कहा है कि चौथी योजना के दौरान 12.5 लाख पम्पों को ड्रिलिंग करने के लिए इस अवधि में 632 करोड़ रुपये का प्रबन्ध करना चाहिए और 2 अक्टूबर, 1970 तक अर्थात् गांधी जी की जन्म शताब्दी तक एक लाख ग्रामों को बिजली दी जानी चाहिए। समिति ने एक और सुझाव यह दिया है कि असम, बिहार, मध्यप्रदेश, उड़ीसा, नागालैंड, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, जम्मू व काश्मीर और पश्चिम बंगाल के राज्यों को, जहां ग्राम विद्युतीकरण की प्रगति अखिल भारतीय औसत से कम है, विशेष सहायता दी जानी चाहिए, ताकि इन नौ राज्यों में ग्राम विद्युतीकरण के त्वरित कार्य-क्रमों को हाथ में लिया जा सके। चौथी योजना के दौरान ग्राम विद्युतीकरण सम्बंधी कार्य-क्रमों के लिए प्रत्येक राज्य और संघीय प्रदेशों के परिव्ययों को चौथी योजना के साथ तैयार किया जा रहा है। चौथी योजना के दौरान ग्राम विद्युतीकरण के लिए अपेक्षित व्ययों से सम्बन्धित संसद सदस्यों की ग्राम विद्युतीकरण समिति के अन्तरिम सुझावों पर विचार हो रहा है।

बिहार और उत्तर बंगाल के बाढ़ पीड़ित परिवारों की सहायता

3768. **श्री हिम्मतसिंहका :** **श्री सु० कु० तापड़िया :**

क्या **वित्त मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बिहार और उत्तर बंगाल में अक्टूबर, 1968 में बाढ़ से हुए विनाश के कारण बेघरबार और बेरोजगार हुए व्यक्तियों को पुनः बसाने के लिये कोई योजना तैयार की गई है ;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है : और

(ग) पुनर्वास योजना को क्रियान्वित करने के लिये केन्द्र द्वारा क्या सहायता दी गई है ?

उप-प्रधान मन्त्री तथा वित्त मन्त्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) **और (ख)** : बिहार और पश्चिम बंगाल की सरकारों ने सूचित किया है कि जो लोग अक्टूबर, 1968 की बाढ़ के करणा बेघर हो गये थे, उन्हें मकान बनाने के लिए ऋण और अनुदान दिये जा रहे हैं। इसके अलाबा बाढ़ ग्रस्त क्षेत्रों में सहायता-कार्य भी शुरू किये जा चुके हैं, ताकि लोगों को लाभप्रद रोजगार दिया जा सके। बाढ़ ग्रस्त लोगों को फिर से बसाने के लिए मदद देने के उद्देश्य से अन्य विभिन्न प्रकार के ऋणों और अनुदानों के रूप में भी सहायता दी जा रही है।

(ग) दैवी विपत्तियों से सम्बद्ध सहायता कार्यों के लिए राज्य सरकारों को जो केन्द्रीय सहायता दी जाती है वह अलग अलग कामों के लिए नहीं दी जाती। अक्टूबर, 1968 की बाढ़ के बाद शुरू किये गये सहायता तथा पुनर्वास सम्बन्धी विभिन्न कार्यों के लिए चालू वर्ष के दौरान भारत सरकार ने पश्चिम बंगाल सरकार के लिए 4 करोड़ रुपये तथा बिहार सरकार के लिए 0.50 करोड़ रुपया मंजूर किया है। और अधिक सहायता, किये जाने वाले खर्च और केन्द्रीय सरकार के अधिकारियों के उन दलों की रिपोर्ट को ध्यान में रखकर दी जायगी जिन्होंने आवश्यकताओं का अंदाजा लगाने के लिए हाल ही में उन राज्यों का दौरा किया था।

नागपुर के निकट कोदारी सुपर थर्मल स्टेशन

3769. **श्री देवराज पाटिल** : क्या सिंचाई और विद्युत मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) महाराष्ट्र राज्य में नागपुर के निकट कोदारी सुपर थर्मल स्टेशन के निर्माण में धीमी गति होने के क्या कारण हैं; और

(ख) परियोजना में कितनी लागत आने का अनुमान है और तीसरी पंचवर्षीय योजना के अन्त तक उस पर कितना व्यय किया गया था ?

सिंचाई और विद्युत मन्त्रालय में उप मंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) वित्तीय संसाधनों की तंगी नागपुर के निकट कोराडी महा-तापीय बिजली घर पर धीमी प्रगति का मुख्य कारण है।

(ख) संशोधित प्राक्कलनों के अनुसार, लगभग 86 करोड़ रुपये परियोजना की लागत है। तीसरी योजना के अन्त तक इस परियोजना पर कोई व्यय नहीं हुआ है।

सरकारी क्षेत्र में निर्मित भेषजों दवाइयों तथा शल्य चिकित्सा उपकरणों की अधिक कीमतें

3770. **डा० सुशीला नैयर** :

क्या **पैट्रोलियम और रसायन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकारी क्षेत्र के औषध निर्माण कारखानों में बनने वाले भेषजों और दवाइयों तथा शल्य चिकित्सा उपकरणों की कीमतें गैर-सरकारी क्षेत्र की अपेक्षा अधिक है;

(ख) यदि हां, तो कीमतों में कितना अन्तर है और उसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या यह भी सच है कि सरकारी क्षेत्र के औषध निर्माण कारखानों में बनने वाले भेषजों और औषधियों तथा शल्य चिकित्सा उपकरणों की बिक्री इनकी उत्पादन क्षमता की तुलना में बहुत ही कम है; और

(घ) यदि हां, तो सरकारी क्षेत्र में बनने वाली भेषजों और दवाइयों तथा शल्य चिकित्सा उपकरणों की कीमतें कम करने के लिये सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

पेट्रोलियम और रसायन मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री के० रघुरामैया): (क) और (ख) : यह अनुमान है कि प्रश्न का सम्बन्ध हिन्दुस्तान एण्टीबायोटिक्स लि० तथा इण्डियन ड्रग्ज एण्ड फार्मेस्यूटीकल्स लि० के उत्पादों से है। जहाँ तक एण्टी बायोटिक्स उत्पादों का सम्बन्ध है हिन्दुस्तान एण्टीबायाटिक्स लि० तथा इण्डियन ड्रग्ज् एण्ड फार्मेस्यूटीकल्स लि० के मूल्य प्राइवेट फर्मों (के मूल्यों) से तुलनात्मक हैं। संश्लेषी भेषजों के मूल्य उस प्रकार के आयातित मदों के मूल्यों की तुलना मे कुछ अधिक हो सकते हैं क्योंकि संश्लेषी भेषज परियोजना में उत्पादन प्रारम्भिक अवस्था से व्यवस्थित किया जाता है और उससे मूल्यों में वृद्धि हो जाती है। शल्य औजार परियोजना, मद्रास में तैयार किये गये शल्य औजार उमदा किस्म के हैं और अत: उनके मूल्यों की तुलना प्राइवेट क्षेत्र में निर्मित उसी प्रकार के औजारों के मूल्यों से नहीं की जा सकती।

(ग) जी हां। क्योंकि ऋषिकेश और हैदराबाद के सन्यन्त्रों ने अभी अपनी पूर्ण उत्पादन क्षमता प्राप्त नहीं की है। जहां तक शल्य औजार सन्यन्त्र का सम्बन्ध है, उत्पादन को स्वेच्छा से माग तक प्रतिबन्धित किया गया है।

(घ) गवेषणा से प्रक्रियाओं एवं तकनीकी में सुधार करने के लिये हर प्रकार से कोशिश की जा रही है।

तुंगभद्रा परियोजना की ऊंची सतह वाली नहर

3771. **श्री गाडिलिंगन गौड़ :**

क्या **सिंचाई और विद्युत** मन्त्री 26 अगस्त, 1968 के अतारांकित प्रश्न संख्या 5726 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गुंहाकल के अलूर तालुक के गांवों में से होकर जाने वाली तुंगभद्रा परियोजना की ऊंची सतह वाली नहर और आड़ी नाली व्यवस्था कार्य की निर्माण लागत को कम करने के लिये किये गये विस्तृत सर्वेक्षण के कारण उपरोक्त प्रश्न में उल्लिखित प्रत्येक गांव की कितने-कितने एकड़ भूमि पर प्रभाव पड़ेगा;

(ख) क्या सर्वेक्षण कार्य पूरा हो गया है और यदि नहीं तो मूल परियोजना की योजना में प्रस्तावित नहर के मार्ग को छोड़ कर नहर को किसी अन्य स्थान से निकालने का आधार क्या है; और

(ग) क्या सरकार ने इस स्थान परिवर्तन की स्वीकृति दे दी है ?

सिंचाई और विद्युत मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) से (ग) : जानकारी राज्य सरकार से प्राप्त की जा रही है और यह सभा-पटल पर रख दी जायेगी।

चेकोस्लोवाकिया से मिले दूसरे ऋण का उपयोग

3772. **श्री गाडिलिंगन गौड़ :**

क्या **वित्त** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि चेकोस्लोवाकिया से प्राप्त दूसरे ऋण का उपयोग धीमी गति से किया जा रहा है; और

(ख) यदि हां, तो इसका उपयोग शीघ्रता से करने के लिये सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

उप-प्रधान मन्त्री तथा वित्त मन्त्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) और (ख) : चेकोस्लोवाकिया से प्राप्त 63 करोड़ रुपये के दूसरे ऋण में से चेकोस्लोवाकिया के सम्भरकों को अब तक कुल 31.59 करोड रुपये के ठेके दिये जा चुके हैं। इस ऋण की बची हुई रकम में से कुछ रकम चेकोस्लोवाकिया की सहायता से स्थापित की गयी प्रायोजनाओं के उत्पादन-कार्यक्रम के लिये मशीनों के आवश्यक हिस्सों के आयात पर खर्च की जायेगी और शेष रकम चौथी पंचवर्षीय आयोजना को अन्तिम रूप दिये जाने के बाद प्रायोजनाओं पर खर्च की जायगी।

बिहार और उत्तर प्रदेश में सिंचाई योजनायें

3773. **श्री गाडिलिंगन गौड़ :** क्या **सिंचाई और विद्युत** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि धन की कमी के कारण उत्तर प्रदेश और बिहार में बहुत से सिंचाई योजनायें निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार पूर्ण नहीं की जा सकीं;

(ख) यदि हां, तो इन योजनाओं का जिलावार ब्यौरा क्या है; और

(ग) इन योजनाओं को नियत समय के अन्दर पूरा कराने के लिये क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

सिंचाई और विद्युत मंत्रालय में उपमन्त्री (श्री सिद्धेश्वरप्रसाद) : (क) संसाधनों की तंगी के कारण सारे देश में सिंचाई परियोजनाओं के निर्माण-कार्य की प्रगित में बाधा पहुँची है। इसमें उत्तर प्रदेश और बिहार भी सम्मिलित हैं।

(ख) उत्तर प्रदेश और बिहार में जो वृहत् स्कीमें प्रभावित हुई है वे निम्नलिखित हैं :–

(1) बिहार में पूर्णिया और सहरसा जिलों को लाभ पहुँचाने के लिए पूर्वी कोसी नहर।

(2) बिहार में सारन, चम्पारन, मुजफ्फरपुर और दरभंगा जिलों तथा उत्तर प्रदेश में देवरिया और गोरखपुर जिलों को लाभ पहुँचाने के लिए गण्डक परियोजना।

(ग) चालू वित्तीय वर्ष के दौरान, गण्डक परियोजना के लिए ९ करोड रुपये की एक विशेष सहायता स्वीकार की गई है। चौथी योजना में पर्याप्त परिव्यय की व्यवस्था करने के लिए प्रयत्न किए जा रहे हैं।

देश की आर्थिक स्थिति

3775. **श्री एस० आर० दामानी :**

क्या **वित्त** मन्त्री 12 अगस्त, 1968 के अतारांकित प्रश्न संख्या 3604 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1967-68 की तुलना में अप्रैल, 1968 से सितम्बर, 1968 के 6 महीनो में देश की आर्थिक स्थिति में कितनी उन्नति हुई और 30 सितम्बर, 1968 को उपभोक्ता मूल्य सूचकाक क्या था;

(ख) इस अवधि में औद्योगिक उत्पादन सूचकांक में कितनी वृद्धि हुई है; और

(ग) अनेक राज्यो मे अभूतपूर्व बाढ़ों और सूखे की स्थिति को ध्यान में रखते हुए इस वर्ष कृषि की पैदावार कैसे होने की सम्भावनायें हैं और देश की आर्थिक स्थिति को सुधारने मे इसका कितना योगदान होगा।

उप-प्रधान मन्त्री तथा वित्त मन्त्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) राष्ट्रीय आय का अनुमान वार्षिक आधार पर लगाया जाता है क्योंकि कृषि-उत्पादन के आंकड़े मुख्य फसलों के बाद ही मालूम किये जा सकते हैं। इस प्रकार अप्रैल से सितम्बर, 1968 तक की अवधि के लिए राष्ट्रीय आय काई अनुमान नहीं है जिसकी तुलना पिछले वर्ष की राष्ट्रीय आय के आंकड़ों से की जा सके। उपभोक्ता मूल्य सूचक अंक का संकलन मासिक आधार पर किया जाता है। सितम्बर, 1968 के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचक अंक (1949 = 100), 218 था।

(ख) औद्योगिक उत्पादन के विस्तृत आंकड़े केवल जुलाई, 1968 तक के उपलब्ध हैं। मासिक औद्योगिक उत्पादन का अनन्तिम औसत सूचक अंक (आधार 1960 = 100) पहले सात महीनों के सम्बन्ध में 158.7 था जबकि 1967 की इसी अवधि में यह सूचक अंक 150.8 था। इस प्रकार सूचक अंक में लगभग 5.3 प्रतिशत की वृद्धि हुई है।

(ग) कृषि उत्पादन का निश्चित अनुमान अभी उपलब्ध नहीं है। फिर भी, जो आंशिक सूचना अब तक मिली है उससे पता चलता है कि 1967-68 के मुकाबले 1968-69 में कृषि-उत्पादन में कोई स्पष्ट कमी नहीं होगी।

एक समान कर वर्ष

3776. **श्री रामावतार शर्मा :**

क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एक समान कर वर्ष करने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

उप प्रधान मन्त्री तथा वित्त मन्त्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) जी, हां।

(ख) कर व्यवस्था को युक्ति-युक्त और सरल बनाने की दृष्टि से श्री एस० भूतलिंगम् ने अपनी अन्तिम रिपोर्ट में एक समान कर-वर्ष अपनाने की सिफारिश की है। इस सिफारिश पर सरकार विचार कर रही है। इस सिफारिश के ब्यौरे श्री भूतलिंगम् की अन्तिम रिपोर्ट के पैरा 14.1 से 14.15 तक में दिये गये हैं, जिसकी प्रतियाँ माननीय सदस्यों को पहले ही उपलब्ध की जा चुकी हैं।

जीवन बीमा निगम में ग्राम विकास के लिये एक शाखा (विंग) की स्थापना करना

3777. **श्री देवकीनन्दन पाटोदिया :**

क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि ग्राम विकास के लिए एक शाखा की स्थापना के हेतु प्रशासनिक सुधार आयोग के एक कार्यकारी दल ने भारतीय जीवन बीमा निगम की विनियोजन नीति में परिवर्तन करने का सुझाव दिया है;

(ख) यदि हां, तो क्या उन सुझावों पर विचार किया गया है; और

(ग) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या निर्णय लिया गया है ?

उप प्रधान मन्त्री तथा वित्त मन्त्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) जी, हाँ ।

(ख) तथा (ग): प्रशासनिक सुधार आयोग द्वारा नियुक्त कार्यकारी दल द्वारा की गयी सिफारिशों पर विचार करना प्रशासनिक सुधार आयोग का काम है । प्रशासनिक सुधार आयोग को इस विषय पर अपनी सिफारिशें अभी सरकार को पेश करनी हैं । कार्यकारी दल की रिपोर्ट पर सरकार द्वारा विचार किये जाने का सवाल नहीं उठता ।

आस्ट्रेलियन गेहूं की बिक्री से प्राप्त राशि

3778. **श्री देवकी नन्दन पाटोदिया :** **श्री न० कु० सांघी :**

क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आस्ट्रेलियन गेहूँ की बिक्री से प्राप्त राशि को, जिसको हाल ही में आस्ट्रेलिया की सरकार ने अनुदान के रूप में देने का वचन दिया है, भारत में विकास परियोजनाओं के उपयोग में लाया जायेगा ;

(ख) यदि हां, तो क्या उपयोग का ब्यौरा तैयार कर लिया गय है, और

(ग) क्या आस्ट्रेलियन गेहूँ भारत में आने लगा है ?

उप-प्रधान मन्त्री तथा वित्त मन्त्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) : हमें भेजे गये मूल्य के रुपये को भारत की उन विकास प्रायोजनाओं पर खर्च किया जायगा जिनके बारे में दोनों सरकारें सहमत हों ।

(ख) : जी, नहीं ।

(ग) : इस महीने में गेहूँ के पहुँचने की सम्भावना है ।

खम्भात की खाड़ी में तट से दूर तेल की खोज के बारे में जापानी परियोजना प्रतिवेदन

3779. **श्री देवकीनन्दन पाटोदिया :**

क्या पेट्रोलियम और रसायन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि जापान की तेल फर्म मितसुबिशी ने खम्भात की खाड़ी में तट से दूर तेल की खोज के लिये एक पुनरीक्षण परियोजना प्रतिवेदन तैयार किया है;

(ख) यदि हां, तो इस विदेशी फर्म द्वारा अब तैयार किये गये परियोजना प्रतिवेदन का ब्यौरा क्या है ;

(ग) क्या मितसुबिशी फर्म के मतानुसार यदि केन्द्रीय सरकार जापान सरकार से अनुरोध करे, तो इस समय रोका हुआ येन ऋण पुनः इस परियोजना के लिये उपलब्ध किया जा सकता है; और

(घ) यदि हां, तो क्या इस दिशा में कोई कार्यवाही की गई है ?

पैट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री के० रघुरामैया) (क): जी हां ।

(ख) ब्यौरों को बताना जन हित में नहीं होगा क्योंकि इससे अन्य प्रस्तावों पर जो अभी विचाराधीन हैं, प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है ।

(ग) मितसुबिशी ने सरकार के पास ऐसा कोई विवरण प्रस्तुत नहीं किया है ।

(घ) इसका इस समय प्रश्न नहीं उठता ।

भारत में मेडिकल कालेज

3780. **श्री जगेश्वर यादव** : क्या स्वास्थ्य, **परिवार नियोजन तथा नगरीय विकास** मन्त्री 5 अगस्त, 1968 के अतारांकित प्रश्न संख्या 2533 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में मेडिकल कालेजों के बारे में इस बीच जानकारी एकत्र कर ली गई है; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

स्वास्थ्य, परिवार नियोजन तथा नगरीय विकास मंत्रालय में उप-मन्त्री (श्री ब० सू० मूर्ति) : (क) और (ख): 85 चिकित्सा कालेजों मे संबंधित सूचना का एक विवरण सभा-पटल पर रखा गया है । [पुस्तकालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी० 2602/68] शेष कालेजों के बारे में अपेक्षित सूचना एकत्र की जा रही है ।

भारत में पुरुष तथा महिला चिकित्सक

3781. **श्री जगेश्वर यादव** :

क्या **स्वास्थ्य, परिवार नियोजन तथा नगरीय विकास मंत्री** 12 अगस्त, 1968 के अतारांकित प्रश्न संख्या 3712 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में पुरुष और महिला चिकित्सकों की संख्या के बारे में इस बीच जानकारी एकत्र कर ली गई हैं ; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

स्वास्थ्य परिवार नियोजन तथा नगरीय विकास मंत्रालय में उप मंत्री (श्री ब० सू० मूर्ति) : (क) जी, हां ।

(ख) एक विवरण, जिसमें ब्यौरा दिया गया है, सभा-पटल पर रख दिया गया है ।

[पुस्तकालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी० 2603/68]

मिदनापुर (पश्चिम बंगाल) में बाढ़ का विमान द्वारा सर्वेक्षण

3782. **श्री बेणी शंकर शर्मा** : क्या सिंचाई और विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पश्चिम बंगाल के मिदनापुर जिले में एक विस्तृत क्षेत्र में बाढ़ आयी थी और केन्द्रीय सरकार के मंत्रियों तथा अधिकारियों ने उस क्षेत्र का विमान द्वारा सर्वेक्षण किया था ;

(ख) यदि हां, तो कितने मंत्रियों और उच्च अधिकारियों ने विमान द्वारा कितनी बार सर्वेक्षण किया था तथा किस प्रकार के विमानों का प्रयोग किया था ; और

(ग) विमान द्वारा किये गये इन सर्वेक्षणों की लागत क्या है तथा इसे किस खाते में डाला गया है ?

सिचाई और विद्युत मंत्रालय में उपमन्त्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) जी, हां ।

(ख) और (ग): केन्द्रीय सिचाई व बिजली मंत्री ने पश्चिम बंगाल सरकार के उच्च अधिकारियों के अतिरिक्त रेलवे केन्द्रीय राज्य मंत्री तथा केन्द्रीय जल तथा विद्युत् आयोग के अध्यक्ष के साथ 10 अगस्त, 1968 को पश्चिम बंगाल में मिदनापुर जिले तथा आस-पास के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का हवाई सर्वेक्षण किया । हवाई सर्वेक्षण वायु सेना के डकोटा हवाई जहाज में किया गया था और कलकत्ता से बाढ़ स्थल तक केवल एक ही दौरा लगाया गया था । हवाई जहाज का खर्चा 12,622 रुपये हुआ जो कि केन्द्रीय सरकार के बजट 'मांग सं० 39-केबिनेट' में डाला जाएगा ।

प्रधान मंत्री ने भी 8 सितम्बर, 1968 को मिदनापुर जिले के बाढ़-प्रभावित क्षेत्रों का वायु सेना के विशेष हवाई जहाज में सर्वेक्षण किया । प्रधान मंत्री वायु सेना के हवाई जहाज को प्रयोग में लाने की हकदार हैं और उन से ऐसे हवाई सर्वेक्षणों के लिए कोई विशेष अदायगी करने की आवश्यकता नहीं होती ।

Kosi River Barrage

3783. **Shri Gunanand Thakur** : Will the Minister of **Irrigation and Power** be pleased to state :

(a) the capacity, in causecs, of Kosi River Barrage to hold water ;

(b) whether the said barrage can collapse if water in it exceeds its capacity ;

(c) if so, whether Government propose to expedite the construction of Kothar Dam and Western Kosi Canal Scheme in view of both the safety of the said barrage as well as the possibility of floods in future ; and

(d) if so, when and if not, the reasons therefor ?

The Dy. Minister in the Ministry of Irrigation and Power (Shri Siddheshwar Prasad) : (a) The Barrage is designed for a design flood of 9.5 lakh causecs and further checked for safety against a super flood of 10.5 lakhs causecs.

(b) The Barrage has ample safety factor against any anticipated super flood.

(c) and (d) ; Investigations have shown that the geology at the site of the Kothar Dam is not favourable. As such the question of construction of Kothar Dam is not being considered. Construction of Western Kosi Canal is awaiting permission of Nepal Government for land required in Nepal territory. This scheme will not, however, have any material effect in reducing the high flood discharge.

Floods in Kosi River

3784. **Shri Gunanand Thakur** : Will the Minister of **Irrigation and Power** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that warning in respect of floods was not given to areas affected by floods on Kosi in time so that people could shift to safer places ;

(b) whether it is also a fact that authorities knew beforehand that floods would occur ; and

(c) if so, the action taken or proposed to be taken against the officers concerned ?

The Dy. Minister in the Ministry of Irrigation and Power (Shri Siddheswar Prasad) : (a) to (c) : The State Government has reported that efforts were made to convey the high flood warning. But the inherent difficulty of communicating with people residing within the embankments, particularly in the night at a time when the river was rising was there, The rise in flood was sudden as can be seen from the fact that the discharge at Barahakshetra rose from 3,25,000 cusecs at 12 noon on 4.10 1968 to 9,13,000 cusecs at 1.00 A. M. on 5.10.1968.

Minister's Tour Abroad

3785. **Shri Gunanand Thakur :** **Shri K. Anirudhan :**
Shri P. Gopalan : **Shri P. P. Esthose :**
Shri Viswanatha Menon :

Will the Minister of **Finance** be pleased to state :

(a) the number of Central Ministers who went on foreign tour from September, 1967, to October, 1968 ;

(b) the purpose of the foreign tour of each one of them ; and

(c) the amount spent by Government thereon ?

The Deputy Prime Minister and Minister of Finance (Shri Morarji Desai) : (a) to (c) : The information is being collected and will be laid on the table of the House as soon as it is available.

उत्तर प्रदेश राज्य बिजली बोर्ड

3786. **श्री विश्वनाथ पान्डेय :** क्या सिंचाई तथा विद्युत मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उत्तर प्रदेश बिजली बोर्ड ने ट्रांसमिशन और ट्रांसफारमेशन की एक बड़ी योजना जिस पर 30 करोड़ रुपये से अधिक व्यय होगा, का प्रस्ताव रखा है ;

(ख) यदि हां, तो उस योजना की मुख्य-मुख्य बातें क्या हैं ;

(ग) यह परियोजना कब तक पूरी हो जायेगी ; और

(घ) इस प्रकार के कितने स्टेशन स्थापित किये जायेंगे और किन किन स्थानों पर ?

सिंचाई और विद्युत मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) जी, हां। उत्तर प्रदेश राज्य बिजली बोर्ड ने लगभग 30 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत के पारेषण और रूपान्तरण कार्यों से सम्बन्धित परियोजना रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है।

(ख) इस परियोजना के अन्तर्गत लगभग 1230 सर्किट किलोमीटर, 66 के० वी० 132 के० वी० और 28 के० वी० पारेषण लाइनों का जो कि सारे उत्तर प्रदेश में बिछी होंगी, निर्माण किया जाना है। इसके अतिरिक्त, इसमें 20 नये उप केन्द्रों का निर्माण, 32 वर्तमान उपकेन्द्रों का विस्तार, एक केन्द्रीय भार प्रेषण केन्द्र और 5 क्षेत्रीय भार प्रेषण केन्द्र भी परिकल्पित हैं।

(ग) इस परियोजना के चौथी योजनावधि में पूर्ण होने की सम्भावना है।

(घ) उपकेन्द्रों और भारप्रेषण केन्द्रों के प्रस्तावित स्थल नीचे दिये जाते हैं–

(1) 20 नये उपकेन्द्रों का निर्माण निम्नलिखित स्थानों पर होगा।

लखनऊ	बड़ौत	औरई
नैनी	जंहागीराबाद	बलिया
इलाहाबाद नगर	हल्दवानी	उन्नाव
डल्ला	बाराबंकी	बाजपुर
आजमगढ़	कर्वी	मोदीनगर
गाजीपुर	बहाराइच	ललितपुर
गजरौला	देवरिया	

(2) 32 वर्तमान उपकेन्द्रों का विस्तार निम्नलिखित स्थानों पर होगा।

कानपुर	बुलन्दशहर	हाथरस
हर्दुआगंज	खातिमा	शिकोहाबाद
मुरादाबाद	सिराथू	रामपुर
मुगलसराय	गोंडा	निराजनी
इलाहाबाद	कसिया	मुज्जफर नगर
गोरखपुर	मिर्जापुर	शामली
ओब्रा	बस्ती	सीतापुर
लखनऊ	बरेली	माताटीला
मऊ	शाहजहांपुर	मैनपुरी
हापुड़	मालवान	रुड़की
मुरादनगर	नेहतौर	

(3) एक केन्द्रीय भार प्रेषण केन्द्र लखनऊ में प्रतिष्ठापित होगा।

(4) 5 क्षेत्रीय भार प्रेषण केन्द्रों का प्रतिष्ठापन निम्नलिखित स्थानों पर होगा–

रुड़की	बरेली	कानपुर
डाक पत्थर	साहूपुरी	

तीस्ता नदी परियोजना

3787. **श्री देवेन सेन :** **श्री वीरेन्द्र कुमार शाह :**

क्या सिंचाई और विद्युत मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार की तीस्ता बांध परियोजना इस समय किस अवस्था में है और इसे कब क्रियन्वित किया जायेगा ;

(ख) क्या यह सच है कि पश्चिम बंगाल सरकार ने उस परियोजना को अनुमोदित नहीं किया है ; और

(ग) यदि हां तो इस सम्बन्ध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

सिंचाई और विद्युत मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) से (ग) : प्रस्तावित तीस्ता बाँध परियोजना के संबंध में पश्चिम बंगाल सरकार अनुसंधान कार्य कर रही है। सम्बद्ध परियोजना रिपोर्ट की प्रतीक्षा की जा रही है। रिपोर्ट के मिलने के बाद ही सरकार की प्रतिक्रिया का पता चल सकेगा।

दिल्ली न्यायालयों के वकिलों लिए के आवास-स्थान

3788. **श्री महन्त दिग्विजय नाथ** :

क्या **निर्माण, आवास तथा पूर्ति** मन्त्री यह बताने की कृपा करगे कि :

(क) क्या यह सच है कि 26 नवम्बर, 1968 को दिल्ली न्यायालयों के वकीलों ने उपयुक्त स्थान की अपनी मांग के सम्बन्ध में हड़ताल की थी ;

(ख) क्या वकीलों ने उचित स्थान की व्यवस्था के लिए सरकार को भी ज्ञापन भेजा है ; और

(ग) यदि हाँ, तो वकीलों को स्थान देने के लिये सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की जा रही है ?

निर्माण, आवास तथा पूर्ति मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री इकबाल सिंह) : (क) नई दिल्ली न्यायालय के कुछ वकीलों ने हड़ताल कर दी थी जो कि अब समाप्त हो गयी है।

(ख) नई दिल्ली बार एसोसियेशन को 26 नवम्बर, 1968 को हुई बैठक में इस सम्बन्ध मे एक संकल्प पारित किया था जिसकी एक प्रतिलिपि सरकार का प्राप्त हुई है।

(ग) सरकार इसका प्रयत्न कर रही है कि अच्छा वास कैसे दिया जाये।

बीकानेर में बिजली घर

3789. **श्री विश्वनाथ पाण्डेय** :

क्या **सिंचाई और विद्युत** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि यूगोस्लाविया की सहायता से बीकानेर (राजस्थान) में एक बिजलीघर स्थापित किया जायेगा ; और

(ख) यदि हां, तो कब ?

सिंचाई और विद्युत मन्त्रालय में उपमंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) यूगोस्लाविया की सहायता से बीकानेर में कोई बिजली संयन्त्र लगाने का प्रस्ताव नहीं है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

बाढ़ की पूर्व सूचना देने वाले छः केन्द्रीय एककों की स्थापना

3790. **श्री विश्वनाथ पाण्डेय** :

क्या **सिंचाई और विद्युत** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार देश में बाढ़ की पूर्व सूचना देने वाले छः केन्द्रीय एककों की स्थापना के बारे में विचार कर रही है ;

(ख) यदि हां, तो कब और किन स्थानों पर ; और

(ग) इस योजना पर कुल कितनी राशि व्यय होगी ?

सिंचाई और विद्युत मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) से (ग) : बाढ़ पूर्वसूचना और बाढ़ चेतावनी केन्द्रों की स्थापना के लिये चौथी योजना में लगभग 6 करोड़ रुपये की लागत पर एक स्कीम बनाई गई है । इसके अन्तर्गत एक केन्द्र गौहाटी (असम) में होगा जिसका उपकेन्द्र सिल्वर में होगा, एक आसनसोल (पश्चिम बंगाल) में होगा जिसका उप केन्द्र सिलीगुड़ी/ जलपाईगुड़ी में होगा, एक पटना (बिहार) में होगा, एक लखनऊ (उत्तर प्रदेश) में होगा, एक अहमदाबाद या सूरत (गुजरात) में होगा और ये केन्द्र पूर्वी तट पर भी खोले जाएंगे । इनमें वैज्ञानिक बाढ़ पूर्व सूचना के लिये आवश्यक बेतार केन्द्रों और नियंत्रण-कक्षों तथा कुछ प्रेक्षण केन्द्रों की व्यवस्था की जाएगी । प्रस्ताव पर विचार हो रहा है ।

जयन्ती जलयान में तस्करी का माल मिलना

3791. **श्री रा० की० अमीन** : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि जयन्ती नामक एक जलयान में तस्करी का माल पकड़ा गया था ;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ; और

(ग) इस मामले में क्या कार्यवाही की जा रही है ?

उपप्रधान मन्त्री तथा वित्त मन्त्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) से (ग): बृहत्तर बम्बई के भ्रष्टाचार विरोधी तथा नशाबंदी ब्यूरो ने 27-10-68 को एम० एफ० वी० "जयवन्ती" नामक मछली पकड़ने की नौका से नाइलोन साड़ियों, शर्टिंग तथा घड़ियों के पुरजों से भरे चौवन पैकेज पकड़े, जिनमें आयात दर से लगभग 2.9 लाख रुपयों का तथा भारतीय बाजार दर से लगभग 7.1 लाख रुपयों का माल था । 11 व्यक्तियों को हिरासत में लिया गया । बाद में मजिस्ट्रेट ने उन्हें जमानत पर रिहा कर दिया । आगे जांच-पड़ताल जारी है ।

बाढ़ के बारे में चेतावनी देने के सम्बन्ध में की गयी लापरवाही के बारे में जांच

3792. **श्री रा० की० अमीन** : क्या सिंचाई और विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पश्चिम बंगाल सरकार ने उत्तरी बंगाल में बाढ़ के बारे में चेतावनी देने वाली प्रणाली में की गई जांच के फलस्वरूप उन अधिकारियों से स्पष्टीकरण लेने का निर्णय किया है जो चेतावनी न देने के लिए जिम्मेदार पाये गये थे;

(ख) क्या नर्मदा तथा ताप्ती नदियों में हाल ही में आई बाढ़ के बारे में ऐसी ही जांच की जायेगी तथा जिम्मेदार अधिकारियों से स्पष्टीकरण मांगा जायेगा;

(ग) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो उसका क्या कारण है ?

सिंचाई और विद्युत मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) :

(क) जी, हां ।

(ख) से (घ): मध्य प्रदेश सरकार ने सूचना दी है कि 1968 की वर्षा के दौरान सूरत और जलगांव के कलक्टरों को समय पर ही बाढ़ चेतावनियां भेज दी गई थीं । गुजरात सरकार इस

बात से संतुष्ट है कि सभी सम्बद्ध अधिकारियों ने बाढ़ पूर्व-सूचना और चेतावनी की वर्तमान प्रणाली के अनुसार बाढ़ सम्बन्धी संदेश भेजने के लिये समय पर कार्रवाई की।

ऋण के लिये विश्व संगठनों के साथ राज्य सरकारों द्वारा सीधी बातचीत

3793. **श्री देवकीनन्दन पाटौदिया** : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कोई राज्य सरकार अपने राज्य की विकास परियोजनाओं के लिये ऋण प्राप्ति हेतु किसी विश्व संगठन से बातचीत कर सकती है;

(ख) यदि नहीं, तो क्या ऐसी सब प्रार्थनायें केन्द्र के माध्यम से भेजी जाती हैं और इन प्रार्थनाओं पर किस आधार पर विचार किया जाता है;

(ग) राज्य सरकारों द्वारा इन ऋणों की अदायगी में विलम्ब अथवा उनके बिल्कुल न दिए जाने की स्थिति में कन्द्र का उत्तरदायित्व क्या है ; और

(घ) राज्य सरकारों को ऋण के लिए कितने मामलों में स्वतन्त्र रूप से बातचीत करने की अनुमति दी गई ?

उप प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरार जी देसाई) : (क) वर्तमान कार्य प्रणाली के अनुसार केन्द्रीय सरकार की पूर्व अनुमति के बिना राज्य सरकारों को विकास-प्रायोजनाओं के लिए ऋणों के सम्बन्ध में विदेशों/विश्व संगठनों से सीधे बातचीत करने का अधिकार नहीं है।

(ख) इस प्रकार के सब अनुरोधों पर, प्रायोजना की प्राथमिकता, आयोजना में उसकी स्थिति, तकनीकी तथा आर्थिक दृष्टि से उसकी व्यवहार्यता और उसकी विदेशी मुद्रा-सम्बन्धी आवश्यकताओं के आधार पर केन्द्रीय सरकार के वित्त मन्त्रालय के अर्थ विभाग मे विचार किया जाता है। इन सारी बातों की छानबीन योजना-आयोग, प्रशासनिक मन्त्रालय विभाग आदि जैसे सरकार के दूसरे अभिकरणों की सलाह से की जाती है।

(ग) जब ऋण राज्य सरकार की प्रायोजना के लिए होता है तब भी विदेशों से ऋण भारत सरकार ही लेती है। कर्जदार होने के नाते भारत सरकार ऋण का परिशोधन भी करती है।

(घ) कोई नहीं।

भाखड़ा बांध से सदस्य राज्यों को बिजली

3794. **डा० कर्णी सिंह** :

क्या **सिंचाई और विद्युत** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भाखड़ा बिजली बोर्ड के प्रत्येक सदस्य राज्य को भाखड़ा जल-विद्युत बिजली घर से कितने-कितने किलोवाट बिजली दी जाती है ;

(ख) क्या यह सच है कि दिल्ली को भी भाखड़ा से बिजली दी जाती है और यदि हां, तो कितने किलोवाट तथा दिल्ली को किस हैसियत से इतनी अधिक बिजली दी जाती है ;

(ग) क्या यह भी सच है कि दिल्ली प्रशासन दिल्ली ताप बिजलीघर द्वारा पैदा की जाने वाली अधिकांश बिजली को रिजर्व में रख लेता है ;

(घ) क्या केन्द्रीय सरकार को इस बात का पता है कि दिल्ली द्वारा बिजली सप्लाई की जाने पर तथा रिजर्व में रखी जाने पर भी राजस्थान को पर्याप्त मात्रा में बिजली नहीं मिलती है जिसके परिणामस्वरूप उसके पिछड़े क्षेत्र में उद्योग एवं कृषि दोनों क्षेत्रों में प्रशंसनीय प्रगति नहीं हो पाती है और वह नलकूपों पर निर्भर करता है ; और

(ङ) राजस्थान को भाखड़ा से बिजली का पूरा हिस्सा कब तक मिलने की सम्भावना है ?

सिंचाई और विद्युत मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) भाखड़ा नंगल विद्युत घर में उत्पादित बिजली से नंगल फर्टिलाइजर फैक्टरी, दिल्ली, बिजली सम्भरण उपक्रम और जम्मू तथा काश्मीर के कामन पूल की आवश्यकता को पूरा करने के पश्चात् उद्योग संस्थायें आदि के लिये 60 प्रतिशत विद्युत भार के आधार पर विभिन्न राज्यों और संघ राज्य-क्षेत्रों को जो बिजली दी जाती है, उसका ब्यौरा निम्न प्रकार है :—

राजस्थान	54 मेगावाट
पंजाब	161 ,,
हरियाणा	116 ,,
हिमाचल प्रदेश	8 ,,
चण्डीगढ़	11 ,,
	योग 350 ,,

(ख) जी, हां। भूतपूर्व पंजाब राज्य बिजली बोर्ड और दिल्ली बिजली सम्भरण उपक्रम के बीच हुए एक समझौते के अनुसार दिल्ली को बिजली दी जा रही है। इसके अधीन दिल्ली को 80 मेगावाट बिजली दी जा रही है।

(ग) इस समय, दिल्ली में बिजली थोड़ी फालतू है। अतः यह निश्चय किया गया है कि दिल्ली प्रशासन भाखड़ा बिजली घर से फिलहाल कम बिजली लेगा।

(घ) और (ङ) प्रेषण व्यवस्था सीमित होने के कारण राजस्थान अभी इस स्थिति में नहीं है कि भाखड़ा-नंगल व्यवस्था से उतनी बिजली ले सके जो उसके लिये नियत की गयी थी। अगले वर्ष जैसे ही 220 किलोवाट की क्षमता वाली लुधियाना-हिसार की लाइन पूरी होगी तैसे ही राजस्थान बिजली का अपना पूरा कोटा लेना शुरू कर देगा।

इण्डियन आयल कारपोरेशन के उत्पादन लाभ की दर

3795. **श्री अब्दुल गनी दार** : क्या पैट्रोलियम और रसायन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारतीय तेल निगम ने गत दो वर्षों में अपने उत्पादों में लगभग 200 प्रतिशत वृद्धि कर दी है;

(ख) क्या यह भी सच है कि इस बात के बावजूद कि इसके उत्पादन में इतनी अधिक वृद्धि हो गई है उसके मुनाफे की दर बहुत अधिक है; और

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

पेट्रोलियम और रसायन मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री रघुरामैया) :

(क) से (ग) : 1965-66 से 1967-68 तक कारपोरेशन की निजी शोधन शालाओं में थ्रूपुट (throughput) लगभग 224% तक बढ़ा। उसी कालावधि में कारपोरेशन का विक्रय लगभग 170.3 प्रतिशत तक बढ़ा। किसी तेल कम्पनी के प्रत्येक उत्पाद के लिये लाभ की दरें, तेल मूल्यों के कार्यकारी दल की सिफारिशों के अनुसार होती है। वृद्धियुक्त विक्रयों के कारण कारपोरेशन के लाभों में वृद्धि हुई है लेकिन वे कार्यकारी दल की सिफारिशों की सीमा के अन्तर्गत हैं।

इन्डियन आयल कारपोरेशन को दी गई विदेशी मुद्रा

3796. **श्री अब्दुल गनी दार** : क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि भारतीय तेल निगम को तेल के विभिन्न मिश्रणों का आयात करने के लिये गत दो वर्षों में कितनी विदेशी मुद्रा दी गई ?

पेट्रोलियम और रसायन मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री रघुरामैया) : गत दो लाइसेंस अवधियों के दौरान, विभिन्न पेट्रोलियम उत्पादों के आयात के लिये, इण्डियन आयल कारपोरेशन को विदेशी मुद्रा का किया गया आबंटन निम्न प्रकार था :–

	रुपये (लाखों में)
1966-67	3262. 91
1967-68	2340. 39

केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा के औषधालयों के लिये रिहायशी क्वार्टर

3797. **श्री म० ला० सोंधी** : क्या **निर्माण आवास तथा पूर्ति** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा औषधालयों के लिये अनेक रिहायशी क्वार्टरों का प्रयोग किया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो ऐसे क्वार्टरों की संख्या कितनी है; और

(ग) सरकार द्वारा केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा के औषधालयों के लिये प्राथमिकता के आधार पर इमारतें न बनाये जाने तथा क्वार्टर सरकारी कर्मचारियों को न दिये जाने के क्या कारण हैं ?

निर्माण, आवास तथा पूर्ति मन्त्रालय में उप-मन्त्री (श्री इकबाल सिंह) : (क) और (ख) : दिल्ली में सामान्य पूल के लगभग 40,000 रिहायशी यूनिटों में से केवल 80 यूनिटों का उपयोग केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य सेवा औषधालय (सी० जी० एच० एस० डिसपेन्सरीज) के रूप में किया जा रहा है।

(ग) सरकार ने अब यह निर्णय किया है कि ऐसे औषधालय-भवनों का निर्माण सरकारी बस्तियों में क्वार्टरों के निर्माण के साथ ही किया जाये।

सीमाशुल्क के मामलों को निपटाने के लिये विशेष न्यायालयों की स्थापना

3798. **श्री चन्द्र शेखर सिंह** : **श्री देवकी नन्दन पाटौदिया** :

क्या **वित्त** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्रशासनिक सुधार आयोग के अध्ययन दल ने सीमा शुल्क के मामलों पर निर्णय करने के लिये विशेष न्यायालयों की स्थापना करने का सुझाव दिया है; और

(ख) यदि हां, तो उसपर क्या निर्णय किया है ?

उप प्रधान मन्त्री तथा वित्त मन्त्री (श्री मोरार जी देसाई) : (क) और (ख) : कुछ समाचार-पत्रों में इस आशय की रिपोर्ट को सीमा-शुल्क, केन्द्रीय उत्पादन-शुल्क तथा विदेशी मुद्रा-सम्बन्धी कानूनों के उल्लंघन के मामलों में कार्यवाही करने के लिये विशेष न्यायालयों की स्थापना का सुझाव दिया है। परन्तु सरकार को आयोग से इस विषय पर अभी तक कोई रिपोर्ट नहीं मिली है।

कृषि पुनर्वित्त निगम

3799. **श्री स० कुन्दु** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय सरकार द्वारा कृषि पुनर्वित्त निगम में कितनी पूंजी लगाई गई है और इस निगम की गतिविधियां क्या हैं;

(ख) विभिन्न राज्यों ने इस निगम से कितना ऋण लिया है; और

(ग) भारत में निगम के मुख्य कार्यालय किन-किन स्थानों पर हैं ?

उप-प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) केंद्रीय सरकार ने निगम के शेयर नहीं खरीदे हैं। किन्तु सरकार ने निगम को ऋणों के रूप में कुल 12 करोड़ रुपया दिया है। यह निगम, भूमि-विकास, भू-संरक्षण, सिंचाई के छोटे कार्यों, ट्रैक्टरों शक्ति-चालित हलों की खरीद, बागानों, बागवानी, मीनक्षेत्र, डेरी और मुर्गीपालन के विकास जैसी उपयोगी कृषि सम्बन्धी योजनाओं के वित्त पोषण के लिए राज्यों के सहकारी बैंकों भूमि बंधक / विकास बैंकों और अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों के लिये पुनर्वित्त की सुविधा देता है।

(ख) एक विवरण सभापटल पर रखा गया है। [पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 2604/68]

(ग) निगम के कार्यालय बम्बई, कलकत्ता, कोयमुत्तूर, बंगलौर और हैदराबाद में हैं।

Power Supply From Bhakra Nangal Complex to Rajasthan

3800. **Shri Bhola Nath Master** : Will the Minister of **Irrigation and Power** be pleased to state :

(a) wether the quantity of water to be made available for wheat crop in Rajasthan in December, 1968 would be cutrailed as a result of the impending reduction in the power supply from the Bhakara Nangal complex ; and

(b) if so, the steps taken by Government to ensure required supply of water to Rajasthan ?

The Deputy Minister in the Ministry of Irrigation and Power (Shri Siddeshwar Prasad) : (a) : No ; Sir.

(b) Does not arise.

राष्ट्रीय विद्युत ग्रिड

3801. **श्री लोबो प्रभु** : क्या **सिंचाई और विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राज्यों द्वारा विद्युत में कटौती की घोषणा की गई है और यदि हां, तो इसका स्वरूप क्या है;

(ख) यदि राष्ट्रीय विद्युत ग्रिड बना दिया जाता है तो क्या बिजली की कटौतियों को रोका जा सकता था;

(ग) यदि हां, तो क्या ऐसे ग्रिड बनाने की लागत के बारे में कोई अनुमान लगाया गया है ;

(घ) क्या किसी राज्य ने ऐसे ग्रिड पर आपत्ति उठाई हैं; और

(ङ) यदि हां, तो आपत्ति का स्वरूप क्या है और इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

सिंचाई और विद्युत मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) :

(क) महाराष्ट्र, गुजरात, पंजाब और हरियाणा के राज्यों में इस समय बिजली की कमी है । महाराष्ट्र में बिजली की कटौती की अधिसूचना जारी कर दी गई है और दूसरे राज्यों में बिजली की सप्लाई पर पाबन्दियां लगा दी गई हैं । राजस्थान में, पारेषण और वितरण क्षमता के सीमित होने के कारण उच्च वोल्टता के उपभोक्ताओं द्वारा बिजली के उपयोग पर पाबन्दी लगी हुई है । इसका ब्यौरा संक्षिप्त रूप में नीचे दिया जाता है :—

(1) महाराष्ट्र : 4 नवम्बर, 1968 से बिजली की खपत की अधिकतम सीमा निर्धारित कर दी गई है । इसके साथ-साथ 16 प्रतिशत कटौती लागू कर दी गई है जो कि मुख्यत: औद्योगिक और वाणिज्यिक उद्देश्यों के लिए बिजली की वृहत् खपत पर है ।

(2) गुजरात : निम्नलिखित पाबन्दियां लागू हैं :—

(क) बिजली के उच्च वोल्टता उपभोक्ताओं के संबन्ध में छुट्टियों और अवकाश समय में बिजली भिन्न-भिन्न स्थानों पर भिन्न-भिन्न समय के लिए दी जाती है ।

(ख) नगरों और शहरों में निम्न वोल्टता के औद्योगिक उपभोक्ताओं के लिए छुट्टियों में भिन्न-भिन्न समय पर बिजली दी जाती है ।

(ग) निम्न वोल्टता के औद्योगिक उपभोक्ताओं को यह इजाजत नहीं है कि शाम को 6 बजे से 9 बजे तक बिजली प्रयोग में लायें ।

(घ) कृषि पम्पों के सम्बन्ध में भार को क्रमिक रूप से कम करते जाना ।

(3) हरियाणा :

(क) ट्रांस्फार्मर की क्षमता की कमी के कारण पानीपत क्षेत्र में भार को क्रमिक रूप से कम कर दिया गया ।

(ख) अपेक्षित पारेषण/वितरण की अनुपलभ्यता के कारण, सिरसा मोहेन्द्रगढ़, और रिवाड़ी जैसे कुछ क्षेत्रों में बिजली की खपत पर पाबन्दियां लगा दी गई हैं ।

(4) पंजाब :

(क) ग्रामीण फीडरों के सम्बन्ध में बारी-बारी से हफ्ते में दो से तीन दिनों के लिए बिजली नहीं दी जाती ।

(ख) उन औद्योगिक प्रतिष्ठानों को जिनमें लगातार काम नहीं होता, शाम को 6 से 9 बजे की व्यस्ततम अवधि में बिजली लगातार नहीं दी जाती । औद्योगिक उपभोक्ताओं की छुट्टियों को सप्ताह के अलग-अलग दिनों में विभक्त कर दिया गया है ।

(ग) उद्योग और कृषि संबन्धी नये कनेक्शन देने बन्द कर दिए गये हैं।

(5) **राजस्थान :**

शाम को 5 बजे से 8 बजे की व्यस्ततम अवधि में उच्च वोल्टता के सभी उपभोक्ताओं (125 के० वी० ए० की अधिकतम मांग से ज्यादा मांग के उपभोक्ताओं) को बिजली की अपनी मांग को अधिकतम 60 प्रतिशत भार तक ही सीमित करना है। ये पाबन्दियां विद्युत्-रासायनिक उद्योगों पर लागू नहीं हैं।

(ख) और (ग) : बिजली की कमी की उत्पादन क्षमता को बढ़ा कर राज्यों में पारेषण तथा वितरण पथों को बढ़ाकर और मजबूत करके तथा एक प्रणाली से दूसरी प्रणाली में बिजली देने के लिये अन्तर्राज्यीय तथा अन्तक्षत्रीय पारेषण पथों का निर्माण करके पूरा किया जा सकता है। जैसा कि 4-3-68 के लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 2714 के उतर में बताया गया था, क्षेत्रीय आधार पर विद्युत प्रणालियों को जोड़ने का विचार मान लिया गया है और क्षेत्रीय ग्रिड प्रणालियों के विकास की एक समन्वित योजना बनाने के लिए नियमित रूप से प्रयत्न किए जा रहे हैं जिनका अन्तिम ध्येय एक अखिल भारतीय ग्रिड प्रणाली का विकास करना है। अन्तर्राज्यीय तथा अन्तर्क्षेत्रीय संबन्ध पथों क निर्माण पर, मार्च, 1969 तक लगभग 15 करोड़ रुपये व्यय होने की सम्भावना है। इन पथों पर कुल 100 करोड़ रुपये व्यय होने का अनुमान है। राष्ट्रीय ग्रिड के निर्माण पर किसी भी राज्य को आपत्ति नहीं है। राष्ट्रीय विकास परिषद् ने अपनी मई, 1968 की बैठक में बताया है कि चौथी पंचवर्षीय योजना के बनाने के लिए मुख्य पदचिह्न यह हैं कि विभिन्न क्षेत्रीय विद्युत प्रणालियों को जोड़ा जाए जिसका अन्तिम ध्येय एक अखिल भारतीय ग्रिड प्रणाली स्थापित करना हो।

विदेशी पूंजी

3802. **श्री लोबो प्रभू** : क्या वित मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अमरीका के राजदूत के वक्तव्य के इस संदर्भ में कि भारत में विदेशी पूंजी को "दैत्य" समझा जाता है, 1967 में संयन्त्रों के सरकारी और गैर-सरकारी आयात पर व्यय की गयी राशि की तुलना में 1967 में भारत में कुल कितनी विदेशी पूंजी लगाई गई;

(ख) क्या सरकार ने विदेशी पूंजी को प्रोत्साहन देने के लिये कोई कार्यवाही की है; और

(ग) क्या सरकार का यह विचार है कि इस के मुनाफों का प्रत्यापर्ण इन के उत्पादन के निर्यात के रूप में ही हो सकता है ?

उप-प्रधान मन्त्री तथा वित मन्त्री (श्री मोरार जी देसाई) : (क) सरकार को संयुक्त राज्य अमेरिका के भारत-स्थित राजदूत के किसी ऐसे वक्तव्य का पता नहीं हैं जिसमें उन्होंने यह कहा हो कि भारत में विदेशी पूंजी को "दैत्य" समझा जाता है। "अमेरिकन रिपोर्टर" के 6 नवम्बर, 1968 के अंक में उन्होंने यह लिखा है कि प्रति व्यक्ति आधार पर, भारत को दुनियों के अन्य विकासशील देशों के मुकाबले, सबसे कम गैर-सरकारी विदेशी पूंजी प्राप्त है। उन्ह ने यह भी कहा है कि वास्तव में भारत में जो गैर-सरकारी विदेशी पूंजी लगी है, वह अन्य ऐसे कई विकासशील देशों में लगी पूंजी के मुकाबले बहुत कम है, जिन का महत्व, क्षेत्रफल और जनसंख्या भारत के मुकाबले बहुत ही कम है। यदि विदेशों के गैर-सरकारी निगमों को एक बार इस बात

का यकीन करा दिया जाय कि भारत में उनकी वास्तव में जरूरत है, तो निवेश की गति बहुत तेजी से बढ़ायी जा सकती है और निवेश की मात्रा भी काफी बढ़ सकती है।

भारत में कारबार में लगी वास्तविक विदेशी व्यापारिक पूंजी के सम्बन्ध में जो सब से हाल की सूचना उपलब्ध है उसके अनुसार मार्च 1965 के अन्त में भारत में 935.8 करोड़ रुपये की विदेशी पूंजी लगी हुई थी। लोक-सभा की मेज पर एक विवरण रख दिया गया है जिसमें 1963-64 और 1964-65 के वर्षों में, वास्तव में लगी विदेशी पूंजी तथा उसके बाद की गयी मजूरियों और पूरी मशीनों तथा उपकरणों के आयात पर खर्च की गयी विदेशी मुद्रा की कुल रकमों का ब्योरा दिया गया है।

(ख) : देश में गैर-सरकारी विदेशी पूंजी के निवेश को बढ़ावा देने के लिये इस समय जो बड़ी-बड़ी सुविधायें दी जा रही हैं वे हैं : करों की अदायगी के बाद, लाभांश और स्वीकृत पूंजी निवेश को अलग रूप से वापस विदेश भेजने की अनुमति; राष्ट्रीयकरण होने पर युक्तियुक्त और मुनासिब मुआवजे की अदायगी ; संयुक्त राज्य अमेरिका तथा पश्चिम जर्मनी के राष्ट्रजनों द्वारा भारत में किये जाने वाले निवेशों के सम्बन्ध में उन देशों की सरकारों के साथ निवेश गारंटी करार तथा विदेशी निवेशकों को कर सम्बन्धी विभिन्न रियायतें इस उद्देश्य से कि विदेशी सहयोग के आवेदन-पत्रों के निपटारे में अनुचित विलम्ब न हो और विभिन्न प्रणालियों को सरल बनाया जा सके, सरकार ने हाल में फैसला किया है कि सरकार के अधीन केवल एक अभिकरण होना चाहिये जिस विदेशी निवेश बोर्ड कहा जाय और भविष्य में यही अभिकरण, गैर-सरकारी विदेशी निवेश और सहयोग से सम्बन्धित सभी मामलों को निपटाने के लिये जिम्मेदार हो।

(ग) : जी नहीं। मौजूदा नीति के अनुसार विदेशी कम्पनियों को इस बात की खुली छूट है कि भारतीय कर अदा करने के बाद वे लाभ की रकमें अपने देश में भेज सकती हैं। विदेशी सहयोग की कुछ योजनाओं की मंजूरी इस शर्त पर दी जाती है कि उत्पादन का एक निश्चित प्रतिशत अंश निर्यात किया जायगा।

विवरण

पूरी मशीनों तथा उपकरणों के आयात के मुकाबले भारत में लगी विदेशी पूंजी का विवरण

(करोड़ रुपयों में)

	भारत में गैर-सरकारी क्षेत्र में लगायी गयी नयी पूंजी	पूरी मशीनों और उपकरणों के आयात का मूल्य*
1963-64**	67.9	338.8
1964-65**	77.7	326.3

*चूंकि आयात के आंकड़े पूरे देश के सम्बन्ध में तैयार किये जाते हैं क्षेत्र-वार नहीं इसलिये सरकारी और गैर-सरकारी क्षेत्रों के आंकड़ों का अलग-अलग विवरण उपलब्ध नहीं है।

**वास्तविक निवेश, जिनमें ये शामिल हैं : (क) भारत में कारबार करने वाली विदेशी कम्पनियों की शाखाओं की वास्तविक विदेशी देनदारियां, (ख) भारतीय संयुक्त पूंजी कम्पनियों के, विदेशियों द्वारा खरीदे गये सामान्य शेयर, जिनमें मुक्त प्रारक्षित निधियों का आनुपातिक अंश शामिल है, विदेशियों द्वारा खरीदे गये तरजीही शेयर और (ग) इन कम्पनियों द्वारा विदेशों की सरकारी संस्थाओं से प्राप्त लम्बे अर्से के ऋण जिनसे स्थिर पूंजी व्यय की व्यवस्था की जाती है।

	भारत में गैर सरकारी क्षेत्र में लगायी गयी नयी पूंजी	पूरी मशीनों और उपकरणों के आयात का मूल्य
1965-66*	35.4	328.6
1966-67*	38.6	301.6
1967-68*	22.3	248.2

Enquiry into Affairs of Former Income-Tax Officer of Kanpur

3803. **Shri Arjun Singh Bhadoria** : Will the Minister of **Finance** be pleased to refer to the reply given to Unstarred Question No. 1534 on the 29th July, 1968 and state ;

(a) whether enquiry in regard to undue favour shown for years to a big industrial concern of Kanpur in the matter of assessment of Income-tax by a former Income-Tax Officer of Kanpur, who mysteriously joined as Income tax Adviser of the said concern has since been completed ;

(b) the reasons given by the said Officer for resigning his post of Income-tax Officer ;

(c) the details regarding the system and standard of enquiry prescribed for enquiring into the property of the said Officer and irregularities committed in the matter of assessing Income-tax of the aforesaid industrial concern ; and

(d) whether Government are aware that attempts are being made to exonerate the said Officer on the basis of the statement and the said Officer was also informed about the aforesaid enquiry ?

The Deputy Prime Minister and Minister of Finance (Shri Morarji Desai) : (a) The enquiry is still not completed.

(b) The Officer tendered his resignation on the ground that he was superseded for promotion as Assistant Commissioner and his representation against his supersession was rejected.

(c) The system and standard of enquiry against persons in Government service is provided in the Central Civil Services (Conduct) Rules, 1964. Since the person concerned has already left Government service, enquiry in respect of the property of the said Officer can only be made under the Income-tax and Wealth-tax Acts.

(d) The Government have no such information.

केन्द्रीय जल तथा विदयुग आयोग के कर्मचारियों का सीमा सड़क विकास बोर्ड में तबादला

3804. **श्री प्र० रं० ठाकुर** : क्या **सिंचाई और विद्युत** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय जल तथा विद्युत आयोग के उन अर्धस्थायी अधिकारियों की तफसील क्या है जिनका संघ लोक सेवा आयोग द्वारा चयन किये जाने पर सीमा सड़क विकास बोर्ड के जनरल रिजर्व इन्जीनियर फोर्स में तबादला किया गया था;

*केवल स्वीकृतियां, इन आंकड़ों से संयुक्त पूंजी वाली भारतीय कम्पनियों द्वारा जारी किये जाने वाले सामान्य और तरजीही शेयरों के सम्बन्ध में दी गयी मंजूरियां प्रकट होती है ।

(ख) क्या आयोग में और अपने मूल पद पर पदावनत किये जाने पर, उनकी वरिष्ठता दिनांक 22 जून, 1961 के गृह-कार्य मन्त्रालय के सरकारी ज्ञापन संख्या 32/2/61-एस्ट (ए) में दी गई हिदायतों के अनुसार निर्धारित की गई है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण थे ;

(घ) क्या किसी विशिष्ट मामले को अनुमोदन अथवा स्पष्टीकरण निमित्त गृह-कार्य मन्त्रालय में भेजा गया था;

(घ) यदि हां, तो गृह-कार्य मन्त्रालय एवं सम्बन्धित मन्त्रालय द्वारा उस पर क्या कार्यवाही की गई है; और

(च) क्या यह सच है कि सम्बन्धित अधिकारियों की वरिष्ठता को पुन: निर्धारित करने के लिये वास्तव में एक वर्ष से अधिक समय पूर्व आदेश जारी किये गये थे, परन्तु बाद में उन्हें रोक लिया गया था; और यदि हां, तो इसके क्या कारण थे ?

सिचाई और विद्युत मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) अपेक्षित जानकारी का एक विवरण सभा-पटल पर रखा गया है ।

[पुस्तकालय में रखा गया । देखिये संख्या एल टी 2605/68]

(ख) और (ग) : सम्बन्धित अधिकारियों की प्रवरता निश्चित करने का प्रश्न इस समय गृह मन्त्रालय के विचाराधीन है । इस बीच उनकी गृह मन्त्रालय के कार्यालय ज्ञापन संख्या 9/11/55 आर० पी० एस०, दिनांक 22-12-1959 के साथ पठित उस मन्त्रालय के कार्यालय ज्ञापन संख्या 32/2/61 ऐस्ट (ए), दिनांक 2-6-1961 के उपबन्धानुसार प्रवरता दे दी गई है ।

(घ) से (च) : गृह मन्त्रालय को लिखने पर उन्होंने यह निर्णय दिया है कि अर्ध स्थायी कर्मचारियों को अपने मूल विभाग में वापिस चले जाने पर जिस पद अथवा ग्रेड में वे अर्ध-स्थायी घोषित हो चुके हैं, उसमें अपनी मूल प्रवरता पुन: ग्रहन करने की अनुमति दी जा सकती है । परन्तु गृह मन्त्रालय की इस सलाह पर, जो सिंचाई व बिजली मन्त्रालय द्वारा सितम्बर, 1967 में अपने संलग्न और अधीनस्थ कार्यालयों में परिपत्रित की गई थी, कोई अमल नहीं किया गया क्योंकि गृह मन्त्रालय ने इसके पश्चात् शीघ्र ही यह सूचना भेज दी थी कि इस मामले पर आगे विचार हो रहा है । गृह-मन्त्रालय संघ लोक सेवा आयोग के साथ इस प्रश्न पर अभी विचार कर रहा है ।

जी० ई० सी० आफ इन्डिया (प्राइवेट) लिमिटेड

3805. **श्री वि० कु० मोंडक :** **श्री पी० राम मूर्ति :**

श्री अब्राहम :

क्या **वित्त** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि जी० ई० सी० आफ इन्डिया (प्राइवेट) लिमिटेड के साथ विलय करने की अनुमति दिये जाने के लिये सरकार को प्रार्थना पत्र भेजा है;

(ख) यदि हां, तो क्या विलय करके बनाई गई कम्पनी की अवैतनिक अध्यक्षता स्वीकार करने के लिये श्री कान्ति भाई देसाई को प्रस्ताव भेजा गया है; और

(ग) यदि हां, तो उन दो प्रस्तावों पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ।

उप-प्रधान मन्त्री तथा वित्त मन्त्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) : जी० ई० सी० इण्डिया से ऐसा कोई औपचारिक प्रार्थना-पत्र प्राप्त नहीं हुआ है जिसमें उसने ए० ई० अ ई० (इण्डिया) को अपने में विलीन करने की अनुमति मांगी हो लेकिन उसने सरकार को सूचित किया है कि उसने समवाय अधिनियम 1956 की धारा 391 के अधीन कलकत्ता उच्च न्यायालय से ऐसे विलय की अनुमति मांगी है। उच्च न्यायालय से विलय की योजना के सम्बन्ध में सूचना की प्रतीक्षा की जा रही है।

(ख) जी, नहीं।

(ग) यह सवाल पैदा ही नहीं होता।

जी० ई० सी० आफ इन्डिया (प्राइवेट) लिमिटेड

3806. **श्री ई० के० नायनार :**
श्री विश्वनाथ मेनन :
श्री सी० के० चक्रपाणि

क्या **वित्त** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय कम्पनियों में विदेशी साम्य अंश पूंजी के प्रश्न पर सरकार की नीति में कोई और परिवर्तन हुआ है;

(ख) यदि हाँ, तो विदेशी स्वामित्व वाली इलैक्ट्रिकल इन्जीनियरिंग कम्पनियों के लिये पब्लिक लिमिटेड कम्पनियों में परिवर्तन किये जाने पर अब न्यूनतम कितनी प्रतिशत भारतीय पूंजी रखना आवश्यक हैं;

(ग) क्या इस न्यूनतम प्रतिशतता में जी० ई० सी० आफ इन्डिया (प्राइवेट) लिमिटेड को विशेष छूट दी गई है; और

(घ) जी० ई० सी० आफ इन्डिया (प्राइवेट) लिमिटेड पब्लिक लिमिटेड कम्पनी में परिवर्तित होने के तुरन्त बाद न्यूनतम कितने प्रतिशत पूंजी भारतीय हिस्सेदारों को देगी ?

उप-प्रधान मन्त्री तथा वित्त मन्त्री (श्री मोरार जी देसाई) : (क) और (ख) : औद्योगिक कार्य में लगी भारत में स्थित शत-प्रतिशत विदेशी स्वामित्व की किसी भारतीय कम्पनी के सम्बन्ध में सरकार की यह नीति है कि वह उस कम्पनी को, जब कभी वह कम्पनी अपने विस्तार के लिये या अपनी वर्तमान निधियों के पूंजीकरण के लिये सरकार से पूंजी निर्गम के सम्बन्ध में प्रस्ताव करे, तब इस बात के लिये प्रेरित करती है कि वह पूंजी के ढांचे में धीरे-धीरे अधिक से अधिक भारतीय पूंजी का समावेश करे। शुरू में, सम्बद्ध कम्पनी को उसकी जारी की गयी पूंजी के कम से कम 25 या 26 प्रतिशत शेयर भारतीयों को देने के लिये कहा जाता है जिसे बाद में, लगभग पांच वर्षों की अवधि में 40 प्रतिशत तक बढ़ाया जाना चाहिये। व्यापार और अभिकरण के काम में लगी हुई विदेशी स्वामित्व की किसी भारतीय कम्पनी को इस बात के लिये प्रेरित किया जाता है कि वह अपनी जारी की गयी पूंजी के शेयरों के कम से कम 51 प्रतिशत शेयर भारतीय राष्ट्रिकों को दे।

(ग) और (घ) : जी० ई० सी० आफ इन्डिया प्राइवेट लिमिटड को जिसने अपनी प्रारक्षित निधियों के पूंजी-करण द्वारा बोनस शेयर जारी करने के सम्बन्ध में सरकार से अनुरोध किया

था, भारतीयों को शेयर बेचने की सामान्य नीति से विशेष छूट नहीं दी गयी है। जी० ई० सी० कम्पनी आफ इन्डिया (प्राइवेट) लिमिटेड को उसकी प्रारक्षित निधियों से 225 लाख रुपये का पूंजी-करण कर के बोनस शेयर जारी करने के लिये पूंजी निगम नियन्त्रण अधिनियम, 1947 के अधीन कुछ शर्तों के साथ अनुमति दी गयी थी। शर्तें ये हैं :—

(i) बोनस शेयर जारी करने के शीघ्र बाद कम्पनी को पब्लिक लिमिटेड कम्पनी में परिवर्तित किया जाय ;

(ii) समवाय अधिनियम, 1956 की धारा 391 के अन्तर्गत कलकत्ता उच्च न्यायालय में अभ्यावेदन प्रस्तुत करके, जैसा कि कम्पनी ने चाहा है, वह एसोसियेटेड, इलेक्ट्रिकल्स (इन्डिया) लिमिटेड नामक विदेशी बहुमत की दूसरी कम्पनी को अपने में मिला सकती है पर शर्त यह है कि वह विलय के 6 महीने के अन्दर अन्दर या ज्यादा से ज्यादा दिसम्बर 1969 के अन्त तक एक विवरण-पत्र द्वारा भारतीय जनता से सामान्य शेयर खरीदने के लिये कहे ताकि स्वीकृत कम्पनी की जारी की गयी सामान्य शेयर पूंजी के कम से कम 26 प्रतिशत शेयर भारतीय जनता खरीद सके। आम जनता के लिये शेयर जारी करने की तारीख से तीन वर्षों के अन्दर अन्दर भारतीय जनता द्वारा खरीदे गये शेयरों का भाग 33.1/3 प्रतिशत तक तथा दिसम्बर 1976 तक 40 प्रतिशत तक और बढ़ाया जाना था।

ऐसा जान पड़ता है कि कम्पनी ने, भेजे गये और सरकार द्वारा मंजूर किये गये—बोनस शेयर जारी करने के–प्रस्तावों पर पुनर्विचार किया है। इस समय कम्पनी कलकत्ता उच्च-न्यायालय में दायर की गयी याचिका के द्वारा केवल विलय के सम्बन्ध में अपने प्रस्ताव पर ही आगे कार्यवाही कर रही है। इसलिये जब तक कलकत्ता उच्च-न्यायालय विलय की योजना की स्वीकृति नहीं दे देता तब तक के लिये भारतीयों द्वारा एकीकृत कम्पनी के शेयर खरीदे जाने का प्रश्न फिलहाल स्थगित हो गया है।

पश्चिम कोसी नहर

3807. **श्री भोगेन्द्र झा** : क्या सिंचाई और विद्युत मन्त्री 11 नवम्बर, 1968 के तारांकित प्रश्न संख्या 17 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नैपाली राज्य क्षेत्र में पश्चिम कोसी नहर के रेखांकन के बारे में नेपाल सरकार का अनुमोदन प्राप्त हो गया है;

(ख) यदि हां, तो उस का ब्यौरा क्या है; और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या नेपाल सरकार पश्चिम कोसी नहर के प्रस्तावित रेखांकन को और उत्तर में ले जाना तथा अर्जित की गई भूमि के लिए अधिक मुआवजा देना चाहती है;

(घ) यदि हाँ, तो इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ङ) यदि नहीं, तो देरी होने के क्या कारण है तथा अनुमोदन शीघ्र किया जाये इसके लिए क्या कार्यवाही की गई है ?

सिंचाई और विद्युत मंत्रालय में उपमन्त्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) :

(क) जी, अभी नहीं।

(ख) मामले को लगातार और उत्साहपूर्वक आगे बढ़ाया जा रहा है ।

(ग) जी, नहीं ।

(घ) प्रश्न नहीं उठता ।

(ङ) मामले को उच्च-स्तर पर उठाया गया है ।

दिल्ली की बृहद् योजना में संशोधन

3808. **श्री भोगेन्द्र झा** : क्या स्वास्थ्य, परिवार नियोजन तथा नगरीय विकास मन्त्री 11 नवम्बर, 1968 के अतारांकित प्रश्न संख्या 43 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली की बृहद् योजना में संशोधन करने का प्रस्ताव इस बीच प्राप्त हो गया है; और

(ख) यदि हां, तो उसके बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

स्वास्थ्य, परिवार नियोजन तथा नगरीय विकास मन्त्रालय में उप-मन्त्री (श्री ब० सू० मूर्ति) :

(क) जी नहीं ।

(ख) यह प्रश्न नहीं उठता ।

Recovery of Radio Goods by Customs Officers

3809. **Shri Sharda Nand** : Will the Minister of **Finance** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that Customs Officers had recovered from the possession of a person radio goods worth about Rs. 4 lakhs at Santa Cruz Airport in October, 1968 ; and

(b) if so, the action taken by Government against the aforesaid arrested person ?

The Deputy Prime Minister and Minister of Finance (Shri Morarji Desai) : (a) In October, 1968, Customs officers at Santa Cruz Airport recovered from a passenger transistors, i.e. parts of wireless receiving sets worth Rs. 3.6 lakhs approximately at Indian market prices.

(b) The person arrested in this connection was released on a bail of Rs. 50,000 by the Magistrate. Further investigations are in progress.

Central Assistance to Rajasthan for Flood-Stricken Area

3810. **Shri Sharda Nand** : Will the Minister of **Finance** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the Rajasthan Government have asked for financial assistance to the tune of about six crores of rupees from the Centre for the flood stricken areas ;

(b) if so, whether the Central Government have agreed to give the full assistance asked for ;

(c) if not, the reasons therefor ; and

(d) the further assistance likely to be given to Rajasthan ?

The Deputy Prime Minister and Minister of Finance (Shri Morarji Desai) : (a) to (d) The Government of Rajasthan had requested for adequate financial assistance towards the expenditure on various relief and rehabilitation measures necessitated on account

of the recent floods. A Central Team visited the State to make a detailed assessment of the requirements in consultation with the State Government. In the light of the Team's recommendations, a ceiling of expenditure of Rs. 3.81 crores has been agreed to for purposes of Central assistance.

An amount of Rs. 2 crores has so far been released to the State Government for various relief and rehabilitation measures. Further assistance will be provided in the light of the progress of expenditure.

दिल्ली के फल व्यापारियों द्वारा कर की चोरी

3811. **श्री अर्जुन सिंह भदौरिया** : क्या वित्त मन्त्री 26 अगस्त, 1968 के अतारांकित प्रश्न संख्या 5826 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि दिल्ली के उन फल व्यापारियों के विरुद्ध की गई कार्यवाही का ब्यौरा क्या है जिनके बारे में कर की चोरी करने का पता लगा है ?

उप प्रधान मन्त्री तथा वित्त मन्त्री (श्री मोरारजी देसाई) : जो आय कर-निर्धारण से बच गयी थी उसे सम्बन्धित निर्धारिती की ही आय मान कर उस पर कर लगाया गया ।

सब्जीमण्डी का आजादपुर ले जाया जाना

3812. **श्री काशीनाथ पाण्डेय** : क्या स्वास्थ्य, परिवार नियोजन तथा नगरीय विकास मन्त्री 26 अगस्त, 1968 के अतारांकित प्रश्न संख्या 5827 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सब्जी मण्डी को इस बीच आजादपुर ले जाया जा चुका है;

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं और इस मण्डी को नये स्थान पर शीघ्र ले जाने के लिए क्या कार्यवाही की जा रही है क्योंकि वर्तमान स्थान पर बहुत गन्दगी है और इस कारण यह गन्दी बस्ती हो गयी है; और

(ग) क्या व्यापारियों से किराये तथा अन्य करों की बकाया धनराशि इस बीच वसूल कर ली गई है ?

स्वास्थ्य, परिवार नियोजन तथा नगरीय विकास मन्त्रालय में उप-मन्त्री (श्री० ब० सू० मूर्ति) :

(क) अभी नहीं ।

(ख) इस क्षेत्र का विकास हो रहा है तथा सेवाएं उपलब्ध की जा रही हैं । ज्योंहि आवश्यक सुविधाओं की व्यवस्था हो जायेगी, स्थानान्तरण कार्य शुरू हो जायेगा ।

(ग) जी नहीं ।

सब्जी मण्डी के नये स्थान आजादपुर में दुकानों के लिए आवेदन पत्र

3813. **श्री काशीनाथ पाण्डेय** : क्या स्वास्थ्य, परिवार नियोजन तथा नगरीय विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि फल तथा सब्जी संघ, सब्जी मण्डी ने सरकार को 1959 से किराया तथा कर नहीं दिये हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार को पता है कि दिल्ली विकास प्राधिकार ने आजादपुर स्थित नई मण्डी में दुकानों के लिए सैकड़ों अभ्यर्थियों को जारी किये गये प्रमाण पत्रों को, प्रत्येक आवेदन पत्र के लिए 25 रुपये लेकर स्वीकार कर लिया है; और

(ग) क्या सरकार का विचार इन प्रमाण पत्रों को स्वीकार करने का है जो उन लोगों को दिए गए थे जिन्होंने अलग-अलग नामों से 10 से 20 आवेदन पत्र दिए थे ?

स्वास्थ्य, परिवार नियोजन तथा नगरीय विकास मंत्रालय में उप-मन्त्री (श्री ब० सू० मूर्ति) : (क) जी हां ।

(ख) और (ग) यूनियन द्वारा दिया गया ऐसा कोई प्रमाण पत्र स्वीकार नहीं किया गया है । प्रत्येक आवेदन पत्र की जांच अभ्यार्थी की पात्रता के आधार पर की जा रही है ।

उत्तर बंगाल में बाढ़ नियन्त्रण के बारे में मानसिंह समिति की सिफारिशें

3814. **श्री म० ला० सोंधी** : क्या **सिंचाई और विद्युत्** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि केन्द्रीय सरकार के उत्तर बंगाल के जिला में बाढ़ नियंत्रण और भूमि संरक्षण के उपाय के लिए नियुक्त की गई मानसिंह समिति की सिफारिशों पर अमल नहीं किया है ; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

सिंचाई और विद्युत मंत्रालय में उपमन्त्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) मानसिंह समिति के विचारार्थ विषय केवल पश्चिम बंगाल के केन्द्रीय और दक्षिणी जिलों में बाढ़ और जल-निकास अवरोध की समस्याओं तक ही सीमित थे । उनकी रिपोर्ट में उत्तर बंगाल के जिले नहीं आते थे ।

(ख) : प्रश्न नहीं उठता ।

Unauthorised Construction of Houses on Land which falls with in Area of P. W. D. Roads

3815. **Shri Molahu Prasad** : Will the Minister of **Works, Housing and Supply** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that certain persons have built pucca houses, kucha houses, shops, gumti on the land which falls within the area of P.W.D. roads such as the roads from Gorakhpur to Barhalganj, Gorakhpur to Gola and Khajni to Bansgaon ;

(b) if so, their number; and

(c) the action taken against the persons who have occupied the land in an unauthorised manner in the area of the said roads ?

The Deputy Minister in the Ministry of Works, Housing and Supply (Shri Iqbal Singh) : (a) to (c) The information is being collected and will be placed on the Table of the House.

साउथ एक्सटेंशन, नई दिल्ली में एक मकान पर छापा

3816. **श्री बाबू राव पटेल** :

क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि साउथ एक्सटेंशन, नई दिल्ली में रहने वाले एक व्यक्ति श्री पी० एल० सूद के मकान पर 21 मई, 1968 को छापा मारा गया था;

(ख) यदि हां, तो वहां से पाई गई विदेशी मुद्रा, तस्करी के सामान, यात्री चैक अथवा अन्य वस्तुओं का ब्यौरा क्या है तथा उनका मूल्य कितना है;

(ग) क्या पाई गई वस्तुओं को जब्त कर लिया गया है तथा उसके विरुद्ध सही-सही क्या कार्यवाही की गई है; और

(घ) श्री पी० एल० सूद क्या काम करता है ?

उप-प्रधान मन्त्री तथा वित्त मन्त्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) साउथ एक्सटेंशन, नई दिल्ली में श्री पी० एल० सूद के यहां राजस्व गुप्तचर्या निदेशालय के अधिकारियों ने 5 मई 1968 को छापा मारा था न कि 21 मई 1968 को।

(ख) और (ग) : इस तलाशी के परिणाम-स्वरूप लगभग 82,000 रुपये के कुल मूल्य के करेन्सी नोट, यात्री चैक और ड्राफ्ट के रूप में निम्नलिखित विदेशी मुद्रा उसके वहाँ से पकड़ी गई थी :—

अमरीकी डालर	9723
पौंड स्टर्लिंग	295
डी० एम०	1020
न्यू फ्रांक	1000

इसके अलावा, 97,015 रुपये की भारतीय मुद्रा भी पकड़ी गयी थी।

निम्नलिखित माल भी पकड़ा गया था, जिसके चोरी-छिपे लाये जाने का विश्वास है :

टेलीविजन सेट	2
टेप रिकार्डर	2
टाइपरायटर	1
सिगरेट लाइटर	2
इलेक्ट्रिक शेवर	2
विदेशी शराब की बोतल	2

जहाँ तक पकड़ी गयी उपर्युक्त विदेशी मुद्रा का सवाल है, प्रवर्तन निदेशालय ने श्री सूद को, विदेशी मुद्रा विनिमय विनियमन अधिनियम 1947 की धारा 23 (3) द्वारा अपेक्षित एक अवसर-नोटिस दिया है जिसके जरिए उससे यह बताने को कहा गया है कि उक्त विदेशी मुद्रा खरीदने के लिए अथवा अन्य किसी प्रकार से उसके अर्जन के लिए उसने भारत के रिजर्व बैंक से कोई सामान्य अथवा विशेष अनुमति पहले से ले रखी थी। इसके अलावा, पकड़े गये दस्तावेजों की छान-बीन के फलस्वरूप के विदेशी मुद्रा विनिमय विनिमयन अधिनियम 1947 के उपबंधों के प्रथम दृष्टया उल्लंघन के सिलसिले में उक्त अधिनियम की धारा 4 (1) तथा 4 (2) के अन्तर्गत 'कारण बताओ' नोटिस भी उसे दिया गया है।

पकड़ी गयी भारतीय मुद्रा भारतीय आयकर अधिनियम में 1961 की धारा 132 (5) के उपबन्धों के अधीन आयकर विभाग द्वारा रख ली गयी है।

पकड़े गये उपर्युक्त माल के बारे में, सीमाशुल्क अधिकारियों द्वारा उसे एक नोटिस देकर कहा गया है कि वह बताए कि क्यों न सीमाशुल्क अधिनियम 1962 की धारा III (घ) के अधीन यह माल जब्त कर लिया जाए और क्यों न धारा 112 के अधीन उस पर वैयक्तिक दण्ड लगाया जाए।

(घ) श्री पी० एल० सूद के धन्धे अथवा कारोबार के सही रूप का पता नहीं हैं।

इंडियन आयरन एण्ड स्टील कम्पनी लिमटेड को विश्व बैंक से ऋण

3817. **डा० रानेन सेन** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि इण्डियन आयरन एण्ड स्टील कम्पनी लिमिटेड ने अपने विस्तार कार्यक्रम के लिये ऋण लेने के बारे में विश्व बैंक के साथ हाल में करार किया है;

(ख) यदि हां, तो यह करार हो जाय इसके लिये सरकार ने क्या कार्यवाही की है; और

(ग) उसकी शर्तें क्या हैं ?

उप-प्रधान मंत्री तथा वित्त मन्त्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) मेसर्स इण्डियन आयरन ऐण्ड स्टील कम्पनी ने इस्पात के उत्पादन का विस्तार करने की अपनी योजना के विदेशी मुद्रा सम्बन्धी खर्च को पूरा करने के लिए और कुछ मशीनों के स्थान पर नयी मशीनों तथा फालतू पुर्जों का आयात करने के लिए 7 जुलाई, 1966 को विश्व बैंक के साथ 3 करोड़ डालर के ऋण के लिए करार किया था।

(ख) विश्व बैंक के अधिकार-पत्र के अनुसार यह आवश्यक है कि जब वह सदस्य देश जिसके क्षेत्र में प्रायोजना स्थित हो, स्वयं ऋण न ले तब वह मूलधन की वापसी तथा ब्याज और दूसरे खर्चों की अदायगी की गारंटी दे। तदनुसार भारत ने इस ऋण की गारंटी दी है।

(ग) **ब्याज** :—समय-समय पर ली गयी और बकाया पड़ी रकम पर 6 प्रतिशत प्रतिवर्ष।

वचनबद्धता-प्रभार :—समय-समय पर न लिये गये मूलधन पर $\frac{3}{4}$ प्रतिशत प्रतिवर्ष।

ऋण की वापसी :—26 छमाही किस्तों में जिनमें पहली किस्त 15 नवम्बर, 1970 को और आखिरी किस्त 15 मई, 1984 को अदा की जायगी।

इंडियन ड्रग्स एण्ड फार्मास्यूटिकल्स में घटना

3818. **श्रीमती सुशीला रोहतगी** : क्या पेट्रोलियम और रसायन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि इंडियन ड्रग्स एण्ड फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड के ऋषिकेश, मद्रास और हैदराबाद स्थित तीनों कारखानों को मिला कर गत वर्ष लगभग एक करोड़ रुपये का घाटा हुआ है; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री रघुरामैया) : (क) और (ख) : मार्च, 1968 तक समाप्त हुए वर्ष के दौरान इंडियन ड्रग्स एण्ड फार्मास्यूटिकल्स में 232.54 लाख

रुपयों का घाटा हुआ था। इसमें मूल्य ह्रास के 58.49 लाख रुपये और ब्याज के 24.22 लाख रुपये शामिल हैं। घाटा निम्न कारणों से हुआ :—

(1) 2.71 लाख रुपये ब्याज और मूल्य ह्रास के रूप में,

(2) मद्रास स्थित सर्जीकल इंस्ट्रूमेंट प्लांट में कम उत्पादन क्योंकि उत्पादन मांग तक सीमित रखा गया था;

(3) वर्ष 1967-68 में ऋषिकेश स्थित एण्टीबायोटिक्स प्लांट तथा हैदराबाद स्थित सिन्थैटिक ड्रग्स प्लांट में निर्माण कार्यों की समाप्ति, परीक्षण, आरम्भ, परीक्षण उत्पादन और औद्योगिक उत्पादन कार्य का होना।

सुवर्ण रेखा नदी पर बांध

3819. **श्री वाल्मीकि चौधरी :** **श्री हिम्मतसिंहका :**

क्या सिंचाई और विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि।

(क) क्या बिहार सरकार ने गेटालसूद के निकट सुवर्णरेखा नदी पर बांध बनाने की योजना हाल में प्रस्तुत की है ;

(ख) यदि हां, तो उस योजना का ब्यौरा क्या है तथा उस पर कितनी लागत आयेगी; और

(ग) उसके बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

सिंचाई और विद्युत मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) और (ख) : बिहार सरकार ने जल-सम्भरण और बिजली-उत्पादन के लिए, गेतलसूद के निकट सुवर्णरेखा नदी पर एक बांध बनाने का प्रस्ताव 1965 में प्रस्तुत किया था। स्कीम में निम्नलिखित का निर्माण परिकल्पित है :—

(1) 2.34 लाख एकड़ फुट के कुल संचय का प्रबन्ध करने के लिए सुवर्ण रेखा नदी के ऊपर 116 फुट ऊंचा, 448 फुट लम्बा बांध जिसके दोनों ओर लगभग कुल 7000 फुट लम्बे मिट्टी के पार्श्व होंगे।

(2) कुल 38,000 फुट लम्बी एक जल नियामक प्रणाली।

(3) चार ताल जिनकी धारण-क्षमता 730 एकड़ फुट होगी।

(4) दो बिजली घर, जिनमें से प्रत्येक की प्रतिष्ठापित क्षमता 60 मैगावाट होगी।

(5) नदी में पानी डालने के लिए 3400 फुट लम्बी कुल्या सुरंग जो कि 2000 फुट लम्बी नाली को नदी से मिला देगी।

(6) इनसे संबद्ध पारेषण-कार्य/स्कीम की अनुमानित लागत 1526.75 लाख रुपये होगी।

(ग) स्कीम को कार्यान्वयन के लिए पहले ही स्वीकार किया जा चुका है और निर्माण कार्य प्रगति कर रहे हैं।

Government Hospital, Pauri Garhwal

3820. **Shri Ram Charan :** **Shri Shiv Charan Lal :**

Will the Minister of **Health, Family Planning and Urban Development** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that Rs. 16 are charged from patients for X-Ray in Pauri Garhwal Government hospital of U. P.;

(b) whether it is also a fact that patients are not given proper medical treatment in the said hospital and they are asked to purchase medicines, etc. from the market; and

(c) if so, the reasons therefor ?

The Deputy Minister in the Ministry of Health, Family Planning and Urban Development (Shri B.S. Murthy) : (a) to (c): The information is being collected and will be laid on the table of the Sabha.

उर्वरकों की खरीद

3821. **श्री उमानाथ :** **श्री के० रमानी :**

श्री प० गोपालन :

क्या निर्माण, आवास तथा पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार उर्वरक खरीदने के बारे में विदेशी उर्वरक कम्पनियों के साथ बातचीत कर रही है ;

(ख) यदि हाँ, तो किन-किन कम्पनियों के साथ बातचीत चल रही है ;

(ग) प्रत्येक कम्पनी के साथ हुई बातचीत का ब्योरा क्या है ; और

(घ) क्या यह सच है कि करार को अन्तिम रूप दिये जाने में देरी कम्पनियों द्वारा अधिक मूल्य मांगे जाने के कारण हुई है ?

निर्माण, आवास तथा पूर्ति मंत्रालय में उपमन्त्री (श्री इकबाल सिंह) : (क) जी हाँ ।

(ख) (i) मैसर्स नाइट्रेक्स ए० जी०
(ii) मैसर्स आई० सी० आई०, यू० के०
(iii) मैसर्स जमन काम्पलैक्स सप्लायर्ज
(iv) मैसर्स साइफ़ा, इटली

(ग) और (घ) : उर्वरकों के मूल्यों तथा सप्लाई की अवधि के सम्बन्ध में बातचीत चल रही है, और वह बातचीत अभी तक जारी है ।

कोलार सोना खानों के उपक्रमों में कर्मचारियों की स्थिति

3822. **श्री जी० वाई० कृष्णन** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान इस बात की ओर दिलाया गया है कि कोलार सोना खानों के उपक्रमों के कर्मचारियों की आवास और सफाई की स्थिति दिन-प्रति दिन खराब हो रही है;

(ख) क्या सरकार का ध्यान इस बात की ओर भी दिलाया गया है कि कोलार सोना खान के उपक्रमों क पहरा और निगरानी कर्मचारियों के क्वार्टर परिवार के रहने योग्य नहीं हैं क्या इसलिये उन्हें बिना परिवार के रहने के लिये बाध्य किया जाता है; और

(ग) यदि हाँ, तो इस स्थिति में सुधार करने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

उप-प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरार जी देसाई) : (क) : कोलार सोना खानों के उपक्रमों में आवास और सफाई की व्यवस्था खराब नहीं हो रही है ।

(ख) : पहरा और निगरानी कर्मचारियों की दो श्रेणियां हैं–सामान्य ड्यूटी वाले पहरेदार और विशेष ड्यूटी वाले पहरेदार। सामान्य ड्यूटी वाले पहरेदारों को परिवार के रहने योग्य आवास दिये जाते हैं और विशेष ड्यूटी वाले पहरेदारों को बिना किराये के, बैरकनुमा आवास दिये जाते हैं। इन्हें बिना परिवार रहने का भत्ता भी दिया जाता है।

(ग) : उपर्युक्त (क) और (ख) को देखते हुए यह सवाल पैदा ही नहीं होता। पर इस सम्बन्ध में यह उल्लेखनीय है कि आवास-व्यवस्था में और अधिक सुधार करने के लिये सरकार ने हाल ही में कंकरीट के 150 मकान बनाने की स्वीकृति दी है।

भारत में बाढ़ से क्षति

3823. **श्री जी० वाई० कृष्णन** : क्या सिंचाई और विद्युत मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि बाढ़ों के कारण देश को प्रति वर्ष बहुत क्षति हो रही है ;

(ख) क्या बाढ़ों से होने वाली क्षति को न्यूनतम करने के लिए कोई वृहद् योजना बनाने का विचार है; और

(ग) यदि नहीं, तो क्या सरकार का विचार इसके लिए कोई तकनीकी समिति नियुक्त करने का है ?

सिंचाई और विद्युत मंत्रालय में उपमन्त्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) : भारत सरकार ने 1957 में देश के भिन्न-भिन्न भागों में बाढ़ समस्या को सुलझाने हेतु उपाय सुझाने के लिये बाढ़ों पर एक उच्च स्तरीय समिति नियुक्त की थी। इस समिति ने अपनी रिपोर्ट में बाढ़ नियन्त्रण के लिये समेकित योजनाओं के तैयार करने की सिफारिश की और वह मोटी रूपरेखा बताई जिस पर ऐसी योजनाएं तैयार होती हैं। राज्य सरकारों से प्रार्थना की गई कि वे इसके अनुसार योजनाएँ तैयार करें। कुछ राज्यों ने पहले से ही योजना-प्रारूप तैयार कर लिए हैं और अन्य राज्य इनको तैयार कर रहे हैं। पिछले कुछ वर्षों में भारत सरकार ने भिन्न-भिन्न राज्यों में विशिष्ट समस्याओं की जांच के लिए बहुत सी तकनीकी विशेषज्ञ समितियां भी नियुक्त की हैं; जिन पर शीघ्र ध्यान देने की आवश्यकता है। हाल ही में उत्तर बंगाल की बाढ़ समस्याओं का अध्ययन करने के लिये एक समिति भी नियुक्त की गई है।

परिवार नियोजन कार्यक्रम के लिये राज्यों को ट्रांजिस्टर

3824. **श्री न० कु० सांघी** : **श्री रामचन्द्र वीरप्पा** :

क्या स्वास्थ्य, परिवार नियोजन तथा नगरीय विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि केन्द्रीय सरकार ने हरियाणा सरकार को परिवार नियोजन कार्यक्रम का प्रचार के लिये ट्रांजिस्टर दिये हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने अन्य राज्यों को भी ट्रांजिस्टर दिये हैं ; और

(ग) यदि हां, तो प्रत्येक राज्य को कितने-कितने ट्रांजिस्टर दिये गये हैं ?

स्वास्थ्य, परिवार नियोजन तथा नगरीय विकास मंत्रालय में राज्य मन्त्री (डा० श्री चन्द्र शेखर) : (क) जी हां । ये ट्रांजिस्टर राज्य सरकार को ग्रामीण परिवार नियोजन केन्द्रों / उपकेन्द्रों में इस्तेमाल के लिए दिए गए हैं ।

(ख) जी हां ।

(ग) अब तक विभिन्न राज्यों को दिए गए ट्रांजिस्टरों की संख्या इस प्रकार है :

हरियाणा	514
महाराष्ट्र	1,821
पंजाब	926
राजस्थान	846
उत्तर प्रदेश	884
कुल संख्या	4,991

अखिल भारतीय कर अधिकारी सम्मेलन

3825. **श्री त्रिदिब कुमार चौधरी** : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारतीय वाणिज्य तथा उद्योग मण्डल संघ के तत्वावधान में 15 और 16 नवम्बर, 1968 को नई दिल्ली में विज्ञान भवन में एक अखिल भारतीय कर अधिकारी सम्मेलन हुआ था जिसमें भारत सरकार के राजस्व तथा व्यय मन्त्री तथा केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड के अध्यक्ष और अन्य सदस्यों ने भाग लिया था;

(ख) इस सम्मेलन में विभिन्न राज्यों से कितने आय-कर आयुक्त आय-कर उपायुक्त तथा अन्य श्रेणियों के कर अधिकारी आये थे;

(ग) इस सम्मेलन में कर अधिकारियों ने क्यों भाग लिया था तथा इसका उद्देश्य क्या था;

(घ) इस सम्मेलन में भाग लेने वाले सरकारी अधिकारियों को यात्रा भत्ता तथा दैनिक भत्ते जैसे अन्य प्रासंगिक व्यय को कौन देता है; और

(ङ) प्रतिनिधि संस्था तथा गैर-सरकारी क्षेत्र व्यापार (प्राइवेट सैक्टर बिजनेस) के तत्वावधान में आयोजित ऐसे सम्मेलनों में सरकार ने अपने कर अधिकारियों को कब से भाग लेने की अनुमति दी है ?

उप-प्रधान मंत्री तथा वित्त मन्त्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) भारतीय वाणिज्य तथा उद्योग मण्डल संघ के तत्वावधान में तृतीय अखिल भारतीय कर-अधिकारी सम्मेलन नई दिल्ली में 15 तथा 16 नवम्बर को हुआ था । इस सम्मेलन का उद्घाटन वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री ने किया। भारतीय वाणिज्य तथा उद्योग मण्डल संघ के नियंत्रण पर केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड के अध्यक्ष तथा अन्य सदस्यों ने सम्मेलन में भाग लिया ।

(ख) इस सम्मेलन में विभिन्न राज्यों से कितने कर-अधिकारियों ने भाग लिया, इस बारे में सूचना उपलब्ध नहीं है । भारतीय वाणिज्य तथा उद्योग मण्डल संघ के नियंत्रण पर दिल्ली के कुछ आयकर आयुक्तों तथा सहायक आयुक्तों ने तथा आयकर विभाग के कुछ अन्य अधिकारियों ने भी इस सम्मेलन में भाग लिया ।

(ग) इस सम्मेलन में कर अधिकारियों के प्रतिनिधित्व का निर्धारण भारतीय वाणिज्य तथा उद्योग मण्डल संघ ने किया था। जैसा कि संघ ने बताया, इस सम्मेलन का उद्देश्य कर-अधिकारियों के बीच सद्भावना तथा अधिक सूझबूझ को बढ़ावा देना तथा कर सम्बन्धी नियमों को युक्ति संगत बनाने तथा कर-प्रशासन का सुधार करने के लिये उनसे लाभदायक सुझाव प्राप्त करना था।

(घ) सम्मेलन में भाग लेने वाले सरकारी अधिकारियों को भारत सरकार अथवा भारतीय वाणिज्य तथा उद्योग मण्डल संघ द्वारा कोई यात्रा भत्ता अथवा दैनिक भत्ता नहीं दिया गया।

(ङ) इस प्रकार के सम्मेलनों में भाग लेने के लिये सरकारी अधिकारियों को सरकार की औपचारिक अनुमति लेना आवश्यक नहीं है।

इण्डियन आयल कारपोरेशन की गतिविधियों का विविधिकरण

3826. **श्री रा० बरुआ** : क्या पेट्रोलियम और रसायन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इण्डियन आयल कारपोरेशन अपनी गतिविधियों के विविधिकरण का कोई योजना बना रही है ;

(ख) यदि हां, तो क्या उडेक्स संयंत्र की स्थापना तथा वाणिज्यिक 'फूड' ग्रेड हैक्सेन का उत्पादन इन विविधिकृत गतिविधियों का भाग है;

(ग) क्या इन गतिविधियों का विस्तार आसाम में भी किया जायेगा; और

(घ) यदि नहीं, तो आसाम राज्य में इस लोकप्रिय मांग को किस प्रकार पूरा करने का सरकार का विचार है ?

पेट्रोलियम और रसायन मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री रघुरामैया) : (क) जी हां, इण्डियन आयल कारपोरेशन के मैमोरेण्डम आफ एस्सोसीयेशन में निहित विषयों की गुंजायश के अन्तर्गत।

(ख) जी हां।

(ग) गोहाटी शोधन शाला में उत्पादन के विविधिकरण के लिये और कदम उठाये जा रहे हैं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

निगमित कर का भार

3827. **श्री रा० कृ० सिंह** : **श्री शिवचन्द्र झा** :

क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अमरीका, ब्रिटेन, फ्रांस तथा जापान की तुलना में भारत में इस समय निगमित कर की दर क्या है और क्या भारतीय वाणिज्य तथा उद्योग मण्डल संघ द्वारा तैयार किये गये एक पत्र में किया गया यह दावा सही है कि भारत में निगमित कर का भार सर्वाधिक है;

(ख) कर की इतनी अधिक दर के क्या कारण हैं; और

(ग) क्या कराधान की दर कम करने के कोई तरीके निकाले जा रहे हैं ?

उप-प्रधान मन्त्री तथा वित्त मन्त्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) सरकार को उपलब्ध

सामग्री से संगृहीत, देशी कम्पनियों की व्यापारिक आय पर भारत में प्रचलित आयकर की वर्तमान दरें तथा अमरीका, ब्रिटेन, फ्रांस और जापान में प्रचलित कर की तदनुरूपी दरें सभा-पटल पर रखे गये विवरण में दी गयी है। [पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 2606/68]

(ख) जी, नहीं।

(ग) तथा (घ) : निगमित तथा गैर-निगमित करदाताओं की आय पर कर की दरों की समीक्षा देश की आर्थिक आवश्यकताओं तथा बजट सम्बन्धी अपेक्षाओं के प्रकाश में प्रति वर्ष की जाती है तथा सरकार के वार्षिक कराधान प्रस्ताव उसी समीक्षा के आधार पर तैयार किये जाते हैं।

चित्रगुप्त रोड, नई दिल्ली में क्वार्टर

3829. **श्री पी० एंथनी रेड्डी :** क्या **निर्माण, आवास तथा पूर्ति** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि चित्रगुप्त रोड पर सभी एक्स, वाई, जेड क्वार्टरों का क्रमशः (निचली मंजिल, दूसरी मंजिल तथा तीसरी मंजिल) वर्गीकरण टाईप III का है और उसका स्टैण्डर्ड किराया लिया जाता है;

(ख) क्या यह भी सच है कि इन ब्लाक में से प्रत्येक में समान सुविधायें उपलब्ध नहीं हैं;

(ग) यदि हाँ, तो इन सभी मकानों के टाईप तीन के वर्गीकरण तथा स्टेण्डर्ड किराया निर्धारित करने में क्या यह पहलू ध्यान में रखा गया है; और

(घ) क्या दूसरी तथा तीसरी मंजिल में रहने वालों को अपनी साईकल, स्कूटर आदि रखने के लिये कोई सुविधायें उपलब्ध की गई हैं ?

निर्माण, आवास तथा पूर्ति मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री इकबाल सिंह) : (क) जी हां। मूल नियम 45-ए के अंतर्गत पूलित मानक किराया (पूल्ड स्टैंडर्ड रेन्ट) अथवा परिलब्धियों का 10 प्रतिशत, इनमें जो भी कम हो, के आधार पर किराया वसूल किया जा रहा है।

(ख) भूमि खंड (ग्राउन्ड फ्लोर), प्रथम खंड (फर्स्ट फ्लोर) तथा द्वितीय खंड (सैकन्ड फ्लोर) में उपलब्ध सुविधाओं में थोड़ा अन्तर है।

(ग) इन फ्लैटों को तृतीय टाईप के रूप में पुनः वर्गीकृत करते समय इन फ्लैटों में उपलब्ध मानक सुविधाओं तथा अन्य-तथ्यों को सरकार ने ध्यान में रखा है।

(घ) जी नहीं।

Houses Built in Madhya Pradesh under Central Housing Schemes

3830. **Shri G. C. Dixit :** Will the Minister of **Works, Housing and Supply** be pleased to state :

(a) the number of new houses built in Madhya Pradesh during the last four years under various Central Housing Schemes ; and

(b) the number of persons benefited thereby ?

The Deputy Minister in the Ministry of Works, Housing and Supply (Shri Iqbal Singh) : (a) and (b) : 8550 houses had been constructed, out of which 8237 houses had been allotted.

Vasectomy Operations in Madhya Pradesh

3831. **Shri G. C. Dixit** ; Will the Minister of **Health, Family Planning and Urban Development** be pleased to state:

(a) the number of persons who underwent operations under the Family Planning Programme in Madhya Pradesh during the period from January to October, 1968 and the district-wise number of men and women amongst such persons ;

(b) the expenditure incurred there on by Government during the above period;

(c) the amount paid to the doctors and the persons for such operations ; and

(d) the amount and the nature of assistance given by the Centre to the Madhya Pradesh Government during 1967-68?

The Minister of State in the Ministry of Health, Family Planning and Urban Development (Dr. S. Chandrasekhar) : (a) On the basis of reports received so far, 79,017 sterilization operations have been performed in Madhya Pradesh during the period from January to October, 1968. Of these district-wise and sex-wise breakup for 9,182 sterilization cases reported to have been done in October, 1968, is not available. A statement showing the break-up of the remaining 69,835 cases is laid on the Table.

(Placed in Library. See No. LT-2607/68)

(b) and (c): The information is being collected from the State Government and will be laid on the Table of the Sabha as soon as it is received.

(d) During the year 1967-68, the State Government was paid an amount of Rs. 179.03 lakhs as provisional payment of Central assistance and Rs. 2.96 lakhs as arrear payment for the year 1965-66 for family planning programme. In addition, conventional contraceptives of the value of Rs. 88,967.85 were also supplied to the State Government during 1967-68 and the amount treated as grant-in-aid.

रसायनिक उद्योगों के लिये लक्ष्य

3832. **श्री बसुमतारी :**

क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मन्त्री 29 जुलाई, 1968 के अतारांकित प्रश्न संख्या 1421 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रसायन उद्योगों के लक्ष्यों के बारे में आवश्यक जानकारी इस बीच एकत्र कर ली गई हैं;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्योरा क्या है;

(ग) क्या यह सच है कि तृतीय पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत निर्धारित लक्ष्यों की वास्तविक प्राप्ति लक्ष्यों से बहुत कम रही है और यदि हां, तो कितनी और उसके क्या कारण हैं; और

(घ) चतुर्थ पंचवर्षीय योजना में रसायन उद्योगों के लिए निर्धारित लक्ष्यों तथा वास्तविक प्राप्ति में अन्तर को रोकने के लिये क्या कार्यवाही किये जाने का विचार है ?

पेट्रोलियम और रसायन मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री के० रघुरामैया) : (क) चौथी योजना के लिये अभी कोई लक्ष्य निर्धारित नहीं किये हैं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

(ग) महत्वपूर्ण रसायनिक उद्योगों के बारे में अपेक्षित सूचना सभा-पटल पर रखे गये विवरण में दी गई है। [पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 2608/68]

(घ) अनुभव प्राप्ति के अनुसार प्रत्येक उद्योग की आवश्यकताओं के लिये उपयुक्त कदम उठाये जायेंगे।

आयातित सोडियम नाइट्रेट का मूल्य

3833. **श्री काशीनाथ पान्डेय :** क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मन्त्री 26 अगस्त, 1968 के अतारांकित प्रश्न संख्या 5741 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आयातित सोडियम नाइट्रेट के मूल्य के बारे में मांगी गई सूचना इस बीच में प्राप्त हो गई है ;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो विलम्ब के क्या कारण हैं ?

पेट्रोलियम और रसायन मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री के० रघुरामैया) : (क) से (ग) कुछ सूचना इकट्ठी कर ली है। सभा-पटल पर रखने से पहले इस पर और जांच की जा रही है।

रसायनों का उत्पादन

3834. **श्री जुगल मन्डल : श्री हिम्मतसिंहका :**

क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मन्त्री 22 जुलाई, 1968 के अतारांकित प्रश्न संख्या 140 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रसायनों के उत्पादन के बारे में सूचना इस बीच एकत्र कर ली गई है;

(ख) यदि हाँ, तो उसका ब्यौरा क्या है;

(ग) उन उद्योगों में गत तीन वर्षों में कुल कितना उत्पादन हुआ और इन वर्षों में प्रत्येक ऐसी वस्तु के कितने आयात की अनुमति दी गई और उन पर कितनी विदेशी मुद्रा व्यय की गई ;

(घ) इन उद्योगों में ऐसे एककों, जो स्थापित किये जा रहे हैं और जिन्होंने अभी तक उत्पादन शुरू नहीं किया है, की प्रगति किस-किस प्रक्रम पर है; और

(ङ) क्या ऐसी किन्हीं वस्तुओं के सरकारी क्षेत्र में निर्माण के लिये कोई संयंत्र है और यदि हाँ, तो उनकी स्थापित क्षमता कितनी है और ऐसे एककों के नाम क्या हैं ?

पेट्रोलियम और रसायन मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री रघुरामैया) : (क) से (ङ) : तक 1968-69 की वार्षिक योजना 31 जुलाई, 1968 को संसद में पेश कर दी थी और कुछ अपेक्षित सूचना उस प्रलेख में उपलब्ध है। यथासंभव पूरी सूचना इकट्ठी की जा रही है।

तेल के कुओं तथा तेल शोधक कारखानों में गैस का उत्पादन

3835. **श्री जुगल मन्डल :**

क्या **पैट्रोलियम और रसायन** मन्त्री 22 जुलाई, 1968 के अतारांकित प्रश्न संख्या 178 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तेल के कुओं तथा तेल शोधक कारखानों में गैस की वार्षिक उत्पादन के बारे में सूचना इस बीच एकत्रित कर ली गई है;

(ख) यदि हाँ, तो उसका ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो विलम्ब के क्या कारण है ?

पेट्रोलियम और रसायन मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री रघुरामैया) : (क) जी, हाँ ।

(ख) एक विवरण सभा-पटल पर रखा गया है । [पुस्तकालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी० 2609/68]

(ग) प्रश्न नहीं उठता ।

Construction of Gainthichora Dam in Pauri Garhwal

3836. **Shri Shiv Charan Lal** : Will the Minister of **Irrigation and Power** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the construction work of Gainthi chhora Dam in Pauri Garhwal District of Uttar Pradesh has not been completed so far ;

(b) if so, the time by which the construction work of the said dam is likely to be completed ;

(c) the names of places to which the electricity produced at the said dam would be supplied ;

(d) whether Government propose to supply the said power to Delchaunri also which is an important place; and

(e) if not, the reasons therefor ?

The Deputy Minister in the Ministry of Irrigation (Shri Sidheshwar Prasad) : (a) and (b): Gainthi Cheera micro hydel scheme in Pauri Garhwal District with an installed capacity of 200 kilowatts is expected to be completed by March, 1969. The scheme does not involve construction of a dam.

(c) Srinagar, Kirtinagar, Pauri and Deoprayag.

(d) Power supply to Delchaunri is not proposed under the Gainthi Cheera scheme.

(e) Electrification of towns other than those mentioned in part (c) above has not been found economically feasible.

गाजियाबाद विकास कार्यक्रम के अधीन लोनी और हींडन के आस-पास का क्षेत्र

3837. **श्री प० मु० सईद** : क्या स्वास्थ्य, परिवार नियोजन तथा नगरीय विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि दिल्ली के सैकड़ों निवासियों, विशेष रूप से केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों ने अपने जीवन की बचत से गाजियाबाद विकास कार्यक्रम के अधीन लोनी और हीडन के आस-पास के क्षेत्र में प्लाट खरीदे हैं;

(ख) क्या यह सच है कि इन कालोनियों में से लगभग दो दर्जन कालोनियों की मूल स्वीकृति की तिथियाँ 1963 से 1966 तक के बीच अनेक तिथियों पर समाप्त हो गई थीं;

(ग) क्या इन कालोनियों के मालिकों ने उनकी ले-आउट योजना का दुबारा नवीकरण करा लिया है, और यदि नहीं, तो वर्तमान स्थिति क्या है; और

(घ) क्या प्लाटों के मालिकों को इन कालोनियों में मकान बनाने की अनुमति प्राप्त है और क्या नियमित क्षेत्र (गाजियाबाद) का कोई निश्चित अधिकारी भवनों के नक्शों की स्वीकृति देता है ?

स्वास्थ्य, परिवार नियोजन तथा नगरीय विकास मन्त्रालय में उप-मन्त्री (श्री ब० सू० मूर्ति)

(क) हींडन के आस-पास के क्षेत्र में 24 तथा लोनी क्षेत्र में 16 प्राइवेट कालोनियां हैं किन्तु प्राइवेट कोलोनाइजरों ने उनके द्वारा जिन व्यक्तियों को भूमि के प्लाट बेचे गये हैं उनकी संख्या के बारे में रेग्यूलेटड एरिया, गाजियाबाद के विहित प्राधिकार को कोई सूचना नहीं दी है।

(ख) कोलोनाइजरों द्वारा अपनी-अपनी कालोनियों में, मंजूरी की तिथि से तीन वर्षों के भीतर-भीतर सारा विकास कार्य पूरा करना अपेक्षित था। दो कालोनियों के सिवाय सभी शेष कालोनियों की मंजूरी की तिथियां 1963 से 1966 के बीच समाप्त हो गई थी।

(ग) प्राइवेट कालोनियों के ले-आउट प्लानों की मंजूरी कायम है। नवीकरण के लिए करार विहित कर दिया गया है। कोलोनाइजरों में से कोई भी अपनी कालोनियों की मंजूरी के नवीकरण कराने के लिए नहीं आये हैं।

(घ) प्लाट धारियों के मकानों के नक्शों की मंजूरी पर विचार किया जा सकता है बशर्ते कि भूमि के प्लाट पर उनका स्वामित्व असंदिग्ध हो तथा वे कालोनियों के ले-आउट प्लान के अन्तर्गत आते हों, और साथ ही प्लाट मालिक अपेक्षित विकास शुल्क अदा करें जिन मामलों में यह रकम देय हो।

Smuggling of Silver out of India

3838. **Shri Shri Gopal Saboo** : Will the Minister of **Finance** be pleased to state :

(a) the quantity of silver seized during the last three years which was being smuggled out of India ;

(b) the manner in which this seized silver was disposed of and whether Government proposed to export this silver ;

(c) if not, whether Government propose to sell this silver within the country so that the price of silver may come down ; and

(d) the action being taken by Government to ensure that silver is not smuggled out of the country ?

The Deputy Prime Minister and Minister of Finance (Shri Morarji Desai) : (a) The total quantity of silver seized by the Customs and Central Excise authorities for attempted export out of the country, yearwise during the last 3 Calendar years, is given below :--

Year	Quantity Kgs.
1965	2,322
1966	19,263
1967	52,935

(b) and (c): After confiscation, silver is deposited in the Government of India's Mints. No proposal to export such silver is under consideration.

(d) Among the important steps taken by Government to check smuggling including the smuggling of silver out of the country are systematic collection and follow-up of information, setting up of reliable informers and keeping a watchful eye on the various gangs of smugglers, rummaging of suspected vessels and aircrafts, patrolling of vulnerable sections of the coastal waters, and the coastline and land frontiers, launching of prosecution in suitable cases in addition to departmental adjudication. The Customs Act is also being suitably amended and a Bill to this effect has been introduced in the Lok Sabha.

सीमा शुल्क प्रक्रिया के कारण हानि

3839. **श्री वृजराज सिंह** : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विदेशी व्यापार सम्बन्धी भारतीय संस्था ने सीमा-शुल्क की विलम्बकारी प्रक्रियाओं की ओर ध्यान दिलाया है जिसके कारण आयातकों को तथा पत्तन से होने वाली आय में भारी हानि होती है ;

(ख) यदि हां, तो स्थिति में सुधार करने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

उप-प्रधान मंत्री तथा वित्त मन्त्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) विदेशी व्यापार सम्बन्धी भारतीय संस्था (दि इण्डिया इन्स्टीटयूट आफ फारेन ट्रेड) "शिपओनर्स प्रोवलम्स एट दि पोर्ट आफ बाम्बे" शीर्षक से जून, 1968 में एक रिपोर्ट प्रकाशित की। अपनी रिपोर्ट में इस संस्था ने लंगर डालने के स्थानों पर जहाजों के अलाभकारी अवरोध के कारणों में एक कारण सामान्य शब्दों में सीमा शुल्क की विलम्बकारी प्रक्रिया को बताया है, यद्यपि उन्होंने किसी विशेष प्रक्रिया की ओर संकेत नहीं किया है और न उन्होंने किसी विशेष उपाय का सुझाव ही दिया है।

(ख) भारत सरकार द्वारा मार्च 1966 में श्री डी० एन० तिवारी, संसद् सदस्य की अध्यक्षता में स्थापित किये गये सीमा शुल्क अध्ययन दल ने अन्य विषयों के साथ-साथ सीमाशुल्क की निकासी प्रक्रिया की भी समीक्षा की है और इन प्रक्रियाओं के सरलीकरण और युक्तियुक्तकरण के उपायों की सिफारिशें की हैं। अध्ययन दल की रिपोर्ट लोक सभा की मेज पर रखी जा चुकी है। अध्ययन दल की बहुत-सी सिफारिशों को सरकार ने स्वीकार कर लिया है और उनको पहले ही लागू किया जा चुका है। शेष सिफारिशे विचाराधीन हैं और इन पर शीघ्र ही निर्णय लिये जाने की सम्भावना है।

Rural Drinking Water Scheme for Sawai Madhopur (Rajasthan)

3840. **Shri Meetha Lal Meena** : Will the Minister of **Health, Family Planning and Urban Development** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that a scheme for installing taps with the assistance of Central Government under the Rural Drinking Water Scheme, in Bamanvas, in Sawai Madhopur (Rajasthan) is under consideration since 1962 ;

(b) whether the scheme has since been sanctioned and if so, the progress made so far in the implementation of the scheme ;

(c) if not, the reasons for the delay ;

(d) whether it is also a fact that a scheme for supplying drinking water to the

villages Shahar, Somp and Kurjeli of Tehsil Nadauti in the said District under the said Scheme is also under consideration ;

(e) if so, the details thereof ;

(f) the time by which the said scheme would be implemented and completed ; and

(g) if not, the reasons therefor ?

The Deputy Minister in the Ministry of Health, Family Planning and Urban Development (Shri B. S. Murthy) : (a) to (c) A scheme for providing water supply to Bamanvas at an estimated cost of Rs. 3.178 lakhs has been sanctioned by the Government of Rajasthan in May, 1968. The State Government have included this scheme for implementation in the current year's programme.

(d) to (g) : A scheme for providing water supply to 10 villages viz. Sop, Sahar, Kunjala, Bandala, Kema, Nadoti, Kemri, Tesgaon, Ronsi and Kemla in Nadanti Tehsil of Sawai Madhopur District, was first received in the Central Public Health Engineering Organisation in February, 1965. The details of the scheme were scrutinised and technical comments of the Central Public Health Engineering Organisation were sent to the State Chief Engineer in June, 1965. The modified proposal were received and discussed with the State Engineers in February, 1968 and the scheme was finally approved by the Central Public Health Engineering Organisation for Rs. 20.66 lakhs in March, 1968.

The Government of India have no information whether the scheme has since been taken up by the State Government for execution.

Scheme for Drinking Water in Rajasthan

3841. **Shri Meetha Lal Meena** : Will the Minister of **Health, Family Planning and Urban Development** be pleased to refer to the reply given to Unstarred Question No. 2534 on the 4th March, 1968 and state :

(a) whether the information regarding scheme drawn up for drinking water and tubewells for drought-hit areas of Rajasthan has since been collected ;

(b) if so, the details thereof ;

(c) if not, the reasons therefor ; and

(d) the details of the information collected so far in this connection ?

The Deputy Minister in the Ministry of Health, Family Planning and Urban Development (Shri B. S. Murthy) : (a) to (d) Complete information regarding details of schemes formulated and implemented by the Government of Rajasthan for the supply of drinking water in the drought-hit areas has not so far been received.

The Government of Rajasthan has only informed that the Government of India (Department of Agriculture) have sanctioned a scheme for construction of 250 tubewells in seven scarcity Districts of Rajasthan. The execution of the project was estimated to cost Rs. 208 lakhs. Upto the end of 1967-68, the Government of India (Department of Agriculture) had sanctioned a loan of Rs. 90.00 lakhs as against the actual expenditure of Rs. 151.63 lakhs.

आर्थिक प्रगति दर में कमी

3842. **श्री न० कु० सांधी : श्री देवकी नन्दन पाटोदिया :**

क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि राष्ट्रीय व्यावहारिक आर्थिक अनुसन्धान परिषद् द्वारा किये गये

अध्ययन के अनुसार आर्थिक प्रगति की दर में 5 प्रतिशत की कमी होगी और योजना आयोग द्वारा निर्धारित लक्ष्य पूरा नहीं हो सकेगा ;

(ख) यदि हाँ, तो उसके क्या कारण हैं ; और

(ग) आगामी दो वर्षों में किस दर पर प्रगति होने की सम्भावना है ?

उप प्रधान मन्त्री तथा वित्त मन्त्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) 'लोहा और इस्पात के लिए दीर्घ कालीन प्रायोजनाएँ" नाम से हाल में किये गये एक अध्ययन के अनुसार राष्ट्रीय व्यावहारिक आर्थिक अनुसंधान परिषद ने यह अनुमान लगाया है कि 1964-65 और 1970-71 के बीच राष्ट्रीय आय 3.1 प्रतिशत की चक वृद्धि दर से बढ़ेगी। चौथी पंचवर्षीय आयोजना (1966) की रूप रेखा के मसौदे में यह अनुमान लगाया गया था कि उपर्युक्त अवधि में 5.5 प्रतिशत की दर से वृद्धि होगी। पर चौथी पंचवर्षीय आयोजना को अभी अन्तिम रूप नहीं दिया गया है इसलिए योजना-आयोग ने इस अवधि के लिए कोई लक्ष्य निर्धारित नहीं किया है। इसलिए, राष्ट्रीय व्यावहारिक आर्थिक अनुसंधान परिषद द्वारा लगाये गये अनुमान की तुलना योजना-आयोग द्वारा निर्धारित लक्ष्यों से नहीं की जा सकती।

(ख) यह सवाल पैदा ही नहीं होता।

(ग) आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं।

विश्व बैंक के अध्यक्ष का भारतीय उद्योगपतियों के साथ परामर्श

3843. **श्री रा० रा० सिंह देव : श्री देवकी नन्दन पाटोदिया : श्री देवेन सेन :**

क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारत सरकार ने हाल में विश्व बैंक के अध्यक्ष की भारत यात्रा के दौरान उनके तथा भारत के प्रमुख उद्योगपतियों और वित्त दाताओं के बीच विचार विमर्श कराया था ;

(ख) यदि हां, तो उनके साथ विचार-विमर्श करने का अवसर किन उद्योगपतियों को दिया गया था ; और

(ग) क्या विचार विमर्श किए गए और उनका क्या परिणाम निकला ?

उप-प्रधान मन्त्री तथा वित्त मन्त्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) से (ग) : हाल में विश्व बैंक के अध्यक्ष श्री मेकनमारा जब भारत आये थे, तो उनको कृषि विकास, औद्योगिक विकास, परिवार नियोजन, शिक्षा, नगर विकास आदि सहित भारत के आर्थिक विकास के विभिन्न पहलुओं का अध्ययन करने और उन्हें समझने का अवसर मिला था। इस सम्बन्ध में कई बैठकों का आयोजन किया गया था और जहां तक उद्योगपतियों और वित्त प्रबन्धकों का सम्बन्ध है, दिल्ली में भारतीय वाणिज्य और उद्योग मंडल संघ के तत्वावधान में उद्योगपतियों के एक दल से, कलकत्ता में भारतीय प्रबन्ध संस्थान के निकाय के सदस्यों और विद्यार्थियों से तथा कुछ उद्योगपतियों और औद्योगिक प्रबन्धकों से, मद्रास में उद्योगपतियों के एक दल से, बम्बई में भारतीय औद्योगिक ऋण और निवेश निगम के निदेशकों के बोर्ड के सदस्यों और कुछ गैर सरकारी उद्योगों से सम्बन्धित

व्यक्तियों से बातचीत करने की व्यवस्था की गयी थी। सभा-पटल पर एक सूची रख दी गयी है जिसमें उन उद्योगपतियों, औद्योगिक प्रबन्धकों, वित्त-प्रबन्धकों और उद्योगों और संघों से सम्बन्धित अन्य व्यक्तियों के नाम दिये गये हैं जो विभिन्न व्यावसायिक या सामाजिक दोनों प्रकार की बैठकों में उपस्थित थे। [पुस्तकालय में रखा गया। देखिये सख्या एल. टी. 2610/68] इन सब बैठकों में अनौपचारिक रूप से विचार विमर्श किया गया था इसलिए इन बैठकों से कोई परिणाम निकलने का प्रश्न पैदा ही नहीं होता।

आन्ध्र प्रदेश में बैंकों द्वारा किसानों को दिये गये ऋण

3844. **श्री द० ब० राजू** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वर्षों में आन्ध्र प्रदेश में कृषि के प्रयोजनों के लिये उर्वरकों तथा ट्रैक्टरों के लिए रिजर्व बैंक आफ इण्डिया तथा अन्य बैंकों ने कृषकों को कितना ऋण दिया; और उन पर कितनी दर से ब्याज लिया गया ; और

(ख) यह सुनिश्चित करने के लिये कि कृषकों को उचित दर पर तुरन्त तथा अधिक ऋण मिल सके, सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ?

उप-प्रधान मंत्री तथा वित्त मन्त्री (श्री मोरार जी देसाई) : (क) रिजर्व बैंक किसानों को सीधे ऋण नहीं देता। आन्ध्र प्रदेश में, किसानों को रासायनिक खाद या ट्रैक्टर खरीदने के लिए बैंकों द्वारा दिये गये ऋणों के सम्बन्ध में अलग-अलग आंकड़े तथा वाणिज्यिक बैंकों द्वारा खेती के लिए दिये गये ऋणों के सम्बन्ध में सूचना उपलब्ध नहीं है। आन्ध्र प्रदेश में, प्राथमिक कृषि ऋण समितियों और केन्द्रीय भूमि बंधक बैंकों द्वारा 1963-64, 1964-65 और 1965-66 में क्रमश: 29. 15, 26.11 और 29. 55 करोड़ रुपये के थोड़ी अवधि, दरमियानी अवधि और लम्बी अवधि के ऋण दिये गये। बैंकों द्वारा लिये जाने वाले ब्याज में ऋण की अवधि, उपलब्ध प्रतिभूति और ऐसी ही अन्य बातों के अनुसार अन्तर हो सकता है।

(ख) रिजर्व बैंक, सहकारी ऋण देने वाली सस्थाओं के लिए, जो कृषि-ऋण देने वाले प्राथमिक अभिकरण हैं, रियायती दर पर काफी मात्रा में वित्त व्यवस्था करता है। जिन राज्यों में सहकारी संस्थाओं की कमी है, उनमें कृषि ऋण निगमों की स्थापना करने का प्रस्ताव भी है। वाणिज्यिक बैंकों ने भी कृषि सम्बन्धी वित्त व्यवस्था करने का काम शुरू कर दिया है और राष्ट्रीय ऋण परिषद् ने भी यह सिफारिश की है कि वाणिज्यिक बैंकों को कृषि के लिए अपनी ऋण सम्बन्धी सुविधाएँ बढ़ानी चाहिए।

बागमती साइफून कार्य

3847. **श्री चन्द्रशेखर सिंह** : क्या **सिंचाई और विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बागमती साइफून निर्माण कार्य की प्रगति इस समय किस स्तर पर है, जिसका ठेका सबसे कम टेंडर देने वाले ठेकेदार को न देकर एक अन्य फर्म को उसकी विश्वसनीयता तथा कार्य को शीघ्र पूर्ण करने के प्रयोजन से अधिक लागत पर दिया गया था; और

(ख) क्या इस निर्माण कार्य में अब तक हुई प्रगति ठेका देते समय निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार है ?

सिंचाई और विद्युत मंत्रालय में उपमन्त्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) संरचना की नींव के लिए कुछ मिट्टी का काम, खुदाई और कूपों को खोदने का काम हो गया है।

(ख) काम की प्रगति ठेका देते समय निर्धारित किये गये कार्यक्रम के अनुसार हुई है परन्तु समग्र परियोजना के हित को ध्यान में रखते हुये एक कार्यकाल के लिए इस संरचना पर काम को स्थगित करने का निर्णय हाल ही में किया गया है।

भागीरथी नदी के उस पार आर० सी० रेगुलेटर के लिए ठेका दिया जाना

3848. **श्री लताफत अली खां** : क्या **सिंचाई और विद्युत्** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भागीरथी नदी के बायें प्रवाह पर आर० सी० रेगुलेटर का ठेका सबसे कम लागत लेने वाले व्यक्ति को दिया गया था ;

(ख) यदि हां, तो उस सार्थ का पहला अनुभव कितना था; और

(ग) इस मामले में अपनाया गया सिद्धान्त बागमारी साइफुन तथा जंगीपुर बांध के लिए ठेका देने के मामले में न अपनाये जाने के क्या कारण हैं ?

सिंचाई और विद्युत मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) जी, हां।

(ख) फर्म ने दक्षिण पूर्वी रेलवे के अधीन दोहरी रेलवे लाइन बनाने से सम्बन्धित विभिन्न कार्य, अर्थात् मृदा-कार्य, पुल बनाना, भवन बनाना और अन्य विविध कार्य किए।

(ग) बागमरी साइफून तथा जंगीपुर बराज पर काम का ठेका देने में सिद्धान्तों का कोई उल्लंघन नहीं हुआ है।

हल्दिया-बरौनी पाइप लाइन बिछाने के लिये बेटचेल को भुगतान

3849. **श्री चन्द्रिका प्रसाद** : क्या **पैट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि हल्दिया बरौनी तेल शोधक कारखानों के बीच पाइप लाइन बिछाने के लिए परामर्शदाता शुल्क रूप में बेटचेल को 16 लाख रुपये दिये गये हैं ;

(ख) क्या यह भी सच है कि भारतीय तेल निगम ने सरकार अथवा निदेशक बोर्ड की स्वीकृति के बिना इस राशि पर सरकार को पूरा आयकर दिया है;

(ग) क्या यह भी सच है कि ऐसा उस अवधि में किया गया जब कि पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय के वर्तमान सचिव पाइपलाइन डिवीजन के प्रबन्ध निदेशक थे; और

(घ) इन बातों को इतनी लम्बी अवधि तक अन्धकार में रखने के क्या कारण हैं ?

पैट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रघुरामैया) (क) हल्दिया-बरौनी-कानपुर पाइपलाइन परियोजना, जिसे इटली के स्नाम ने बनाया था, के रूपांकन, इंजीनियरिंग और निर्माण सम्बन्धी कार्य की देख भाल के शुल्क तथा प्रतिपूर्ति लागतों के रूप में बेक्टेल को 86. 87 लाख रुपये का भुगतान किया था।

(ख) जी नहीं।

(ग) यह सच है कि पैट्रोलियम और रसायन मंत्रालय के वर्तमान सचिव उस समय जब बेक्टेल के साथ करार किया गया था इंडियन रिफाइनरीज लिमिटेड, जिनके अधीन पाइपलाइन प्रभाग था, के प्रबन्ध निदेशक थे ।

(घ) प्रश्न नहीं उठता ।

C. G. H. S. Dispensaries

3850. **Shri Ramavtar Sharma** : Will the Minister of **Health, Family Planning and Urban Development** be pleased to state :

(a) whether Government are aware that patients have to stand in queues at five or six places for getting medicines and consulting doctors in Dispensaries, which are running under Central Government Health Service Scheme and have to wait for a long time in this connection ;

(b) whether Government are also aware that patients have to face both mental and physical hardship on account of standing in queues at five or six places in this manner ; and

(c) if so, the steps being taken by Government to ensure that no patient is required to wait for more than ten or fifteen minutes for the purpose ?

The Deputy Minister in the Ministry of Health, Family Planning and Urban Development (Shri B. S. Murthy) : (a) to (c) : A patient has to stand in queue in the S. G. H. S. dispensaries (i) for consultation with the Medical Officer, (ii) for registration and (iii) at the dispensing counters. In case the patient needs dressing or special medicines, he has to get the same from separate counters. The various counters minimise long queues and ensure quick service. The period of waiting varies, depending upon the number of patients attending the dispensaries and the rush at a particular time.

According to a sample survey carried out in 1964, a patient has to spend, on an average about 30 minutes in getting treatment in C. G. H. S. dispensaries. It is considered that this waiting time is not unduly long.

चांदी की तस्करी के लिये नौसेना के अधिकारी की गिरफ्तारी

3851. **श्री रामावतार शर्मा** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि नौसेना के उप अधिकारी लै० मुम्मद अली और उसके सह अपराधी श्री सी० टी० कुट्टी को चांदी की तस्करी के लिए हाल ही में गिरफ्तार किया गया है ;

(ख) क्या कोई और सह अपराधी भी गिरफ्तार किया गया है ; और

(ग) यदि हां, तो उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है ?

उप-प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) जी, हां ।

(ख) अन्य कोई व्यक्ति अब तक गिरफ्तार नहीं किया गया ।

(ग) जिन दो व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया था, उन्हें मजिस्ट्रेट ने क्रमशः 50,000 रुपये तथा 15,000 रुपये की जमानत पर रिहा कर दिया । जांच-पड़ताल अभी भी जारी है ।

मद्रास और कोचीन में 'फारन' पोस्ट आफिस

3852. **श्री विश्वनाथ मेनन** :

क्या **वित्त** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1 अप्रैल, 1967 से 30 सितम्बर, 1968 की अवधि में मद्रास और कोचीन स्थित 'फारन' पोस्ट आफिसों' में कितनी डाक-वस्तुएं सीमाशुल्क के माध्यम से गई हैं ;

(ख) मद्रास और कोचीन में उक्त अवधि में डाक की इन वस्तुओं पर कितना सीमा-शुल्क वसूल किया गया है ; और

(ग) मद्रास और कोचीन के 'फारन पोस्ट आफिसों' में सीमाशुल्क के कितने मामले रजिस्टर्ड किये गये और विदेशी डाक की आपत्तिजनक वस्तुओं पर कितना जुर्माना वसूल किया गया ?

उप प्रधान मन्त्री तथा वित्त मन्त्री (श्री मोरार जी देसाई) : (क) 1 अप्रैल, 1967 से 30 सितम्बर, 1968 तक की अवधि में मद्रास और कोचीन स्थित विदेश डाकघरों में सीमाशुल्क के जरिये आयात की गई डाक-वस्तुओं की संख्या क्रमश: 1,09,265 और 32,236 है।

(ख) : मद्रास और कोचीन में उसी अवधि में डाक-वस्तुओं पर वसूल किया गया सीमा-शुल्क राजस्व क्रमश: 61,79,619 रु० और 5,22,915 रु० है।

(ग) : उसी अवधि में मद्रास और कोचीन स्थित विदेश डाकघरों में रजिस्टर किये गए सीमाशुल्क विषयक मामलों की संख्या क्रमश: 5,973 और 671 है। मद्रास में वसूल किये गये जुर्माने तथा दण्ड की रकम 1,10,200 रु० है और कोचीन में वसूल किये गए जुर्माने की रकम 18,790 रु० है।

कोचीन सीमाशुल्क कार्यालय द्वारा कोचीन तेलशोधन कारखाने की मशीनों का जब्त किया जाना

3853. **श्री विश्वनाथ मेनन :**

क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मैसर्स पेसिफिक प्रोकोन द्वारा कोचीन तेलशोधक कारखाने के निर्माण के लिए आयात किये जाने वाले निर्माण उपकरणों और मशीनों में से कुल कितनी कीमत के माल को, शोधक कार्य के पूरा हो जाने पर कोचीन सीमा शुल्क विभाग ने जब्त कर लिया या अपने कब्जे में कर लिया है;

(ख) उस सामान के परिरक्षण और सुरक्षा के लिए सीमाशुल्क विभाग ने क्या प्रबन्ध किये हैं ;

(ग) क्या इस सामान की सुरक्षा के अपर्याप्त प्रबन्धों और देखभाल के बारे में कोई शिकायतें प्राप्त हुई हैं ; और

(घ) यदि हां, तो सरकार ने चोरी तथा जंग लगने आदि की हानि से बचाने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ?

उप-प्रधान मन्त्री तथा वित्त मन्त्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) कोचीन तेल शोधन कारखाने के निर्माण के लिए मेसर्स पैसिफिक प्रेकोन द्वारा आयात किये गये निर्माण सम्बन्धी उप करण तथा मशीनरी का कुल मूल्य लगभग 8.20 लाख रुपये है। इस माल के निःशुल्क आयात की अनुमति इस शर्त पर दी गई थी कि इस कारखाने के निर्माण के पश्चात् उसे या तो पूर्नियति

कर दिया जायगा अथवा सीमाशुल्क विभाग को सौंप दिया जायेगा। तदनुसार यह मशीनरी सीमा-शुल्क अधिकारियों को सौंप दी गई है।

(ख) इस प्रकार सौंपी गई भारी मशीनरी की सुरक्षा की दृष्टि से उसके रखने के स्थान के चारों ओर कांटेदार तारों की बाड़ लगा दी गई है, वहां चौबीसों घन्टे पहरा भी रहता है।

(ग) इस सामान के बारे में ऐसी कोई शिकायतें नहीं आई हैं कि उसकी सुरक्षा और पहरे की व्यवस्था अपर्याप्त है।

(घ) यह सवाल नहीं उठता।

बड़े पत्तनों के कस्टम्स कार्यालयों में नियुक्त कर्मचारी

3854. **श्री विश्वनाथ मेनन :**

क्या **वित्त** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1965 से 1968 में अब तक बड़े पत्तनों के कस्टम्स कार्यालयों में लोअर डिवीजन व लर्कों, सिपाहियों, लस्करों, साइरेंजों तथा ड्राइवरों के संवर्गों में पत्तन-वार तथा वर्ष-वार कितने व्यक्ति भरती किये गये ;

(ख) क्या यह भर्ती मन्जूर किए गए नये पदों को भरने के लिए की गई थी:

(ग) प्रत्येक कस्टम्स कार्यालय में रिक्त स्थानों की इस समय क्या स्थिति है और ये स्थान किस-किस तारीख को रिक्त हुये थे;

(घ) क्या रिक्त स्थानों के भरने में विलम्ब के कारण कर्मचारियों की कमी के बारे में कोई शिकायतें मिली हैं; और

(ङ) यदि हां, तो इन पर क्या कार्यवाही की गई है ?

उप-प्रधान मन्त्री वित्त मन्त्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) से (ङ): सूचना इकठ्ठी की जा रही है तथा सदन की मेज पर रख दी जायेगी।

केरल में डी० डी० टी० कारखाना, एलूर के अधिकारी के विरुद्ध जांच

3855. **श्री विश्वनाथ मेनन :**

क्या **पैट्रोलियम और रसायन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि केरल में एलूर स्थित डी० डी० टी० कारखाने के अधिकारियों के विरुद्ध भ्रष्टाचार के आरोपों की कोई जांच की जा रही थी ;

(ख) क्या यह जांच केन्द्रीय जांच विभाग द्वारा की गई थी और क्या जांच पूरी हो गई है ; और

(ग) यदि हां, तो अपराधियों के विरुद्ध औपचारिक रूप में फौजदारी कार्यवाही न करने के क्या कारण हैं ?

पैट्रोलियम और रसायन मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री रघुरामैया) :

(क) जी हां, डी० डी० टी० कारखाना अल्वाय (केरल) के कुछ अधिकारियों के विरुद्ध।

(ख) जी नहीं। केन्द्रीय जांच विभाग से शिकायतें प्राप्त हुई थी। प्रारम्भिक जांच से मालूम हुआ है कि भ्रष्टाचार का कोई मामला नहीं था।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

कस्टम्स कार्यालय, कोचीन

3856. **श्री विश्वनाथ मेनन** : क्या **वित्त** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कोचीन, मद्रास, गोआ तथा विशाखापटनम के सीमा-शुल्क कोषाध्यक्षों द्वारा कितनी राशि की नकद अदायगी की जाती हैं ;

(ख) उक्त कस्टम्स कार्यालयों में नकद अदायगी करने वाले अनुसचिवीय अराजपत्रित अधिकारियों के वेतनक्रम तथा पदनाम क्या हैं;

(ग) उपर्युक्त प्रत्येक कस्टम्स कार्यालय में ऐसे अधिकारियों को कितनी जमानत देनी पड़ती है;

(घ) क्या कोचीन कस्टम्स कार्यालय के सम्बन्ध में ऐसे अधिकारियों की पद-स्थिति वेतनक्रम तथा उनके द्वारा दी जाने वाली जमानत के बारे में कोई विषमता है; और

(ङ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

उप-प्रधान मन्त्री तथा वित्त मन्त्री (श्री मोरारजी देसाई): (क) से (ङ) : सूचना इकट्ठी की जा रही है और सदन की मेज पर रख दी जायगी।

फिल्म ग में कर अपवंचन

3857. **श्री बसुमतारी** : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले दो वर्षों में फिल्म उद्योग में कर अपवंचन को रोकने के लिये सरकार ने क्या कार्यवाही की है और उसके क्या परिणाम निकले हैं;

(ख) फिल्म उद्योग के ऐसे सौ प्रमुख कर-अपवंचकों के क्या नाम हैं जिनके विरुद्ध शिकायतें प्राप्त हुई हैं और उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है; और

(ग) कुल कितनी धनराशि का कर-अपवंचन हुआ ?

उप-प्रधान मन्त्री तथा वित्त मन्त्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) निम्नलिखित उपाय किये गये हैं :

(1) जिन मामलों में बड़े पैमाने पर कर-अपवंचन का संदेह किया गया है उन्हें पूरी जांच-पड़ताल के लिए केन्द्रीय परिमण्डलों को सौंप दिया गया है।

(2) जिन मामलों में कर-अपवंचन साबित हो चुका है उनमें इस्तगासे की कार्यवाही कर दी गयी है।

(3) जिन मामलों में तलाशी लेनी आवश्यक थीं उनमें तलाशियां ली गयी हैं।

(4) कानून में ऐसा संशोधन कर दिया गया है जिसके अनुसार 2500 रुपये से अधिक के व्ययों को छूट नहीं दी जाएगी, यदि वे अदायगियां क्रास-चैक द्वारा न की गयी हों।

(5) करदाताओं के सम्बन्धियों को की गयी अदायगियां यदि बहुत अधिक अथवा अनुचित समझी जाएं तो तद्विषयक छूट नामंजूर की जा सकती है।

(6) फिल्म उद्योग द्वारा किये जाने वाले कर-अपवंचन को रोकने के उपाय सुझाने के लिए लिए विभाग ने अधिकारियों की एक समिति नियुक्त की थी। इसकी रिपोर्ट मिल चुकी है और उस पर विचार किया जा रहा है। परिणामों का इतने जल्दी अनुमान लगा सकना काफी समयपूर्व होगा लेकिन इतना अवश्य हुआ है कि फिल्म उद्योग के कुछ व्यक्तियों ने अपने द्वारा छिपायी गयी आय को कर-निर्धारण के लिए पहले ही जाहिर कर दिया है।

(ख) कर-अपवंचन में ग्रस्त फिल्म उद्योग के उन 100 शीर्षस्थ व्यक्तियों के बारे में जिनके कि बारे में शिकायतें प्राप्त हुई हैं—तब तक निश्चय पूर्वक नहीं कहा जा सकता है जब तक कि अपीलों के बाद कर-निर्धारणों को अन्तिम रूप नहीं दे दिया जाता और छिपायी गयी रकम के सही-सही आंकड़े निश्चित नहीं हो जाते। कर अपवंचन सम्बन्धी सभी शिकायतों की जांच की जाती है और यदि वे सही पायी जाती हैं तो उस आय के कर-निर्धारण के लिए कार्यवाही की जाती है जो कर-निर्धारण से बच निकली थी। दण्ड सम्बन्धी अन्य उपबन्ध भी प्रत्येक मामले की परिस्थितियों के अनुसार लागू किये जाते हैं।

(घ) यह सवाल नहीं उठता।

पांचवे वित्त आयोग का प्रतिवेदन

3858. **श्री देवकीनन्दन पाटोदिया : श्री वासुदेवन नायर :**

क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पांचवें वित्त आयोग ने अन्तरिम प्रतिवेदन प्रस्तुत कर दिया है; और

(ख) यदि हां, तो इस प्रतिवेदन की सिफारिशों के बारे में राज्य सरकारों की क्या प्रतिक्रियाएँ हैं ?

उप-प्रधान मन्त्री तथा वित्त मन्त्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) आयोग की अन्तरिम रिपोर्ट, उस पर की गयी कार्रवाई के व्याख्यात्मक ज्ञापन के साथ 18 नवम्बर, 1968 को सभा की मेज पर रख दी गयी है।

(ख) किसी राज्य सरकार से ऐसी कोई औपचारिक सूचना नहीं मिली है जिससे रिपोर्ट में की गयी सिफारिशों के बारे में उसकी प्रतिक्रियाएँ मालूम हों।

गवर्नमैंट कालेज मनीपुर में प्री-मैडीकल पाठ्यक्रम आरंभ करना

3859. **श्री एम० मेघचन्द्र : क्या स्वास्थ्य, परिवार नियोजन तथा नगरीय विकास मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सत्र 1969-70 से गवर्नमेंट कालेज ऑफ मनीपुर में प्री-मैडीकल पाठ्यक्रम आरंभ किया जा रहा है;

(ख) क्या सरकार इम्फाल में प्रादेशिक आधार पर एक मैडीकल कालेज खोलने के प्रश्न पर विचार कर रही है; और

(ग) क्या मनीपुर सरकार ने केन्द्रीय सरकार से उक्त कालेज को वर्ष 1970 से आरम्भ करने के लिये कहा है ?

स्वास्थ्य, परिवार नियोजन तथा नगरीय विकास मंत्रालय में उप-मन्त्री (श्री ब० सू० मूर्ति):

(क) गौहाटी विश्वविद्यालय ने मणिपुर सरकार का उनके साइन्स कालिज में प्रीमेडिकल पाठ्यक्रम चलाने का प्रस्ताव अभी नहीं माना है।

(ख) प्रादेशिक आधार पर मेडिकल कालिजों के खोलने के लिये इस समय कोई योजना नहीं है।

(ग) जी हां।

आजादपुर, दिल्ली में नई सब्जी मण्डी

3860. **श्री कृ० मा० कौशिक** : क्या स्वास्थ्य, परिवार नियोजन तथा नगरीय विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली विकास प्राधिकार ने सब्जी मण्डी के लिये आजादपुर दिल्ली में कितनी कीमत की भूमि का अधिग्रहण किया है और उन दुकानदारों से, जिनको भूमि दी जायेगी, विकसित भूमि का क्या मूल्य लेने का प्रस्ताव है ; और

(ख) दुकानों को अलाट करने की और पुनर्वास के लिए अग्रिम ऋण देने की क्या कसौटी है ?

स्वास्थ्य, परिवार नियोजन तथा नगरीय विकास मंत्रालय में उप-मन्त्री (श्री ब० सू० मूर्ति): (क) और (ख) : यह मामला अभी भी दिल्ली विकास प्राधिकार के विचाराधीन है। अभी तक अन्तिम निर्णय नहीं किया गया है। नई सब्जी मण्डी आजादपुर के लिये अर्जित की गई भूमि की कीमत के बारे में सूचना एकत्र की जा रही है तथा सभा पटल पर रख दी जायेगी।

दिल्ली बृहद् योजना में सब्जीमंडी के लिये व्यवस्था

3861. **श्री रा० ढों० भंडारे** : क्या स्वास्थ्य, परिवार नियोजन तथा नगरीय विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली की बृहद् योजना में दिल्ली के सब्जी मंडी क्षेत्र के वर्तमान स्थान पर एक मंडी के लिये उपबन्ध है और सब्जी मंडी के चारों ओर काफी भूमि खाली पड़ी है जिसे एक अधिक बड़ी मंडी में बदला जा सकता है ; और

(ख) यदि हां, तो नगर के मध्य से वर्तमान सब्जी मंडी को हटा कर आजादपुर के दूर-दराज क्षेत्र में ले जाने के क्या कारण हैं ?

स्वास्थ्य, परिवार नियोजन तथा नगरीय विकास मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री ब० सू० मूर्ति): (क) और (ख) दिल्ली के मास्टर प्लान के अनुसार खलों और सब्जी की थोक बिक्री की मार्केट का निर्माण वर्तमान सब्जी मंडी के स्थान पर यथासमय किया जा सकता है। वैसे, सब्जी मंडी का वर्तमान क्षेत्र तथा उसके आस-पास की भूमि बहुत अधिक बनी आबादी से घिरी हुई है और इस उद्देश्य के लिए पूर्णतः अनुपयुक्त है। वर्तमान सब्जी मंडी क्षेत्र में मई, 1968 में आग लगने की एक भयंकर घटना भी घटी जिसका परिणाम यह हुआ कि अधिकांश दुकाने या तो नष्ट हो गई अथवा म्युनिसिपल अधिकारियों ने उन्हें खतरनाक घोषित कर दिया। आजादपुर का नया स्थान खुला है और इसकी स्थिति भी अच्छी है। नई सब्जी मंडी के पूर्वी भाग की ओर एक

ट्रक-टरमिनल होगा जिससे शहर के भीतरी भागों में भारी वाहनों का आवागमन और इससे होने वाले यातायात सम्बन्धी जोखिमों में भी कमी होगी।

नदियों में मिट्टी तथा रेत जमा हो जाने से 24 परगना का जलमग्न होना

3862. **श्री कं० हाल्दर :** **श्री सु० कु० तापड़िया :**

क्या **सिंचाई और विद्युत** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि 24 परगना से कलकत्ता नगर तक का बड़ा भूभाग नदियों तथा नहरों में रेत जमा हो जाने के कारण भारी वर्षा के पानी से जलमग्न हो गया है ; और

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का इस मामले में कार्यवाही करने का विचार है ताकि खेतीहर भूमि और मकान क्षतिग्रस्त न हों ?

सिंचाई और विद्युत मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) जी, हां।

(ख) पश्चिम बंगाल की सरकार ने सूचना दी है कि 948 लाख रुपये की अनुमानित लागत की नौ जल निस्सार स्कीमों को कार्यान्वित किया जा रहा है। चार और स्कीमें भी तैयार की गई हैं। आशा है कि इन सब स्कीमों के पूरा होने पर, जल अवरोध काफी हद तक दूर हो जायेगा।

पालना (राजस्थान) में ताप बिजली घर

3863. **डा० कर्णी सिंह** : क्या **सिंचाई और विद्युत्** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राजस्थान में पालना में ताप बिजली घर परियोजना की वर्तमान स्थिति क्या है तथा इसके कब तक चालू होने की संभावना है ; और

(ख) इस में कितनी बिजली पैदा होगी तथा क्या यह बीकानेर और जोधपुर क्षेत्रों के औद्योगिक विकास की आवश्यकताओं को पूरा कर सकेगी ?

सिंचाई और विद्युत मंत्रालय में उपमन्त्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद): (क) पालना में भूरे कोयले के भंडारों का जब तक विस्तृत अन्वेषण नहीं हो जाता, राजस्थान सरकार से कहा गया था कि वे 50 मैगावाट के एक यूनिट अथवा 30-30 मैगावाट के दो यूनिटों के प्रतिष्ठापन के लिए एक स्कीम रिपोर्ट तैयार कर प्रस्तुत करें। यह स्कीम रिपोर्ट अभी तक नहीं आई है।

(ख) स्कीम रिपोर्ट मिलने के बाद ही ब्यौरे का पता लगेगा।

नायलोन कपड़े की सप्लाई के लिये ठेके

3864. **श्री बसुमतारी** :

क्या **निर्माण, आवास तथा पूर्ति** मन्त्री 11 नवम्बर, 1968 के अतारांकित प्रश्न संख्या 66 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि नायलोन के कम भार वाले कपड़े की सप्लाई करने के लिये किन-किन फर्मों को ठेके दिये गये थे ?

निर्माण, आवास तथा पूर्ति मन्त्रालय में उप-मन्त्री (श्री इकबाल सिंह) :

पूर्ति और निपटान महानिदेशालय द्वारा 1965-66 में नायलोन के कम भार (1.1 औंस)

के कपड़े की सप्लाई के लिए ठेके निम्नलिखित पार्टियों को दिए गए थे :–

1. मैसर्स पन्नालाल सिल्क मिल्स (प्राइवेट) लिमिटिड, बम्बई ।
2. मैसर्स कमला मिल्स लिमिटिड, बम्बई ।
3. मैसर्स न्यू ओरियेन्टल सिल्क मिल्स (प्राइवेट) लिमिटिड, बम्बई ।
4. मैसर्स साधना टेक्सटाइल मिल्स (प्राइवेट) लिमिटिड, बम्बई ।
5. मैसर्स जैफब्स रेयन इंडस्ट्रीज (प्राइवेट) लिमिटिड, बम्बई ।

पश्चिम बंगाल में बाढ़ नियंत्रण परियोजनाएं

3865. **श्री समर गुह :**

क्या **सिंचाई और विद्युत** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या पश्चिमी बंगाल सरकार ने राज्य में बाढ़ नियन्त्रण के स्थायी उपायों के बारे में बहुत सी परियोजनायें पेश की हैं ;

(ख) यदि हां, तो वे क्या हैं और बाढ़ नियन्त्रण के उपायों पर कितना खर्च होने का अनुमान है ; और

(ग) क्या सरकार ने इन परियोजनाओं को स्वीकार कर लिया है और इन्हें चौथी योजना में शामिल करने की सिफारिश की है ?

सिंचाई और विद्युत मंत्रालय में उप-मन्त्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) (क), से (ग) : पश्चिम बंगाल सरकार ने निम्नलिखित बाढ़ सुरक्षा और जलनिकास स्कीमें प्रस्तुत की हैं :

(1) 199.08 लाख रुपये की अनुमानित लागत पर मिदनापुर जिले में दूबदा बेसिन जल-निकास स्कीम ।

(2) 47.83 लाख रुपये की अनुमानित लागत पर मिदनापुर जिले में कोंटाई बेसिन जल-निकास स्कीम (चरण-2)

(3) 19· लाख रुपये की अनुमानित लागत पर मिदनापुर जिले में कालियाघई नदी और इसकी उप-शाखाओं के पुनरुज्जीवन के लिए स्कीम ।

(4) 53.27 लाख रुपये की अनुमानित लागत पर 24-परगना जिले में बील-बाली जल-निकास स्कीम ।

(5) 27.97 लाख रुपये की अनुमानित लागत पर बर्दवान जिले में (भाग 'ख') कलना में भागीरथी के दायें अपरदित तट की सुरक्षा ।

उपर्युक्त संख्या (4) की स्कीम की, योजना आयोग के अनुमोदन के लिए सिफारिश की गई है । शेष स्कीमों के बारे में राज्य बाढ़ नियन्त्रण बोर्ड की स्वीकृति की अभी प्रतीक्षा की जा रही है । राज्य बाढ़ नियन्त्रण बोर्ड की स्वीकृति आने पर स्कीमों पर योजना आयोग के साथ और आगे विचार किया जायेगा ।

जब तक योजना आयोग नई स्कीमों के लिए स्वीकृति नहीं दे देता, तब तक सिंचाई के लिए कार्यकारी दल में, चौथी योजना के दौरान पश्चिम बंगाल में नई बाढ़ नियंत्रण और जल-निकास स्कीमों के लिए, 2050 लाख रुपये की एक मुश्त धनराशि की व्यवस्था के लिए सिफारिश की है ।

वेतनों की उच्चतम सीमा निश्चित करना

3866. **श्री लोबो प्रभु :**

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इन समाचारों को ध्यान में रखते हुए कि 5,000 रुपये और इससे अधिक वेतन पाने वाले वर्ग में भारतीयों की संख्या जो 1964 में 165 थी वह 1967 में बढ़ कर 371 हो गई है और 3,000 रुपये से अधिक वेतन पाने वाले सरकारी कर्मचारियों की संख्या 100 से बढ़ कर 200 हो गई है, सरकार ने वेतनों की उच्चतम सीमा निश्चित करने की आवश्यकता पर विचार किया है;

(ख) क्या सरकार को ऐसी सूचनायें प्राप्त हुई हैं कि सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों में उनके कर्मचारियों पर गैर-सरकारी क्षेत्र में अधिक वेतन पाने वाले ऐसे ही कर्मचारियों का बुरा प्रभाव पड़ता है; और

(ग) क्या सरकार का विचार तब तक वेतन में अग्रेतर वृद्धि करने पर रोक लगाने का है जब तक अर्थव्यस्था में सुधार नहीं हो जाता और रोजगार के अवसर बढ़ नहीं जाते ?

उप-प्रधान मन्त्री तथा वित्त मन्त्री (श्री मोरार जी देसाई) : (क) जी नहीं ।

(ख) प्रशासनिक सुधार आयोग के अध्ययन दल ने 'सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों' विषयक अपनी रिपोर्ट में यह बताया है कि सरकारी उपक्रमों के उच्च अधिकारियों के वेतन गैर-सरकारी संस्थानों के उच्च अधिकारियों के वेतन से बहुत कम हैं। दल का विचार है कि यदि सरकारी क्षेत्र में वेतन-ढांचा गैर सरकारी क्षेत्र में विद्यमान वेतन-ढांचे से काफी कम रखा गया तो सरकारी क्षेत्र को विरल प्रबन्धक योग्यता वाले समपदीय अधिकारियों को पाने की होड़ में गैर सरकारी क्षेत्र के मुकाबले कठिनाई आयेगी ।

(ग) जहां तक केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों का प्रश्न है, 30 जून, 1969 तक प्रभावी रहने वाले वेतन ढांचे का किसी भी स्तर पर संशोधन करने पर पहले से ही रोक है । सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों में भी ऐसे उच्च पदों तथा अन्य पदों के सम्बन्ध में ऐसी ही रोक लगा दी गयी है जिनके निर्माण अथवा जिन पर नियुक्ति लये राष्ट्रपति/केन्द्रीय सरकार की अनुमति की आवश्यकता है ।

दिल्ली में आजादपुर में सब्जीमण्डी

3867. **श्री धीरेन्द्र नाथ देव : क्या स्वास्थ्य, परिवार नियोजन तथा नगरीय विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली की वर्तमान सब्जीमण्डी को आजादपुर क्षेत्र में स्थानान्तरित करने के लिये कितनी भूमि का अर्जन किया गया है और निर्मित की जाने वाली प्रत्येक दुकान की लम्बाई तथा चौड़ाई कितनी होगी ;

(ख) क्या यह सच है कि फल तथा सब्जी व्यापारी संघ ने प्रस्तावित सब्जीमण्डी के अन्तिम नक्शे का अनुमोदन करा लिया है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

स्वास्थ्य, परिवार नियोजन तथा नगरीय विकास मंत्रालय में उप-मंत्री : (श्री ब० सु० मूर्ति . (क) आजादपुर के निकट नई सब्जी मण्डी के लिए लगभग 30 एकड़ भूमि निर्धारित कर दी गई है। 12'×53', 10'×18' और 12'×15' वाले दुकानों के प्लाट काटने का प्रस्ताव है। इन दुकानों के प्लाटो के इन साइजों में संशोधन/समायोजन किया जा सकता है।

(ख) और (ग) : आजादपुर के निकट नई सब्जीमण्डी का नक्शा तैयार हो गया है और दिल्ली विकास प्राधिकार ने उसे मंजूरी दे दी है।

उड़ीसा को केन्द्रीय सहायता

3868. **श्री क० प्र० सिंह देव** : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उड़ीसा सरकार ने चक्रवात से बरबाद हो गये जिलों में सहायता तथा पुनर्वास कार्य के लिये 8 करोड़ रुपये की केन्द्रीय सहायता मांगी है;

(ख) यदि हां, तो क्या केन्द्रीय सरकार उड़ीसा सरकार द्वारा माँगी गई वित्तीय सहायता देने के लिये सहमत हो गयी है;

(ग) यदि नहीं, तो उक्त प्रयोजन के लिये उड़ीसा सरकार को कितनी वित्तीय सहायता देने का केन्द्रीय सरकार का विचार है; और

(घ) उड़ीसा सरकार द्वारा मांगी गई पूरी सहायता न देने के क्या कारण हैं ?

उप-प्रधान मन्त्री तथा वित्त मन्त्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) से (घ) : उड़ीसा सरकार ने हाल के बवंडर के कारण किये जाने वाले सहायता कार्यों के लिए पर्याप्त वित्तीय सहायता देने का अनुरोध किया था। एक केन्द्रीय दल ने राज्य सरकार के परामर्श से स्थिति की विस्तृत जांच करने के लिए राज्य का दौरा किया था। दल की रिपोर्ट को ध्यान में रखकर भारत सरकार ने चालू वित्तीय वर्ष में की जाने वाली, सहायता और पुनर्वास की विभिन्न व्यवस्थाओं के लिए केन्द्रीय सहायता देने के लिए 5.33 करोड़ रुपये की अधिकतम सीमा निर्धारित कर दी है। राज्य सरकार को एक करोड़ रुपये की रकम पहले ही दे दी गयी है तथा और अधिक सहायता वास्तविक खर्च को देखकर दी जायगी।

आसाम तेल कम्पनी द्वारा पैट्रोलियम कोक का उत्पादन

3869. **श्री हिम्मतसिंहका** :

क्या **पैट्रोलियम और रसायन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि आसाम तेल कम्पनी को अपने उत्पादन-प्रणाली में परिवर्तन करने की इजाजत दे दी गई है जिसमें पैट्रोलियम कोक का उत्पादन बन्द कर दिया गया है;

(ख) क्या यह भी सच है कि अपनी प्रणाली में परिवर्तन किये जाने से आसाम तेल कम्पनी ऐसे उत्पादन तैयार करने लगेगी जो देश में पहले ही फालतू हैं;

(ग) क्या सरकार आसाम तेल कम्पनी को यह कहने के प्रश्न पर विचार कर रही

है कि वह पैट्रोलियम कोक का उत्पादन बन्द करे और वह इसका उत्पादन करती रहे; और

(घ) क्या आसाम तेल समवाय अपने कर्मचारियों को पैट्रोलियम कोक घरेलू ईंधन के रूप में बेचती रही है, और यदि हां, तो इस उत्पादन के इस प्रकार के उपयोग को रोकने के लिये क्या कार्यवाही करने का सरकार का विचार है ?

पैट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रघुरामैया) :

(क) जी नहीं।

(ख) और (ग) : प्रश्न नहीं उठता।

(घ) जी हां। सरकार ने आसाम आयल कम्पनी को यह जांच करने को कहा है कि क्या कच्चे पैट्रोलियम कोक की इस मात्रा को औद्योगिक प्रयोग के लिए दिया जा सकता है।

लाजपत नगर के निकट गढ़ी जरिया मरिया ग्राम में पीने के पानी की कमी

3870. **श्री महन्त दिग्विजय नाथ :** क्या **स्वास्थ्य, परिवार नियोजन तथा नगरीय विकास** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि लाजपत नगर, नई दिल्ली के निकट गढ़ी जरिया मरिया ग्राम के निवासियों को पीने के पानी की कमी के कारण बड़ी कठिनाई हो रही है;

(ख) यदि हां, तो क्या यह भी सच है कि 10,000 से भी अधिक जनसंख्या वाले इस समूचे ग्राम में केवल दो ही सार्वजनिक नल हैं;

(ग) यदि हां, तो क्या यह भी सच है कि ये दोनों नलों में केवल दो घन्टे प्रातः काल तथा दो घन्टे सायंकाल पानी आता है;

(घ) यदि हां, तो क्या इस ग्राम के निवासियों के लिये पीने के पानी की व्यवस्था करने का सरकार का विचार है; और

(ङ) यदि हां, तो कब ?

स्वास्थ्य, परिवार नियोजन एवं नगर विकास मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री ब० सू० मूर्ति) :

(क) से (ङ) दिल्ली नगर निगम से अपेक्षित सूचना की प्रतीक्षा की जा रही है और प्राप्त होने पर यथाशीघ्र सभा-पटल पर रख दी जायेगी।

गंगा नदी द्वारा बलियाबंध का कटाव

3871. **श्री महन्त दिग्विजय नाथ :** क्या **सिंचाई और विद्युत** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उत्तर प्रदेश के बलिया जिले में गंगा नदी द्वारा बलिया बाँध का लगातार कटाव किया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो अब तक बांध को कितनी क्षति पहुंची है; और

(ग) बांध की सुरक्षा के लिए सरकार क्या कार्यवाही कर रही है ?

सिंचाई और विद्युत मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) :

(क) जी, हां ।

(ख) बांध को अभी तक कोई क्षति नहीं हुई है ।

(ग) राज्य सरकार अस्थायी संरक्षण उपाये कर रही है । स्थायी संरक्षण उपायों को निकालने के लिए राज्य सरकार द्वारा माडल-परीक्षण किए जा रहे हैं ।

महाराष्ट्र में उर्वरक कारखाने के लिये कुवैत कम्पनी द्वारा अमोनिया की सप्लाई

3873. **श्री सीताराम केसरी** : क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कुवैत कम्पनी, जो महाराष्ट्र में एक उर्वरक कारखाने की स्थापना में सहयोग दे रही है इसके द्वारा सप्लाई किये जाने वाले अमोनिया के लिये निश्चित कीमत की मांग करती रही है; और

(ख) क्या कम्पनी का यह रवैया इस परियोजना को अन्तिम रूप देने में बाधक बना हुआ है ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रघुरामैया) :

(क) और (ख) : मामले पर बातचीत हो रही है और उन विषयों के, जिन पर बातचीत हो रही है, ब्यौरों को हाल में समय-पूर्व बताना ठीक नहीं ।

प्रोटीन उत्पन्न करने के लिये एक अग्रिम कारखाने की स्थापना

3874. **श्री सीताराम केसरी** : क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पेट्रोलियम से प्रोटीन उत्पन्न करने के लिये भारतीय तेल निगम ने कोयली में एक अग्रिम कारखाना स्थापित करने का निर्णय किया है ;

(ख) क्या इस परियोजना को कोई विदेशी फर्म सहयोग दे रही है; और

(ग) इस परियोजना की अनुमानित लागत कितनी है और किस प्रकार के प्रोटीन का उत्पादन किया जायेगा ?

पेट्रोलियम और रसायन मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री रघुरामैया) : (क) और (ख) : एक प्रायोगिक सन्यत्र का, जिसे पहले देहरादून में पेट्रोलियम की भारतीय संस्थान ने इन्स्टीटयूट फ्रान्सिज दी पेट्रोल, फ्रांस के सम्पर्क से स्थापित किया था, अब स्थानान्तरण किया गया है और अपेक्षित कच्चे माल की उपलब्धि में सुविधा के कारण गुजरात शोधनशाला के अहाते में लगाया गया है ।

(ग) प्रायोगिक संयन्त्र की अनुमानित लागत का पता नहीं है क्योंकि इन्स्टीटयूट फ्रांन्सिज दी पेट्रोल ने पेट्रोलियम की भारतीय संस्थान को इसे उपहार के रूप में दिया था, तो भी, यह अनुमान है कि गुजरात शोधनशाला उक्त सन्यन्त्र की उपयोगिताओं एवं स्थल की व्यवस्था के लिये 92,000 रुपये खर्च करेगी ।

पेट्रोलियम से उपलब्ध प्रोटीन में आवश्यक ऐमिनो अम्ल-लाइसीन, ल्युसीन, वलीन, थेयोनीन मेथोनीन, एग्गीनीन, हिस्टीडीन और फेनिलालनीन हैं।

फिल्मी कलाकारों से लेखा बाह्य धन का पता लगाने के लिये छापे

3875. **श्री सीताराम केसरी** : क्या **वित्त** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले दो वर्षों में लेखा-बाह्य धन का पता लगाने के लिये उन के मन्त्रालय के प्रवर्तन निदेशालय ने फिल्मी कलाकारों के मकानों पर कितने छापे मारे :

(ख) कुल कितने धन का पता लगाया गया; और

(ग) अपराधी व्यक्तियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है ?

उप प्रधान मन्त्री तथा वित मन्त्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) : प्रवर्तन निदेशालय 'लेखा बाह्य धन' को खोद निकालने की दृष्टि से छापे नहीं मारता। अतएव, इस प्रयोजन से उसके द्वारा फिल्मी कलाकारों के यहां छापे मारने का प्रश्न नहीं उठता।

(ख) तथा (ग) : ये प्रश्न नहीं उठते।

विश्व बैंक मिशन द्वारा औद्योगिक स्थिति का मूल्यांकन

3876. **श्री रा० बरुआ** : क्या **वित्त** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मिस्टर ई० बेवन वैड की अध्यक्षता में विश्व बैंक मिशन ने देश में औद्योगिक स्थिति का मूल्यांकन करने के लिये हाल ही में भारत का दौरा किया था;

(ख) यदि हाँ, तो उक्त मिशन ने किन उद्योगों की जाँच की और क्या उन्होंने अपने निष्कर्षों के बारे में सरकार को कोई प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है; और

(ग) यदि हाँ, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

उप-प्रधान मन्त्री तथा वित्त मन्त्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) : जी, हाँ।

(ख) मिशन की यात्रा का प्रयोजन बैंक के लगातार चलते रहने वाले आर्थिक कार्य के अंग के रूप में उन बातों के सम्बन्ध में आँकड़े और अन्य सूचना इकट्ठी करना था, जिनका औद्योगिक उत्पादन, निवेश और व्यापार की हाल की प्रवृत्तियों पर असर पड़ा है। मिशन ने भारतीय रिजर्व बैंक से विचार विमर्श किया और सरकारी और गैर-सरकारी क्षेत्रों के विभिन्न संस्थानों जैसे हिन्दुस्तान मशीन टूल्स, बंगलौर, मैसूर किर्लो-स्कर्स, हिन्दुस्तान ऐण्टीबायोटिक्स लिमिटेड, पिम्परी, बिन्नी ऐन्ड पार्टनर्स, मद्रास, टाटा इन्जीनियरिंग ऐन्ड लोकोमोटिव्स कम्पनी, बम्बई और कुछ छोटी औद्योगिक बस्तियों आदि को देखा। मिशन ने विभिन्न कम्पनियों और गवेषणा संस्थाओं के प्रतिनिधियों से अलग-अलग और सामूहिक बैठकों में बातचीत की। इन सामूहिक बैठकों का आयोजन मुख्यतः भारतीय वाणिज्य और उद्योग मण्डल संघ और भारतीय औद्योगिक ऋण और निवेश निगम ने किया था।

मिशन विश्व बैंक के अध्यक्ष को अपनी रिपोर्ट देगा। पर, अबतक उसने अपनी रिपोर्ट नहीं दी है।

(ग) यह सवाल पैदा ही नहीं होता।

मस्तिष्क-हीन बच्चों का जन्म

3877. **श्री रा० बरुआ :**

क्या **स्वास्थ्य, परिवार नियोजन तथा नगरीय विकास** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि हाल ही में दिल्ली के कुछ अस्पतालों से कई मस्तिष्क-हीन बच्चों के जन्म होने की सूचनायें प्राप्त हुई हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने ऐसे बच्चों को जन्म लेने के कारणों का कोई अध्ययन किया है; और

(ग) यदि हां, तो उसके क्या परिणाम निकले हैं ?

स्वास्थ्य परिवार नियोजन तथा नगरीय विकास मंत्रालय में उप मंत्री (श्री ब० सू० मूर्ति) : (क) कुछ मस्तिष्कहीन बच्चों के जन्म के बारे में पता चला था परन्तु उनकी संख्या नगण्य है ।

(ख) जी, नहीं ।

(ग) प्रश्न नहीं उठता ।

नर्मदा बेसिन की जलविद्या

3878. **श्री नरेन्द्र सिंह महीडा :** क्या **सिंचाई और विद्युत** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पांच विशेषज्ञों के एक दल ने नर्मदा बेसिन को जलविद्या का पता लगाया है; और

(ख) यदि हां, तो इस सर्वेक्षण के उद्देश्य क्या थे; तथा इसके क्या परिणाम निकले हैं ?

सिंचाई और विद्युत मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) और (ख) : नर्मदा बेसिन के कुल जल संसाधनों का अधिकतम उपयोग करने के लिये पांच सदस्यों के एक दल ने जल संसाधन अध्ययनों का कार्यक्रम बनाने के लिये बेसिन का दौरा किया था; इन अध्ययनों में भूमि-गत जल पर विशेष बल दिया जायेगा । दल की रिपोर्ट की अभी प्रतीक्षा की जा रही है ।

Payment of Income Tax by Employees

3879. **Shri S. M. Joshi** : Will the Minister of **Finance** be pleased to state the number of Central Government employees who pay Income-tax and draw a salary ranging from (i) Rs. 500 to Rs. 1000, (ii) Rs. 1000 to Rs. 2000, (iii) Rs. 2000 to 3000 and (iv) above Rs. 3000 per month respectively ?

The Deputy Prime Minister and Minister of Finance (Shri Morarji Desai): According to available information the number of regular Central Government employees holding civilian posts in the various salary ranges as on 31-3-1966 was as under :--

Salary Range	No. of employees
Rs. 500 to 999 per month	28,783
Rs. 1000 to 1999 per month	6,362
Rs. 2000 to 2999 per month	611
Rs. 3000 and above per month	170

All these persons are liable to pay Income-tax.

दिनेशपुर, नैनीताल में नलकूपों के लिए बिजली की सप्लाई

3880. **श्री कं० हाल्दर** : क्या **सिंचाई और विद्युत** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिनेशपुर जिला नैनीताल में बसे पूर्वी बंगाल के शरणार्थियों को पानी की कमी के कारण खेती करने में बहुत कठिनाई हो रही है;

(ख) क्या यह सच है कि कम बिजली सप्लाई होने के कारण बहुत बड़ी संख्या में नलकूप काम नहीं कर रहे हैं; और

(ग) यदि हां, तो नलकूपों को चलाने के लिये बिजली सप्लाई किये जाने के बारे में सरकार ने क्या कार्रवाई की है ?

सिंचाई और विद्युत मंत्रालय में उप मंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) से (ग) दिनेशपुर, जिला नैनीताल में बसे हुये पूर्वी बंगाल के विस्थापितों को पानी की सुविधा प्रदान करने की दृष्टि से, उत्तर प्रदेश राज्य बिजली बोर्ड ने 65 नलकूपों के लिये बिजली के कनेक्शन देने की स्वीकृति दे दी है। नलकूपों को बिजली देने के लिये 51 उपभोक्ताओं के सम्बन्ध में शर्तों को अन्तिम रूप दिया जा चुका है और उनसे करारनामों पर हस्ताक्षर करने के लिये कहा गया है ताकि शीघ्रातिशीघ्र उनको कनेक्शन दिये जा सकें। शेष उपभोक्ताओं को बिजली देने के बारे में अभी निर्णय किया जाना है। उपभोक्ताओं द्वारा करारनामों पर हस्ताक्षर होने के दो-तीन महीनों के भीतर, नलकूपों को कनेक्शन दे दिये जायेंगे।

तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग में भर्ती आदि के बारे में नियम तथा विनियम

3881. **श्री तेन्नेटि विश्वनाथम्** : क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग ने तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग अधिनियम के अन्तर्गत अपने कर्मचारियों की भर्ती, पदोन्नति तथा वरिष्ठता और सेवा की शर्तें नियत करने के बारे में सांविधिक विनियम बनाये हैं ;

(ख) क्या सरकार ने विनियमों का अनुमोदन कर दिया है तथा उनको अधिसूचित कर दिया है, और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

पेट्रोलियम और रसायन मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री के० रघुरामैया) : (क) जी हां।

(ख) और (ग) : विनियम सरकार के विचार के अन्तिम चरणों में है।

तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग का चेयरमैन

3882. **श्री तेन्नेटि विश्वनाथम्** : क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग के चेयरमैन की तकनीकी अर्हताएँ क्या हैं; और

(ख) इस पद का कार्यभार सम्भालने से लेकर अब तक उन्होंने विदेशों का कितनी बार

सरकारी त दोरा किया; उस सम्बन्ध में कितना धन व्यय हुआ, दौरों का प्रयोजन तथा औचित्य क्या था ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री रघुरामैया) : (क) तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग का वर्तमान चेयरमैन एक प्रशासक है जो भारतीय सिविल सेवा से सम्बन्धित है ।

(ख) उसने बीस बार विदेशों का दौरा किया और इस सम्बन्ध में 1,44,565 रुपये खर्च हुये । इनमें से उसने 17 दौरे हाइड्रोकार्बन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के प्रबन्ध निदेशक और इरानियन मेराइन इंटरनेशनल आयल कं० के निदेशक की हैसियत से ईरान के तट दूर क्षेत्र में व्यधन कार्य के सिलसले में किये । दो दौरे उपकरणों तथा व्यक्तियों की सप्लाई की कठिनाइयों और आयोग से सम्बन्धित अन्य कठिनाइयों के बारे में रूस, रूमानिया तथा चेकोस्लावाकिया के अधिकारियों से बात-चीत करने के लिये किये गये । इन दो दौरों में मिलान को दौरा भी शामिल है जो हाइड्रो-कार्बन लि० के कार्यों के बारे में था । एक मेकसीको को दौरा 1967 में सातवीं पेट्रोलियम कांग्रेस में भेजे गये भारतीय प्रतिनिधि मण्डल के प्रधान के रूप में था ।

तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग के निदेशालयों तथा परियोजना में सेवा निवृत सेना अधिकारी

3883. **श्री तेन्नेटि विश्वनाथम** : क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग के निदेशालयों तथा परियोजनाओं में 1300-1600 रुपये तथा इससे अधिक वेतनक्रमों में प्रबन्धकारी पदों पर कुल कितने अधिकारी आसीन हैं;

(ख) उनमें कितने सेवा-निवृत सैनिक अधिकारी हैं और यदि उनके पास तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग में पद धारण करने के लिये उपयुक्त तकनीकी अर्हतायें हैं, तो वे क्या हैं; और

(ग) क्या सरकार को पता है कि इनमें कई अधिकारी ऐसे हैं जो सैनिक तरीके अपनाते हैं तथा वे असैनिक कर्मचारियों से उचित व्यवहार करने अथवा उनकी तकनीकी योग्यताओं का मूल्यांकन करने के लिये असमर्थ हैं ?

पेट्रोलियम और रसायन मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री रघुरामैया) : (क) 62.

(ख) तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग में प्रबन्धकारी और प्रशासकीय पदों पर 12 सेवा निवृत सेना अधिकारी काम कर रहे हैं । इन अधिकारियों के पास कोई तकनीकी योग्यताएं नहीं हैं किन्तु वे उन प्रशासकीय तथा प्रबन्ध कारी पदों, जो उन्हें दिये गये हैं, को धारण करने के लिये उपयुक्त हैं ।

(ग) सारांशतः, सरकार का विचार है कि इन अधिकारियों ने संतोषजनक रूप से अपने कर्तव्यों को निभाया है ।

तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग के पास रिग

3884. **श्री तेन्नेटि विश्वनाथम** : क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग के पास कितने रिग हैं और उनकी पूंजीगत लागत क्या है;

(ख) विश्व के उन तेल संगठनों में रिगों की संख्या के मामले में हमारे देश का क्या स्थान है जिनके पास रिग है ;

(ग) तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग ने ऐसे कितने तेल निक्षेपों का पता लगाया है जिनसे तेल निकाला जा सकता है तथा आयोग ने कितने स्थानों पर खुदाई की है और प्रयुक्त रिगों, खोदे गये कुंओं तथा किये गये व्यय की तुलना में कितनी सफलता मिली है; और

(घ) भंडारों का पता लगाने की हमारी क्षमता फारस की खाडी तुलना में कितनी है ?

पैट्रोलियम और रसायन मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री रघुरामैया) : (क) यह अनुमान है कि आशय ड्रिलिंग रिगो से है। अक्तूबर, 1968 में तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग के पास ऐसे रिगों की संख्या 50 थी। 31-3-1967 को, इन रिगो तथा सम्बन्धित उपकरण की पूंजीगत लागत 18.64 करोड़ रुपये थी।

(ख) जहां तक सक्रिय रिगो का सम्बन्ध है, "वर्ल्ड पैट्रोलियम" की जुलाई 1968 की प्रति में उपलब्ध सूचना के अनुसार विश्व में भारत का स्थान पांचवा कहा जा सकता है।

(ग) अक्तूबर, 1968 के अन्त तक आयोग ने 630 गहरे कुंओं का व्यधन किया था जिनकी कुल छिद्रण गहराई 1.28 मिलियन मीटर है। 31-3-1968 तक 1.13 मिलियन मीटरों की ड्रिलिंग पर कुल 106.22 करोड़ रुपये का व्यय किया गया है। इसके परिणामस्वरूप 120-130 मिलियन मीटरी टन के तेल निक्षेपों, जिनसे तेल निकाला जा सकता है, और 1968-69 तक 3.15 मिलियन मीटरी टन कच्चे तेल की वार्षिक उत्पादन क्षमता की स्थापना हो गई है।

(घ) फारस की खाड़ी के देशों में भंडारों का पता लगने की क्षमता विश्व के अधिकतर देशों, जिसमें भारत भी शामिल है, से बहुत ज्यादा है।

तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग द्वारा कुंओं की खुदाई

3885. **श्री तेन्नेटि विश्वनाथम** : क्या पेट्रोलियम और रसायन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग ने अब तक कितनी कुंओं की खुदाई की तथा कितने कुंओं की प्रयोगात्मक खुदाई की और उनका अलग-अलग विकास किया और उस पर कितनी लागत आई;

(ख) पश्चिमी बंगाल, बिहार, उत्तर प्रदेश, पंजाब और राजस्थान में कावेरी के तलहटी क्षेत्रों में की गई प्रायोगात्मक खुदाई के क्या परिणाम निकले हैं, प्रयोगात्मक खोदे गये कुंओं की कुल संख्या क्या है और उन पर क्षेत्रवार कितना लाभ हुआ; और

(ग) ठेके पर ई० एन० आई ने रिगो द्वारा कितने कुंए खोदे तथा उन पर रुपयों और विदेशी मुद्रा सहित कितने रुपये खर्चे हुये और उसके क्या परिणाम निकले ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रघुरामैया) : (क) 1968 के अन्त तक तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग ने 630 कुंओं की खुदाई की है। इनमें से, 154 कुंये 147

प्रयोगात्मक और 7 विकास-सूखे निकले। 31 मार्च, 1968 को कुल कुंओं पर आई कुल लागत 106 करोड़ 22 लाख रुपये है।

(ख) बिहार, उत्तर प्रदेश और पंजाब में अभी तक की गई खुदाई के परिणाम अच्छे नहीं निकले हैं। राजस्थान में 2 कुंओं में गैस की उपस्थिति का अनुमान कम गहराई पर लगाया गया है, जब कि पश्चिमी बंगाल में बोदरा का कुंआ अभी परीक्षण में है। राजस्थान, पं० बंगाल तथा कावेरी थाला में खुदाई अभी तक चल रही है। अभी तक इन राज्यों में कुल 27 प्रयोगात्मक कुंओं की खुदाई की गई है जो कुल लागत सहित निम्न प्रकार है :—

		"कुंओं" की संख्या	31-3-68 को कुल लागत (लाख रु० में)
1	बिहार	2	246.95
2	उत्तर प्रदेश	3	429.56
3	पंजाब	7	897.45
4	राजस्थान	7	470.41
5	पं० बंगाल	1	176.44
6	कावेरी क्षेत्र	7	245.20

(ग) इ० एन० आई ने ठेके पर आयोग के लिये 4 प्रयोगात्मक कुंओं की खुदाई की है पंजाब में 2, तथा उत्तर प्रदेश और बिहार में एक-एक ये सब कुंये सूखे निकले।

इ० एन० आई रिगो द्वारा खोदे गये इन चारों प्रयोगात्मक कुंओं के ठेकों पर निम्न प्रकार से अदायगी की गई :—

पंजाब		
होश्यारपुर	एक कुंआ	3,67,66,643 रुपये
ज्वालामुखी		(जिसमें 2,99,14,281 रुपये की विदेशी मुद्रा है)
उत्तर प्रदेश		
		3,67,45,846 रुपये (इसमें 2,99,28,370
मोहन्द	एक कुंआ	रुपये की विदेशी मुद्रा है)
बिहार		
रक्सूल		

फरक्का बांध

3888. **श्री म० ला० सोंधी :** क्या सिंचाई और विद्युत मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या यह सच है कि फरक्का बांध के 1971 के अन्त तक पूरा हो जाने की सम्भावना है ; और

(ख) यदि हां, तो फरक्का बांध पर रेल का पुल कब तक बन जायेगा ?

सिंचाई और विद्युत मन्त्रालय में उप मन्त्री श्री सिद्धेश्वर प्रसाद)

(क) निर्माण कार्यक्रम के अनुसार, फरक्का बराज को 1970–71 तक पूरा करने की

योजना बनाई गई है। किन्तु बराज के पूरा होने की तिथि को और आगे बढ़ाने के प्रयत्न किए जा रहे हैं।

(ख) बराज के ऊपर रेल पुल का निर्माण रेलवे द्वारा होना है। आशा है कि पुल, बराज के चालू होने के समय, पूरा हो जायेगा।

दिल्ली में चोरी छिपे लाये गये सोने का पकड़ा जाना

3889. **श्री श्रीचन्द गोयल : श्री अ० रा० बरुआ :**
श्री वेंगलराया नायडू :

क्या **वित्त** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली में दो विदेशियों से 85,000 रुपये के मूल्य का चोरी छिपे लाया गया सोना हाल में पकड़ा गया है ;

(ख) यदि हां, तो उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है ;

(ग) क्या इन अपराधियों का तस्कर व्यापारियों के किसी गिरोह के साथ सम्बन्ध है; और

(घ) इस प्रकार की तस्करी को रोकने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ?

उप-प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) और (ख) : 20 नवम्बर 1968 की इण्डिया गेट, नई दिल्ली के पास दो विदेशियों से विदेशी मार्के का 5.283 किलोग्राम सोना पकड़ा गया जिसका मूल्य अन्तर्राष्ट्रीय दर से 43,702 रुपये है। दोनों विदेशियों को गिरफ्तार कर लिया गया है और वे अदालती हिरासत में हैं।

(ग) जाँच-पड़ताल जारी है।

(घ) इस प्रकार की तस्करी को रोकने की दिशा में किये गये उपायों में ये उपाय शामिल हैं; विश्वस्त तथा विशिष्ट स्रोतों से गुप्त-सूचना इकठ्ठी करना, नामीगिरामी तस्करों तथा उनके संगी-साथियों पर नजर रखना, संदिग्ध वाहनों और यात्रियों तथा उनके असबाब की जांच करना

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना
CALLING ATTENTION TO MATTER OF URGENT PUBLIC IMPORTANCE

आतंकवादी गतिविधियों में पीकिंग के प्राधिकारियों का हाथ

श्री के० नारायण राव (बोब्बिली): मैं वैदेशिक कार्य मन्त्री का ध्यान निम्नलिखित लोक महत्व के विषय की ओर दिलाता हूँ और उनसे प्रार्थना करता हूँ कि वह इस सम्बन्ध में एक वक्तव्य दें :

"चीनी दूतावास के सूचना अधिकारी द्वारा कण्णनूर जिले के एक नक्सलबाड़ी-पन्थी श्री पी० के० बालाकृष्णन को लिखे गये दो पत्र पकड़े जाने के समाचार की ओर, जिनसे केरल की आतंकवादी गतिविधियों में पीकिंग के प्राधिकारियों का हाथ होने का स्पष्ट प्रमाण मिलता है, वैदेशिक कार्य मन्त्री का ध्यान दिलाया।"

वैदेशिक कार्य मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री ब० रा० भगत) : सरकार का ध्यान चीनी दूतावास, नई दिल्ली, के सूचना अधिकारी द्वारा केरल के श्री बालकृष्णन को क्रमशः 23 जुलाई और 24 अगस्त, 1968 को लिखे गये कथित दो पत्रों के बारे में भारतीय समाचार पत्रों में प्रकाशित समाचार की ओर गया है। कुछ समाचार पत्रों ने कथित पत्रों को प्रकाशित भी किया है।

इस मामले में अभी जांच-पड़ताल हो रही है। यदि कथित पत्र जाली साबित हुये तो सरकार कानूनी कार्रवाई करेगी। यह साबित हो जाये कि ये पत्र वास्तव में चीनी दूतावास के सूचना अधिकारी द्वारा लिखे गये थे तो सरकार इस सम्बन्ध में समुचित कार्रवाई करेगी। राजनयिक सम्बन्धों का यह एक स्वीकृत सिद्धान्त है कि राजनयिक प्रतिनिधियों को जिस देश में राजनयिक प्रतिनिधि के रूप में नियुक्त किया जाये, उस देश के आन्तरिक मामलों में उन्हें हस्तक्षेप नहीं करना चाहिये।

सदस्यों द्वारा पूछे गये प्रश्नों के उत्तर में मन्त्री महोदय ने बताया कि जहां तक केरल में नक्सलबाड़ी की जैसी गतिविधियों का सम्बन्ध है यह सच है कि पीकिंग रेडियो और पीकिंग का प्रचार-तंत्र तोड़ फोड़ के प्रचार में व्यस्त है। हम ऐसी गतिविधियों को रोकने के लिए हर संभव कदम उठायेंगे। हम ने चीन के कार्यकारी दूत को बुलाया और यह विचित्र बात है कि उन्होंने न तो उक्त पत्र भेजे जाने की पुष्टि की और न ही खंडन किया।

श्री के० नारायण राव : मन्त्री महोदय द्वारा दिये गये उत्तर से स्पष्ट है कि सरकार इन पत्रों की सचाई को सिद्ध नहीं कर सकी है। क्या सरकार ने इस बात का पता लगाया है कि यह कहां से आये थे।

श्री ब० रा० भगत : इन सब बातों की जांच की जा रही है। हम मूल पत्रों का पता लगाने का भी प्रयत्न कर रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय : सीट पर बैठकर प्रश्न नहीं पूछे जाने चाहिये।

श्री हेम बरुआ : पीकिंग सरकार यहां के साम्यवादियों को प्रोत्साहन दे रही है और दिल्ली में चीन के दूतावास ने विपतकांग युद्ध के किस्म का गुरिल्ला युद्ध का विवरण उन्हें दिया है। नक्सलवादियों की नेता, कुमारी अजीता का पीकिंग के साथ सीधा सम्पर्क है। केरल के मुख्यमन्त्री केरल को चीन का भाग बनाना चाहते थे परन्तु अब वह स्वयं ही अपने प्रपन्च के शिकार हैं। वामपंथी और दक्षिणपंथी साम्यवादी भी इस स्थिति से चिंतित हैं। चीन विद्रोहियों को समुद्र की राह हथियार पहुँचा रहा है। उन सब बातों के बावजूद इस बात में सन्देह नहीं कि चीनी दूतावास देश में तोड़फोड़ की कार्यवाहियों को प्रोत्साहन दे रहा है।

इन बातों के संदर्भ में मैं यह जानना चाहता हूँ कि क्या सरकार चीनी दूतावास को चेतावनी देगी कि वह ऐसी तोड़फोड़ की कार्यवाहियां न करे और यदि उन्होंने की तो उन्हें इस देश से बाहर निकाल दिया जायेगा। माननीय मन्त्री ने पत्रों के बारे में यह कहा है कि इस बात का पता लगाना है कि क्या यह पत्र जाली हैं अथवा असली ? परन्तु यह बात बिल्कुल स्पष्ट है कि चीन और दिल्ली स्थिति चीनी दूतावास का हाथ है।

श्री नम्बियार क्या केरल सरकार ने इस बात का खन्डन किया है और कहा है कि ऐसे कोई पत्र नहीं हैं ?

श्री ब० रा० भगत : जहां तक इस बात का सवाल है कि केरल में नक्सलवादी गतिविधियों के लिए पीकिंग रेडियो और पीकिंग सरकार तोड़फोड़ की कार्यवाहियों का प्रचार कर रहे हैं वहां तक तो माननीय सदस्य ठीक हैं। उनकी यह बात भी ठीक है कि वह केरल की राज्य सरकार पर आक्रमण कर रहे हैं। इन हिंसात्मक और तोड़फोड़ की कार्यवाहियों को रोकने के लिये हम सभी सम्भव उपाय करेंगे। और ऐसे व्यक्तियों को नाश करने के लिए जो बाहर से आदेश लेते हैं सरकार जनता का सहयोग चाहती है। और यदि यह बात सिद्ध हो गई कि पत्र भेजा गया था तो कार्यवाही की जायेगी। हमने चीनी दूत से भी पूछताछ की है परन्तु न तो उसने इस बात का खन्डन किया है और न ही पुष्टि।

सभा पटल पर रखे गये पत्र
PAPERS LAID ON THE TABLE

लेखापरीक्षा प्रतिवेदन और विनियोग लेखे (सिविल) दिल्ली विक्रय कर (आठवां संशोधन) नियम

उप-प्रधान मन्त्री तथा वित्त मन्त्री (श्री मोरार जी देसाई) : मै निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूँ :—

(1) राजभाषा अधिनियम 1963 की धारा 3 की उपधारा 3 (दो) के साथ पठित संविधान के अनुच्छेद 151 (1) के अन्तर्गत लेखापरीक्षा प्रतिवेदन (सिविल) 1968 की एक प्रति (हिन्दी संस्करण)।

(2) विनियोग लेखे (सिविल); 1966–67 की एक प्रति (हिन्दी संस्करण)।

[पुस्तकालय में रखे गए / देखिये संख्या एल० टी० 2587–68]

श्री कृ० चं० पन्त की ओर से मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूँ :

(1) दिल्ली संघ राज्य क्षेत्र में लागू रूप में बंगाल वित्त (विक्रय कर) अधिनियम, 1941 की धारा 26 की उपधारा (4) के अन्तर्गत दिल्ली विक्रय कर (आंठवां संशोधन) नियम, 1968 की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) जो दिनाँक 15 नवम्बर, 1968 के दिल्ली राजपत्र में अधिसूचना संख्या एफ० 4 (120) / 68-फिन (जी) में प्रकाशित हुए थे।

(2) ऊपर की अधिसूचना को सभा-पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[पुस्तकालय में रखे गये। देखिये संख्या एल० टी० 2588-68]

नागालैंड विधान सभा (प्रतिनिधित्व में परिवर्तन) विधेयक–पुरस्थापित
LEGISLATIVE ASSEMBLY OF NAGALAND (CHANGE IN REPRESENTATION) BILL—INTRODUCED

अध्यक्ष महोदय : श्री सुरेन्द्रपाल सिंह

श्री सुरेन्द्र पाल सिंह : मैं नागालैंड विधान सभा के प्रतिनिधित्व में परिवर्तन करने की व्यवस्था करने वाले विधेयक को पेश करने की अनुमति का प्रस्ताव करता हूँ।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है कि :

"कि नागालैंड विधान सभा के प्रतिनिधित्व में परिवर्तन करने तथा उस प्रयोजन के लिये नागालैंड अधिनियम, 1962 और लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 में अनुषंगी संशोधन करने वाले विधेयक को पेश करने की अनुमति दी जाय।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The motion was adopted

श्री सुरेन्द्रपाल सिंह : मैं विधेयक को पेश करता हूँ।

बीमा (संशोधन) विधेयक जारी

INSURANCE (AMENDMENT) BILL---Contd.

अध्यक्ष महोदय : अब बीमा (संशोधन) विधेयक पर विचार किया जाय।

श्री नम्बियार : मैंने खन्ड 6 के संशोधन संख्या 49,50 और 51 पेश किये हैं।

[**उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए**
MR. DEPUTY SPEAKER *in the Chair*]

खण्ड 6 बहुत महत्वपूर्ण खण्ड है। कुछ सामान्य बीमा कम्पनियां जनता के धन का दुरुपयोग कर रही हैं। अतः सरकार को निवारक कार्यवाही करने का अधिकार देने के लिये यह खण्ड पेश किया जा रहा है। मेरे पहले संशोधन द्वारा बीमाकर्ता द्वारा जमा की जाने वाली रकम 1.5 लाख से बढ़ा कर 5 लाख रुपये कर दी जानी चाहिए। उस खण्ड के परन्तुक में जमा अथवा किश्त सम्बन्धी विस्तार दो की अपेक्षा एक तक ही सीमित रखा जाना चाहिए।

रजिस्ट्रीकरण के आवेदन पत्र से पहले जमा की जाने वाली रकम को 10 लाख रुपये से बढ़ा कर 50 लाख रुपये कर दिया जाय।

जब सरकार किसी नई कम्पनी का रजिस्ट्रीकरण कर रही हो तो हो सकता है वह किसी ऐसी विदेशी कम्पनी को रजिस्टर कर रही हो जो समुद्री कारबार या और कुछ काम कर र हो। हमें इस विषय में अन्तर्ग्रत मामलों का पता नहीं है। यदि हमारे पास केवल 10 लाख रुपया हो और जहाज खो गया हो तो बीमा कराने वाले व्यक्ति को कुछ भी नहीं दिया जायगा।

एक कम्पनी को दूसरी कम्पनी में मिलाने में मुझे कोई आपत्ति नहीं। लेकिन परन्तुक में कहा गया है कि जब तक दूसरा बीमाकर्ता इस प्रकार के मिलाये जाने के सम्बन्ध में लिखित सहमति नहीं देता तब तक इस प्रकार की योजना तैयार नहीं की जायगी। इस प्रकार विलय के सम्बन्ध में रोक लगा दी गई है क्योंकि यदि उक्त परन्तुक स्वीकार कर लिया जाता है तो दूसरा बीमाकर्ता विलय को स्वीकार नहीं करेगा। दोनों में साँठ-गाँठ हो सकती है और विलय को रोका जा सकता है इसलिये लिखित सहमति की शर्त नहीं लगाई जानी चाहिए।

श्री मोरारजी देसाई : मैं इन उपबन्धों में परिवर्तन करने की कोई आवश्यकता नहीं समझता। मेरे विचार में 1.5 लाख रुपये से अधिक जमा करना आवश्यक नहीं। दूसरे, मेरे विचार मे जब एक विस्तार दिया जायगा तो दूसरा विस्तार देना भी आवश्यक है। यदि एक विस्तार के बाद कोई व्यक्ति भुगतान न कर सका तो उसे दूसरा विस्तार दिया जायगा।

उपाध्यक्ष महोदय : मैं सभी संशोधनों को सभा के मतदान के लिये रखता हूँ।

संशोधन सभा के मतदान के लिये रखे गये तथा अस्वीकृत हुए ।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है कि :

"कि खण्ड 6 विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

The motion was adopted.

खण्ड 6, विधेयक में जोड़ दिया गया

खण्ड 7 (धारा के स्थान पर नई धारा का रखा जाना)

श्री पी० गोपालन : मैं संशोधन संख्या 71 पेश करता हूँ। मैं यह संशोधन इसलिये पेश कर रहा हूँ चुंकि सरकार देश में सामान्य बीमे का राष्ट्रीयकरण नहीं करना चाहती। इस देश में काम करने वाले विदेशी बीमाकर्ता कानूनी और गैर कानूनी सभी तरीके अपना रहे हैं। वे हमारे देश से भारी लाभ अर्जित कर रहे हैं। उन बीमाकर्ताओं को जो भारत के निवासी नहीं हैं और जो भारत में अपना कारबार समाप्त करना चाहते हैं, अपने उस धन को वापस लेने का लाभ नहीं दिया जाना चाहिए जो उन्होंने उक्त अधिनियम के अधीन जमा किया था। नहीं तो हमारे देश में जिन लोगों ने बीमा करवा रखा है उन्हें धन न मिलने का खतरा है।

श्री नम्बियार (तिरुचिरापल्ली) : मैं इस संशोधन का समर्थन करता हूँ। यह संशोधन उन विदेशी बीमाकर्ताओं के विरुद्ध हैं जो यदि अपना कारबार बन्द कर विदेश चले जायेंगे तो भारतीय नागरिकों की हानि होगी।

श्री मोरारजी देसाई : मेरे विचार में भारतीय बीमा कराने वालों को कोई खतरा नहीं और ऐसी स्थिति का सामना करने के लिये सरकार के पास पर्याप्त अधिकार हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : मैं अब संशोधन संख्या 71 सभा के मतदान के लिये रखूंगा।

संशोधन सभा के मतदान के लिये रखा गया तथा अस्वीकृत हुआ

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खन्ड 7 बिधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

The motion was adopted.

खण्ड 7 विधेयक में जोड़ दिया गया ।

उपाध्यक्ष महोदय : खन्ड 8 के कोई संशोधन नहीं है।

प्रश्न यह है :

"कि खन्ड 8 से 10 विधेयक के अंग बनें ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

The motion was adopted.

खन्ड 8 से 10 विधेयक में जोड़ दिये गये ।

खन्ड 11

श्री एस० एस० कोठारी : मैं संशोधन संख्या 94 पेश करता हूँ।

खण्ड 22 के अन्तर्गत सरकार कुछ परिस्थितियों में बीमाकर्ता को अपने नियन्त्रण में रख सकती है। राष्ट्रीयकरण अप्रत्यक्ष रूप से नहीं किया जाना चाहिये। यदि सरकार इस सम्बन्ध में कुछ अधिकार ग्रहण करना चाहती है तो उसे इस बारे में संसद की स्वीकृति लेनी चाहिये।

विधेयक में व्यवस्था की गयी है कि सर्वेक्षक 7 साल तक कार्य करने के बाद ही अपने लाइसेंस की अवधि बढ़वा सकते हैं, हमें लोगों की रोजी नहीं छीननी चाहिये। इस समय काम करने वाले सभी सर्वेक्षकों के लाइसेंस की अवधि बढा दी जानी चाहिये।

यदि धारा 227 (ख) के अधीन निवेश पर प्रतिबन्ध लगा दिया जाता है, जैसी की खंड 11 में व्यवस्था की जा रही है, तो ये कम्पनियां नयी कम्पनियों के बचे हुए शेयर नहीं ले सकेंगी। इसका परिणाम यह होगा कि बीमा कम्पनियों से नये उपक्रमों में आने वाले धन के सम्बन्ध में उल्लिखित उपबन्ध लागू नहीं होगा। निवेश नियन्त्रक की स्वीकृति के अनुसार होना चाहिये लेकिन इसे 25 प्रतिशत तक सीमित नहीं किया जाना चाहिये।

श्री मोरारजी देसाई : वह चाहते हैं कि ये कम्पनियां नई औद्योगिक कम्पनियों में रुपया लगाये। मेरे विचार में यह आवश्यक नहीं है। मैं इस संशोधन का विरोध करता हूँ।

उपाध्यक्ष महोदय : मैं अब इस संशोधन को सभा के मतदान के लिये रखता हूँ।

संशोधन सभा के मतदान के लिये रखा गया तथा अस्वीकृत हुआ

उपाध्यक्ष महोदय : खण्ड 12 से 15 के कोई संशोधन नहीं हैं।

प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 12 से 15 विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The motion was adopted

खण्ड 12 से 15 विधेयक में जोड़ दिये गये।

खण्ड 16—(नई धारा 33 क, 34, 34 क, 34 ख, 34 ग, 34 घ, 34 ङ, 34 च, 34 छ, और 34 ज का रखा जाना)

श्री लोबो प्रभु : मैं अपने संशोधन पेश नहीं कर रहा।

श्री एन० के० सोमानी : मैं संशोधन संख्या 45 पेश करता हूँ।

श्री के० नारायण राव (बोम्बिली) : मैं संशोधन संख्या 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, और 102 पेश करता हूँ।

श्री नन्द कुमार सोमानी : नियंत्रक को बहुत अधिक शक्तियां प्रदान की गई हैं। और इनका दुरुपयोग भी हो सकता है। यदि बुरा काम करने पर कार्रवाई की जाती है तो बात समझ में आ जाती है लेकिन केवल सम्भावना होने पर ऐसी कार्यवाही करना उचित नहीं। कोई अधिकारी विश्वास के साथ नहीं कह सकता कि कोई घटना होगी।

श्री के० नारायण राव : अन्य देशों के साथ पुनर्बीमा के संदर्भ में 'संधि' या 'सन्धियों' शब्द का उल्लेख है। सामान्य तौर पर संधियां सार्वभौम राज्य या देशों के बीच की जाती हैं। कम्पनियों के मामले में 'समझौता' या 'व्यवस्था' अधिक उपयुक्त शब्द होगा।

श्री मोरार जी देसाई : माननीय सदस्य ने कहा है कि नियंत्रक को असीमित अधिकार दिये गये हैं और वह उनका मनमाना प्रयोग कर सकता है, परन्तु नियंत्रक सरकार के नियंत्रक से बाहर नहीं रहेगा और वह अपने अधिकारों का मनमाना प्रयोग नहीं कर सकेगा। अतः मैं इस संशोधन को स्वीकार नहीं करता। जहाँ तक 'संधि' और 'समझौता' शब्द का सम्बन्ध है बीमा में 'संधि' शब्द ही प्रयोग होता है।

उपाध्यक्ष महोदय : अब मैं सभी संशोधन सभा के मतदान के लिये रखूंगा।

संशोधन सभा के मतदान के लिये रखे गये और अस्वीकृत हुए

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

'कि खण्ड 16 विधेयक का अंग बने'

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The motion was adopted

खण्ड 16 विधेयक में जोड़ दिया गया

उपाध्यक्ष महोदय : सदस्यों से मेरा अनुरोध है कि वह उन महत्वपूर्ण खण्डों के बारे में बतायें जिन पर वह भाषण देना चाहते हों।

श्री लोबो प्रभु : खण्ड 17

श्री नम्बियार : खण्ड 17, 29, 37 और 40

श्री एस० एस० कोठारी : खण्ड 22

खण्ड 17

श्री लोबो प्रभु : मैं संशोधन संख्या 29 पेश करता हूँ।

श्री नम्बियार : मैं संशोधन संख्या 52 पेश करता हूँ।

श्री लोबो प्रभु : मैं यह जानना चाहता हूँ कि किस प्रकार इस विधेयक के कतिपय उपबन्धों से बीमे का सामाजिक नियंत्रण किया जा सकता है। इस विधेयक में एक वर्ग के बीमा एजेन्टों का कमीशन 15 प्रतिशत से घटाकर 5 प्रतिशत करन का प्रस्ताव है। 5 और 15 के बीच का यह अन्तर बीमा कम्पनियों को दिया जा रहा है। बीमा कम्पनियों का इस प्रकार पक्ष लेना सामाजीकरण नहीं है। वह प्रीमियम में कमी कर जनता को दिया जा सकता है। इस अधिनियम से प्रतिवर्ष 25 लाख रुपये खर्च होगे जिसमें से 10 लाख रुपये उन एजेन्टों से वसूल किये जायेंगे जिनका कमीशन घटाया गया है। यह भी सामाजिक नियन्त्रण नहीं है।

वित्त मंत्री ने कम्पनियों द्वारा रुपया लगाने की सीमा 100 प्रतिशत से घटाकर 25 प्रतिशत कर दी है। अब उन्हें रुपया ऐसी सिक्योरिटियों में लगाना होगा जिनसे उसे बहुत कम ब्याज प्राप्त होगा जिसका नतीजा यह होगा कि प्रीमियम की दर बढ़ाई जायेगी। यह भी सामाजिक नियन्त्रण नहीं है। मैंने वित्त मंत्री से प्रार्थना की थी कि वह बीमे को कम्पनी अधिनियम के नियन्त्रण में ले आयें परन्तु वह इसके लिये भी सहमत नहीं हुए।

जिन बीमा कर्त्ताओं को मिलाया जा रहा है उन्हें अपने अभ्यावेदन के बारे में, यदि वह नियंत्रण द्वारा रद्द कर दिया जाये, अपील करने का अधिकार होना चाहिए।

श्री नम्बियार : श्री लोबो की राय से मेरी राय थोड़ी अलग है। विधेयक के संक्षिप्त नाम से ही स्पष्ट है कि वह समामेलन की योजनाएं तैयार करने के बारे में नियंत्रक की शक्तियों के विषय में है। चूंकि अब कोई कम्पनी बहुत बुरी हो तो या तो उसे परिसमाप्त किया जाना चाहिए या उसे बिल्कुल ही खत्म कर दिया जाना चाहिए। नियंत्रक सब भलाई-बुराई पर विचार करने के बाद इस निष्कर्ष पर पहुँच सकता है कि यह काम परिसमापन के बजाय समामेलन से किया जा सकता है।

समामेलन वास्तव में किसी कम्पनी का दूसरी कम्पनी के साथ होना चाहिए। पर परन्तुक में यह व्यवस्था रखी गई है कि ऐसे समामेलन के प्रस्ताव के बारे में जब तक दूसरा बीमाकर्त्ता अपनी लिखित सम्मति न दे दे तब तक ऐसी कोई योजना तैयार नहीं की जायेगी। समामेलन का प्रश्न पूरी तरह रूढ़ि बन गया है क्योंकि इस परन्तुक को स्वीकृत कर लिया गया तो दूसरी बीमाकर्त्ता समामेलन की बात पर सहमत नहीं होंगे। दोनों ने यदि सांठगांठ कर ली तो समामेलन की बात ही समाप्त हो जाएगी। अत: लिखित रूप में सहमति देने की शर्त नहीं रखी जानी चाहिए।

श्री मोरारजी देसाई : यदि कम्पनियों के इच्छा के विपरीत समामेलन करने से अनेक कठिनाइयां पैदा हो जायेगी। संयुक्त समिति ने इस पर काफी विचार किया है। ऐसी कोई वजह दिखाई नहीं देती कि बलपूर्वक समामेलन न किया जाये। यदि कम्पनी का इससे हित होता है तो वह उसके लिए अवश्य सहमत हो जायेगी। परामर्श भी किया जा सकता है, पर समामेलन के लिए परामर्श लेना तथा उसके लिए सहमति प्राप्त करना दो अलग अलग बातें हैं। बिना परामर्श या उनकी आपत्ति सुने बिना कोई कार्यवाही नहीं की जायेगी।

इस विधेयक में कोई समाजविरोधी बात नहीं है। सभी कम्पनियों के लिए समान कमीशन होगा। पहले एजेन्ट अपने कमीशन का कुछ भाग बीमा कराने वाले व्यक्तियों को दे दिया करते थे। वे 5 प्रतिशत से अधिक कमीशन अपने पास नहीं रखते। इसीलिए हमने इसे घटा दिया है।

संशोधन संख्या 29 **और** 52 **सभा के मतदान के लिए रखे गये और अस्वीकृत हुए।**

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 17 विधेयक में शामिल किया जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

The motion was adopted.

खण्ड 17 **विधेयक में जोड़ा गया।**

खण्ड 18 **(धारा** 40 **क का संशोधन)**

श्री वेणी शंकर शर्मा : मैं संशोधन संख्या 8,9 और 10 पेश करता हूँ। मैं चाहता हूँ कि खण्ड 18 के ये उपबन्ध लगभग वैसे ही रहें जैसे कि मूल संशोधी विधेयक में हैं। बीमा वर्ष पुस्तक, 1967 में दी गई सूचना के अनुसार 3,28,786 बीमा एजेन्ट हैं। जिनमें से लगभग 3 लाख एजेन्ट 10,000 रुपये तक कमा रहे हैं। यदि हम उनका कमीशन घटाकर 5 प्रतिशत कर दें तो उन पर काफी दुष्प्रभाव पड़ेगा।

सैकड़ों आदमियों की रोजी छीनना तो आसान है पर उन्हें रोटी देना कठिन है। हम स्वर्ण नियंत्रण आदेश का दुष्प्रभाव देख सकते हैं। इससे बीमा कम्पनियों को ही अधिक धन का फायदा होगा और उसमें से कुछ हिस्सा अंशधारियों को लाभांश के रूप तथा सरकार को कर के रूप में फायदा होगा। अनेक छोटे एजेन्ट ऐसे हैं जो इच्छित बीमा व्यापार नहीं ला सकते। अतः मैं माननीय मंत्री से निवेदन करता हूँ कि वह इस संशोधन द्वारा यथा स्थिति ही बनी रहने दें।

श्री मोरारजी देसाई : इसी मुख्य उपबन्ध द्वारा अवैध तरीकों को दूर करने की व्यवस्था की गई है। बीमा एजेन्ट अपने कमीशन का बहुत बड़ा हिस्सा बीमा कराने वाले व्यक्तियों को दे देते हैं और वह रकम किसी हिसाब में नहीं दिखाई जाती। विदेशी कम्पनियां भी यही कर रही हैं जिससे छिपा धन बहुत अधिक बढ़ा है। मेरे विचार से कमीशन एजेन्ट 5 या 10 प्रतिशत से अधिक कमीशन अपने पास नहीं रखते। चूंकि यह उपबन्ध काफी व्यावहारिक है, इसलिए मैं इसे अब बदलना नहीं चाहता।

संशोधन संख्या 8,9 **और** 10 **सभा में मतदान के लिए रखे गये और अस्वीकृत हुए।**

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है कि :

"कि खण्ड 18 विधेयक में शामिल किया जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

The motion was adopted

खण्ड 18 **विधेयक में जोड़ा गया।**

खण्ड 19 **विधेयक में जोड़ा गया।**

खण्ड 20

श्री न० कु० सोमानी (नागपुर) : मैं संशोधन संख्या 46 पेश करता हूँ।

उपाध्यक्ष महोदय : इस पर मध्यान्ह पश्चात् विचार किया जायेगा।

तब लोक-सभा मध्यान्हन भोजन के लिए 14-00 **बजे तक के लिए स्थगित हुई।**

The Lok Sabha then adjourned for Lunch till Fourteen of the Clock.

लोक-सभा 14.06 **बजे पुनः स्थापित हुई।**

The Lok Sabha reassembled at Six Minutes Past Fourteen of the Clock.

[**उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए** / **Mr. SPEAKER** *in the Chair*]

हरियाणा की घटनाओं के बारे में
RE: DEVELOPMENTS IN HARYANA

Shri A. B. Vajpayee : Mr. Speaker, with your consent, I want to invite your attention to an urgent important matter. Just it has been reported that Congress majority in Haryana Vidhan Sabha has come to an end since Shri Bhagwat Dayal Sharma alongwith his 16 associates has resigned from Congress and has formed a coalition group associating with Opposition parties. But it has been threatened there that they will not be allowed to form a

new Government and the office of Governor will be misused to get the Vidhan Sabha dissolved. May I request you to ask the Home Minister to make a Statement on these developments in Haryana.

Shri S. M. Joshi : The people are told that Congress Party can form a Stable Government but that Stability is nowhere. It has been said just now that President's rule will be clamped there. A statement, therefore should be made in this regard.

उपाध्यक्ष महोदय : मेरे विचार से यदि किसी भी राज्य में सरकार की अस्थिरता हो तो इस सभा को उससे चिन्तित होना चाहिए ।

डा० राम सुभग सिंह : आश्चर्य की बात है कि यदि हम यहां पर अपनी भावनाएं व्यक्त करेंगे तो राज्य में स्थिर सरकार बन सकती है । राज्य के मामले में राज्यपाल कोई भी कार्यवाही करने के लिए सक्षम है ।

बीमा (संशोधन) विधेयक) जारी

INSURANCE (AMENDMENT) BILL--Contd.

उपाध्यक्ष महोदय : अब हम विधेयक पर आगे खण्डवार विचार करेंगे । खण्ड 20 पर विचार चल रहा था । मेरे विचार से श्री न० कु० सोमानी पूरे समय तक बोल चुके हैं ।

श्री न० कु० सोमानी : खण्ड 20 के संशोधन पर बोलने से पहले मैं चाहता हूं कि इस चर्चा में समैक्य रखने का आप आश्वासन दें । बीमा एजेन्ट अपने ग्राहक की ऊंचे पैमाने की, व्यावसायिक, कानूनी तथा तकनीकी सेवा करता है । मेरे अनेक संशोधन संयुक्त समिति में विचार करते समय स्वीकार कर लिये गये थे । मेरा विचार था कि यह उपयुक्त संशोधन भी स्वीकार कर लिया जायेगा ।

आवश्यकता इस बात की है कि बीमा एजेन्ट सक्षम तथा अपने व्यवसाय में अर्हता प्राप्त हों ताकि वे बीमा कम्पनियों तथा बीमा कराने वालों के बीच उपयोगी सम्बन्ध स्थापित हो सके । क्योंकि इस कार्य में एक्चुएरियल संगणना, हिसाब किताब, इंजीनियरी तथा कानूनी पहलुओं का ध्यान रखना पड़ता है । दूसरी बात यह है कि सभी प्रकार के बीमा एजेन्ट होने के कारण, जिनमें गृहणियां तथा अवयस्क तक भी शामिल रहते हैं; बेनामी लेन देन चलता है जिससे छिपा धन लोगों पर इकट्ठा होता है । सरकार को चाहिए कि वह बीमा एजेन्टों के साथ यह शर्त रखे कि उन्हें कोई बीमा परीक्षा पास करनी होगी या इस सम्बन्धी कोई अध्ययन करना पड़ेगा ।

श्री कृष्ण चन्द्र पन्त: इस संशोधन के पीछे-छिपे उद्देश्य की मैं सराहना करता हूँ । जीवन बीमा निगम के बीमा एजेन्टों के साथ भी जिनकी संख्या सामान्य बीमा एजेन्टों से बहुत अधिक है, यह शर्त नहीं है कि वे अर्हता प्राप्त हों । हमारा विचार है कि कानून द्वारा एजेन्टों की कोई अर्हता निर्धारित नहीं की जानी चाहिए । यह कार्य बीमा कम्पनियों पर ही छोड़ दिया जाना चाहिए कि वे इस उद्देश्य से कोई कदम उठायें ।

संशोधन संख्या 46 सभा के मतदान के लिए रखा गया और अस्वीकृत हुआ ।

उपायक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 20 विधेयक में शामिल किया जाय ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

The motion was adopted

खण्ड 20 विधेयक में जोड़ा गया।

खण्ड 21 विधेयक में जोड़ा गया।

खण्ड 22—(नई धारा 52 ज, 52 झ, 52 ञ, 52 ट, 52 ठ, 52 ड और 52 ढ आदि का रखा जाना)

श्री स्वतंत्र सिंह कोठारी : मैं संशोधन संख्या 103 प्रस्तुत करता हूँ। सामाजिक नियंत्रण की बात स्वीकार करते हुए उप-प्रधान मन्त्री ने कहा था कि राष्ट्रीयकरण देश के हित में नहीं हैं। पर इस खण्ड में व्यवस्था रखी गई है कि कतिपय परिस्थितियों में किसी बीमा कर्ता का कारोबार सरकार अपने हाथ में ले सकती है। इस प्रकार छिपे तौर पर राष्ट्रीकरण नहीं किया जाना चाहिए। यदि किसी बीमा उपक्रम का सरकार अर्जन करना चाहे तो वह मामला संसद् के समक्ष उसकी स्वीकृति के लिए लाया जाना चाहिए। सरकार संसद् की स्पष्ट स्वीकृति के बिना किसी उपक्रम का राष्ट्रीयकरण किस प्रकार कर सकती है ? अतः मैं अपने संशोधन को मान लेने पर जोर देना चाहूँगा।

श्री कृष्ण चन्द्र पन्त : इस धारा 52 ज के अधीन केन्द्रीय सरकार को बीमाकर्त्ता के कारोबार को उस क्षण में ले लेने की शक्ति दी गई है जबकि उसके कारोबार में पूर्ण अव्यवस्था हो या ऐसा करना लोक हित में आवश्यक हो। प्रत्येक बार जब हम किसी उपक्रम को ले लेना चाहते हैं तब इसे संसद् में पेश करना रद्द करने के बराबर ही है।

संशोधन संख्या 103 सभा के मतदान के लिए रखा गया और अस्वीकृत हुआ।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खंड 22 विधेयक में शामिल किया जाय।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

The motion was adopted

खंड 22 विधेयक में जोड़ा गया।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खंड 23 से 28 विधेयक में शामिल किये जायें।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

The motion was adopted.

खंड-23 से 28 विधेयक में जोड़े गये।

खंड 29 (नये भाग 2 ख और 2 ग का रखा जाना)

श्री नम्बियार : मैं संशोधन संख्या 53 पेश करता हूँ। मेरा सुझाव है कि प्रस्तावित सलाहकार समिति में विदेशी बीमाकर्त्ताओं के चार प्रतिनिधियों के बजाय संसद में विभिन्न ग्रुपों का प्रतिनिधित्व करने के लिए चार संसद सदस्य रखे जाने चाहिए। विदेशी बीमा कम्पनियों के प्रतिनिधित्व के बारे में मेरी आपत्ति यह है कि विदेशी बीमा कम्पनियों के कारोबार में भारत में मुख्य रूप से समुद्री बीमा है जो कि अनेक कदाचारों के कारण बहुत ही बदनाम है। ये प्रतिनिधि

इस सलाहकार समिति में केवल अपने हितों का ध्यान रखेंगे। चूंकि विदेशों में हमारा समुद्री बीमा का कारोबार नहीं है। अतः इनके स्थान चार संसद् सदस्य प्रतिनिधि के रूप में रखे जाने चाहिए। इस समिति में कर्मचारियों के भी कम से कम दो प्रतिनिधि शामिल किये जाने चाहिए।

श्री न० कु० सोमानी (नागपुर) : बीमा नियंत्रक को बहुत अधिकार दिये गये हैं। यदि आप चाहते हैं कि इस समिति में पूर्ण प्रतिनिधित्व हो और उसका परामर्श तथा संयुक्त राय सरकार ही नहीं वरन् बीमा कम्पनिया भी मानें। ऐसे मामले भी हो सकते हैं जिनके बारे में इस समिति की एकमत सिफारिश को नियंत्रक वीटो कर दे। अतः मेरा सुझाव है जहाँ तक समिति के उप-सभापति का संबन्ध है वह तो बीमा कम्पनियों का चुना प्रतिनिधि होना चाहिए।

श्री स्वतन्त्र सिंह कोठारी : विधेयक में व्यवस्था की गई है कि सर्वेक्षक 7 साल तक कार्य करने के बाद ही अपने लाइसेंस की अवधि बढ़वा सकता है। हमें लोगों की रोजी नहीं छीननी चाहिए। इस समय काम करने वाले सभी सर्वेक्षकों के लाइसेंस की अवधि बढ़ा दी जानी चाहिए।

श्री हिम्मतसिंहका (गोंडा) : मैं संशोधन संख्या 87 पेश करता हूँ। यह अनुचित बात है कि जो लोग अपना कारोबार कर रहे हैं उनसे वह कारोबार छीना जाये।

Shri George Fernandes : I have two amendments. The Board should have two representatives of the employees also, besides the Members of Parliament. If in the process of absorption of the employees of the Tariff Committee and the Regional Council, the Salaries of some employees is reduced, they should be given the right of taking up the matter as an industrial dispute.

मैं संशोधन संख्या 86 पेश करता हूँ।

श्री स्वतन्त्र सिंह कोठारी : मैं संशोधन संख्या 36, 38 और 104 पेश करता हूँ।

श्री न० कु० सोमानी : मैं संशोधन संख्या 47 और 48 पेश करता हूँ।

श्री कृष्ण चन्द्र पन्त : सलाहकार समिति का कार्य केवल दरों को निर्धारित करना ही है और यह एक तकनीकी काम है। इसलिए इसे तकनीकी व्यक्तियों पर छोड़ दिया जाना चाहिए।

जहाँ तक समिति में विदेशी बीमा कर्त्ताओं के प्रतिनिधियों को शामिल किये जाने का सम्बन्ध है, उन्हें देश में केवल व्यापार के अनुपात में प्रतिनिधित्व दिया जाता है। इसलिए सरकार इसे बदलने के लिए कोई संशोधन स्वीकार नहीं कर सकती है।

सरकार सर्वेक्षकों के लाइसेंस के सम्बन्ध में यह संशोधन स्वीकार करने के लिए तैयार है कि जो लोग 26 अक्तूबर तक सर्वेक्षकों के रूप में व्यवसाय में रहे हैं उन्हें लाइसेंस दिये जाने चाहिए।

उपाध्यक्ष महोदय : चूंकि श्री हिम्मतसिंहका संशोधन संख्या 87 सरकार ने स्वीकार कर लिया है इसलिए मैं पहले यह सभा के समक्ष रखूंगा।

प्रश्न यह है :—

पृष्ठ 49, पंक्ति 26 से 29 के स्थान पर यह प्रतिस्थापित किया जाये—

"(क) 26 अक्तूबर, 1968 तक सर्वेक्षक अथवा हानि निर्धारक के रूप में कार्य करते रहे हों, या"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

The motion was adopted

उपाध्यक्ष महोदय : मैं अब बाकी सभी संशोधन सभा के मतदान के लिये रखूंगा ।

संशोधन सभा के मतदान के लिये रखे गये और अस्वीकृत हुए

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है : "कि खंड 29, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

The motion was adopted

खंड 29, संशोधित रूप में, विधेयक में जोड़ दिया गया ।

खंड 30 से 36 विधेयक में जोड़ दिये गये ।

उपाध्यक्ष महोदय : अब खंड 37 पर विचार किया जायेगा ।

खंड 37

श्री वेणी शंकर शर्मा : मैं संशोधन संख्या 11 पेश करता हूँ ।

श्री एस० एस० कोठारी : मैं संशोधन संख्या 39 पेश करता हूं ।

श्री नम्बियार : मैं संशोधन संख्या 54 पेश करता हूँ ।

मैं इस संशोधन द्वारा यह सुनिश्चित करना चाहता हूँ कि जिन लोगों का व्यवसाय में हित वद्ध है वे परामर्श समितियों में प्रवेश न कर सकें ।

श्री वेणी शंकर शर्मा : संयुक्त समिति में केवल इस बात पर निर्णय किया गया था कि परामर्श समिति होगी और सभापति का कोई उल्लेख नहीं था । परन्तु अब 'नियन्त्रक के पश्चात्' 'जो उसका सभापति होगा' शब्द जोड़ दिये गये हैं । मेरा संशोधन उसी सम्बन्ध में है । मैं चाहता हूँ कि 'जो उसका सभापति होगा, शब्द हटा दिये जायें । मेरा सुझाव यह है कि नियंत्रक के अतिरिक्त कोई और सदस्य सभापति होना चाहिए ।

श्री एस० एस० कोठारी : मेरा सुझाव यह है कि परामर्श समिति के स्थान पर बीमा सलाहकार बोर्ड होना चाहिए और इस सलाहकार बोर्ड का सभापति नियंत्रक के अतिरिक्त कोई और व्यक्ति होना चाहिए । दूसरे नियंत्रक के विरुद्ध अपील की सुनवाई केन्द्रीय सरकार द्वारा नहीं की जानी चाहिए बल्कि किसी अपीलीय न्यायाधिकरण द्वारा की जानी चाहिए ।

श्री कृ० चं० पन्त : जहां तक श्री नम्बियार के संशोधन का सम्बन्ध है, मैंने उन्हें आश्वासन दिया था कि उनकी बातों को ध्यान में रखा जाये और मेरा उनसे अनुरोध है कि वह अपने संशोधन को पेश न करें ।

श्री नम्बियार : मैं अपना संशोधन वापस लेता हूं ।

श्री कृ० चं० पन्त : जहां तक श्री शर्मा के संशोधन का सम्बन्ध है, बोर्ड का कार्य नियंत्रक को राय देने का है और दोनों में मतभेद होने पर मामला केन्द्रीय सरकार को भेजा जाता है ।

श्री एस० एस० कोठारी : समिति का नाम बदल कर बीमा बोर्ड क्यों नहीं रखा जाता ?

श्री कृ० चं० पन्त : नाम का कोई महत्व नहीं है । मुख्य बात यह है कि दूसरी राय मिलने पर नियत्रंक को इसी के अनुसार कार्य करना होगा ।

श्री नम्बियार : माननीय मन्त्री द्वारा दिये गये आश्वासन को देखते हुए मैं अपना संशोधन वापस लेता हूँ ।

उपाध्यक्ष महोदय : क्या सदस्य को संशोधन वापस लेने के लिये सभा की अनुमति प्राप्त है ?

कुछ माननीय सदस्य : जी हां ।

सभा की अनुमति से संशोधन वापस लिया गया

उपाध्यक्ष महोदय : अब मैं संशोधन संख्या 11 और 39 सभा के मतदान के लिये रखता हूँ ।

संशोधन संख्या 11 और 39 सभा के मतदान के लिये रखे गये तथा अस्वीकृत हुए ।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खंड 37 विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The motion was adopted

खंड 37 विधेयक में जोड़ दिया गया

खंड 38 और 39 विधेयक में जोड़ दिये गये

खंड 40-(आठवीं अनुसूची का रखा जाना)

निम्नलिखित संशोधन स्वीकृत हुए

पृष्ठ 61,–

92 पंक्तियां 35 से 40 से हटाई जायें ।

पृष्ठ 62,–

93 पंक्ति 6 और 7 के स्थान पर—

"नियत दिन पर देय राशि"

(श्री कृ० चं० पन्त) :

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि संशोधित रूप में खंड 40 विधेयक का अगं बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The motion was adopted

संशोधित रूप में खंड 40 विधेयक में जोड़ दिया गया

खंड 41 विधेयक में जोड़ दिया गया

खंड 1, अधिनियमन सूत्र और विधेयक का नाम विधेयक में जोड़ दिये गये

श्री कृ० चं० पन्त : मैं प्रस्ताव करता हूँ कि संशोधित रूप में विधेयक को पास किया जाय ।"

उपाध्यक्ष महोदय : प्रस्ताव पेश हुआ :

'कि संशोधित रूप में विधेयक को पास किया जाय ।

Shri George Fernandes : I want that under Rule 93(2) the consideration of the Bill be held over to-day. The Rule 93(2) is :

> "93(2) where a Bill has undergone amendments the motion that the Bill as amended be passed shall, not be moved on the same day on which the consideration of the Bill is concluded, unless the speaker allows the motion to be made."

There are certain conventions in the case which are being observed for the past 17 years that in case an amendment is made in a Bill, it is not taken up for consideration on the day on which the amendment is made. I, therefore, request that the hon. Minister may be asked to move the motion tomorrow.

Shri Atal Behari Vajpayee : I support the objection raised by Shri Fernandes that there is no such urgency that the Bill be considered on the same day the amendment is made.

उपाध्यक्ष महोदय : यह मामला अन्य मामलों से मूल रूप से भिन्न है । इस मामले में सदस्य को संयुक्त समिति में विधेयक पर विचार करने का पूरा अवसर मिला था। अन्य मामलों में संशोधनों पर सभा में विचार किया जाता है । अत: मेरे लिए यह उपयुक्त होगा कि मैं अपनी शक्ति का प्रयोग न करूं। अत: मैं व्यवस्था के प्रश्न को स्वीकार नहीं करता ।

Shri Atal Bihari Vajpayee : While considering this rule we should not think whether the Bill was referred to select committee or not.

उपाध्यक्ष महोदय : यह नियम इसलिए बना है कि हम प्रत्येक विधेयक की पूरी छानबीन करें और जल्दबाजी न करें । यदि वाद विवाद और छानबीन के लिए पूरा समय दिया गया है तो जो कुछ श्री वाजपेयी ने कहा है वह उचित नहीं है ।

Shri Shiv Chandra Jha (Madhubani) : The country wants that the Banking industry and the insurance business should be industrialised. The All India Congress Committee has also taken decision in favour thereof. But the Bill introduced here does not come upto our expectations. Such legislation would not satisfy the people. Some concrete steps should be taken to strengthen the economy of the country.

श्री लोबो प्रभु : इस विधेयक से सामाजिक नियंत्रण का प्रयोजन पूरा नहीं हो सकता। परन्तु इससे सन्देह यह होता है कि कांग्रेस को चुनावों के चन्दा वसूल करने में सहायता अवश्य मिलेगी । मेरा माननीय मंत्री से अनुरोध है कि वह कम से कम एक संशोधन स्वीकार कर ले। यह संशोधन श्री एस० एस० कोठारी द्वारा पेश किया गया था कि अपील की सुनवाई बजाये सरकार के कोई अपीलीय न्यायाधिकरण करे।

Shri Mrityunjay Prasad (Maharajganj) : Some Members have criticised that we are not following and implementing the Resolution regarding Banks and General Insurance passed by the All India Congress Working Committee. It is wrong, because as the Deputy Prime Minister said that this Bill has been approved by the A. I. C. C. both in regard to banking and general insurance. As far as the question of nationalisation is concerned, our experience about L.I.C. has not been a very happy one. You cannot point out even a single Division where the work is satisfactory. It is, therefore, essential that before nationalising any new concern or business we must ensure efficient and suitable arrangement for running the business.

It has been alleged that the companies make very large profits, but where is the impropriety in it. Our efforts should be to ensure that major portion of the profit should be

utilised to strengthen in reserves and a suitable amount therefrom should be paid to the shareholders.

Uptil now all the assessors and surveyors have been unqualified people. But now the rules should be made more stringent in this respect that only qualified people should be appointed as assessors and surveyors. I do not approve of the participation of the staff in the management. The Government should evolve some formula regarding the salaries of employees while amalgamating the companies.

In the end I would stress that it is not proper to reduce the commission of the Agent to 5 percent. It would hit him hard. You may watch the working the Bill for 3 or 4 months and then make on amendment thereto.

श्री नन्द कुमार सोमानी (नागौर) : बीमा नियंत्रण को बहुत अधिक अधिकार दिये जा रहे हैं। इस विधेयक के अधीन जिस तरह के अधिक ।: की मांग की जा रही है उस तरह के अधिकार रिजर्व बैंक के गवर्नर अथवा दुनिया में किसी भी अन्य समानान्तर संस्था को नहीं दिये गये हैं; नियंत्रक के लिए जिन अधिकारों की माँग की जा रही है, स्थिति को देखते हुए उन अधिकारों का दिया जाना उचित नहीं है। विधेयक में यह व्यवस्था की गई है कि पदच्युत किये जाने अथवा नियुक्ति के मामले में कोई व्यक्ति केन्द्रीय सरकार से अपील कर सकता है। हम केन्द्रीय सरकार को यह स्वविवेकी अधिकार नहीं दे सकते। हम मामले में प्रभावित होने वाले किसी व्यक्ति को हर प्रकार की कानूनी सहायता अ हत दी जानी चाहिए।

श्री वेणी शंकर शर्मा : संयुक्त समिति में नियंत्रक को अध्यक्षबनाने के सम्बन्ध में कोई चर्चा नहीं हुई थी। यह उपबन्ध विधेयक में गलत ढंग से लाया गया है। यदि सरकार का ऐसा कोई विचार था तो उसे हमें सूचित करना चाहिए था। भविष्य में ऐसे नियम बनाये जाने चाहिए जिससे ऐसे महत्वपूर्ण उपबन्ध गलत ढंग से विधेयक में न लाये जा सकें। जब संयुक्त समिति में इस विधेयक पर विचार हो रहा था तो हमने इस बात पर बल दिया था कि नियंत्रक की शक्तियों को कम किया जाये। और काफी विचार विमर्श के पश्चात् नियंत्रक की शक्तियों पर कुछ प्रतिबन्ध लगाया जा सका था। इसके विपरीत अब नियंत्रक को और अधिक शक्तियां दी गई हैं।

एजेन्ट की कमीशन को 15 प्रतिशत से घटा कर 5 प्रतिशत करना उचित नहीं। रियायत पर रोक लगाने की आड़ में वित्त मन्त्री 20/25 लाख लोगों को भूखों मरने की स्थिति में डाल देंगे। स्वर्णकारों की जो हालत हुई थी वही उन लोगों की भी होगी। ऐसा प्रतीत होता है कि सरकार मध्यम दर्जे के और छोटे उद्योगों की सहायता करने के बजाय बड़े पूंजीपतियों को सहायता करना चाहती है। यदि सरकार एजेन्ट का कमीशन 15 अथवा 10 प्रतिशत रहने दे तो मध्यम दर्जे की कम्पनियों को बचाया जा सके और इस सम्पूर्ण उद्योग को कुछ एक बड़े लोगों के हाथों में जाने से बचाया जा सके।

श्री स० मो० बनर्जी (कानपुर) : सरकार ने जनता को आश्वासन दिया था कि बैंकों और सामान्य बीमे का राष्ट्रीयकरण किया जायेगा। परन्तु सरकार ने अपना वचन नहीं निभाया। सरकार यह विधेयक लाई है जो बजाये राष्ट्रीयकरण के सामाजिक नियंत्रण कर रहा है। अतः मैं इस विधेयक का विरोध करता हूँ।

श्री नम्बियार (तिरुचिरापल्ली) : हम राष्ट्रीयकरण चाहते थे लेकिन सरकार सामाजिक नियंत्रण कर रही है। और सम्बन्ध में नियंत्रण सम्बन्धी सभी अधिकार नियंत्रक को दे दिये गये

हैं । सामान्य बीमा कारबार में बहुत अधिक कदाचार फैला हुआ है । यदि हम इस कारबार द्वारा जनता की सेवा करना चाहते हैं तो इस कारबार में फैली हुई बुराइयों को दूर करना पड़ेगा ।

सामान्य बीमा के राष्ट्रीयकरण का विरोध इस आधार पर किया जा रहा है कि सरकारी उपक्रमों का कार्य ठीक ढंग से नहीं चल रहा और यह विचारधारा उचित नहीं । वास्तव में हमें अपनी गलतियों और कमियों से पाठ सीखना चाहिए और उनको दूर करने का प्रयत्न करना चाहिए ।

सामान्य बीमा व्यवसाय के राष्ट्रीयकरण के पश्चात् जीवन बीमा निगम के समान ही एक निगम की स्थापना की जानी चाहिए । ताकि इस धन को उन परियोजनाओं पर लगाया जा सके जिनसे जनता की भलाई हो ।

Shri Shinkre (Panjim) : I wanted complete nationalisation of General Insurance, but I find that I stand alone in this respect. The nationalisation has been opposed on the plea that our public undertakings are not working satisfactorily and have been unsuccessful. But this corporation should not work L. I. C. which has invested most of its funds in private firms. This corporation should provide funds for public development projects during the Fourth Plan.

Shri George Fernandes (Bombay-South) : It is not possible for me to support this Bill as the amendments and suggestion made by me in the Joint Committee report were not accepted. These related to representation of employees in the management. It is clear from the proceedings of the Joint Committee that the Government have introduced this Bill under the pressure of Big Insurance Companies. If you read page 91 of the report of the Joint Committee, my contention would be proved. I, therefore, oppose the Bill.

श्री कृ० चं० पंत : श्री वेणी शंकर शर्मा ने कहा है कि सलाहकार समिति को संयुक्त समिति की बैठक में कोई उल्लेख नहीं हुआ था परन्तु सरकार ने इसे विधेयक में शामिल कर लिया है । परन्तु विमति टिप्पण में हुमायून कबिर और स्वयं वेणी शंकर शर्मा ने सलाहकार समिति का उल्लेख किया है और यदि संयुक्त समिति में इस पर चर्चा न हुई होती तो इसका उल्लेख विमति टिप्पण में कैसे होता ? राष्ट्रीय करण के बारे में हम पहले ही बहुत कुछ कह चुके हैं और मैं इसे यहां दोहराना नहीं चाहता । यह भी सुझाव दिया गया है कि सरकार से अपील करने सम्बन्धी उपबन्ध की अपेक्षा अपीलीय न्यायाधिकरण सम्बन्धी उपबन्ध स्वीकार कर लिया जाना चाहिये । इसके कारण इतना विलम्ब होगा कि विधेयक का उद्देश्य ही समाप्त हो जायेगा ।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि विधेयक को, संशोधित रूप में पास किया जाये ।"

लोक-सभा में मतविभाजन हुआ : पक्ष में 54 विपक्ष में 33

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The motion was adopted

खाद्य निगम (संशोधन) विधेयक

FOOD CORPORATIONS (AMENDMENT) BILL

उपाध्यक्ष महोदय : अब हम खाद्य निगम (संशोधन) विधेयक पर विचार करेंगे । इसके लिये दो घंटे नियत किये गये हैं : एक घन्टा सामान्य चर्चा के लिये और एक घन्टा खण्डवार विचार के लिये । माननीय मन्त्री आरम्भ करें ।

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अन्नासाहिब शिंदे) : मैं प्रस्ताव करता हूँ कि "खाद्य निगम अधिनियम, 1964 में संशोधन करने तथा भारत के खाद्य निगम के सम्बन्ध में औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 के अन्तर्गत केन्द्रीय सरकार को उपयुक्त सरकार घोषित करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये ।" सदस्यों ने सभा में कई बार खाद्य विभाग के उन कर्मचारियों के बारे में प्रश्न पूछे हैं जिनका खाद्य निगम में स्थानान्तरण कर दिया गया है । यह कई बार बताया गया है कि खाद्य विभाग के उन कर्मचारियों के जिनका खाद्य निगम में स्थानांतरण किया गया है उचित हितों की रक्षा की जायेगी । फिर भी कर्मचारियों की विभिन्न संस्थाओं द्वारा असंतोष प्रकट किया गया है । अतः खाद्य विभाग के कर्मचारियों की सेवाओं के स्थानांतरण के लिये सांविधिक उपबन्ध करने के उद्देश्य से यह विधेयक लाया गया है । यह पूछा गया है कि क्या स्थानांतरण से तत्काल पूर्व जिन सरकारी पदों पर वे कार्य कर रहे थे उन पर लागू होने वाले वेतनमानों या निगम में जिन पदों पर उनका स्थानांतरण किया गया है उन पर लागू वेतनमानों या अधिनियम के अधीन निगम के कर्मचारियों को दिये जाने वाले अन्य सेवान्त लाभों के सम्बन्ध में उन्हें विकल्प प्राप्त होगा । विधेयक में यह भी उपबन्ध किया गया है कि उप-धारा (1) के अधीन दिये गये आदेश द्वारा स्थानान्तरित प्रत्येक अधिकारी या अन्य कर्मचारी स्थानांतरण की तिथि से छः महीने के अन्दर लिखित रूप से अपने विकल्प प्रयोग करेगा । यह प्रश्न भी उठाया गया है कि सामान्य रूप से एक सरकारी कर्मचारी संविधान के अनुच्छेद उसके अधीन सुरक्षा का हकदार होता है और यदि खाद्य विभाग के कर्मचारियों की सेवाओं का खाद्य निगम में स्थानांतरण किया जाता है तो शायद यह सुरक्षा उन्हें नहीं मिल सकती । सरकार ने इस समस्या की छानबीन की है और कर्मचारियों के पक्ष में निर्णय लिया है ।

एक और ऐसा महत्वपूर्ण उपबन्ध है जिसके अनुसार खाद्य निगम के किसी कर्मचारी को पदच्युत अथवा उसके विरुद्ध अनुशासात्मक कार्यवाही उसी प्रक्रिया के अनुसार की जायेगी जो अनुच्छेद 311 में उपबन्धित है । आशा है कि सेवा निवृत्ति लाभ, पेंशन और भविष्य निधि के बारे में जिन शर्तों की व्यवस्था की गई हैं उनसे कर्मचारी संतुष्ट हो जायेंगे। इन शब्दों के साथ मैं प्रस्ताव करता हूँ "कि खाद्य निगम अधिनियम, 1964 में संशोधन करने वाले तथा औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 के अन्तर्गत भारत के खाद्य निगम के सम्बन्ध में केन्द्रीय सरकार को उपयुक्त सरकार घोषित करने वाले विधेयक पर विचार किया जाय ।"

सभापति महोदय : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ ।

श्री देवेन सेन : मैं संशोधन संख्या 15 पेश करता हूँ ।

श्री विश्वनाथ पाण्डेय : मैं संशोधन संख्या 26 पेश करता हूँ ।

श्री लोबो प्रभु : मन्त्री महोदय का यह विचार गलत है कि इस विधेयक को सभी दलों का

समर्थन प्राप्त है। मेरे विचार में खाद्य निगम ने केवल गलतियां की हैं। सरकार की खाद्य नीति गलत है। वह सूखाग्रस्त क्षेत्रों से भी अनाज वसूल करती है और बाजार मूल्य से बहुत कम मूल्य पर वसूल करती है। सरकार ने जोन बनाकर भी अनाज की समस्या को बढ़ाया है। सरकार के आंकड़ों के अनुसार वह प्रति व्यक्ति 14 औंस अनाज प्रति दिन दे सकती है परन्तु उसने केरल और और अन्य राशन वाले क्षेत्रों में केवल 6 औंस अनाज दिया।

अधिकतर क्षेत्रों में सरकार बाजार भाव से आधे मूल्य पर अनाज मूल्य वसूल कर रही है और बेचते समय 40 प्रतिशत से अधिक मूल्य वसूल करती है। यह बहुत ही अनुचित है। कोई भी व्यापारी इतने लाभ पर नहीं बेचता। खाद्य निगम बनाने की कोई आवश्यकता नहीं है। इसको वही कार्य सौंपे गये हैं जो विभिन्न निदेशालयों के हैं। शायद सरकार मन्त्रियों और सचिवों के रिश्तेदारों को खाद्य निगम में स्थान देना चाहती है। अधिकारी वर्ग में कई अयोग्य व्यक्ति फंस गये हैं। इन परिस्थितियों में यह अच्छा है कि सम्बन्धित अधिकारियों को स्थायी बनाने से पहले निगम द्वारा की गई नियुक्तियों की जांच करने के लिये एक लोक सेवा आयोग नियुक्त किया जाय।

इस विधेयक से निगम के तीन वर्गों के कर्मचारियों पर प्रभाव पड़ता है। सबसे पहले खाद्य निगम के 3,000 सदस्य हैं जिनकी भर्ती की गई है, दूसरे 18,000 सरकारी कर्मचारी है जिन्हें वहां पर भेजा जा रहा है। तीसरे सचिवालय के कर्मचारी हैं जिनके सम्बन्ध में विधेयक में कोई व्यास्था नहीं की जा रही है और जो अपने-अपने विभागों में वापस चले जायेंगे। जहां तक उन कर्मचारियों का सम्बन्ध है जिनके सीधे भर्ती की गई है, उनकी छंटनी अवश्य होगी जब खाद्य निगम और खाद्य मन्त्रालय को मिला दिया जाता है। उन कर्मचारियों को भी चिन्ता है जिनका खाद्य मन्त्रालय से स्थानांतरण किया गया है क्योंकि उन्हें अपनी पेंशन के अधिकारों का डर हैं। वे यह भी महसूस करते हैं कि जब वे एक बार खाद्य निगम में आ जाते हैं तो गृह मन्त्रालय में वापस जाने के उनके अधिकार पर बुरा प्रभाव पड़ेगा।

ये कर्मचारी इसलिए भी चिन्तित हैं कि अगर वे एक बार खाद्य निगम में चले गए तो गृह मन्त्रालय में वापस जाने का अधिकार उनके हाथ से चला जायेगा। दूसरे, इन कर्मचारियों को विशेष रूप से अस्थायी कर्मचारियों को अपनी पेन्शन की सुविधा के बारे में भी चिन्ता है। इन लोगों का स्थानान्तरण क्यों किया जा रहा है। इससे देश को कोई फायदा नहीं पहुँचेगा।

चूंकि इस विधेयक में जटिलताएं हैं इसलिए इसे प्रवर समिति को सौंपा जाना चाहिये। सरकार कम से कम यह तो कर सकती है कि खाद्य विभाग के कर्मचारियों को खाद्य निगम में प्रतिनियुक्ति पर आया माने जैसा कि अब होता रहा है

Shri Vishwanath Pandey : (Salempur) : The Food Corporation was set up in 1964 for procuring foodgrains, their movement from the place of procurement to other places and then distributing them to the people. This object has not been achieved. There have been many kinds of irregularities in procurement but the Corporation could not remove them. A large portion of the procured foodgrains kept in storage is damaged but the corporation has not made any proper arrangement for storage so that the foodgrains can be saved from being damaged. It is necessary that the original objects of the corporation are achieved.

It is true that protection of pay, service and other reasonable facilities should be granted to the employees who have been transferred to the corporation from the Food

Department. But it is equally important that those employees who have been directly recruited by the corporation are also given the protection of service as well as other facilities. It is a matter of regret that no provision has been made in the Bill in this regard. The Government should give serious thought to it.

I do not want to go into the Controversy whether the corporation has done its job efficiently or not. In fact its object was good. In view of the performance of the Corporation and the circumstances in the country. It seems necessary that you should make radical changes in your food policies.

श्री एस० कंडप्पन (मेट्टूर) : मूल अधिनियम के अनुसार निगम का मुख्य कार्यालय मद्रास में रखा गया था लेकिन मुझे खेद है कि अब यह मुख्य कार्यालय सभी प्रयोजनों के लिए दिल्ली में ले आया गया है और वास्तव में निगम कई महीनों से अपना सारा काम दिल्ली से ही चला रहा है। मैं यह जानना चाहता हूँ कि ऐसी क्या बात थी कि जिसके कारण सरकार इस मुख्य कार्यालय को मद्रास से दिल्ली में ले आई। जब से यह मामला चलाया गया तभी से हम उसका विरोध करते रहे। हमें बताया था कि इस मुख्य कार्यालय को मद्रास से कहीं और स्थान पर ले जाने का प्रस्ताव निगम के चेयरमैन ने रखा है और सरकार उस पर कोई अन्तिम निर्णय लेने नहीं जा रही है। लेकिन बाद में सरकार ने इस सम्बन्ध में निर्णय लेते समय न तो हमें ही बताया और न शायद राज्य सरकार को। वे क्या कारण हैं कि जिनसे खाद्य निगम को अपना मुख्य कार्यालय मद्रास में रखकर कार्य करने में कठिनाई हो रही थी। मुझे याद है कि निगम का मुख्य कार्यालय मद्रास में रखने की बात चलाई गई थी तो कुछ लोगों ने उस पर आपत्ति उठाई थी लेकिन उस समय पदारूढ़ मंत्री महोदय ने इस कार्यालय को मद्रास में रखने के अनेक कारण बताये थे। यद्यपि मंत्री तो बदल गये हैं पर सरकार तो उसी कांग्रेस दल के हाथ में ही है। अत: अब क्या कारण है कि यह कार्यालय इतने थोड़े समय में ही मद्रास से हटा दिया गया है। इससे यही स्पष्ट होता है कि गम्भीर समस्याओं के बारे में भी सरकार ने उदासीन और चलता फिरता रवैया अपनाया है।

मंत्री महोदय ने इस विधेयक पर चर्चा आरम्भ करते समय कहा है कि उसमें कोई विवादग्रस्त बात नहीं है। पर उसके उद्देश्यों तथा कारणों में लिखा है कि इस प्रकार के हस्तांतरण से वेतन, पेंशन और सेवा की अन्य शर्तों पर यथा सम्भव प्रतिकूल प्रभाव न पड़े इस बात का ध्यान रखा गया है। यह 'यथा सम्भव' शब्द इस बात का प्रमाण है कि इस विधेयक के कारण कुछ न कुछ कठिनाइयां अवश्य पैदा होंगी। विधेयक प्रत्यक्ष रूप से तो ऐसा लगता जैसे कि उससे अहित नहीं होगा, पर यदि इसका पूरा विश्लेषण किया जाये तो मालूम होगा कि ऐसी बात नहीं है। इस विधेयक से अनेक शिकायतें पैदा होंगी। अभी तो विधेयक पारित भी नहीं हुआ है पर उससे पहले ही शिकायतें और अभ्यावेदन आना शुरू हो गये हैं। खाद्य निगम को एक स्वायत्तशासी और वाणिज्यिक निगम समझा जाता है। हर व्यक्ति यह सोचता है कि कुशल कर्मचारियों के लिए उसमें काफी गुंजाइश है और अन्यत्र नौकरी छोड़कर लोग निगम में प्रतियोगिता को पार करके आये हैं। अब यदि कुछ लोगों का हटाया जा रहा है या उनकी वरिष्ठता पर प्रभाव पड़ने की सम्भावना है तो यह उचित नहीं होगा। जो लोग निगम में पहले से ही काम करते हैं उन्हें कुछ संरक्षण दिया जाना चाहिए।

खाद्य विभाग में भी 70 प्रतिशत कर्मचारी अस्थायी हैं। यदि कर्मचारियों की संख्या

घटाई गई जिसके स्पष्ट लक्षण दिखाई पड़ रहे हैं, तो न मालूम ऐसे कितने कर्मचारियों की सेवा पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। जो कर्मचारी निगम में पहले से ही हैं और जो अतिरिक्त रखे जाने हैं उनकी आशंकाओं को मंत्री महोदय दूर करें।

सरकार ने बताया है कि निगम एक वाणिज्यिक निगम होने जा रहा है। वह बाजार में आने, व्यापारियों से मुकाबला करने और अनाज की कीमतों को काफी हद तक कम करने जा रहा है। किन्तु हमारे पिछले अनुभव से यह सिद्ध नहीं होता है कि सरकार ने वैसा किया है। जब तक यह संस्था सुचारु रूप से काम नहीं करेगी, तब तक सफलता नहीं मिलेगी। विभिन्न स्थानों में यह पहले ही विफल हो चुकी है। कुछ स्थानों में इसे अवश्य सफलता मिली है।

सरकार ने निगम के अध्यक्ष के रूप में एक पराजित राजनैतिक व्यक्ति को नियुक्त किया है। इतनी बड़ी संस्था का कार्यभार एक पराजित कांग्रेसी को सौंपकर निगम ने जो रुख अपनाया है उसकी निन्दा की जानी चाहिए। इस पद पर एक योग्य और सक्षम व्यक्ति रखा जाना चाहिए।

Shri Bhola Nath Master (Alwar) : The Bill should have been considered and passed much earlier. Service conditions of 3000 employees, who have been recruited by the Food Corporation should be clearly laid down. These employees should not be allowed to have a feeling that their future is uncertain. The Government should pay proper attention to the question of fixing security etc. of the employee of the Food Department to be transferred to the Corporation **vis-a-vis** the seniority of the employees recruited by the Corporation. There should be no hart burning between the two categories of employees. A provision governing the seniority of both classes of employees should be made in the Bill. Provision should also be made in regard to channels of promotion of these employees.

It is good that the headquarters of the Corporation has been shifted to Delhi. As a matter of fact it should have been in Delhi from the very beginning. The Corporation procured foodgrains mostly in Northern States. In the interest of efficient functioning of the corporation it is proper that its headquarters should be located in Delhi.

The newly appointed Chairman of the corporation is eminently suited for the post. He played an important role in the I. N. A. He would, therefore, be able to handle the work of the corporation efficiently.

Shri Deven Sen (Asansol) : I oppose the very basis of the Bill. The corporation aimed to absorb the employees of the Food Department but it is difficult to understand as to why the corporation has recruited 3,000 people. The Minister should clarify the position. As far as I think nepotism has played a prominent role in recruitment of these employees and such recruitment has been made just to bring the relations of Congressmen and Ministers in the corporation. This corporation has thus been made just like a reserve forest.

The position in regard to the continuity of service of the employees of the Food Department to be transferred to the corparation should be made clear. If the date from which the service of employees from Food Department is to be counted, is not clarified such employees would not like to be transferred to the Corporation. It is therefore necessary to clarify that their service in the Food Department will be counted while deciding their total length of service.

High salaried posts have been earmarked for the employees recruited by the Corporation. Provision should be made so that the employees being transferred from the Food Department may also be appointed or promoted to higher posts.

It has been mentioned in the Bill that such transferred employees shall cease to be an employee of the Government. Some agreement was arrived at between the employees of the Food Department and the Government in regard to certain points of their service conditions but no provision has been made in the Bill to implement that agreement. The Minister had agreed that he was prepared to consider 31-12-68 as the date from which all the employees of the Food Department would be nationally deemed to have been transferred but the employees had pressed for 1-1-65 as the national date. The Minister had agreed to examine it but now no mention has been made about it in the Bill. The Minister was also prepared for total integration in regard to the direct recruits. But the position in this connection has not been clarified in the Bill.

The Minister had agreed to see that Government issued executive orders for the absorption of surplus employees in case any shrinkage or winding up of the corporation. But no provision therefor has been made in this Bill. The Government should provide security of service to the transferred employees as well as to the direct recruits in the Corporation. Their interests should be safeguarded. It appears that Government has no sympathetic attitude towards the employees.

श्री हिम्मतसिंह का (गोड्डा) : विधेयक के उपबन्धों पर आपत्ति उठाने के लिए कोई औचित्य नहीं मालूम होता है। प्रस्तावित धारा 12-क की उपधारा 4 में कर्मचारी को यह विकल्प दिया गया है कि वह अपने स्थानान्तरण से तुरन्त पहले सरकार के अधीन प्राप्त पद के वेतनमान को माल लेना चाहेगा या जिस निगम में उसका स्थानान्तरण किया गया है उसके अन्तर्गत लागू वेतन मान को लेना चाहेगा। कर्मचारी अपने स्थानान्तरण से छः महीने के अन्दर इस विकल्प का प्रयोग कर सकता है।

सुविधाओं के बारे भी उन्हें विकल्प दिया गया है। इस विधेयक में उन कर्मचारियों की सेवा शर्तों के सरंक्षण करने का प्रयत्न किया गया है जिनका स्थानान्तरण किया गया है।

खाद्य अपमिश्रण रोक थाम अधिनियम का उद्देश्य बड़े अच्छे लक्ष्यों को प्राप्त करना है। किन्तु जहाँ तक कुछ मामलों में परिभाषा का सम्बन्ध है, मंत्री महोदय को लोगों द्वारा अनुभव की गई कठिनाइयों पर कुछ ध्यान दिया जाना चाहिए और उन पर विचार करना चाहिए। देहात में चना गेहूँ के साथ मिला कर खाया जाता है। खाद्य अपमिश्रण रोक थाम अधिनियम के अधीन परिभाषा के अनुसार, यदि गेहूँ के साथ कुछ चना मिलाया जाता है तो वह अपमिश्रण हो जाता है। ऐसा कहना बिल्कुल बेहूदा बात है। उसकी वजह से बहुत भ्रष्टाचार फैल रहा है। इसी प्रकार यदि दाल में झींगुर लग जाता है जो कि इस देश में बहुत स्वाभाविक है, तो अधिनियम के अन्तर्गत अपमिश्रित कहलाती है और इस दाल के व्यापार पर मुकदमा चलाया जा सकता है और छः महीने या उससे अधिक की न्यूनतम कैद की जा सकती है।

यह कह कर मैं मंत्री महोदय का ध्यान खाद्य निगम अधिनियम के अन्तर्गत बनाये कुछ नियमों से पैदा हुई कठिनाइयों की ओर दिलाना चाहता हूँ। जहाँ तक अनाज वसूली का सम्बन्ध है ज्योंही किसान को कुछ मात्रा में धान, चावल या गेहूँ देने का आदेश दिया जाता है, त्योंही वह अपने लिए भी उसका प्रयोग नहीं कर सकता है। यदि वह ऐसा करता है तो उस पर मुकदमा चलाया जा सकता है।

खाद्य निगम किसान से गेहूँ या धान की सप्लाई सीधे नहीं लेता जिससे सरकार को तो कोई लाभ नहीं मिलता पर उसकी लागत बहुत अधिक बढ़ जाती है। इसी कारण से उपभोक्ता

को अधिक कीमत अदा करनी पड़ती है जब कि उससे किसान या सरकार को कोई फायदा नहीं होता। अत: ऐसा तरीका निकाला जाना चाहिये ताकि किसान सीधे गोदाम में सप्लाई कर सके। इन शब्दों के साथ मैं विधेयक के उपबन्धों का समर्थन करता हूँ।

[अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए
MR. SPEAKER *in the Chair*]

Shri Hardayal Devgun (Delhi East) : One of the aims of creating the Food Corporation is to have control on prices of foodgrains. The corporation has failed in achieving this objective, because it is not functioning efficiecntly and lot of expenditure is incurred on administration.

Certain allegations of nepotism have been made in regard to the recruitment made by the corporation. The persons appointed to high posts should be got approved from the U. P. S. C.

The chairman and managing directors should be the persons who are economists and experts in matters dealt with by the Corporation. But the Government do not appoint competent persons for these jobs. The Government appoint those persons whom they want to favour. The result is that the functioning of the corporation suffers.

Service conditions of the employees of the Food Department which is being transferred to the corporation should be properly protected. They should not suffer loss in any way. Service conditions of the 3000 employees recruited by the corporation should also be clearly laid down.

श्री नी० श्री कान्तन नायर : यद्यपि विधेयक की सामान्य रूप रेखा का स्वागत है पर उसमें दो या तीन पहलुओं में सुधार की गुन्जाइश है।

जांच अधिकारी को ही अनियोजक, न्यायाधीश अपीलीय अधिकारी आदि मान लेना ठीक नहीं है। विभाग का सचिव अपीली अधिकारी हो सकता है।

जिन कर्मचारियों को निगम में स्थानान्तरित किया जा रहा है उनकी अस्थायी सेवाकाल को भी उनके सेवा रिकार्ड में दर्ज किया जाना चाहिये। और पेंशन के लिए भी दर्ज किया जाना चाहिये।

सरकारी क्वार्टर मिले कर्मचारियों को ये क्वार्टर खाली करने की सूचना दी गई है क्योंकि वे अब सरकारी कर्मचारी नहीं रहे हैं। ऐसा कदम नहीं उठाया जाना चाहिये। सरकार चाहे तो आगे के लिये क्वार्टर देने से इन्कार कर सकती है। लेकिन जो कर्मचारी सरकारी क्वार्टरों में रह रहे हैं। उन्हें उनमें रहने की अनुमति दी जानी चाहिये।

खाद्य विभाग और निगम में जो कर्मचारी भर्ती किये जा रहे हैं उन सभी की वरिष्ठता उनकी नियुक्ति की तिथि के आधार पर निर्धारित की जानी चाहिये।

Shri Mrityunjay Prasad (Maharajganj) : The Food Department should deposit the proportionate funds with the Food Corporation in regard to the terminal benefits which are payable to the Goverment employees, being transferred to the corporation, at the time of retirement.

Integration of the employees of the Food Department and those recruited by the corporation should be done in such a proper way that it may not create dissatisfaction among these employees. This integration should be done on the basis of ability and justice should be done to all the employees.

The Food Corporation should learn certain good things from businessmen. For example they should learn from them the method of storage so that there is minimem loss of foodgrains. They should also plan in advance of the harvesting of the crop in regard to their targets of procurement and other necessary details.

Pestecident should be applied carefully while keeping the foodgrains in godowns so that it does not prove harmful to human lives.

There is over-staffing in the corporation. There is also no efficiency in its working The work of the corporation should be carried on efficiently.

Foodgrains should be stored for minimum possible period. Attempt should be made to move foodgrains from the place of purchase direct to the place of its requirement.

The corporation should also help the farmers by storing their foodgrains in addition to the procured foodgrains so that they may sell them at proper time and get remunerative price for their produce.

श्री स० मो० बनर्जी (कानपुर) : मैं खाद्य निगम या उसके कार्यचालन के बारे में कुछ नहीं कहूँगा क्यों कि यह विधेयक उन सरकारी कर्मचारियों की सेवा शर्तों तक ही सीमित है जो खाद्य विभाग से खाद्य निगम में स्थानान्तरित कि गा हैं।

केन्द्रीय सरकारी खाद्य कर्मचारी-संघ इस विधेयक की मुख्य बातों से आमतौर पर सहमत है। भूतपूर्व खाद्य मन्त्री श्री सुब्रामनियम ने यह आश्वासन दिया था कि खाद्य निगम में स्थानान्तरित किये गये सरकारी कर्मचारियों की कोई की वर्तमान सुविधाएँ समाप्त नहीं की जायेंगी। इसके अलावा श्री जगजीवनराम ने भी यह आश्वासन दिया था। लेकिन आज अखिल भारतीय सरकारी खाद्य कर्मचारी संघ के महासचिव श्री अश्रु बोस से एक तार मिला है जिसमें कहा गया है कि उक्त आश्वासन को पूरा नहीं किया जा रहा है। यह बहुत बुरी बात है। यदि कोई निश्चित आश्वासन दिया जाता है तो उसे कार्य रूप में परिणत किया जाना चाहिए।

1965 में भारत के खाद्य निगम का कार्य आरम्भ हो जाने के बाद केन्द्रीय खाद्य विभाग के कर्मचारियों को यह मालूम हुआ कि केन्द्रीय सरकार के अधीन उनकी कई वर्षों की सेवा के बारे में खाद्य निगम अधिनियम, 1964 में कोई उपबन्ध नहीं है। यह गलती ठीक की जानी चाहिए। केन्द्रीय खाद्य विभाग से खाद्य निगम में कर्मचारियों का स्थानान्तरण करते समय उनकी पूर्व सेवा अवधि को भी शामिल किया जाना चाहिए और सेवा की निरन्तरता को सुरक्षित रखा जाना चाहिए। विधेयक की नई धारा 12 क की उप धारा (3) के अधीन 'केन्द्रीय सरकार के कर्मचारी नहीं रहेंगे शब्दों को निकाल दिया जाना चाहिए क्योंकि ऐसी आशंका है कि ऐसे स्थानान्तरित कर्मचारियों को सेवा की निरन्तरता के उन लाभों से वंचित कर दिया जायेगा जो उन्हें अब तक मिलते रहे हैं। हम चाहते हैं कि यह बात मूल अधिनियम की धारा 45 के अधीन खाद्य निगम द्वारा तैयार किये जाने बाले विनियमों में शामिल किया जाना चाहिए।

खाद्य निगम में स्थानान्तरित करने से पहले खाद्य विभाग के सभी कर्मचारियों को स्थायी घोषित किया जाना चाहिए। इस बारे में हम निश्चित आश्वासन चाहते हैं क्योंकि यदि निगम समाप्त किया गया तो इन कर्मचारियों की क्या स्थिति होगी। इन कर्मचारियों के हितों की रक्षा के लिए नियम बनाये जाने चाहिए और उन्हें सभा में पेश किया जाना चाहिए।

हम मन्त्री महोदय से इस आशय का निश्चित उत्तर चाहते हैं कि अनुशासनात्मक कार्यवाही के बारे में अनुच्छेद 311 को लागू किया जायेगा अथवा इन कर्मचारियों पर नियन्त्रण तथा अपील सम्बन्धी नियमों को जो अनुच्छेद 311 के अनुरूप हैं, लागू किया जायेगा जैसा कि अन्य सरकारी कर्मचारियों के मामले में होता है।

निगम द्वारा सीधी भर्ती किये जाने वाले कर्मचारियों के हितों की भी रक्षा की जानी चाहिए। इन कर्मचारियों की, जिन्हें समुचित परीक्षा आदि के बाद नियुक्ति के लिए चुना जाता है, छँटनी किसी भी स्थिति में नहीं की जानी चाहिए।

श्री शिवाजी राव शं० देशमुख (परमानी) : इस विधेयक में उन केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों को जिन्हें खाद्य निगम में स्थानान्तरित किया गया है, सेवा की कुछ न्यूनतम शर्तों की गारन्टी दी गई है और उस सीमा तक मैं इस विधेयक का स्वागत करता हूँ। लेकिन कर्मचारियों का एक वर्ग ऐसा भी है जिसमें निगम ने कर्मचारियों को सीधा भर्ती किया है। ऐसे कर्मचारियों के बारे में विधेयक में कोई उपबन्ध नहीं है। सरकार को चाहिए कि वह इन कर्मचारियों के साथ वैसा ही व्यवहार करे जैसा कि खाद्य विभाग के कर्मचारियों के साथ किया गया है।

जब खाद्य निगम की स्थापना की गई थी तो हमारा ख्याल था कि खाद्यानों का राजकीय व्यापार होगा और अनाज का उपभोक्ता से लिया जाने वाला मूल्य किसान को मिलेगा। लेकिन दुख की बात है कि निगम की स्थापना के बाद भी उपभोक्ता को अनाज ऊंची कीमतों पर मिल रहा है और किसान को अपने अनाज के बहुत कम दाम मिल पा रहे हैं। कारण यह है कि अनाज के वसूली मूल्य और विक्रय मू के बीच के अन्तर की खाद्य निगम पर खर्च किया जाता हैं इससे वह उद्देश्य ही समाप्त हो जाता है जिसके लिए खाद्य निगम की स्थापना की गई थी। अतः खाद्य निगम पर होने वाले खर्चे में कटौती की जानी चाहिये।

श्री के० एम० अब्राहम (कोट्टायम) : प्रस्तावित विधेयक अपर्याप्त है। इस से खाद्य निगम के उन कर्मचारियों की, जिन्हें खाद्य निगम में स्थानान्तरित किया गया है, वरिष्ठता और वेतन को भी सुरक्षित नहीं रखा जा सकता। इसके अलावा, इस विधेयक में निगम द्वारा सीधे भर्ती किये गये कर्मचारियों के सम्बन्ध में भी कोई व्यवस्था नहीं की गई है। उनके हितों की भी रक्षा की जानी चाहिए।

भारत के खाद्य निगम का कार्य बहुत ही असन्तोषजनक ढंग से चल रहा है। समाचार-पत्रों में इस आशय के समाचार प्रकाशित हुए हैं कि निगम अभी अच्छी तरह से नहीं चल पा रहा है और वह खाद्यान्नों की वसूली, बफर स्टाक कायम करने, मूल्य वृद्धि को रोकने और विभिन्न क्षेत्रों में अनाज का समान वितरण करने की समस्या को हल करने में सफल नहीं हो सका है। निगम के कार्य-संचालन में सुधार करने के लिए समुचित कदम उठाये जाने चाहिए ताकि जिस उद्देश्य के लिए निगम की स्थापना की गई है, उसे पूरा किया जा सके।

श्री के० नारायण राव (बोम्बिली) : खाद्य निगम की स्थापना इस उद्देश्य से की गई थी कि वह खाद्य मन्त्रालय द्वारा अब तक किये जाने वाले कुछ कामों को अपने हाथ में ले सके। स्वाभाविक ही कि खाद्य मन्त्रालय में जो लोग अब तक कार्य करते रहे हैं उनकी सेवाएँ खाद्य निगम में स्थानान्तरित की जानी चाहिए। यह नहीं भुलाया जाना चाहिए कि वे सरकार के सिविल

कर्मचारी हैं। चूँकि वर्तमान असंगत स्थिति बहुत समय तक नहीं चल सकती, इसलिए सरकार को उनकी स्थिति निर्धारित कर देनी चाहिए। अनुच्छेद 311 के अन्तर्गत अधिकार, वरिष्ठता, पदोन्नति, चिकित्सा सुविधा आदि सम्बन्धी अनेक विशेषाधिकार-सिविल कर्मचारियों को प्राप्त हैं। संभवतः ये सभी सुविधाएँ दोनों तरह के कर्मचारियों को नहीं दी जी सकतीं।

यह भी बताया गया है कि निगम द्वारा सीधे भर्ती किये गये कर्मचारी अपने साथ भेद-भाव पूर्ण बर्ताव के कारण खिन्न हैं। यद्यपि विधेयक में इन कर्मचारियों को भी शामिल किया गया है पर फिर भी दोनों प्रकार के कर्मचारियों की कुछ न कुछ शिकायतें बनी ही रहेंगी। अनुच्छेद 311 के अधीन अनुशासनात्मक अधिकारों, वेतन क्रम, सेवान्त और सेवानिवृत्ति लाभों के बारे में केन्द्रीय सरकार की सेवा से स्थानान्तरित किये गये कर्मचारियों को एक विकल्प दिया गया है। अन्य सभी मामलों में विधेयक में रखे गये विनियमों के अन्तर्गत दोनों ही प्रकार के कर्मचारियों के साथ समान बर्ताव किया जायेगा। वर्तमान परिस्थितियों में यही सम्भव हो सकता है।

यदि कभी ऐसी स्थिति उत्पन्न हुई जब इस निगम को समाप्त करना पड़े तो इन कर्मचारियों को खाद्य विभाग में वापस लिया जा सकता है। विनियम बनाते समय इस बात का ध्यान रखा जाना चाहिये कि दोनों किस्म के कर्मचारियों की सेवा की शर्तें एक समान हों।

हरियाणा में विकास के बारे में

RE: DEVELOPMENTS IN HARYANA

Shri Atal Bihari Vajpayee (Balrampur) : Pressure is being exorted on the Governor not to invite the opposition to form the Government, after the fall of Congress there.

अध्यक्ष महोदय : हम इस सम्बन्ध में समाचार-पत्रों में पढ़ रहे हैं।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : हमने ध्यानाकर्षण प्रस्ताव की सूचना दी है।

अध्यक्ष महोदय : हमें इस विषय की जानकारी नहीं हैं। अतः मेरे विचार में इस पर यहां चर्चा नहीं की जा सकती। अब हम आधे घन्टे की चर्चा पर विचार करेंगे।

राज्यों को केन्द्रीय सहायता*

CENTRAL ASSISTANCE TO STATES*

श्री सुरेन्द्रनाथ द्विवेदी : मैं यह जानना चाहता हूँ कि प्रादेशिक असंतुलन दूर करने के लिये क्या प्रयास किये गये हैं। यदि आप देश में ऐसी भावना उत्पन्न करना चाहते हैं कि हम एक देश, एक ही लोग हैं तो नीति ऐसी होनी चाहिये कि इससे सभी वर्गों को लाभ पहुँचे। परन्तु हम अभी भी कुछ राज्यों को अधिक लाभ दे रहे हैं और कुछ को कम। आज देश में महाराष्ट्र में प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक है। लेकिन वित्त आयोग के प्रतिवेदन के अनुसार महाराष्ट्र को भी लगभग

*आधे घंटे की चर्चा

*Half an hour Discussion.

उतना ही धन दिया जा रहा है जितना उसको पहले दिया जाता रहा। बल्कि उसे और अधिक धन दिया जा रहा है। लेकिन बिहार, उड़ीसा और उत्तर प्रदेश को पर्याप्त आर्थिक सहायता नहीं दी जा रही है। वित्त आयोग ने जिस ढंग से धन का वितरण किया है उससे यह मालूम होता है कि सम्पन्न राज्यों को उपेक्षित या अविकसित राज्यों की तुलना में अधिक धन दिया जा रहा है।

सभी योजनाओं में यह उल्लिखित है कि अविकसित क्षेत्रों को विशेष सहायता दी जायेगी। देश में जो भी संसाधन है उनका उचित वितरण होना चाहिये। पिछड़े राज्यों में स्वयं संसाधन जुटाने की क्षमता नहीं है। उनमें से कुछ राज्य ऐसी स्थिति में पहुंच गये हैं कि अब और अधिक संसाधन जुटा ही नहीं सकते। पिछड़े हुये राज्यों में जहां 40 प्रतिशत से अधिक अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के लोग हैं, वहाँ से आप कैसे संसाधन जुटा सकते हैं। केन्द्रीय सरकार को इन क्षेत्रों में नई योजनाओं और विशेष कार्यक्रमों के लिये और अधिक धन देना चाहिये।

पहले राज्यों को धन देते समय सम्बन्धित राज्यों की विकास क्षमता पर भी विचार किया जाता था। उड़ीसा और मध्य प्रदेश में खनिज बहुत अधिक मात्रा में पाये जाते हैं। इन राज्यों की स्थिति पर विशेष रूप से विचार किया जाना चाहिये।

सरकार इस बात पर भी विचार करती है कि कुछ राज्यों में यह क्षमता नहीं होती कि वे अपनी विकास योजनाओं के लिये स्वयं ही धन जुटा सकें। इस प्रकार के राज्यों को केन्द्रीय सरकार से बहुत कर्ज लेना पड़ता है। राष्ट्रीय विकास परिषद् की समिति ने जो मापदंड निर्धारित किया है उससे राज्यों को लाभ नहीं होता। यदि कुछ राज्यों के प्रति यह उपेक्षा चलती रही तो देश में कोई एकता नहीं रहेगी।

देश में उपलब्ध संसाधनों का समुचित वितरण किया जाना चाहिये। क्या सरकार ने कोई ऐसी योजना बनाई है जिससे पिछड़े हुये राज्यों को विकसित राज्यों के स्तर पर लाया जा सके। इस सम्बन्ध में उनको कोई कार्यक्रम तैयार करना चाहिये। सरकार को राज्यों को दी जाने वाली सहायता सम्बन्धी मापदंड के बारे में संसद की अनुमति प्राप्त कर लेनी चाहिये।

Shri Prakash Vir Shastri : Have the Government fixed some special criteria for giving Central Assistance to States like U.P. which have not received their due share ?

Shri Shiv Chandra Jha : What steps are being taken by Government to remove the regional imbalance created because of Government's policies ? What steps are being taken to bring the under developed States at par with the developed States ? Will Government provide financial assistance to States having abundant raw material so that the raw material would be utilised with the State itself ? For example nuclear raw material is available in Bihar but it is being utilised by other States.

Shri Shinkre : The Government is not taking due note of the necessities of Union Territories. The figures regarding per capita income are very much misleading. It is not proper that central assistance should be provided on the basis of per capita income. The assistance should be provided to Union Territories of Goa and Pondicharry.

श्री एस० कुन्डू (बालासार) : पिछले बीस वर्षों में सम्पूर्ण भारत में एक ही प्रकार की सरकार के बावजूद प्रादेशिक असन्तुलन बहुत अधिक मात्रा में बढ़ गया है। इससे सांविधानिक संकट उत्पन्न हो सकता है क्योंकि संसाधनों का वितरण एक सांविधानिक विषय है। क्या सरकार

कोई ऐसा आयोग नियुक्त करने का विचार कर रही है जो राज्यों को दी जाने वाली सहायता के सम्पूर्ण प्रश्न पर विचार करे और सांविधानिक परिवर्तनों के बारे में सुझाव दे और यह भी सुझाव दे कि राष्ट्रीय विकास परिषद द्वारा निर्धारित नीति को किस प्रकार कार्यान्वित किया जा सकता है ताकि पिछड़े राज्यों को प्राथमिकता दी जा सके। क्या सरकार कोई ऐसा आयोग स्थापित करने का विचार कर रही है जो सम्पूर्ण प्रश्न पर विचार करे जिसमें केन्द्र-राज्य सम्बन्ध भी शामिल हों।

वैदेशिक-कार्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री ब० राव० भगत) : सदस्यों का समाधान नहीं हुआ है और यह स्वभाविक ही है क्योंकि संसोधन बहुत कम हैं और मांग बहुत अधिक है। प्रथम योजना में यह तदर्थ आधार पर किया गया और दूसरी तीसरी योजना पर वितरण केन्द्रीय और राज्यों के संसाधनों को ध्यान में रख कर किया गया। परन्तु बाद में यह कार्य प्रति वर्ष के आधार पर किया गया। चौथी पंच वर्षीय योजना तैयार करते समय बहुत से मुख्य मन्त्रियों की सलाह भी ली गई थी। इस सम्बन्ध में पहली बार एक उप समिति बनाई गई थी जिसमें सभी मुख्य मन्त्रियों को शामिल किया गया। मुख्य मन्त्रियों और योजना आयोग के उपाध्यक्ष ने पिछले 18 वर्षों में पहली बार सर्वसम्मति से कुछ मापदंडों के बारे में सहमति व्यक्त की। यद्यपि वे मापदंड प्रत्येक राज्य के दृष्टिकोण से संतोषजनक नहीं हो सकते, लेकिन राष्ट्रीय दृष्टिकोण से उक्त सहमति सर्वोत्तम है।

वित्त आयोग और योजना आयोग द्वारा संसाधनों का बंटवारा दो विभिन्न बातें हैं। जब वित्त आयोग किसी राज्य के बारे में सिफारिश करता है तो राज्य के राजस्व बजट पर विचार किया जाता है और उसके अनुसार ही संसाधनों का बटवारा किया जाता है। जहां तक महाराष्ट्र का सम्बन्ध है, यद्यपि यह राज्य अपेक्षाकृत अधिक धनवान हो सकता है, फिर भी राजस्व बजट में और अधिक घाटा हो सकता है और इसलिए आयोग द्वारा दिया गया धन अधिक दे सकता है।

केन्द्रीय सहायता का प्रयोजन किसी विशेष राज्य के विकास में सहायता करना होता है। परन्तु असली प्रयास तो राज्य को स्वयं करना होता है। अधिक केन्द्रीय सहायता देकर क्षेत्रीय असंतुलन समाप्त नहीं किया जा सकता। पिछड़े क्षेत्रों और किसी राज्य विशेष की समस्या को हल नहीं किया जा सकता।

केन्द्रीय सहायता किसी राज्य विशेष में विकास कार्यों को प्रोत्साहन देने का एक साधन है परन्तु इसके लिए प्रयास तो राज्य को ही करना होगा। पिछड़े क्षेत्रों की समस्या पर इसी दृष्टिकोण से विचार किया जाना चाहिये। बंटवारे की नई व्यवस्था सर्वोत्तम है। यदि इससे उत्तम कोई और व्यवस्था है तो सरकार उस पर विचार करेगी। मुझे पता है कि मेरे उत्तर से एिसी का समाधान नहीं होगा क्यों कि समस्या ही ऐसी है।

चीनी की नीति के बारे में चर्चा–जारी

DISCUSSION RE: SUGAR POLICY--Contd.

अध्यक्ष महोदय : अब हम चीनी पर चर्चा करेंगे हमारे पास केवल आधा घन्टा है। कोई भी सदस्य 5 मिनट से अधिक न लें जिससे मन्त्री महोदय को उत्तर देने का समय समय मिल जाये।

Shri D. N. Tewari (Gopalganj) : Some of the Members have suggested that sugar be decontrolled but perhaps they have forgetten that rice because of a bumper crop of sugarcane, the prices came so low that the farmers had to learn their standing crops and that is why Sugar Act was enacted.

There are four sections of society which are directly associated with sugar-producer of sugarcane, sugar manufacture and the consumers who purchase directly from the market and the consumers who purchase sugar on permit on ration card. Keeping in view the interest of all the concerned parties, the price should be fixed in a manner that each party should receive due profit.

As in last year this year also there are two prices of sugar. One is the levy sugar at Rs. 1.70, 1.72 per killo and the other sugar which is available to ordinary people. The Government in order to satisfy the vocal section of society supplies the levy sugar to well to do people while the poor villagers have to purchase from the black market.

The Govercment, therefore, should acquire sugar only for Army, Police and Government employees and the rest should be left for the General public or it should acquire for people who cannot purchase in the market. But it should be ensured that the Cane grower receives clue price for his produce ....

अध्यक्ष महोदय : अभी एक दर्जन और सदस्यों ने भाषण देना है। यदि प्रत्येक सदस्य ने 15 मिनट लिए तो हमें आधी रात तक बैठना पड़ेगा। कम से कम जब मैं दूसरी बार घन्टी बजाऊं तो सदस्य महोदय को अपना भाषण समाप्त कर देना चाहिए। अब श्री द्वारका नाथ तिवारी अपना भाषण समाप्त करें।

Shri D. N. Tiwari : If Government want to satisfy the Vocal Section they should give subsidy as is given in the case of Sugar export, but Sugar should be made available to the poor Section not at higher prices.

Shri S. M. Joshi (Poona) : The sugarcane price is fixed to safeguard the interests of cane-growers. It is necessary to fix the sugar-cane price in U.P., and Bihar etc. with a view to safeguard the interests of farmers and the Sugar mills in these States. It is a good thing but so far as the States of Maharashtra and Andhra Pradesh are concerned, there is no need to fix sugarcane price. In Maharashtra a State Farming Corporation was set up on about 80 acres of surplus land of sugar factories after legislation for ceiling price was passed.

[श्री गादिलिंगन गौड पीठासीन हुए
SHRI GADILINGANA GOWDA *in the Chair*]

The law Governing the State Farming Corporation has provided that this Corporation will have to sell their sugarcane to the factories at fair price. But the Government have entered into an agreement with the factory owners. In this agreement there is no mention of the fair price and it has been provided therein that the price of sugarcane shall be governed by the price fixed by the Centre which is Rs. 7.50. The result is that the Corporation get only Rs. 80 to Rs. 100 while the sugarcane price in the market is Rs. 150. It deprives the Corporation their due share of profit on production and also brings a bad name to a public undertaking. National price has no meaning for them.

Shri Vajpayee has suggested that efforts should be made to increase the efficiency of those factories which are outmoded and inefficient. But I would say that farmers should be paid the prices which they demand. Farmers are not benefitted with the existing price of Sugarcane. The entire profit goes to the millowners. We have to safeguard the interests

of three parties, the millowner, the farmer and the consumer. There is no uniformity in the price policy. In fact this cannot be done because there are different problems and inequal development in the country. We will have to plan for safeguarding the interests of canegrower and consumer.

Shri Bishwanath Roy (Deoria) : It is wrong to say that the present sugar policy of the Government has failed. The present policy is in the interest of the cane-growers. It is for the first time in the last 35 years that the Government have paid attention to the interest of the cane-growers and have evolved a policy which has made the mill-owners to pay higher price for the sugarcane. As a result of the present policy the cane-growers get a high price for their sugarcane in U.P. Even in other States the prices are good.

Large number of people in our country consume gur. Only a small percentage consume sugar. It will not, therefore. be proper to reduce the cane price for the sake of these people. The present policy is very successful so far as the interests of the farmers are concerned. The production of sugarcane and sugar has also gone up.

The minimum price of sugarcane should be Rs. 12 per quintal. It is essential to give incentive to the farmer to go in for cultivation of sugarcane.

श्री एस० एम० कृष्ण (माँडया) : पिछले 15 वर्षों में सरकार की चीनी नीति का उद्देश्य यह रहा है कि किसान को उचित दाम मिलें, चीनी उद्योग और उसका विकास विनियमित हो, देश में चीनी के विभिन्न कारखानों को गन्ने की पर्याप्त सप्लाई की जाये, और उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा की जाये। सरकार इन उद्देश्यों को पूरा नहीं कर सकी है। देश में यह आशंका बढ़ रही है कि सरकार की चीनी-नीति मुख्य रूप से मिल मालिकों की आवश्यकताओं के अनुरूप बनाई गई है।

इस समय विभिन्न क्षेत्रों में गन्ने के मूल्यों में काफी अन्तर है। गन्ने का न्यूनतम उचित मूल्य होना चाहिए और दूसरे, देश भर में उसमें कुछ एक रूपता होनी चाहिए। अन्ततः कुल मिलाकर देश भर में खेती की लागत एक सी है।

इस समय देहाती क्षेत्रों में चीनी बहुत कम मिलती है। देहाती क्षेत्रों में चीनी उपलब्ध करने के लिए कदम उठाये जाने चाहिये। सरकार को मिठाई बेचने वालों, मिठाई बनाने वालो और छोटे होटल वालों और हलवाइयों की माँगों की ओर भी ध्यान देना चाहिए। किसान के हितों की रक्षा की जानी चाहिए यदि चीनी मिल मालिकों के लिए किसान के हितों का बलिदान किया जायेगा तो किसानों के पास केवल यह विकल्प रह जायेगा कि वे अपने आपको संगठित करें और अपने हितों की रक्षा के लिए संघर्ष करें।

Shri K. N. Tiwari (Betia) : A number of mills in Bihar, U.P. and other areas has been closed, because they are not getting the supply of sugarcane. The farmers want proper price for their sugarcane. They have refused to give cane to the factories till they get proper price. The demand of the farmers for a price of Rs. 10.72 per quintal is just. If the farmers do not get this price, they will not go in for cultivation of sugarcane and that will result into a crisis.

The Government should take over the Goraul factory, because hundred of workers of that factory are unemployed.

The mill owners should be asked to pay at least a price of Rs. 4 per quintal of sugarcane to the growers. The Government should have consulted the mill owners and the representatives of cane-growers before fixing the present ratio of Rs. 70 and 30. The previous ratio of 60 and 40 should be restored.

The Government should pay urgent attention to the crisis faced by the sugar industry. Whatever policy is decided it should be announced soon.

Shri K. M. Madhukar (Deoria) : The Minister always takes about safeguarding the interests of the farmer and the consumer but does not keep it in mind while formulating the sugar policy. The Government keep the interests of the Capitalist in view while formulating their policy.

The farmers do not get remunerative price for their sugarcane and the consumer get sugar at a very high price. The Government should fixe the minimum price for sugarcane at Rs. 4 per maund.

Sugar should also be made available to the consumers at reasonable price. People in the rural areas find it very difficult to get sugar. Special attention should be paid to the difficulties of the people in rura' areas in this regard.

A number of sugar mills have been closed in U. P. and Bihar. Mills are likely to be closed in Haryana and other areas also. The farmers are completely dissatisfied with the present policy of the Government. The Government should compel the millowners to pay at least a price of Rs. 4 per maund to the farmers.

The Government has paid no attention in the interests of about 2 lakh workers in the sugar industry. A large number of workers are facing unemployment due to closure of mills. The Government should chalk out such a policy which may safeguard the interests of the canegrowers, the consumers and the workers.

In Bihar lakhs of rupees are due to the farmers from the millowners. The Government should ask the defaulting mill owners to clear off the dues to the farmers. The Government should also realise tax arrears from the mill-owners. The Government should nationalise the sugar industry. If it is done the condition of the farmers and workers will become worse and consumers will also face more difficulties.

The Government should fix the minimum price of sugarcane and sugar. The minimum price of sugarcane should not be less than Rs. 10 per quintal.

श्रीमती सुचेता कृपालानी : उत्तर प्रदेश में चीनी उद्योग के सामने बड़ा भारी संकट है। आमतौर पर पेराई अक्तूबर या ज्यादा से ज्यादा नवम्बर के पहले सप्ताह से शुरू हो जाती है। लेकिन अब दिसम्बर का दूसरा सप्ताह चल रहा है और अभी तक पेराई शुरू नहीं हुई है।

किसान को नुकसान हो रहा है क्योंकि उसका गन्ना खेतों में सूखता रहता है और वह खेत साफ नहीं कर सकता और अगली फसल नहीं बो सकता। मौसमी श्रमिकों तथा स्थायी श्रमिकों को भी नुकसान हो रहा है।

किसान अपने गन्ने का अधिक मूल्य लेना चाहत हैं। कारखानों के मालिक गन्ना ले सकेंगे यदि मूल्य 12 रुपये तक बढ़ा दिया जाता है। यदि मूल्य 12 रुपय तक बढ़ा दिया गया तो स्वाभाकि ही है कि मिल मालिका किसी तरह का मुआवजा लेना चाहेंगे। पिछले वर्ष मिल माज़िकों को यह प्रोत्साहन दिया गया था कि यदि वे लक्ष्य से ज्यादा पेराई करेंगे तो लक्ष्य से अधिक मात्रा के लिए उन्हें उत्पादन में रियायत दी जायेगी। सरकार को इस उपाय पर विचार करना चाहिए। यदि मूल्य बढ़ाया गया तो सरकार इस बात पर भी विचार कर सकती है कि क्या वह 60 और 40 के अनुपात में उगाही बहाल करे या कारखानों को मुआवजा देने के लिए उगाही मूल्य कुछ बढ़ाया जाय।

हमें सभी पहलुओं पर विचार करना चाहिए। वर्तमान स्थिति के लिए केवल कारखानों के मालिकों को दोषी नहीं ठहराया जा सकता। स्थिति यह है कि सरकार को किसानों और मिल मालिकों के हितों के बारे में सोचना होगा।

चीनी के भंडार बहुत कम हो गये हैं। इसलिए इस मामले के साथ और अधिक खिलवाड़ नहीं किया जा सकता। इसे उच्चतम प्राथमिकता दी जानी चाहिए और अविलम्ब कोई समझौता किया जाना चाहिए।

हमें दीर्घकालीन दृष्टिकोण अपनाना चाहिए। हमें तीन या चार वर्षों की अवधि के लिए दोनों का, गन्ने और चीनी का, मूल्य निर्धारित करना चाहिए। हर साल उतार चढ़ाव नहीं होना चाहिए। तभी चीनी उद्योग में कुछ स्थिरता आयेगी।

श्री के० रमानी (कोयम्बटूर) : सरकार की चीनी नीति संकट में है। गन्ना उत्पादन का कुल क्षेत्र कम हो गया है। गन्ने और चीनी का कुल उत्पादन भी कम हो गया है। उन किसानों ने जो गन्ना उगाते हैं और सप्लाई करते हैं, अब संघर्ष शुरू कर दिया है क्योंकि वे अपनी पैदावार का लाभप्रद मूल्य चाहते हैं। आंशिक नियंत्रण की नीति से केवल मिल मालिकों को फायदा हुआ है जिन्होंने इस नीति के कारण भारी मुनाफा कमाया है।

उपभोक्ताओं को भारी कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है। उन्हें ऊँचे दामों पर चीनी मिलती है। यह सुझाव गलत है कि वर्तमान स्थिति को केवल पूर्ण रूप से नियंत्रण हटाने से ही हल किया जा सकता है। जब चीनी का उत्पादन कम है तो आंशिक नियंत्रण कोई उपचार नहीं है।

जब तक पर्याप्त उत्पादन न हो तब तक सरकार को समूचा उत्पादन अपने हाथ में लेना होगा। सरकार को समूचा उत्पादन अपने हाथ में ले लेना चाहिए और उसे यह देखने का प्रयत्न करना चाहिए कि देश की समस्त जनता को चीनी उचित दामों पर मिले।

सरकार की चीनी नीति मिल-मालिकों के पक्ष में है। किसान, मजदूर और उपभोक्ता कष्ट उठा रहे हैं। देश में कृत्रिम अभाव पैदा करने के लिए सरकार को मिल मालिकों के दबाव में नहीं आना चाहिए।

Shri Bibhuti Mishra : The farmers have suffered a huge loss on account of the closure of sugar mills. The sugar cane is drying in the fields. The farmers are not able to sow the next crop. The Government should compel the millowners to start crushing sugarcane immediately. The price of sugarcane can be settled after a few days.

It would have been better if the Government had settled the price in consultation with the farmers and the mill-owners. It is not clear as to what the Government have in mind. They have failed to exert pressure on the factories for starting crushing.

There is a shortage of sugar at present. The price of sugar has shot up. The consumers are suffering on account of high price of sugar.

The Minister knows the difficulties of the farmers. The minimum price of sugarcane should be fixed at Rs. 12 per quintal, because cost of production has gone up considerably. The Minister should make an early announcement of the sugarcane price and ask the factories to start crushing.

Shri Prakash Vir Shastri : The farmers in U.P. have spent more on irrigation and fertilizers this year than in previous years. Two-third of the crop has been damaged by

an insect. The Minister should prevail upon the millowners to satisfy the farmer this year even though they may have to experience some difficulty. This will encourage the farmers and next year the production of sugarcane and sugar will be balanced.

Certain general principles should be laid down in regard to sugarcane price instead of fixing the price every year. This will bring about some stability in sugarcane production.

The maximum price offered by the factories should be paid to the farmers first and the remaining sum should be decided on the basis of the sale price of sugar in the market.

At present the canegrowers are experiencing a lot of difficulties in getting sugar. They should be paid a portion of the price for their sugarcane in the form of sugar.

There is a shortage of sugar in the country. Even then the Government have exported sugar at a loss in order to retain foreign market. In view of the scarcity of sugar in the country and the huge loss suffered on export, the Government should review their export policy.

The entire sugarcane belonging to a farmer should be crushed at a stretch so that he can get price on the basis of recovery of his sugarcane. This will give him incentive to improve the quality of his sugarcane.

Shri Kamble (Latoor) : Different prices of sugarcane and sugar are prevailing in different parts of the country. It gives rise to the feeling of dissatifaction both amongst the cane-growers and the consumers of sugar. Steps should, therefore, be taken to have uniform prices of sugar and sugarcane throughout the country. While doing so, the quality of sugar and sugarcane should be taken into consideration.

It is a matter of common knowledge that everything does not grow at every place. Similarly, every region does not have the same factories which are in other regions. The reason is that climate, soil conditions etc., differ from region to region. Taking all these things into consideration we should so plan that in a particular region, only that thing is produced which we can produce there in the maximum quantity, with maximum advantages.

Shri Mahant Digvijai Nath (Gorakhpur) : Our planaing in respect of agriculture is very faulty. Sometimes you pay more price to the canegrower so that the farmer reduces the cultivation of wheat and rice. This year you brought down the price of sugarcane so low that next year there may be sugar famine. In foreign countries the Government estimates the demand for each commodity and then tells the farmer as to how much area should be brought under cultivation. We should also pursue a similar policy. Even if sometimes Government have to pay subsidy for maintaining the price of certain commodity it should not hesitate to do so. In case Government want to raise the production in the country they should orient their policy accordingly.

श्री क० नारायण राव (बोब्बिली) : आन्ध्र प्रदेश में 19 चीनी मिलों में से केवल 9 सहकारी मिलों और एक निजी मिल ने आन्ध्र प्रदेश सरकार निर्धारित मूल्यों को स्वीकार किया है । इससे चीनी का संकट पैदा होने की आशंका है । आन्ध्र प्रदेश सरकार विवशता अनुभव कर रही है । उसने केन्द्रीय सरकार से कहा है कि वह किसान की रक्षा करे और मिल मालिक के व्यवहार को विनियमित करे अथवा उसे यह अधिकार दे कि वह आवश्यक वस्तु अधिनियम के अन्तर्गत आवश्यक कार्यवाही कर सके । हमें पता नहीं कि क्या निर्णय लिया जा रहा है परन्तु इससे लोगों को काफी कठिनाई हो रही है । सरकार को तुरन्त ऐसे कदम उठाने चाहिए जिससे निजी मिलें तुरन्त पेराई आरम्भ कर दें ।

गांवों में लोगों को नियंत्रित मूल्यों पर चीनी मिलना बहुत कठिन है। गन्ने की कीमत निर्धारित करते समय शीरे के मूल्य को भी ध्यान में रखा जाना चाहिए। अभी तो केवल चीनी की वसूली पर ही ध्यान दिया जाता है।

श्री हिम्मतसिंहका (गोड्डा) : मूल्यों के निर्धारण में विलम्ब के कारण सभी को हानि हो रही है। यहाँ तक कि मिल मालिकों को भी हानि हो रही है क्योंकि वह अपनी मशीनों का उपयोग कर अधिक उत्पादन करना चाहते हैं।

अब स्थिति यह है कि निम्नतम मूल्य 7.75 रुपये प्रति क्विंटल निर्धारित किया गया है। और वसूली का मूल्य उसी आधार पर निर्धारित किया जा रहा है। पिछले वर्ष मिल मालिकों को उत्पादन शुल्क में रियायत दी गई थी। उन्हें 40 प्रतिशत तक निर्बाध विक्रय की भी अनुमति दी गई और उन्होंने इस 40 प्रतिशत को खुले बाजार में बेचा जिसमें उन्हें ऊँची कीमत मिली। पिछले वर्ष उत्पादन 22 लाख टन हुआ और सरकार को लगभग 13 लाख टन मिला। निर्बाध बिक्री के लिए लगभग 8 लाख टन है। वे उस 8 लाख टन पर उस घाटे को पूरा कर सकते हैं जो उन्हें उगाही वाली चीनी पर उठाना पड़ता है। इस वर्ष चीनी का उत्पादन 29 लाख टन होगा और 70 प्रतिशत के आधार पर सरकार को 20 लाख टन मिलेगा और उपभोक्ताओं को नियंत्रित मूल्य पर 7 लाख टन अधिक मिलेगा इसलिये इस वर्ष चीनी की निर्बाध बिक्री के लिए बहुत कम गुंजाईश होगी और मूल्य बढ़ नहीं सकते। उपभोक्ताओं को पिछले वर्ष की अपेक्षा और अधिक मिलेगी और इसलिये खुले बाजार पर दबाव भी बहुत कम पड़ेगा। पिछले वर्ष कमी के कारण मूल्यों में वृद्धि हुई थी जो इस वर्ष नहीं होगी। अतः मेरा सुझाव यह है कि सरकार को चीनी का जितना उत्पादन हो उसकी कुल मात्रा की कीमत आंकनी चाहिए और उसे उस मूल्य पर वितरित करे जो मूल्य वे उगाही वाली चीनी के लिये भुगतान करते हैं और उसे निर्बाध बिक्री पर घाटा पूरा करने के लिये छोड़ दिया जाये। सरकार को या तो पिछले वर्ष के 60:40 सिद्धान्त का अनुसरण करना चाहिए अथवा उन्हें गन्ने के न्यूनतम मूल्य पर दृढ़ रहना चाहिए। इससे उगाही मूल्य कुछ अधिक हो जायेगा और निर्बाध बिक्री में घाटा कम हो जायेगा।

खाद्य तथा कृषि मन्त्री (श्री जगजीवन राम) : मैंने इस मंत्रालय का कार्य-भार उस समय संभाला था जब कि देश में चीनी का उत्पादन निम्नतम स्तर पर था और इसका कारण यह था कि बिहार में और पूर्वी उत्तर प्रदेश में, जहाँ चीनी का उत्पादन सबसे अधिक होता है, घोर सूखे की स्थिति थी। इन दो राज्यों में वर्षा कम होने के कारण गन्ने की खेती कम जमीन में हुई। तब हम ने सोचा कि क्या तरीका निकाला जाय जिससे किसान को अपनी फसल का अच्छा मूल्य मिले और उपभोक्ता को नियत्रित मूल्य पर कुछ मात्रा में चीनी मिल सके। समझने वाले लोग देख सकते हैं कि गन्ने की जो कीमत किसान को मिली इतनी कीमत इसे पहले कभी नहीं मिली थी। जो नीति मैंने पिछले वर्ष अपनाई उससे किसानों को बहुत लाभ हुआ। मिल मालिकों ने 40 प्रतिशत चीनी पर लाभ कमाया जो 60 प्रतिशत चीनी के घाटे की पूर्ति करता है। चीनी सम्बन्धित अपनी संशोधित नीति के कारण देश में 22 लाख मीटरी टन से अधिक चीनी का उत्पादन हुआ। इस वर्ष भी हम ने चीनी सम्बन्धी नीति पर संसद् सदस्यों, मुख्य मंत्रियों आदि के साथ विचार किया। इनकी रायों में अन्तर है। कुछ पूर्ण नियंत्रण के पक्ष में हैं, कुछ नियंत्रण हटा लेने के पक्ष में और कुछ आंशिक नियंत्रण के पक्ष में। फैसला यह किया गया

कि चीनी वसूली की प्रतिशतता 60 से बढ़ा कर 70 कर दी जाय। इस वृद्धि का उद्देश्य यह है कि हमारे पास चीनी का शेष स्टाक रह सके।

सदस्यों ने गन्ने के मूल्यों की बकाया राशि की शिकायत की। यही एक ऐसा उद्योग है जिसमें मिल वाले गन्ना खरीदते हैं, फिर चीनी निकालते हैं और उसे बेच कर गन्ने की कीमत चुकाते हैं। कभी-कभी ऐसा होता है कि कारखाना वालों को लाभ नहीं होता और इस कारण उत्पादकों को पांच, छः या सात वर्षों तक कीमत नहीं चुकाई जाती। इसका उपाय यही है कि कीमत वसूल करने के लिए मुकदमें चलाये जायें। कारखाने वाले एक गलतफहमी के कारण गन्ने का अधिक मूल्य नहीं देना चाहते। वे समझते हैं कि खुले बाजार में चीनी के मूल्य बहुत ज्यादा गिर जायेंगे। मैं इस मामले में उनके साथ सहमत नहीं हूँ। एक बात नहीं भूलनी चाहिए कि गन्ने की कीमत निश्चित करते समय हमने अधिक वसूली को ध्यान में रखा है। कीमत को 9.4 प्रतिशत वसूली के साथ जोड़ा गया है और प्रति प्रतिशत वृद्धि के लिए कीमत ज्यादा देनी होती है। यह व्यवस्था की गई है। इस तरह जहाँ वसूली ज्यादा होती है वहां किसानों को ज्यादा कीमत मिलती है। इससे गन्ने की किस्म में सुधार करने के लिए और सुक्रोस की मात्रा बढ़ाने के लिए उत्पादकों को प्रोत्साहन मिलेगा।

शास्त्री जी ने एक बहुत अच्छा सुझाव दिया है। जब कारखाना गन्ना पेरता है तो सभी किसानों की औसत निकाली जाती है, चाहे वह 9.4 हो ना 9.5 हो या 10 हो। यदि किसी किसान के खेत में 10.2 उत्पादन होता है तो भी इस की कीमत औसत वसूली से जोड़ी जायगी जो केवल 10 हो सकती है। शास्त्री जी का सुझाव केवल बड़े उत्पादकों के मामले में सुकर हो सकता है जिनका उत्पादन इतना हो कि उसे कम से कम एक दिन में पेरा जाय। परन्तु ऐसे किसान बहुत कम हैं। विशेषकर पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार में जमीनें बहुत छोटी-छोटी हैं और 200 या 500 किसानों की उपज एक दिन की पिराई के लिए पर्याप्त होती है। इसलिए मैं इसका हल नहीं निकाल पाया हूँ कि किस तरह व्यक्तिगत रूप से किसान को प्रोत्साहन दिया जाय, जिससे वह सुक्रोस की मात्रा बढ़ा सके। यदि माननीय सदस्य इसके लिए कोई उपाय सुझा सकें तो मैं अवश्य जांच करूंगा।

मैं माननीय सदस्यों के सुझाव से सहमत हूँ और मैं समझता हूँ कि गन्ने की कीमत कहीं भी 10 रुपये प्रति क्विंटल से कम नहीं होनी चाहिए। यदि यह अनुभव हुआ कि इतनी कीमत देने पर चीनी के बाजार भाव के अनुसार चीनी कारखाना मालिकों को भारी नुकसान होता है तो निश्चय ही उस समय चीनी उद्योग को बचाने के लिए कोई अन्य उपाय निकाला जायगा। मैं सभा को आश्वासन देता हूँ कि मैं इस मामले पर चीनी कारखाना वाल से विचार करूंगा और मुझे विश्वास है वे यह कीमत देने में हिचकिचायेंगे नहीं ताकि इस वर्ष गन्ने की खेती पर्याप्त हो। यह बात चीनी उद्योग के हित में होगी।

श्री स० मो० बनर्जी : क्या गन्ने की कम से कम कीमत 10 रुपये होगी ?

श्री जगजीवन राम : मैं कानूनी आधार पर निम्नतम कीमत की बात नहीं कर रहा हूँ। यह बात समझ ली जानी चाहिए।

इसके पश्चात लोक-सभा मंगलवार, 10 दिसम्बर 1968 / 19 अग्रहायण, 1890 (शक) के 11 बजे म० पू० तक के लिए स्थगित हुई।

The Lok Sabha then adjourned till Eleven of the Clock on Tuesday the 10th December, 1968/Agrahayana 19, 1890 (Saka)

Printed by Job Printers, Allahabad.